नागर विमानन मंत्रालय
MINISTRY OF
**CIVIL AVIATION**

सत्यमेव जयते

# वार्षिक रिपोर्ट 2025

# विजन

"विश्व स्तरीय नागर विमानन अवसंरचना के साथ लोगों को सुरक्षित, वहनीय और किफायती हवाई कनेक्टिविटी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।"

**"भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनाना"**

# मिशन

- विश्व स्तरीय नागर विमानन अवसंरचना सुविधाएं निर्मित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा सहित प्रभावी विनियामक ढांचा स्थापित करना।
- देश के वर्तमान में सेवा से वंचित क्षेत्रों को जोड़ना।
- क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार कुशल मानव संसाधन विकसित करना।
- क्षेत्र के इष्टतम विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को तैनात करना।
- उपयोगकर्ताओं की अधिकतम संतुष्टि सुनिश्चित करना/उपभोक्ता संतुष्टि को अनुकूलित करना।

# विषय वस्तु

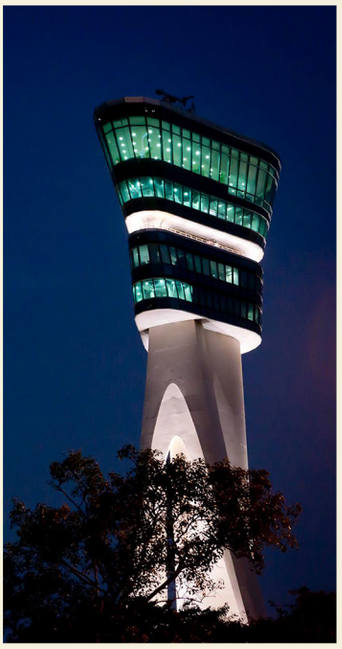


| क्र.सं. | विषय वस्तु | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 1. | विशिष्ट झलकियां | 03 |
| 2. | नागर विमानन मंत्रालय | 23 |
| 3. | नागर विमानन महानिदेशालय | 39 |
| 4. | नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो | 67 |
| 5. | रेल संरक्षा आयोग | 77 |
| 6. | वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो | 83 |
| 7. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी | 87 |
| 8. | भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण | 95 |
| 9. | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण | 107 |
| 10. | AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड़ और सहायक कंपनियां | 147 |
| 11. | राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय | 169 |
| 12. | पवन हंस लिमिटेड | 187 |
| 13. | मंत्रालय में लेखा संगठन | 195 |
| 14. | महिला कल्याण | 199 |
| 15. | दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं | 203 |
| 16. | ICAO परिषद में भारत के प्रतिनिधि (RoI) | 207 |

# 1. विशिष्ट झलकियाँ

## 1.1 वर्ष 2025 में नए हवाईअड्डों का उद्घाटन

पिछले दशक में, भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार के रूप में उभरा है। हवाईअड्डों की संख्या जो वर्ष 2014 में 74 थी, बढ़कर वर्ष 2025 में 164 हो गई है। 2025 में, राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए अमरावती एयरपोर्ट के अलावा चार नए एयरपोर्ट – दतिया, सतना, पूर्णिया और नवी मुंबई शुरू किए गए।

माननीय प्रधान मंत्री ने 31.05.2025 को सतना हवाईअड्डे और दतिया हवाईअड्डे का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में नव विकसित सतना हवाईअड्डे और उन्नत दतिया हवाईअड्डे को उड़ान योजना के तहत क्रमशः 36.96 करोड़ रुपये और 60.63 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया था, प्रत्येक की प्रति वर्ष यात्री हैंडलिंग क्षमता 2.5 मिलियन यात्रियों की है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 15.09.2025 को बिहार के पूर्णिया हवाईअड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव का उद्घाटन किया, जिसे उड़ान योजना के तहत ही विकसित किया गया है, जिससे यह हवाईअड्डा नागरिक विमानन सेवाओं के लिए कार्यशील हो गया है।

नवी मुंबई, हवाईअड्डा, महाराष्ट्र का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 8 अक्टूबर, 2025 को किया गया था। हवाईअड्डे को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया गया है। परियोजना का प्रारंभिक चरण, टर्मिनल 1 (T1), एकल रनवे के साथ प्रति वर्ष 20 मिलियन यात्रियों (MPPA) की यात्री हैंडलिंग क्षमता के साथ पूरा किया गया है।

## 1.2 IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक

नागर विमानन मंत्रालय ने भारत मंडपम, नई दिल्ली, भारत में 1 से 3 जून 2025 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) की 81वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन (WATS) को सफलतापूर्वक आयोजित करवाया। माननीय प्रधानमंत्री ने पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए विश्व स्तरीय विमानन अवसंरचना के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इसमें एयरलाइनों, विमानन संस्थानों और सरकारों के शीर्ष अधिकारियों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि थे।

## 1.3 ICAO महासभा का 42वां सत्र

ICAO परिषद के 42वें सत्र का आयोजन 23 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक मॉन्ट्रियल, कनाडा में किया गया था। माननीय नागर विमानन मंत्री और सचिव (नागर विमानन) के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सत्र में भाग लिया। भारत को 2025-2028 के कार्यकाल के लिए ICAO परिषद के भाग-II के लिए फिर से चुना गया है। भारत ने 2022 के चुनावों की तुलना में अधिक संख्या में वोट (158 वोट) हासिल किए, जो भारत के नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन के प्रति प्रतिबद्धता में सदस्य देशों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

भारत को, 'नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड' पहल के अंतर्गत एक प्रभावी विमानन सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली स्थापित करने में इसकी महत्वपूर्ण प्रगति को मान्यता प्रदान करते हुए ICAO काउंसिल प्रेसिडेंट्स सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया गया है। असेम्बली बैठक के साथ-साथ ही, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अंगोला, जापान, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के एविएशन अधिकारियों के साथ-साथ ICAO लीडरशिप के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें कीं, जिसमें एयर कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट और सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया, और साथ ही एयरबस, बेल हेलीकॉप्टर और CAE सहित प्रमुख एविएशन सुविधाओं का दौरा भी किया।

## 1.4 सफरान की लीप इंजन MRO फ़ैसिलिटी

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 26 नवंबर, 2025 को हैदराबाद में लीप इंजन MRO फ़ैसिलिटी सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया (SAESI) का उद्घाटन किया गया था। SAESI सफरान की सबसे बड़ी वैश्विक विमान अत्याधुनिक MRO फ़ैसिलिटी है, जो भारत में एक निजी कंपनी द्वारा स्थापित पहली और एकमात्र नागरिक इंजन फ़ैसिलिटी है। यह भारत की इंजन MRO क्षमताओं के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर और माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की "मेक इन इंडिया" आत्मनिर्भरता विजन के एक महत्वपूर्ण अंग को समाहित करता है।

1,300 करोड़ रुपये के प्रारंभिक निवेश के साथ देश में नागर विमानन के व्यापक विकास के साथ-साथ SAESI MRO क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण लाभों की प्राप्ति कराने के लिए तैयार है। इसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लीप इंजन बेड़े को सहयोग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पूरी तरह से परिचालन में आने के बाद, यह प्रतिवर्ष 300 तक इंजनों की सर्विसिंग करेगा, जिनकी सर्विसिंग वर्तमान में देश के बाहर कराई जाती है। । इस प्रक्रिया में, यह भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए 1,000 से अधिक विशिष्ट नौकरियां पैदा करेगा।

वर्ष 2030 तक लीप इंजन रखरखाव के 90% कार्य को स्थानीय बनाते हुए, हैदराबाद MRO केंद्र विदेशी मरम्मत केंद्रों पर निर्भरता में काफी कटौती करेगा, बदलाव कार्य की अवधि को कम करेगा और एयरलाइनों के लिए परिचालन लागत को कम करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुविधा भारत को उच्च प्रौद्योगिकी वायु क्षेत्र रखरखाव और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में एक प्रमुख मील का पत्थर है।

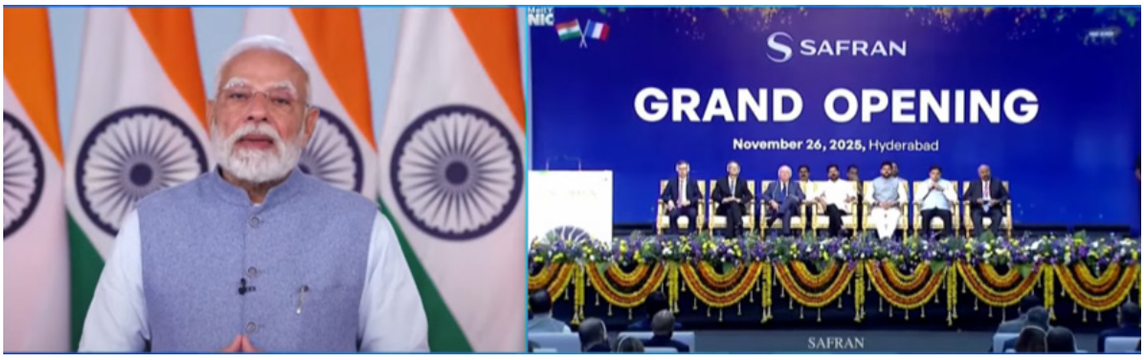


## 1.5 विमान वस्तु हित संरक्षण अधिनियम, 2025

एक ऐतिहासिक विधायी उपलब्धि के रूप में, मंत्रालय ने विमान वस्तु हित संरक्षण अधिनियम, 2025 के माध्यम से भारत में केप टाउन कन्वेंशन और विमान प्रोटोकॉल को सफलतापूर्वक लागू किया। दिनांक 01.05.2025 को लागू इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में विमान लीजिंग और फाइनेंसिंग की सुविधा प्रदान करना है।

- यह अधिनियम घरेलू दिवालियापन कानूनों के साथ अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों के सामंजस्य द्वारा विशेष रूप से विमान पट्टे पर देने और कब्जे के मामलों में सुरक्षा बढ़ाकर लंबे समय से चली आ रही कानूनी अस्पष्टताओं का समाधान करता है।
- पट्टेदारों और ऋणदाताओं के लिए कानूनी निश्चितता बढ़ाकर, इस अधिनियम से लीजिंग लागत कम होने, बेहतर फाइनेंसिंग के अवसर खुलने और वैश्विक विमानन बाजार में भारत के प्रति आकर्षण में सुधार होने की उम्मीद है।
- यह अधिनियम नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) को राष्ट्रीय रजिस्ट्री प्राधिकरण के रूप में नामित करता है, जो डिफ़ॉल्ट के मामले में परिसंपत्ति की सफल वसूली और सुव्यवस्थित लेनदार समाधान सुनिश्चित करता है।

## 1.6 भारतीय वायुयान अधिनियम के तहत अधिसूचित नियम

भारतीय वायुयान अधिनयम, 2024 ने 90 साल पुराने स्वतंत्रता पूर्व वायुयान अधिनियम, 1934 का स्थान लिया है। यह अधिनियम 1 जनवरी, 2025 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य वैश्विक मानकों के अनुरूप नियमों को सुव्यवस्थित करके विमानन क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है। यह विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव और परिचालन को शामिल करते हुए एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जो 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को बढ़ाता है और व्यापार करने में आसानी और क्षेत्रीय विकास की सुविधा प्रदान करता है।

### रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (प्रतिबंधित) प्रमाणपत्र और लाइसेंस नियम, 2025

रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (प्रतिबंधित) प्रमाण पत्र और लाइसेंस नियम, 2025 को भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत अधिसूचित किया गया है। इन नियमों को सा.का.नि. 413 (अ) दिनांक 25 जून, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया है।

नए रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (प्रतिबंधित) सर्टिफिकेट और लाइसेंस नियम, 2025 के तहत दूरसंचार विभाग (डीओटी) से DGCA में RTR (वैमानिक) परीक्षाओं और लाइसेंसिंग के संचालन के हस्तांतरण से इसे क्षेत्र-विशिष्ट नियामक के तहत रखकर, तेज प्रोसेसिंग सुनिश्चित करके, अन्य विमानन लाइसेंसिंग प्रणालियों के साथ बेहतर समन्वय और अंतर-विभागीय देरी को कम करके प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। यह विमानन कार्मिक प्रमाणन के लिए एकल-खिड़की दृष्टिकोण को बढ़ाता है और नागर विमानन क्षेत्र में इसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है।

### विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2025

विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2025 को सा.का.नि. 829 (अ) दिनांक 07 नवंबर, 2025 के तहत भारत के

राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। इस नियम में अब मानवरहित विमानों (रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट) की जांच से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। ये संशोधन अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उभरती प्रौद्योगिकियों का समायोजन करके भारत के विमानन सुरक्षा ढांचे को मजबूत करते हैं।

मंत्रालय, भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत शेष नियमों को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है। एक बार लागू होने के बाद, ये नियम मौजूदा अतिरेकों की पहचान करते हुए सरलीकृत तरीके से प्रावधानों को विनियमित करने और नागर विमानन के विनियमन की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रावधान प्रदान करेंगे, जो सरकार की 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत' पहलों को बढ़ावा देंगे, अस्पष्टताओं को दूर करेंगे और कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देंगे।

## 1.7 उड़ान यात्री कैफे

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कोलकाता में हवाईअड्डे पर 19.12.2024 को पहले उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया था। यह कैफे सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन और पेय पदार्थ, 10/- रुपये की चाय, 20/- रुपये में कॉफी/स्नैक्स/मिठाई की उपलब्धता सुनिशचित करके बेहतर यात्री अनुभव प्रदान करता है। आम जनता ने व्यापक रूप से इस पहल की सराहना की।

यात्रियों की अपार सराहना के बाद, इस पहल को और अधिक हवाईअड्डों तक विस्तारित किया गया है। अब, उड़ान यात्री कैफे का विस्तार देशभर में संचालित छह और हवाईअड्डों अर्थात् अहमदाबाद, पुणे, भुवनेश्वर, होलोंगी, विजयवाड़ा और चेन्नई तक किया गया है, जिससे देशभर में ये कैफे अब बढ़कर कुल सात हो गई हैं।

## 1.8 नागर विमानन पर क्षेत्रीय मंत्रियों का सम्मेलन - 2025

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नागर विमानन के क्षेत्रीय मंत्रियों का नागर विमानन सम्मेलन, 2025 का आयोजन, FICCI और संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से, क्षेत्रीय विमान संपर्क, बुनियादी ढांचे और निवेश को बढ़ाने के लिए केंद्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उद्योग के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए किया गया। देहरादून में उत्तरी क्षेत्र (4 जुलाई 2025), मुंबई में पश्चिमी क्षेत्र (11 जुलाई 2025) और भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्र (25 अगस्त 2025) के लिए सम्मेलन आयोजित किए गए।

इनमें मेजबान राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू किंजरापु, राज्य मंत्री, राज्यों के वरिष्ठ मंत्री और नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और साथ ही विमानन उद्योग हितधारकों की भी व्यापक भागीदारी थी। सम्मेलनों में कनेक्टिविटी, विशेष रूप से टियर II और टियर III शहरों के लिए, हवाईअड्डे और MRO बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल विकास और निवेश सुविधा में सुधार के लिए कार्यवाही योग्य रणनीतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

नागर विमानन पर उत्तरी क्षेत्र के मंत्रियों का सम्मेलन

नागर विमानन पर पश्चिमी क्षेत्र के मंत्रियों का सम्मेलन

नागर विमानन पर पूर्वी क्षेत्र के मंत्रियों का सम्मेलन

प्रमुख परिणामों में नई कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे के लिए सहायता, MRO सुविधाओं की स्थापना, कौशल विकास पहल और कैडेट पायलट कार्यक्रम पर सहयोग के लिए प्रस्ताव शामिल थे। मंत्रालय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच व्यक्तिगत बैठकें, साथ ही समानांतर उद्योग सत्रों ने क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों, परियोजना प्रस्तावों और कार्यान्वयन बाधाओं पर विस्तृत चर्चा की, जिससे भारत के विमानन विकास में सहकारी संघवाद को बल मिला।

## 1.9 पूर्वोत्तर क्षेत्र सम्मेलन और तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 4 सितंबर 2025 को ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, राज्य सरकार और FICCI के सहयोग से नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नागर विमानन पर पूर्वोत्तर क्षेत्रीय मंत्री सम्मेलन 2025 और तीसरे पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के साथ केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। इसके साथ मिजोरम, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों की भागीदारी भी रही।

सम्मेलन में हवाईअड्डे और हेलीपैड विकास मॉडल, उड़ान कनेक्टिविटी, विमानन कौशल और हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं पर प्रस्तुतियां दी गईं, जो राज्यों को स्पष्ट कार्यान्वयन मार्ग प्रदान करती हैं। समानांतर उद्योग सत्रों के साथ मंत्रालय और राज्य प्रतिनिधिमंडलों के बीच व्यक्तिगत बैठकों में क्षेत्र-विशिष्ट संपर्क चुनौतियों, बुनियादी ढांचे के प्रस्तावों, निवेश सुविधा और कार्यान्वयन बाधाओं के समाधान पर केंद्रित चर्चा की गई।

## 1.10 हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों पर 7वां शिखर सम्मेलन- 2025

7वें हेलीकॉप्टर और छोटे एयरक्राफ्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन नागर विमानन मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार, पवन हंस और FICCI के सहयोग से 24 जून 2025 को पुणे में आयोजित किया गया जिसमें केंद्रीय नागर विमानन मंत्री, श्री राममोहन नायडू किंजारापु, मुख्य अतिथि के रूप में और श्री मुरलीधर मोहोल, नागर विमानन राज्य मंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

इस शिखर सम्मेलन में नियामक सुधारों, सुरक्षा संवर्धन, बेहतर कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत के हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के कारोबारी माहौल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रमुख घोषणाओं में DGCA के अधीन एक समर्पित हेलीकॉप्टर निदेशालय का निर्माण, RCS-UDAN योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर मार्गों का विस्तार, हेली सेवा पोर्टल के माध्यम से सुव्यवस्थित डिजिटल अनुमोदन और eVTOL जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए नीतिगत समर्थन शामिल थे।

दूरदराज के क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ प्रशिक्षण, रखरखाव, विनिर्माण और कौशल में निवेश के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनने पर जोर दिया गया। 20 राज्य सरकारों, उद्योग जगत के प्रमुखों और प्रमुख संस्थानों की भागीदारी के साथ, शिखर सम्मेलन में सुरक्षा विनियमों, पट्टे पर देने और वित्तपोषण, परिचालन चुनौतियों, राज्य स्तरीय अवसरों और उड़ान 5.5 के तहत हेलीकॉप्टरों और समुद्री विमान दिशानिर्देशों के लिए उड़ान 5.1 जैसी हाल की पहलों पर चर्चा की गई।

## 1.11 रीजनल कनेक्टिविटी योजना – उड़े देश का आम नागरिक (RCS-UDAN)

नागर विमानन मंत्रालय ने 21 अक्टूबर, 2025 को RCS-UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना की 9वीं वर्षगांठ मनाई।

RCS-UDAN योजना, मंत्रालय द्वारा 15.06.2016 को जारी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP), 2016 का एक प्रमुख परिणाम है। NCAP-2016 के अनुरूप, RCS-UDAN योजना को मंत्रालय द्वारा 21.10.2016 को शुरू किया गया था, जो इसकी अधिसूचना की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू है। पहली RCS-UDAN फ्लाइट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 27.04.2017 को शिमला से दिल्ली के लिए किया गया था।

भारत सरकार की प्रमुख योजना 'उड़ान' का उद्देश्य क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती, तथापि आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है। यह योजना असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ते हुए क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उड़ान योजना के माध्यम से, देश के नागर विमानन परिदृश्य में कई नए मार्ग और हवाईअड्डे व्यापक प्रचलन में आए हैं।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने 4500 करोड़ रुपये की लागत से राज्य सरकारों, AAI , सिविल एन्क्लेव, CPSU के असेवित एवं अल्पसेवित हवाईअड्डों, हेलीपैड और वाटर एयरोड्रोम के पुनरुद्धार और विकास को मंजूरी प्रदान की है। उपर्युक्त के अलावा, व्यय वित्त समिति (EFC) ने भी उड़ान योजना के तहत 50 और हवाईअड्डों, हेलीपोर्टों और वाटर एयरोड्रोमों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूरी की है।

दिनांक 31.12.2025 तक RCS योजना के तहत हवाईअड्डों के पुनरुद्धार/विकास के लिए, 4500 करोड़ रुपये (चरण-I) और 140.04 करोड़ रुपये (चरण-II) में, कुल मिलाकर 4640.04 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

वर्ष 2016 में RCS-UDAN के शुभारंभ से पहले, भारत में अनुसूचित प्रचालनों सहित 74 हवाईअड्डे थे। अगले 8 वर्षों में, RCS-UDAN योजना के तहत पांच दौर की बोली प्रक्रिया के बाद, RCS उड़ानों के परिचालन के जरिए, 25 वाटर एयरोड्रोमों और 64 हेलीपैड सहित 215 RCS हवाईअड्डों कार्यशील किए गए हैं।

आज की तारीख तक, योजना के प्रारंभ से पिछले सात वर्षों के दौरान, विभिन्न एयरलाइनों को 923 वैध उपलब्ध RCS मार्ग आवंटित किए गए हैं और इनमें से अब तक 93 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों (15 हेलीपोर्टों और 02 वॉटर एयरोड्रोमों सहित) को जोड़ने वाले 657 RCS मार्ग कार्यशील किए गए हैं। RCS-UDAN योजना के माध्यम से आज की तारीख तक 3.34 लाख RCS उड़ानों को शामिल करते हुए, यात्रा करने वाले कुल घरेलू यात्रियों की संख्या 159 लाख से अधिक पहुँच गई है। रीजनल एयर कनेक्टिविटी फण्ड ट्रस्ट (RACFT) ने व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (VGF) के तहत चयनित एयरलाइन प्रचालकों (SAO) को 4472.29 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं।

उड़ान योजना 5.1 से 5.5 के अंतर्गत कुल 287 मार्गों ('उड़ान' 5.1- 16, उड़ान 5.2-75, उड़ान 5.3 - 16, उड़ान 5.4 - 24 और उड़ान 5.5 - 156) को आशय पत्र (LoI) जारी किए गए हैं।

### उड़ान के अंतर्गत उत्तरपूर्व क्षेत्र

पाँच दौर की बोली के दौरान, उत्तरपूर्वी राज्यों में कुल 164 वैध फिक्स्ड-विंग और हेलीकॉप्टर मार्गों को आवंटित किया गया है, जिनमें से 90 प्राथमिकता वाले RCS मार्ग कार्यशील हो चुके हैं। इन मार्गों से क्षेत्रीय संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि होने, पर्यटन को बढ़ावा मिलने, निवेश के आकर्षित होने और क्षेत्र में कारोबार करने में सरलता में संवर्धन की बढ़ोत्तरी हुई है। उड़ान योजना के तहत, उत्तरपूर्व क्षेत्र में विमानन बुनियादी ढांचे और अंतिम-मील संपर्क को और मजबूत करने के लिए हेलीपोर्ट और वॉटर एयरोड्रोमों सहित 52 हवाईअड्डों की पहचान की गई है, जिनमें से 12 कार्यशील हो चुके हैं।

## 1.12 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे

भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (GFA) नीति, 2008 तैयार की है, जो नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं और शर्तें प्रदान करती है। इस नीति के अनुसार, राज्य सरकार सहित हवाईअड्डा विकासकर्ता को दो चरणों अर्थात, साइट मंजूरी के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की अनुमोदन प्रक्रिया के लिए, नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है।

भारत सरकार ने अब तक देश भर में 24 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान की है, इनके नाम इस प्रकार हैं:

1. पुरी (ओडिशा)
2. परन्दुर (तमिलनाडु)
3. कोटा (राजस्थान)
4. मोपा (गोवा)
5. नवी मुंबई (महाराष्ट्र)
6. शिरडी (महाराष्ट्र)
7. सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)
8. कलबुरगि (कर्नाटक)
9. विजयपुरा (कर्नाटक)
10. हसन (कर्नाटक)
11. शिवमोग्गा (कर्नाटक)
12. डबरा (ग्वालियर) (मध्य प्रदेश)
13. कुशीनगर (उत्तर प्रदेश)
14. नोएडा (जेवर) (उत्तर प्रदेश)
15. धोलेरा (गुजरात)
16. राजकोट (गुजरात)
17. कराईकल (पुडुचेरी)
18. दगदार्थी (आंध्र प्रदेश)
19. भोगापुरम (आंध्र प्रदेश)
20. ओरावकल (कुरनूल) (आंध्र प्रदेश)
21. दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)
22. पाक्योंग (सिक्किम)
23. कन्नूर (केरल)
24. ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)

### उपर्युक्त में से 13 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों नामत:

दुर्गापुर, शिरडी, सिंधुदुर्ग, पाक्योंग, कन्नूर, कलबुरगि, ओरावकल (कुरनूल), कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोगा, राजकोट और नवी मुंबई (2025 में) परिचालित है।

इसके अलावा, 24 हवाईअड्डों की सूची में से, 3 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं, अर्थात पुरी, परंदुर और कोटा हवाईअड्डों को 2025 के दौरान 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी गई है।

नोएडा (जेवर) अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे और विजयपुरा हवाईअड्डे को वित्त वर्ष 2025-26 में परिचालित करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि भोगापुरम, ढोलेरा और हासन हवाईअड्डों के वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान शुरू होने की उम्मीद है।

**इसके अलावा, भारत सरकार ने छह ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों नामत:** अलवर (राजस्थान), सिंगरौली (मध्य प्रदेश), मंडी (हिमाचल प्रदेश), कोट्टायम (केरल), डोलू (असम) और रायचूर (कर्नाटक) के निर्माण के लिए साइट मंजूरी प्रदान कर दी है।

## 1.13 महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज हवाईअड्डे का उन्नयन

महाकुंभ की अवधि के दौरान प्रयागराज हवाईअड्डे पर हवाई यातायात में अनुमानित वृद्धि की जरूरतों को पूरा करने के लिए हवाईअड्डे का व्यापक रूप से नवीनीकरण और उन्नयन किया गया। टर्मिनल क्षेत्र को 6700 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 18500 वर्ग मीटर कर दिया गया है, जिससे पीक-ऑवर यात्री प्रबंधन क्षमता बढ़कर 2700 यात्री हो गई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के इस उन्नयन ने,

जिसमें चेक-इन काउंटर, सामान बेल्ट और पार्किंग बे में वृद्धि शामिल है, हवाईअड्डे को व्यस्ततम तीर्थयात्रा अवधि के दौरान 5,80,000 से अधिक यात्रियों की आवाजाही को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाया।

## 1.14 नए टर्मिनल भवनों का निर्माण

- लगभग 1,200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित पटना हवाईअड्डे का उद्घाटन दिनांक 29.05.2025 को किया गया था। हवाईअड्डा 65,150 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे व्यस्ततम समय के दौरान 3,000 यात्रियों और सालाना एक करोड़ यात्रियों को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- टर्मिनल की सालाना 20 लाख यात्रियों के प्रबंधन करने की क्षमता बढ़ाकर 452 करोड़ रुपये की लागत से विकसित तूतीकोरिन हवाईअड्डे का उद्घाटन दिनांक 26.07.2025 को किया गया है।
- होलोंगी हवाईअड्डे का उद्घाटन दिनांक 04.09.2025 को किया गया था। परियोजना को 80 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया था।

## 1.15 शिलान्यास

- हिसार हवाईअड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन (NTB) की आधारशिला दिनांक 14.04.2025 को रखी गई थी।
- बिहटा हवाईअड्डे पर एक नए सिविल एन्क्लेव के विकास की आधारशिला दिनांक 29.05.2025 को रखी गई थी। बिहटा हवाईअड्डे पर 1413.00 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अनुमोदित एक नए सिविल एन्क्लेव का विकास, पटना हवाईअड्डे पर बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए एक रणनीतिक उपाय है। बिहटा में नए टर्मिनल का क्षेत्रफल 66,000 वर्ग मीटर का होगा, जो आरंभ में 3,000 पीक ऑवर यात्रियों (PHP) और सालाना 5 मिलियन यात्रियों को हैंडल करेगा।

## 1.16 पूंजीगत व्यय (CAPEX)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) सहित हवाईअड्डा प्रचालकों/विकासकर्ताओं ने देशभर में हवाईअड्डों के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 96,000 करोड़ रुपये से अधिक का संचयी पूंजीगत व्यय किया है।

इसमें नए हवाईअड्डे, मौजूदा टर्मिनलों का विस्तार और संशोधन, नई यात्री सुविधाओं का निर्माण, नए टर्मिनलों का निर्माण, रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, एप्रन और एयर नेविगेशन सर्विसेज (ANS) कार्य जैसे कि कंट्रोल टॉवर और तकनीकी खंड, शामिल हैं।

कुल पूंजीगत व्यय में से, AAI द्वारा 48,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं, जबकि शेष राशि PPP मोड के तहत निजी हवाईअड्डा प्रचालकों/विकासकर्ताओं द्वारा खर्च की गई है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, दिसंबर 2025 तक हवाईअड्डा क्षेत्र में लगभग 12,592 करोड़ रुपये का समग्र पूंजीगत व्यय किया गया है, जिसमें से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लगभग 3,652 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया है और PPP/अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों ने लगभग 8,940 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

## 1.17 100% हरित ऊर्जा पर चलने वाले हवाईअड्डे

ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग हवाईअड्डों पर कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। गैर-नवीकरणीय ऊर्जा को हरित ऊर्जा से बदलने से हवाईअड्डे के कार्बन फुटप्रिन्ट को कम करने में मदद मिलती है। तदनुसार, मंत्रालय ने अनुसूचित परिचालनों वाले सभी कार्यशील हवाईअड्डों और आगामी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माणकर्ता को कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट ज़ीरो प्राप्त करने की दिशा में काम करने की सलाह दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हरित ऊर्जा का उपयोग भी शामिल है।

दिनांक 31.12.2025 तक, देश के 98 हवाईअड्डों ने 100% हरित ऊर्जा उपयोग अपना लिया है। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद हवाईअड्डों ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) के उच्चतम कार्बन प्रत्यायन स्तर 5 को हासिल कर लिया है। ये चार हवाईअड्डे कार्बन न्यूट्रल बन गए हैं।

## 1.18 डिजी यात्रा

डिजी यात्रा एक ऐसी पहल है जो चेहरे से प्रमाणीकरण तकनीक के आधार पर हवाईअड्डों पर यात्रियों के संपर्क रहित, निर्बाध प्रोसेसिंग करने के लिए अभिकल्पित है। इस पहल में मूल रूप से परिकल्पना की गई है कि कोई भी यात्री पहचान स्थापित करने के लिए चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके कागज रहित और संपर्क रहित प्रोसेसिंग के माध्यम से हवाईअड्डे पर विभिन्न चेक पॉइंट से गुजर सकता है।

24 हवाईअड्डों अर्थात दिल्ली, बैंगलोर, वाराणसी, पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, कोचीन, चेन्नै, बागडोगरा, भुवनेश्वर, कोयंबटूर, डाबोलिम, इंदौर, मोपा गोवा, पटना, रायपुर, रांची और विशाखापट्टनम में डिजी यात्रा शुरू की गई है। अंततः, सभी हवाईअड्डों को चरणबद्ध तरीके से डिजी यात्रा से कवर किया जाएगा।

इसके साथ ही, ई-गवर्नेंस योजना 2024-2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के "नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए AI और अन्य नए युग की प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा नवाचार" श्रेणी के तहत डिजी यात्रा को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

दिसंबर 2025 तक, 8 करोड़ से अधिक यात्रियों ने हवाईअड्डों पर डिजी यात्रा की सुविधा का लाभ उठाया है। डिजी यात्रा ऐप Android के साथ-साथ iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और अब तक 2 करोड़ से अधिक प्रयोक्ताओं द्वारा डाउनलोड किया गया है।

## 1.19 देश में हवाई कार्गो में वृद्धि

भारत के हवाई कार्गो क्षेत्र में पिछले दशक में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है तथा बदलाव आया है, जो देश के लॉजिस्टिक्स और व्यापार पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है तथा उच्च मूल्य, नाशवान और समय-संवेदी सामानों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रणनीतिक सुधारों, अवसंरचना में निवेश और डिजिटल नवाचारों द्वारा संचालित, हवाई कार्गो क्षेत्र की मात्रा जो वित्त वर्ष 2014-15 में 2.53 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) थी, बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 3.72 MMT हो गई। दिसंबर 2025 तक, वित्त वर्ष 2025-26 में 2.98 MMT कार्गो हैंडल किया गया है।

**संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** वर्ष 2016 में AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (AAICLAS) की स्थापना विमानन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ। वर्तमान में पूरे भारत में के 74 हवाईअड्डों पर कार्गो परिचालन किया जाता है।

**अवसंरचना विकास:** जेवर और नवी मुंबई हवाईअड्डों पर प्रमुख नई सुविधाओं के विकास के साथ-साथ मौजूदा कार्गो टर्मिनलों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के माध्यम से हवाई कार्गो भण्डारण क्षमता में वृद्धि की जा रही है। इस संबंध में, AAICLAS ने छह हवाईअड्डों अर्थात डिब्रूगढ़, दीमापुर, देहरादून, जोधपुर, श्रीनगर और विजयवाड़ा में हवाई कार्गो परिचालनों के लिए अवसंरचना और भण्डारण सुविधाओं को बढ़ाने की पहल की है।

**विनियामक और परिचालन सुधार:** सरकार ने ट्रांसशिपमेंट कार्गो की स्क्रीनिंग को सुव्यवस्थित करने और वन-स्टॉप सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो मजबूत, जोखिम-आधारित निरीक्षण को बनाए रखते हुए जाँच की पुनरावृत्ति को समाप्त करते हैं। यह कदम कार्गो अवरोध और लॉजिस्टिक्स की लागत कम करेगा, सुरक्षा एजेंसियों को उच्च जोखिम वाले माल पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएगा और भारत का वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रियाओ के साथ तालमेल बनेगा। यह तेजी से व्यापार और निर्यात में सहायता करके क्षेत्रीय कार्गो हब के रूप में भारतीय हवाईअड्डों की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी सुदृढ़ करेगा।

**वित्तीय प्रोत्साहन:** अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के साथ छोटे हवाईअड्डों/कार्गो टर्मिनलों को टर्मिनल पर सीमा शुल्क कर्मचारियों की तैनाती की लागत वहन करना आवश्यक होता है। इसमें निहित लागत टियर II/III शहरों में छोटे हवाईअड्डों/कार्गो टर्मिनलों के लिए उनके यातायात और राजस्व की तुलना में महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार, यह वित्तीय बोझ इन सुविधाओं की प्रचालन व्यवहार्यता के लिए एक चुनौती होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 15 कार्गो और 12 यात्री हवाईअड्डों सहित 27 हवाईअड्डों पर सीमा शुल्क कर्मचारियों की तैनाती की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए वर्ष 2024-25 से वर्ष 2026-27 तक की अवधि के लिए एक योजना शुरू की है।

## 1.20 रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO)

भारत के MRO उद्योग की क्षमता की पहचान करते हुए, सरकार ने इस क्षेत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं:

1. आयातित विमान पुर्जों, कल-पुर्जों, उपकरणों और परीक्षण उपकरणों पर पूर्ववर्ती विभिन्न दरों के स्थान पर इन्वर्टिड टैक्स स्ट्रक्चर को समाप्त करके एक समान 5% IGST की घोषणा दिनांक 12 जुलाई 2024 को की गई थी।
2. दिनांक 1 सितंबर 2021 को जारी MRO दिशानिर्देशों ने AAI हवाईअड्डों पर रॉयल्टी को समाप्त किया और भूमि आवंटन में पारदर्शिता में सुधार किया।
3. केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत, मरम्मत-आधारित माल के लिए निर्यात अवधि को छह महीने से एक वर्ष तक बढ़ाने और वारंटी दौरान मरम्मत के लिए पुन: आयात अवधि को तीन से पाँच वर्ष तक करने जैसे अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गई थी।
4. वीज़ा मैनुअल में भी संशोधन किया गया है ताकि सुगम परिचालन को आसान बनाते हुए MRO उद्देश्यों के लिए आने वाले विदेशी पायलटों और चालक दल के लिए व्यवसाय वीजा और अस्थायी लैंडिंग परमिट की अनुमति प्रदान की जा सके।
5. भारत के विमान बेड़े के विस्तार के साथ MRO की माँग में काफी वृद्धि होने वाली है। मंत्रालय ने देश में विनिर्माण और MRO सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए OEM के साथ जुड़ना जारी रखा है।

मंत्रालय के प्रयासों ने भारत में MRO के लिए एक मजबूत नींव रखी है, जिससे देश एक व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी वैश्विक केंद्र बन गया है। इन की गई पहलों के परिणामस्वरूप, भारत में MRO सुविधाओं की कुल संख्या जो वर्ष 2014 में 96 थी, बढ़कर वर्ष 2025 में 166 हो गई है।

## 1.21 एयरक्राफ्ट लीजिंग

भारत सरकार ने गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) को बढ़ावा देने के माध्यम से विमान लीजिंग और वित्तपोषण पारितंत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन कदमों से एअर इंडिया द्वारा 13 वाइड बॉडी विमान, 2 नैरो बॉडी विमान और 34 ट्रेनर विमान को IFSC के माध्यम से पट्टे पर देने के परिणाम सामने आने लगे हैं। इसी प्रकाकर, इंडिगो ने IFSC के माध्यम से 74 नैरो बॉडी विमान पट्टे पर लिए हैं।

IFSC बैंकिंग इकाइयों (IBU) ने GIFT IFSC में विमान लीजिंग लेनदेन के लिए लगभग 387.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर उधार दिए हैं। यह भारत में विमान लीजिंग के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और भारत को विमान लीजिंग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने में एक महत्तवपूर्ण पड़ाव साबित होगा।

उपर्युक्त सक्षमकारी उपायों के कारण दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक, 38 संस्थाओं ने विमान लीजिंग व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण किया है, जिन्होंने 196 विमानों, 89 इंजनों और 85 ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट सहित कुल 370 विमानन परिसंपत्तियाँ पट्टे पर ली हैं।

## 1.22 CORSIA और SAF के माध्यम से सतत विमानन

इंटरनेशनल सिवल ऐवीऐशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बाजार आधारित उपाय कार्बन ऑफसेटिंग रीडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल ऐवीऐशन (CORSIA) को अपनाया है। ICAO का सदस्य राष्ट्र होने के नाते भारत को वर्ष 2027 से CORSIA के अनिवार्य चरण का पालन करना अपेक्षित है। CORSIA स्कीम के तहत, एयरलाइनों को वर्ष 2019 की एक निर्धारित आधार-रेखा से ऊपर अपने उत्सर्जन को ऑफसेट करना अपेक्षित है। CORSIA स्कीम केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए लागू है।

41वीं ICAO असेंबली ने UNFCCC पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य के समर्थन में वर्ष 2050 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए एक लॉग टर्म एसपिरेशनल गोल (LTAG) अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र के लिए अपनाया है। उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के सापेक्ष में निर्धारित दायित्वों या प्रतिबद्धताओं को LTAG किसी राष्ट्र पर बाध्य नहीं करता है। इसकी बजाए यह प्रत्येक राष्ट्र की विशेष परिस्थितियाँ और संबंधित क्षमताएं, उनकी अपनी राष्ट्रीय समय-सीमा के भीतर LTAG में योगदान करने की क्षमता को स्वीकार

करता है । भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो होने के लिए प्रतिबद्धता स्वीकार की है।

सतत विमानन इंधन (SAF) के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आरंभ में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पारंपरिक विमानन ईंधन में SAF के लिए वर्ष 2027 तक 1%, वर्ष 2028 तक 2% और वर्ष 2030 तक 5% के मिश्रण लक्ष्यों को अनुमोदन प्रदान किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां मिश्रण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय हैं।

SAF पारितंत्र को संस्थागत बनाने के लिए, SAF प्रमाणन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करने हेतु, प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABCB) को राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) अपनी पानीपत रिफाइनरी में SAF उत्पादन हेतु अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एण्ड कार्बन सर्टिफिकेशन और कार्बन ऑफसेटिंग रीडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल ऐवीऐशन (ISCC CORSIA) प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है।

भारत ICAO के ACT-SAF (SAF के लिए सहायता, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण) परियोजना में शामिल हो गया है, जिसका उद्देश्य ICAO सदस्य राष्ट्रों की फिजिबिलिटी अध्ययन करके SAF विकास और परिनियोजन में पूर्ण क्षमता विकसित करने में मदद करना है। ICAO ने भारत में हुए अध्ययन को, दिनांक 2 सितंबर 2025 को, माननीय नागर विमानन मंत्री और अन्य विमानन हितधारकों की उपस्थिति में लॉन्च किया।

## 1.23 वैश्विक विमानन महत्व के आयोजन

मंत्रालय ने वैश्विक नागर विमानन में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाते हुए उच्च-स्तरीय कार्यक्रमों और मंचों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विमानन समुदाय को सक्रिय रूप से भागीदार बनाया है।

### ICAO APAC रेडियो नेविगेशन संगोष्ठी

7-9 अप्रैल 2025 को आयोजित संगोष्ठी में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली (GNSS) की कमजोरियों को दूर करने और लचीले हवाई नेविगेशन ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भाग लिया।

## ICAO APAC, SBAS - GBAS कार्यशाला 2025

नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के माध्यम से बेंगलुरु में 14 से 16 अक्टूबर 2025 को हवाई क्षेत्र के प्रयोगकर्ताओ के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन एशिया प्रशांत (ICAO APAC) उपग्रह-आधारित संवर्धन प्रणाली (SBAS) और ग्राउंड-आधारित संवर्धन प्रणाली (GBAS) क्रियान्वयन कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ICAO और इसके सदस्य देशों के 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में हवाई क्षेत्र परिचालनों की सुरक्षा और संरक्षा बनाए रखते हुए GBAS और SBAS के पूरक रूप में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में SBAS और GBAS के कार्यान्वयन, निष्पादन आधारित नेविगेशन (PBN) में वृद्धि करने की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए हवाई क्षेत्र के प्रयोगकर्ताओ, हवाईअड्डा प्रचालकों, ANSP, विनियामकों और उद्योग हितधारकों ने एकजुट होकर भाग लिया।

## एशिया प्रशांत दुर्घटना अन्वेषण समूह APAC-AIG बैठक 2025

सचिव, नागर विमानन, श्री समीर कुमार सिन्हा ने 28-31 अक्टूबर, 2025 को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित कार्यशाला के साथ एशिया प्रशांत दुर्घटना अन्वेषण समूह (APAC-AIG) की चार दिवसीय बैठक का उद्घाटन किया। बैठक और कार्यशाला में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के ICAO के अनुबंधित राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने पहली बार इस कार्यक्रम की मेजबानी की है। समूह की इस बैठक का उद्देश्य, दुर्घटना/घटना अन्वेषण प्राधिकरणों के बीच विशेषज्ञता, अनुभव और सूचनाओं को साझा करने और उनके बीच सहयोग को विकसित एवं सुदृढ़ कर बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के दौरान, भारतीय विमानन प्रयोगशाला सुविधाओं की दोष जाँच के इस्तेमाल के लिए सदस्य राष्ट्रों को प्रस्ताव दिया गया।

### गांधीनगर में द्वितीय 'भारतीय विमान लीजिंग और वित्तपोषण शिखर सम्मेलन'

नागर विमानन मंत्रालय ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) की सहायता से 07 मार्च, 2025 को गुजरात के गांधीनगर में द्वितीय 'भारतीय विमान लीजिंग और वित्तपोषण शिखर सम्मेलन' का आयोजन किया। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू ने बोलते हुए कहा कि गिफ्ट सिटी की आज किसी भी वैश्विक वित्तीय केंद्र से तुलना की जा सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। उद्देश्य यह है कि देश को इस समय बड़े बाजार के उपलब्ध विशाल अवसर से नहीं चूकना चाहिए, जो कि ऐसे और अधिक प्लेयर्स को समायोजित कर सकता है।

## 1.24 ड्रोन

ड्रोन अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को जबरदस्त लाभ प्रदान करते हैं। इनमें कृषि, चिकित्सा आपूर्ति, आपदा राहत, भू-स्थानिक मानचित्रण, निगरानी, परियोजना निगरानी, रक्षा और कानून प्रवर्तन शामिल हैं। ड्रोन विशेष रूप से भारत के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में उनकी पहुँच, विविधता और उपयोग में आसानी के कारण रोजगार और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण निर्माता हो सकते हैं। भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के प्रसार के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करने और भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ड्रोन क्षेत्र में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए, ड्रोन और ड्रोन घटक के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना को अधिसूचित किया गया था। तीन वित्त वर्षों में योजना के तहत कुल धनराशि का उपयोग 98.32 करोड़ रुपये था। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ड्रोन नियमावली 2021 के अनुसार ड्रोन प्रशिक्षण स्कूलों को अनुमोदित करता है। इन नियमों के तहत दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक पूरे देश में ड्रोन प्रशिक्षण/कौशल प्रदान करने के लिए 233 ड्रोन प्रशिक्षण स्कूलों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इन प्रशिक्षण स्कूलों ने 37182 ड्रोन पायलटों को प्रमाणित किया है। DGCA ने 145 टाइप प्रमाणपत्र जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 38083 ड्रोन पंजीकृत किए गए हैं और इन्हें विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) प्रदान की गई है।

## 1.25 उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO)

देश में 62 बेस पर 40 DGCA अनुमोदित FTO प्रचालित हैं। अमेठी (उत्तर प्रदेश) में स्थित IGRUA केंद्रीय सरकार के अधीन FTO है, वहीं नौ राज्य सरकारों के अधीन हैं और 30 निजी क्षेत्र के स्वामित्व में हैं।

वर्ष 2025 में 1,652 CPL जारी किए गए, जो वर्ष 2024 में जारी 1347 CPL के सापेक्ष में 19% की महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह वृद्धि अगले दशक में 30,000-40,000 नए पायलटों की अनुमानित दीर्घकालिक आवश्यकता के अनुरूप है। FTO के लिए हवाईअड्डा रॉयल्टी के उन्मूलन और तर्कसंगत भूमि किराए जैसे सुधार घरेलू प्रशिक्षण क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करेंगे।

## 1.26 अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

मंत्रालय ने वर्ष 2024 से अनेक देशों के साथ MoU/RoD आदि पर हस्ताक्षर करके भारत को वैश्विक विमानन पटल पर बढ़ाया है।

| क्र.सं. | देश | हस्ताक्षरित MoU /ASA | तारीख | निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | इंडोनेशिया | MoU पर हस्ताक्षर | जनवरी 2025 | • प्रति सप्ताह आवृत्ति से प्रति सप्ताह सीटों की क्षमता में परिवर्तन<br>• इंडोनेशिया में भारतीय पक्ष के लिए अतिरिक्त बिंदु |
| 2. | चीन | RoD पर हस्ताक्षर | मार्च 2025 | दोनों पक्ष दूसरे पक्ष के वाहक से प्राप्त अनुरोध को समयबद्ध तरीके से सुविधाजनक बनाने के लिए सहमत हुए। |

| क्र.सं. | देश | हस्ताक्षरित MoU /ASA | तारीख | निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| 3. | कुवैत | MoU पर हस्ताक्षर | जुलाई 2025 | • कुवैत की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर कुवैत सरकार द्वारा पारिवारिक वीजा प्रतिबंधों की समाप्ति<br>• साप्ताहिक क्षमता पात्रता में वृद्धि<br>• मौजूदा वायु सेवा फ्रेमवर्क में "सहकारी विपणन व्यवस्थाओं" को शामिल करना |
| 4. | रूस | प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर | अक्टूबर 2025 | रूसी पक्ष ने अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय एयरलाइनों को रूसी संघ में कैबोटेज उड़ानें (रूस के भीतर घरेलू मार्ग) के परिचालित करने के अधिकार की पेशकश की है। |

- द्विपक्षीय संपर्क द्वारा भारत-चीन हवाई सेवाओं से संबंधित विभिन्न परिचालन मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया, जिससे इंडिगो द्वारा कोलकाता-ग्वांगझू मार्ग पर सेवाएं शुरू करने के साथ, दोनों देशों के बीच पाँच वर्ष से अधिक समय के बाद सीधा उड़ान परिचालन पुनः शुरू हुआ।

- वर्ष 2025 (दिसंबर 2025 तक अनंतिम) के लिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात लगभग 78.6 मिलियन यात्री है जो वर्ष 2024 की इसी अवधि (72.5 मिलियन यात्रियों) की तुलना में लगभग 8.4% वृद्धि दर्शाता है।

- आज की तारीख तक, 91 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य भारत से, भारत अथवा संबंधित विदेशी राष्ट्रों के नामित वाहकों द्वारा प्रत्यक्ष उड़ान परिचालन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2025 के दौरान, नए गंतव्यों अर्थात शंघाई और ग्वांगझू (चीन), सिएम रीप (कंबोडिया), मनीला (फिलीपींस), नमन्गान (उज्बेकिस्तान) और नोवोसिबिर्स्क (रूसी संघ) के साथ सीधी हवाई कनेक्टिविटी स्थापित की गई है।

  दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत-अजरबैजान मार्ग पर निर्धारित परिचालन के लिए पात्र क्षमता में वृद्धि की गई है।

## 1.27 पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस (EPL)

नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू ने दिनांक 20 फरवरी, 2025 को पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस (EPL) लॉन्च किया, जो भारत के विमानन क्षेत्र की संरक्षा, सुरक्षा और दक्षता को आधुनिक बनाने और सुदृढ़ करने की एक पहल है। भारत इस उन्नत प्रणाली को लागू करने वाला वैश्विक स्तर पर दूसरा देश बन गया है। EPL पर्सनल लाइसेंस का डिजिटल संस्करण है

जो पायलटों के लिए पारंपरिक फिजिकल लाइसेंस का स्थान लेगा। यह eGCA मोबाइल ऐप के माध्यम से सुरक्षित रूप से सुलभ होगा, जो भारत सरकार की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी पहलों के अनुरूप एक निर्बाध और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।

## 1.28 एविएशन करियर गाइडेंस प्रोग्राम (ACGP)

नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू ने भारतीय विमानन अकादमी में दिनांक 09.04.2025 को स्कूली छात्रों के लिए 'विमानन में कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम' का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य 11 और 12 वीं कक्षा के छात्रों को विमानन क्षेत्र में उपलब्ध विविध कैरियर जैसे वाणिज्यिक पायलट, हवाई यातायात नियंत्रक, विमान रखरखाव इंजीनियर, विमानन सुरक्षा अधिकारी और हवाईअड्डा प्रचालन प्रबंधक और अन्य के बारे में प्रेरित और शिक्षित करना है। वर्ष 2025 में 129 स्कूलों के 12,000 से अधिक छात्रों ने ACGP सत्र में भाग लिया।

## 1.29 उड़ान रिकॉर्डर प्रयोगशाला

भारत की दुर्घटना अन्वेषण क्षमता को सुदृढ़ करने और सुरक्षा-महत्वपूर्ण अवसंरचना में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने दिनांक 09 अप्रैल, 2025 को डिजिटल उड़ान डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (DFDR & CVR) प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। DFDR और CVR प्रयोगशाला की स्थापना 9.0 करोड़ रुपये की लागत से की गई है। यह उपलब्धि घटनाओं के मूल कारणों की पहचान अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित और जवाबदेही तय करके भारत को एक सुरक्षित विमानन पारितंत्र के समीप लाती है, जो विमानन सुरक्षा की एक आधारशिला है।

## 1.30 'फेयर से फुरसत' फिक्स्ड एयरफेयर स्कीम

नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू ने दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 को एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (AAAL) की "एक मार्ग - एक किराया" के तहत 'फेयर से फुरसत' नामक एक नई प्रोमोशनल फिक्स्ड किराया योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को हवाई किराए में उतार-चढ़ाव के तनाव से मुक्ति प्रदान करना और देश में उड़ान भरने में आसानी को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत बुकिंग की तारीख पर निर्भर न होकर, प्रस्थान के दिन अंतिम समय की बुकिंग के लिए भी स्थिर किराए को लागू किया गया। यह पहल दिनांक 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2025 तक 25 चयनित मार्गों पर पायलट आधार पर लागू की गई।

## 1.31 यात्री शिकायत निवारण में तेजी लाने के लिए यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष (PACR)

नागर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू के नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 10.12.2025 को एक स्थायी, 24×7 यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष (PACR) की स्थापना की। इसे सरकार के यात्री-प्रथम दृष्टिकोण के अनुरूप विमानन परिचालनों की रियल टाइम निगरानी और यात्री शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए कार्यशील किया गया है। नई दिल्ली में उड़ान भवन में एक जगह पर नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरलाइन प्रचालकों और अन्य प्रमुख हितधारकों के अधिकारियों को एक साथ लाकर, PACR एक एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है। PACR चौबीसों घंटे संचालित होता है, विमानन परिचालनों की निरंतर निगरानी करता है, यात्री कॉल पर ध्यान देता है और रियल टाइम सहायता और शिकायत समाधान का समन्वयन बहुत कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करता है।

एअरसेवा प्रणाली को भी PACR में पूर्ण रूप से एकीकृत किया जा रहा है, जिससे इसके माध्यम से प्राप्त यात्री शिकायतों को निर्बाध रूप से हैंडल किया जा सकेगा। नियंत्रण कक्ष के भीतर एयरलाइन प्रतिनिधियों की फिजिकल उपस्थिति से मुद्दों का तत्काल समन्वयन और ऑन-द-स्पॉट समाधान होता है। अब तक, 03 दिसंबर, 2025 से केंद्रित

हस्तक्षेपों के माध्यम से PACR में 13,000 से अधिक यात्री शिकायतों का समाधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, परिचालन व्यवधानों के दौरान यात्रियों की सीधे सहायता के लिए 500 से अधिक कॉल-आधारित समाधान किए गए हैं। उड़ान विलंब, रद्दकरण, रिफंड और सामान के मुद्दों से संबंधित शिकायतों को यात्री चार्टर के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिकता प्रदान की जाती है और उनका समाधान किया जाता है।

# 2. नागर विमानन मंत्रालय

## 2.1 संगठन

नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्नलिखित संगठन हैं:-

### संबद्ध कार्यालय/संगठन

- नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)
- नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS)
- वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB)
- रेल संरक्षा आयोग (CRS)

### स्वायत्त निकाय

- विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (IGRUA)
- राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU)

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI )
- पवन हंस लिमिटेड (PHL)
- एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) और इसकी सहायक कंपनियां

### नागर विमानन मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना

**माननीय नागर विमानन मंत्री**

**माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री**

**सचिव नागर विमानन**

| श्री शोभित गुप्ता, संयुक्त सचिव | श्री असंगबा चुबा आओ, संयुक्त सचिव | श्रीमती रुबीना अली, संयुक्त सचिव | श्री मधु सुदन शंकर, संयुक्त सचिव | श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार | श्री पीयूष श्रीवास्तव, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार | श्री प्रमोद कुमार ठाकुर, DDG | श्री प्रवीण नंदवाना, CFC | श्री ललित कुमार चंदेल, आर्थिक सलाहकार, नागर विमानन महानिदेशालय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) | करार प्रभाग | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) | IGRUA | एकीकृत वित्त प्रभाग | ER प्रभाग | विमानन सुरक्षा और ई-सहज | भुगतान और लेखा कार्यालय | कार्गो और AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स और संबद्ध सेवाएं (AAICLAS) |
| वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) | सामान्य विमानन सहित घरेलू परिवहन | विमानपत्तन विकास (AD) | RGNAU | OOMF | PM गति शक्ति | डिजी यात्रा | प्रधान लेखा कार्यालय | |
| समन्वय एवं कल्याण और RTI | आरसीएस-उड़ान | विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) | NCAP | RCS निधि | कृषि उड़ान | एअर सेवा | | |
| AI प्रभाग | PHL | | उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) | ASF निधि | संसद एकक | प्रचार और सोशल मीडिया | | |
| सतर्कता और मुख्य सतर्कता अधिकारी (नागर विमानन मंत्रालय) | SGoS-2 (अवसंरचना) | प्रशासन, रोकड़ और सामान्य | मिशन कर्मयोगी / iGOT | | राजभाषा | IT सेल और डिजिटल पहल | | |
| | विमानन सम्मेलन/ विंग्स | रेल संरक्षा | जॉब पोर्टल, HR और कौशल विकास | | ड्रोन | | | |

**श्री किंजरापु राममोहन नायडू**
माननीय नागर विमानन मंत्री

**श्री मुरलीधर मोहोल**
माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री

**श्री समीर कुमार सिन्हा**
सचिव, नागर विमानन

**श्री पीयूष श्रीवास्तव**
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

**सुश्री रुबीना अली**
संयुक्त सचिव

**श्री शोभित गुप्ता**
संयुक्त सचिव

**श्री असंगबा चुबा आओ**
संयुक्त सचिव

**श्री पदम लाल नेगी**
संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार

**श्री प्रमोद कुमार ठाकुर**
उप महानिदेशक

**श्री मधु सुदन शंकर**
संयुक्त सचिव

**श्री प्रवीण नंदवाना**
मुख्य वित्त नियंत्रक

**2.2** नागर विमानन मंत्रालय देश में नागर विमानन क्षेत्र के विकास और विनियमन हेतु राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए उत्तरदाई है। यह देश में भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 तथा विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न अन्य विधानों, नियमों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

**2.3** नीति निर्माण के प्रमुख कार्य के अतिरिक्त, मंत्रालय अपने संगठनों को नीति संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करता है, उनकी गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन करता है और संसद के साथ उनका इंटरफेस भी प्रदान करता है। मंत्रालय संगठनों द्वारा सरकार के विशेष कार्यक्रमों, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाये गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है।

**2.4** सचिव, नागर विमानन मंत्रालय को चार संयुक्त सचिवों, एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, एक संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, एक मुख्य वित्त नियंत्रक, एक उप महानिदेशक, निदेशक / उप सचिव / संयुक्त निदेशक स्तर के दस अधिकारियों, और अवर सचिव स्तर के बारह अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। इस मंत्रालय के कार्यों को सत्रह अनुभागों में विभाजित किया गया है।

### संबद्ध कार्यालयों के प्रमुख:

- श्री फैज अहमद किदवई, महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय
- श्री राजेश निरवान, महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो
- श्री जी. वी. जी. युगांधर, महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो
- श्री जनक कुमार गर्ग, मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा आयोग

### स्वायत्त निकायों के प्रमुख:

- श्री एस.के. जी. रहाटे, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
- एयर कमोडोर विपुल सिंह (सेवानिवृत), निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी
- प्रो. (डॉ.) भृगु नाथ सिंह, कुलपति, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख:

- श्री विपिन कुमार, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
- श्री संजीव राजदान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटेड
- श्री अमित कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड

## 2.5 हर घर तिरंगा अभियान, 2025

नागर विमानन मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार जारी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत “हर घर तिरंगा” अभियान - 2025 में सक्रिय रूप से भाग लिया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ राष्ट्रीय गौरव और भावनात्मक संबंध को बढ़ावा देने के

उद्देश्य से इस अभियान को दिनांक 2 से 15 अगस्त, 2025 तक तीन चरणों में मनाया गया। तिरंगा रैली, प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिताओं के आयोजन सहित विभिन्न गतिविधियां की गईं। इन गतिविधियों ने राष्ट्रीय समारोहों में मंत्रालय की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रदर्शित किया।

## 2.6 राष्ट्रीय खेल दिवस, 2025

मंत्रालय ने कर्मचारियों के बीच शारीरिक योग्यता, टीम वर्क और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 28 से 31 अगस्त, 2025 तक राष्ट्रीय खेल दिवस, 2025 मनाया। शतरंज, लूडो, रस्साकसी और प्लैंक होल्डिंग प्रतियोगिता जैसी विभिन्न इनडोर और आउटडोर प्रतियोगिताओं का आयोजन सभी आयु वर्ग और जेंडर के अधिकारियों और कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ किया गया। इस कार्यक्रम ने मंत्रालय के भीतर परस्पर भाईचारे, एकजुटता और खेल भावना को बढ़ावा दिया।

## 2.7 "वंदे मातरम" के 150 वर्ष

संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में नागर विमानन मंत्रालय ने राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्षों के वर्षभर के स्मरणोत्सव के लिए गतिविधियां आरंभ कीं, मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दिनांक 7 नवंबर, 2025 को वंदे मातरम का सामूहिक गायन आयोजित किया गया था, जो राष्ट्रीय विरासत का उत्सव मानते हुए इस मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

## 2.8 स्वच्छता ही सेवा 2025

मंत्रालय ने पेयजल और स्वच्छता विभाग और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप "स्वच्छोत्सव" थीम के अंतर्गत दिनांक 17 सितंबर, 2025 से 1 अक्टूबर, 2025 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान, 2025 मनाया।

राजीव गाँधी भवन में व्यापक कार्यक्रम लागू करे गए, जिसमें कार्यालय परिसर, रिकॉर्ड कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधाओं, गलियारों और आसपास के क्षेत्रों की व्यापक स्तर पर सफाई शामिल है। डी-क्लटरिंग, कार्यस्थलों के अनुरक्षण, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और अवसंरचना की मरम्मत के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। अभियान का समापन स्वच्छता शपथ लेने और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने के साथ हुआ, जो स्वच्छता और संधारणीय कार्य पद्धतियों के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।

## 2.9 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025

नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 21 जून, 2025 को आयुष मंत्रालय के समन्वय में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IYD) मनाया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI ) के सहयोग से राजीव गांधी भवन में कर्मचारियों के लिए योग सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाया है।

## 2.10 विशेष अभियान 5.0

नागर विमानन मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा समन्वित विशेष अभियान 5.0 में भाग लिया। मंत्रालय ने दिनांक 30.09.2025 को निर्धारित अपने लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन किया, जो सुदृढ़ प्रशासनिक दक्षता और सक्रिय कार्यान्वयन को दर्शाता है।

**प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:**

- 14,340 के लक्ष्य की तुलना में 34,385 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई।
- 3,668 के लक्ष्य की तुलना में 6,850 ई-फाइलों की समीक्षा की गईं।
- 480 के लक्ष्य की तुलना में 1,122 स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए।
- 5 के लक्ष्य की तुलना में 12 नियमों को सरलीकृत किया गया।
- 430 मामलों के समाधान सहित शिकायतों का 100% निपटान किया गया।
- अभियान के दौरान 21,308 फाइलों को नष्ट किया गया।
- स्क्रैप निपटान से 84,35,150 रुपये का राजस्व उत्पन्न हुआ और 44,304 वर्ग फुट स्थान खाली कर दिया गया।

### राजीव गांधी भवन में क्रेच सुविधा

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू ने विशेष अभियान 5.0 (दिनांक 2 से 31, अक्टूबर 2025) के अंतर्गत दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 को उड़ान भवन, नई दिल्ली में क्रेच सुविधा का उद्घाटन किया। यह पहल मंत्रालय के भीतर अधिक समावेशी, सहायक और कर्मचारी-अनुकूल परिसर प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्रेच छह महीने से छह वर्ष की आयु के बच्चों की नियमित देखभाल के लिए सुसज्जित है, जिसमें विकास निगरानी, पोषण, खेल, प्री-स्कूल शिक्षा और चिकित्सा देखभाल शामिल है। क्रेच के वातावरण को प्री-स्कूल बच्चों के लिए आकर्षक और अनुरूप बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे सीसीटीवी कवरेज और आवश्यक सुरक्षा सुविधाओं के साथ भूतल पर पूर्ण रूप से सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया है।

यह सुविधा नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI ), नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS), वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB ) और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) सहित इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, जिससे कार्मिक अपने कार्यालयी कार्य और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों को अधिक सरलता से संतुलित कर सकेंगे।

## स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार - रक्तदान शिविर

"स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान" के भाग के रूप में, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मौर्य के सहयोग से दिनांक 02.10.2025 को राजीव गांधी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मंत्रालय और इसके संगठनों के अधिकारियों के साथ-साथ CISF कर्मियों के दल की सक्रिय भागीदारी देखी गई। शिविर के दौरान कुल 33 वालंटियर ने रक्तदान किया। इस सम्पूर्ण अभियान के दौरान सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ विमानन क्षेत्र से भी उत्साहवर्धक भागीदारी देखी गई।

## 2.11 सतर्कता गतिविधियाँ

इस मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) द्वारा किया जाता है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से नियुक्त किया जाता है, जो सतर्कता व्यवस्था में नोडल इकाई के रूप में कार्य करता है। CVO को एक निदेशक, एक अवर सचिव और सतर्कता अनुभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। सतर्कता अनुभाग, अन्य कार्यों के अतिरिक्त, मंत्रालय के साथ-साथ मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों की सतर्कता गतिविधियों की निगरानी और समन्वय करता है।

इस मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन महानिदेशालय और पवन हंस लिमिटेड में पूर्णकालिक CVO हैं जिनकी नियुक्ति ACC द्वारा की जाती है। जबकि, मुख्य मंत्रालय, रेल संरक्षा आयोग, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो, एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में अंशकालिक CVO हैं, जिन्हें CVC के परामर्श से नियुक्त किया जाता है।

**निवारक सतर्कता:** मुख्य रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान पर जोर देते हुए निवारक सतर्कता को प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का विधिवत अनुपालन किया जाता है।

**एग्रीड लिस्ट और ODI सूची:** 'सहमत सूची-2025' और 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची-2025' तैयार की गई और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के साथ साझा की गई।

**अनुशासनात्मक मामले:** कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए, अनुशासनात्मक मामले का प्रारंभिक शेष 03 था। वर्ष 2025 के दौरान, 8 अधिकारियों (एक मामले के तहत) के विरुद्ध नई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। इस प्रकार, 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग में 11 अनुशासनात्मक मामले लंबित हैं। इसके अलावा, प्रभाग DGCA के अधिकारी से संबंधित 1 अनुशासनात्मक मामले को भी संभाल रहा है, जिसमें अनुशासनात्मक प्राधिकारी माननीय नागर विमानन मंत्री हैं।

**शिकायतें:** दिनांक 1 जनवरी, 2025 को शिकायतों का प्रारंभिक शेष 28 था, इस अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या 138 थी, 154 शिकायतों का निपटान किया गया और दिनांक 31.12.2025 को समापन शेष 12 है।

**प्रथम चरण CVC परामर्श:** मंत्रालय के तहत संगठनों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों से संबंधित 5 मामलों में CVC के प्रथम चरण का परामर्श मांगा गया था।

7 मामलों (प्रथम चरण का परामर्श मांगने वाले 5 मामलों सहित) में CVC को विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई थी।

**सतर्कता मंजूरी:** दिनांक 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान, लगभग 315 सतर्कता मंजूरियाँ जारी की गईं।

**रिपोर्ट:**

- मंत्रालय (मुख्य), AAIB और RGNAU के संबंध में लघु शास्ति, बड़ी शास्ति, अभियोजन की मंजूरी, FR 56 (J) आदि जैसे विवरणों वाली सत्यनिष्ठा रिपोर्ट को मासिक आधार पर DoPT के पोर्टल पर संकलित और अपलोड किया जाता है।
- शिकायतों, निरीक्षण, लेखापरीक्षा, लंबित जांच, अनुशासनात्मक कार्यवाही, CBI को भेजे गए मामलों आदि से संबंधित त्रैमासिक निष्पादन रिपोर्ट तैयार की जाती है और CVC के पोर्टल पर अपलोड की जाती है।
- अनुशासनात्मक मामलों, शिकायतों, निरीक्षण आदि से संबंधित भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के लिए कार्य योजना पर त्रैमासिक निष्पादन रिपोर्ट तैयार की जाती है और तिमाही आधार पर DoPT को भेजी जाती है।

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2025 का 3 माह का अभियान:**

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2025 के अभियान के दौरान, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सभी संगठनों को 5 फोकस क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवारक सतर्कता उपायों पर आधारित तीन महीने का अभियान चलाने का परामर्श दिया था।
- PIDPI संकल्प के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय के कार्यालय परिसर और मंत्रालय के अध्यधीन संगठनों के प्रमुख स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए।
- 3 महीने के इस अभियान में प्रबुद्ध विद्वानों द्वारा व्याख्यान दिए गए, जिसमें CVC द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। चार्जशीट, जांच और रिपोर्ट तैयार करने और CTI प्रकार की गहन परीक्षाओं के आयोजन पर व्याख्यान के दौरान कर्मचारियों को जागरूक किया गया। मंत्रालय के अधिकारियों को व्यावसायिक नैतिकता, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र, साइबर सुरक्षा पद्धतियों और उभरती प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार उपयोग के संबंध में उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता, सार्वजनिक शिकायत निवारण और CPGRAMS 7.0 जैसे विषयों पर iGOT पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया था।

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2025:**

- मुख्य मंत्रालय के साथ-साथ इस मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में "सतर्कता: हमारी साझी जिम्मेदारी" विषय पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 02 नवंबर, 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।
- इसका प्रारंभ दिनांक 27.10.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव (नागर विमानन) द्वारा मुख्य मंत्रालय के साथ-साथ इस मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को 'सत्यनिष्ठा शपथ' दिलाकर किया गया था।
- अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें सतर्कता कार्यों से जोड़ने के लिए मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों में मंत्रालय के अधिकारियों के लिए नारा लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, लघु वीडियो प्रतियोगिता और खजाने की खोज प्रतियोगिताएं शामिल थीं। मंत्रालय में आयोजित सभी गतिविधियों को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2025 के दौरान मंत्रालय परिसर में नुक्कड़ नाटक (स्ट्रीट प्ले) का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, पहली बार, PIDPI तंत्र के विषय पर नई दिल्ली के कैनॉट प्लेस में मंत्रालय के परिसर के बाहर नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया था।

## 2.12 e-HRMS 2.0

वर्ष 2025 के दौरान, ई-HRMS 2.0, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की एक प्रमुख पहल के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। मंत्रालय में सेवा रिकॉर्ड, छुट्टी, LTC, अग्रिम और प्रतिपूर्ति सहित विभिन्न मॉड्यूलों के लिए कार्यप्रवाह बनाए गए हैं, जो डिजिटलीकरण और कुशल कार्मिक प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

## 2.13 लोक शिकायत निवारण

केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS), जो एक वेब-आधारित ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण प्रणाली है, को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा आरंभ और विकसित किया गया है। शिकायतों के शीघ्र एवं प्रभावी निपटान के लिए मंत्रालय में यह प्रणाली दिनांक 01.01.2008 से लागू की गई है। इस अवधि (01.01.2025 से 31.12.2025) के दौरान, कुल 7,232 लोक शिकायत मामले ऑनलाइन प्राप्त हुए, जिनमें से 6,995 मामले (पिछले बैकलॉग सहित) अर्थात लगभग 97% CPGRAMS के माध्यम से निपटाए गए हैं। लोक शिकायतों से निपटने के लिए मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव

और एक उप सचिव को क्रमशः "अपीलीय प्राधिकारी" और "लोक शिकायत अधिकारी" के रूप में नामित किया गया है। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी संगठनों में भी संबंधित नामित "नोडल अधिकारियों" के नेतृत्व में पूर्ण विकसित लोक शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान है।

## 2.14 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में सूचना तक निश्चित पहुंच प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। यह प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, साथ ही नागरिकों के अनुरोध का समय पर निपटान भी करता है।

इस अधिनियम को लागू करने के लिए मंत्रालय में CPIO और 10 अपीलीय प्राधिकारियों को नामित किया गया है। दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 के दौरान कुल 1441 RTI आवेदन और 41 अपीलें प्राप्त हुईं। इन आवेदनों और अपीलों का निपटान निर्धारित समय के भीतर किया गया था।

## 2.15 अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) का कल्याण

दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार, नागर विमानन मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) में आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

| श्रेणी | कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|
| SC | 20 |
| ST | 06 |
| ओबीसी | 34 |

नागर विमानन मंत्रालय में अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/PwD/OBC और EWS के लिए लायसन अधिकारी

| श्रेणी | लायसन अधिकारी का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| SC/ST/PwD | श्री कुमार सौरभ राज | निदेशक |
| OBC | श्री अंबुज शर्मा | उप सचिव |
| EWS | ले. कर्नल मनीष कुमार सिंह | निदेशक |

## 2.16 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, और जैसा की 'वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति' में परिकल्पित किया गया था, वरिष्ठ नागरिकों के साथ शीघ्र, निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित संगठनों को निर्देश जारी किए गए हैं। समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश इस प्रकार है:-

- सभी हवाईअड्डों और एयरलाइनों में सुगम प्रवेश, आवागमन और निकास की सुविधा के लिए सभी भौतिक अवरोधों को हटाना;
- सुरक्षा क्षेत्र में तलाशी बूथों के डिजाइन को बदलना ताकि बुजुर्गों को सुरक्षा जांच के दौरान चढ़ने और उतरने की आवश्यकता न पड़े;
- हवाईअड्डों पर वाहनों से उतरने के पश्चात तथा चेक-इन काउंटर पर पहुंचने तक उनकी मदद करने / उन्हें सहायता प्रदान करने पर विशेष ध्यान देना;

- एयरलाइनों के बुकिंग कार्यालयों में बुजुर्गों तथा जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता हो, उन पर विशेष ध्यान देना;
- एयरलाइनों में सीटों के आरक्षण और निर्धारण में प्राथमिकता दी जाए;
- पति या पत्नी की मृत्यु पर मिलने वाले लाभों/अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में विधवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए; और
- पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के निपटान में होने वाली किसी भी देरी के लिए जिम्मेदारी तय की जाए।

## 2.17 संघ की राजभाषा नीति

नागर विमानन मंत्रालय में संघ की राजभाषा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और निष्ठापूर्वक किए गए इन प्रयासों से मंत्रालय में राजभाषा का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग का नेतृत्व वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार द्वारा किया जाता है जिन्हें निदेशक, राजभाषा द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। यह प्रभाग मंत्रालय और उसके संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा नीति की मॉनिटरिंग और कार्यान्वयन का कार्य करता है। इस प्रभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त विविध सामग्री का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाता है। वर्ष 2025-26 में किए गए प्रयासों और उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:

### हिंदी सलाहकार समिति

दिनांक 09 जून, 2025 को पुनर्गठित मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति ने 09 सितंबर, 2025 को अपनी पहली बैठक आयोजित की। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता, माननीय नागर विमानन मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय द्वारा की जाती है। इस समिति में 15 सदस्य गैर-सरकारी हैं जिसमें, संसदीय कार्य मंत्रालय से 04 सांसद, संसदीय राजभाषा समिति से 02 सांसद, राजभाषा विभाग से 03 हिंदी विद्वान, हिंदी के प्रचार-प्रसार से जुड़ी संस्थाओं से 02 प्रतिनिधि तथा मंत्रालय से 04 प्रतिनिधि नामित किए गए हैं। इसके अलावा सरकारी सदस्य जिसमें मंत्रालय के सचिव, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, संयुक्त सचिव एवं मंत्रालय के अधीनवर्ती कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान इस समिति के पदेन (Ex-Officio) सदस्य हैं।

### राजभाषा कार्यान्वयन समिति

इस मंत्रालय में सचिव, नागर विमानन की अध्यक्षता में, राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। नागर विमानन मंत्रालय के सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रमुख तथा मंत्रालय के निदेशक तथा इसके ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी इस समिति के सदस्य हैं। प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठकें मंत्रालय में सफलतापूर्वक आयोजित की गईं।

### हिंदी दिवस (14 सितंबर) और हिन्दी पखवाड़ा आयोजन

इस मंत्रालय के अधिकारियों ने दिनांक 26 जून, 2025 को दिल्ली में और दिनांक 11 जुलाई, 2025 को हैदराबाद में स्वर्ण जयंती समारोहों के साथ-साथ दिनांक 14 और 15 सितंबर, 2025 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित हिंदी दिवस और पांचवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया। प्रत्येक वर्ष की तरह, दिनांक 14 - 28 सितंबर, 2025 के दौरान मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। हिंदी पखवाड़े के दौरान 06 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 167 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सचिव, नागर विमानन द्वारा प्रमाण पत्र और विजेता अधीनस्थ कार्यालयों को शील्ड प्रदान किए गए।

### राजभाषा निरीक्षण

वर्ष 2025 के दौरान, मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के निरीक्षण दल द्वारा मंत्रालय के 06 अनुभागों का निरीक्षण किया गया और 30% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। राजभाषा प्रभाग ने इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन 10 कार्यालयों में से, 03 कार्यालयों का निरीक्षण किया और 30% का लक्ष्य प्राप्त किया।

## संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

वर्ष के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय के 04 कार्यालयों, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के 06 कार्यालयों, पवन हंस लिमिटेड के 02 कार्यालयों, रेल संरक्षा आयोग के 01 कार्यालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 29 कार्यालयों और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण किया गया।

## राजभाषा सम्मेलन और हिंदी कार्यशालाएं

मंत्रालय ने अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों और हिंदी अधिकारियों के लिए दिनांक 14-15 फरवरी, 2025 को दो दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया। इसी प्रकार, हिंदी को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

# 3. नागर विमानन महानिदेशालय

## 3.1 परिचय

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 4क (अब भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 की धारा 3) के अधीन गठित एक सांविधिक प्राधिकरण है। DGCA को भारत से आने-जाने वाली और भारत के भीतर चलने वाली हवाई परिवहन सेवाओं की सुरक्षा को विनियमित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके मुख्य कार्यों में नागर विमानन नियम तैयार करना और उन्हें लागू करना, तथा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और अनुशंसित प्रथाओं (SARPs) के अनुसार हवाई सुरक्षा और उड़नयोग्यता मानक स्थापित करना और उनकी निगरानी करना शामिल है।

नागर विमानन महानिदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके प्रमुख महानिदेशक, नागर विमानन हैं, जिनकी सहायता संयुक्त महानिदेशक और उप महानिदेशक करते हैं। महानिदेशालय के अंतर्गत विभिन्न निदेशालय हैं, जिनमें से प्रत्येक द्वारा देश में नागर विमानन के उच्चतम मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट सुरक्षा और विनियामक कार्यों का प्रबंधन किया जाता है।

## 3.2 कार्य और उत्तरदायित्व

नागर विमानन महानिदेशालय का प्रमुख कार्य भारत में नागर विमानन के क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी विषयों का विनियमन करना है। इसके कुछ प्रमुख कार्य और उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं:

i. सिविल विमानों का पंजीकरण;

ii. भारत में पंजीकृत सिविल विमानों के लिए उड़नयोग्यता के मानक तैयार करना तथा ऐसे विमानों को उड़नयोग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करना;

iii. पायलटों, वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरों, वायु यातायात नियंत्रकों तथा फ्लाइट इंजीनियरों को लाइसेंस प्रदान करना, तथा इस उद्देश्य के लिए परीक्षाएं तथा जांच कार्य करना;

iv. एरोड्रमों का प्रमाणन;

v. उड़ान कर्मी-दल और फ्लाइट डिस्पैचरों तथा केबिन कर्मी-दल जैसे अन्य प्रचालन कर्मियों की भी दक्षता पर निगरानी बनाए रखना;

vi. भारतीय कैरियरों को विमान प्रचालन प्रमाणपत्र प्रदान करना तथा भारतीय तथा विदेशी प्रचालकों द्वारा भारत में / भारत से / भारत के भीतर हवाई क्षेत्र में प्रचालित विमान परिवहन सेवाओं का विनियमन करना जिसमें ऐसे प्रचालकों की अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित उड़ानों को मंजूरी दिया जाना भी शामिल है।

vii. 2250 किलोग्राम AUW तक के विमानों से संबंधित घटनाओं तथा गंभीर घटनाओं का अन्वेषण करना और दुर्घटना की रोकथाम के लिए उपाय करना, जिसमें सुरक्षा विमानन प्रबंधन कार्यक्रमों को तैयार करना और उनका कार्यान्वयन भी शामिल है;

viii. ICAO एनेक्स में संशोधनों के अनुपालन के लिए अधिनियम और नागर विमानन अपेक्षाओं में संशोधन करना, तथा किसी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय को प्रभावी करने या किसी मौजूदा अभिसमय में संशोधन करने के लिए कोई नया अधिनियम पारित करने या किसी अन्य अधिनियम में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना;

ix. सभी एजेंसियों के साथ ICAO मामलों का समन्वय करना और देशों से प्राप्त पत्रों का उत्तर प्रेषित करना, तथा ICAO के सार्वभौमिक सुरक्षा निगरानी ऑडिट कार्यक्रम (USOAP) के दृष्टिगत सभी आवश्यक कार्रवाई करना;

x. प्रशिक्षण की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उड़ान प्रशिक्षण में लगे संस्थानों को अनुमोदन प्रदान करना, जिसमें प्रेरक प्रशिक्षण, AME प्रशिक्षण, वायु यातायात सेवा प्रशिक्षण या विमानन से संबंधित कोई अन्य प्रशिक्षण भी शामिल है,;

xi. विमान अनुरक्षण, मरम्मत, डिजाइन और विनिर्माण संगठनों को अनुमोदन प्रदान करना और उनकी निरंतर निगरानी करना;

xii. भारत में एनेक्स 9 के प्रावधानों को लागू करने तथा राष्ट्रीय सुविधा समिति की बैठकें आयोजित करने सहित भारतीय हवाईअड्डों पर सुविधा से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना; DGCA संगठन मैनुअल;

xiii. द्विपक्षीय विमान सेवा करारों, ICAO संबंधी मामलों, नागर विमानन से संबंधित तकनीकी मामलों सहित विमान परिवहन से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना और देश में नागर विमानन के लिए एक समग्र विनियामक और विकासात्मक निकाय के रूप में कार्य करना;

xiv. एयर नेविगेशन सेवाओं से संबंधित मामलों का विनियमन और निगरानी करना। नागर और सैन्य हवाई यातायात एजेंसियों द्वारा हवाई क्षेत्र के उपयोग में लचीलेपन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करना और भारतीय हवाई क्षेत्र के माध्यम से सिविल उपयोग के लिए अधिक हवाई मार्गों के प्रावधान के लिए ICAO के साथ वार्ता करना;

xv. ICAO एनेक्स 16 के अनुसार विमान के शोर और इंजन उत्सर्जन पर निगरानी रखना और यदि आवश्यक हो तो इस मामले में पर्यावरण अधिकारियों के साथ सहयोग करना;

xvi. उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करते हुए विमान और विमान घटकों के स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देना;

xvii. खतरनाक माल की ढुलाई के लिए प्रचालकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुमोदित करना, खतरनाक माल, आदि की ढुलाई के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करना।

xviii. वायुयान नियमावली के तहत अनुमोदित / प्रमाणित/लाइसेंस प्राप्त सभी संस्थाओं की सुरक्षा निगरानी करना।

## 3.3 अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं विधिक मामले

### 3.3.1 वायु सेवा करार

कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान, चीन, कुवैत और इंडोनेशिया की सरकारों के साथ हवाई सेवाओं पर वार्ता हुई, जिसमें DGCA ने मंत्रालय को टेक्निकल और रेगुलेटरी सहायता प्रदान की है। इन वार्ताओं से रेगुलेटरी अलाइनमेंट, मार्केट एक्सेस, कैपेसिटी बढ़ाने, ऑपरेशनल लचीलापन और नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिली, जिससे संतुलित, आपसी और ग्रोथ पर आधारित हवाई सेवाओं का फ्रेमवर्क मज़बूत हुआ।

### 3.3.2 विधायन

नए अधिनियम, अर्थात भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 संसद से पारित हो गया है और दिनांक 01 जनवरी, 2025 से लागू हो गया है। इसका उद्देश्य नियमों को आसान बनाकर, सुरक्षा बढ़ाकर और भारत के एविएशन फ्रेमवर्क को वैश्विक मानक के अनुसार बनाकर एविएशन सेक्टर को आधुनिक बनाना है। इसके अलावा, नए अधिनियम के तहत, रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (रिस्ट्रिक्टेड) सर्टिफिकेट और लाइसेंस नियम, 2025 को मंत्रालय ने 25.06.2025 को अधिसूचित किया है। नियमों के अधिसूचित होने के साथ ही, रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर रिस्ट्रिक्टेड (RTR) सर्टिफिकेट जारी करने का काम दूरसंचार विभाग से नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) को अंतरित कर दिया गया है। इससे भारत सरकार के "ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस" पहल के तहत तेज़ और सिंगल विंडो अनुमोदन में सहायता मिलते है।

### 3.3.3 खतरनाक माल विनियमों पर प्रशिक्षण

DGCA ने सभी 17 खतरनाक माल प्रशिक्षण संगठनों में सक्षमता-आधारित प्रशिक्षण और मूल्यांकन (CBTA) को सफलतापूर्वक लागू किया है, जो अब खतरनाक माल के लिए CBTA मानकों का पूरी तरह से पालन करते हैं। अप्रैल 2025 में नई दिल्ली, भारत में हुई ICAO खतरनाक माल पैनल कार्यकारी समूह की बैठक के दौरान, पैनल ने अपनी रिपोर्ट में विमानन सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए देश की सुदृढ़ और सतत प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए भारत की मज़बूत खतरनाक माल प्रशिक्षण अवसंरचना की औपचारिक रूप से सराहना की।

## 3.4 विमान परिवहन

### 3.4.1 भारतीय कैरियर और यात्रि

**1. अनुसूचित प्रचालक**

दिनांक 31.12.2025 तक, बारह (12) अनुसूचित/ अनुसूचित कम्यूटर ऑपरेटर हैं, जिनके पास विमान प्रचालन प्रमाणपत्र (AOC) है और 853 विमान पृष्ठांकित हैं, जैसे

1. एयर इंडिया लिमिटेड (एयर इंडिया),
2. एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एयर इंडिया एक्सप्रेस),
3. एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एलायंस एयर),
4. बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड (Fly बिग),
5. GSEC मोनार्क और डेक्कन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया वन एयर),
6. घोड़ावत एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (STAR एयर),
7. इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो),
8. जस्ट उडो एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (Fly91),
9. SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (आकासा एयर),
10. स्पाइस जेट लिमिटेड (स्पाइस जेट),

जो अंतरराष्ट्रीय/घरेलू क्षेत्र में प्रचालन से भारत के विभिन्न हिस्सों के लिए उड़ानों तथा संयोजनता का एक विस्तृत विकल्प प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, दो कार्गो एयरलाइन यथा ब्लू डार्ट एविएशन लिमिटेड तथा क्विकजेट कार्गो एयरलाइंस

प्राइवेट लिमिटेड (क्विकजेट) देश में अनुसूचित कार्गो सेवाएं प्रचालित कर रहे हैं। इसके अलावा, स्पाइसजेट लिमिटेड और इंडिगो भी क्रमश: विशेष मालवाहक विमान तीन (3) B737-800 और तीन (03) A321 के साथ कार्गो संचालन कर रहे हैं।

दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान अनुसूचित/अनुसूचित कम्यूटर ऑपरेटरों के विमान बेड़े को 831 से बढ़ाकर 853 कर दिया गया है।

**2. गैर-अनुसूचित प्रचालक परमिट**

दिनांक 31.12.2025 तक 137 गैर-अनुसूचित प्रचालक विद्यमान हैं जिनके पास गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं के लिए 458 विमानों के साथ एयर ऑपरेटर परमिट (AOP) हैं।

दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान 20 नए AOP जारी किए गए।

**3. भारतीय वाहकों के विस्तार की योजना**

इंडियन एयरलाइंस ने हाल के वर्षों में बेड़े के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए बड़े एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिए हैं। इन ऑर्डरों में नैरो-बॉडी और वाइड-बॉडी दोनों तरह के विमान शामिल हैं, जिनका उद्देश्य घरेलू प्रचालन को मज़बूत करना और अंतरराष्ट्रीय संयोजनता का विस्तार करना है। यह भारतीय सिविल विमानन क्षेत्र के निरंतर हो रहे विकास को दर्शाता है।

**4. घरेलू मार्ग**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों द्वारा 11.41 लाख अनुसूचित उड़ानें प्रचालित की गई और कुल 165.5 मिलियन अनुसूचित यात्री वहन किए गए जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 10.6 लाख उड़ानें प्रचालित की गईं थीं और कुल 153.7 मिलियन अनुसूचित यात्री वहन किए गए थे। पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान अनुसूचित घरेलू भारतीय वाहकों द्वारा वहन किए गए घरेलू यात्रियों में 7.7% प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वित्त वर्ष 2025-26 (अनंतिम-दिसंबर तक) में, घरेलू एयरलाइनों ने कुल 8.52 लाख अनुसूचित उड़ानें प्रचालित की, जिसमें कुल 123.74 मिलियन अनुसूचित यात्री वहन किए गए।

**5. अंतरराष्ट्रीय मार्ग**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, अनूसूचित भारतीय/विदेशी वाहकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर 74.14 मिलियन यात्री वहन किए गए जबकि 2023-24 में इसी अवधि के दौरान 68.8 मिलियन यात्री वहन किए गए थे जो 11.0% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 74.14 मिलियन यात्रियों में से 33.86 मिलियन यात्री अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा वहन किए गए जबकि 40.28 मिलियन यात्री अनुसूचित विदेशी वाहकों द्वारा वहन किए गए।

वित्त वर्ष 2025-26 (अनंतिम-दिसंबर तक) में, अनुसूचित भारतीय/विदेशी वाहकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर कुल 58.94 मिलियन यात्री वहन किए गए। वर्ष 2025-26 (अनंतिम-दिसंबर तक) के दौरान 58.94 मिलियन यात्रियों में से 26.83 यात्रियों को अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा वहन किया गया, जबकि 32.11 मिलियन यात्री अनुसूचित विदेशी वाहकों द्वारा वहन किए गए।

### 3.4.2 ATCO लाइसेंसिंग

1. AAI के 7 AELTO/TSP (CATC, प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी और HTC, हैदराबाद) के अनुमोदन को आगामी 5 वर्षो के लिए नवीकृत किया गया।
2. वर्ष 2025 में लगभग 334 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लाइसेंस जारी किए गए।
3. वर्ष 2025 में लगभग 131 स्टूडेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लाइसेंस जारी किए गए।
4. DGCA द्वारा जारी ATCO लाइसेंसों पर रेटिंग का पृष्ठांकन किया गया, जैसे एयरोड्रम कंट्रोल, अप्रोच कंट्रोल प्रोसीजरल, अप्रोच कंट्रोल सर्विलांस, एरिया कंट्रोल प्रोसीजरल, एरिया कंट्रोल सर्विलांस, ओशनिक कंट्रोल और ELP (कुल लगभग 1442 पृष्ठांकन)।
5. AAI (ANSP) की अपेक्षा के अनुसार, HTC-हैदराबाद में एयर ट्रैफिक सर्विसेज ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (ATSTO) की संशोधित प्रशिक्षण और प्रक्रिया नियमावली (TPM), गुणवत्ता आश्वासन नियमावली (QAM) के

साथ-साथ परीक्षा प्रक्रिया नियमावली (EPM) को अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. AAI (ANSP) की अपेक्षा के अनुसार, संशोधित प्रशिक्षण और प्रक्रिया नियमावली [सात विमानन अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण संगठनों एवं परीक्षा सेवा प्रदाताओं (AELTO/TSP) की प्रशिक्षण और प्रक्रिया नियमावली (TPM)] को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. एयर ट्रैफिक सर्विसेज ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (ATSTO), विमानन अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण संगठनों एवं परीक्षा सेवा प्रदाताओं (AELTO/TSP), ATS स्टेशनों का निगरानी संबंधी निरीक्षण किया गया, AAI परीक्षकों द्वारा की गई दक्षता संबंधी जांच की निगरानी की गई।

8. ATSTO और AELTO/TSP के पदधारकों (50) को स्वीकृति दी गई।

9. विभिन्न हवाई अड्डों के 15 से अधिक रेटिंग प्रशिक्षण नियमावली (RTM) में संशोधनों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

10. ATCO लाइसेंसिंग से संबंधित विभिन्न e-GCA सेवाओं में वृद्धि।

11. लागू नियमों/विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली और सुरक्षा मुद्दों के समाधान के भाग के रूप में 11 से अधिक प्रवर्तन कार्रवाइयां संचालित की गईं।

12. हितधारकों से सरलीकरण और व्यापार करने में आसानी के संबंध में प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, निम्नलिखित सात नागर विमानन अपेक्षाओं (CAR) को संशोधित किया गया:

क. CAR सेक्शन 9 सीरीज L भाग II (अंक II – हवाई यातायात नियंत्रक का लाइसेंस जारी करना और नवीकरण और रेटिंग का पृष्ठांकन)

ख. CAR सेक्शन 9 सीरीज L भाग III (हवाई यातायात सेवाओं के कार्मिकों के लिए अनुदेशकों,परीक्षकों और बोर्ड को प्राधिकार)

ग. CAR सेक्शन 9 सीरीज L भाग IV (हवाई यातायात सेवाओं के कार्मिकों के लिए निपुणता जांच)

घ. CAR सेक्शन 9 सीरीज L भाग V (हवाई यातायात सेवाओं के कार्मिकों के लिए रेटिंग प्रशिक्षण नियम-पुस्तक)

ङ. CAR सेक्शन 9 सीरीज L भाग VI (लॉग बुक-हवाई यातायात सेवाओं के कार्मिक)

च. CAR सेक्शन 9 सीरीज L भाग IX (हवाई यातायात सेवाओं के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण संगठन का अनुमोदन, नवीनीकरण और पर्यवेक्षण)

छ. CAR सेक्शन 9 सीरीज L भाग X (विद्यार्थी हवाई यातायात नियंत्रक का लाइसेंस जारी करना और नवीकरण)

### 3.4.3 चिकित्सा मूल्यांकन –

विमानन उद्योग में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण DGCA लाइसेंसधारकों की चिकित्सा जांच की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए DGCA ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्राधिकरण ने DGCA लाइसेंसधारकों के लिए चिकित्सा स्वस्थता प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने के लिए नई दिल्ली, मुंबई और पुणे में अधिक मांग वाले स्थानों पर चार (04) नए प्राइवेट एयरोमेडिकल मूल्यांकन केन्द्रों को पैनल में शामिल किया है। वर्तमान में, इन चार (04) नए केन्द्रों के जुड़ने से, भारत में IAF बोर्डिंग केन्द्रों के साथ-साथ DGCA पैनल में कुल 10 एयरोमेडिकल मूल्यांकन केंद्र काम कर रहे हैं।

इससे DGCA लाइसेंसधारकों को अपनी चिकित्सा संबंधी जांच पूरी करने के लिए अधिक विकल्प प्राप्त होंगे, जिससे यात्रा के समय और प्रतीक्षा की अवधि में कमी आएगी। इस वर्ष DGCA पैनल में शामिल चिकित्सा परीक्षकों के संबंध में कुल 28 निगरानी और विनियामक संपरीक्षाएं संचालित की गईं। चिकित्सा निदेशालय से संबंधित चार नागर विमानन अपेक्षाओं (CAR) को वर्ष 2025 में संशोधित किया गया, जिससे चिकित्सा जांच प्रक्रिया और भी सरल हो गई है। इस वर्ष दो (02) वैमानिकी सूचना परिपत्रों (AICs(को भी संशोधित किया गया।

DGCA, चिकित्सा निदेशालय ने 31 दिसंबर 2025 तक लाइसेंसधारकों को 52,825 चिकित्सा मूल्यांकन जारी किए हैं, जिनमें 37,976 क्लास 1, 12,833 क्लास 2 और 2016 क्लास 3 चिकित्सा मूल्यांकन शामिल हैं। इसके अलावा, चिकित्सा जाँचों के सुचारू संचालन के लिए

चिकित्सा निदेशालय में 1058 मेडिकल रिकॉर्ड सत्यापन अनुरोध, 4836 NOC और पायलट विवरणों में 389 संशोधन अनेक अन्य समर्थन अनुरोध संसाधित किए गए है। विभिन्न मुद्दों संबंधी लगभग 3852 पब्लिक विजिट्स को क्रियात्मक समाधान प्रदान किए गए। सभी चिकित्सा परीक्षा कार्यवाहियों के सुचारू डिजिटल दस्तावेज़ीकरण के लिए eGCA सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता अनुकूल सुधार भी लागू किए गए हैं।

### 3.4.4 केंद्रीय परीक्षा संगठन

1. नागर विमानन महानिदेशालय के केन्द्रीय परीक्षा संगठन (CEO) को लाइसेंस जारी करने के प्रयोजन के लिए वायुयान नियमावली और संगत नागर विमानन अपेक्षाओं में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार विमान अनुरक्षण इंजीनियरों (AMEs) और फ्लाइट डिस्पैचरों, फ्लाइट इंजीनियर फोरेन एयरक्रू टेम्परेरी आथोराइजेशन (FATA), फ्लाइट इन्सट्रक्टर रैटिंग (FIR) और एसिस्टेंट फ्लाइट इन्सट्रक्टर रैटिंग (AFIR) के लिए ज्ञान आधारित परीक्षाओं के आयोजन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

2. CEO पूरे भारत में फैले केन्द्रों पर वर्षभर में इन परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसके अलावा, यह कार्यालय AME और FC उम्मीदवारों के लिए कम्प्यूटर नंबर जारी करता है जो AME और FC परीक्षाओं में बैठने के लिए अपेक्षित हैं।

3. वर्ष 2025 के दौरान केंद्रीय परीक्षा संगठन की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं, जिन पर वर्षिक रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए विचार किया जा सकता है:

**(i) फ्लाइट क्रू (FC) उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर नंबर के ऑटो-जेनरेशन की शुरुआत।**

ऑटो-जेनरेशन प्रणाली 16.10.2025 से DGCA परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए जाने पर उन फ्लाइट क्रू (FC) उम्मीदवारों को तुरंत एक कंप्यूटर नंबर स्वतः ही आबंटित करती है, जिन्होंने CBSC बोर्ड से 10वीं और 12वीं, दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। इसके बाद, DGCA ने DGCA द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार, 22.12.2025 से इस सुविधा का विस्तार ICSE बोर्ड से 10वीं और 12वीं परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले फ्लाइट क्रू (FC) उम्मीदवारों के लिए भी कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य डिजिलॉकर सुविधा का प्रयोग करना, आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना, व्यवसाय में आसानी में वृद्धि करना और मैनुअल दस्तावेज़ प्रस्तुतीकरण और सत्यापन को समाप्त करना है।

**(ii) RTR (प्रतिबंधित) के लिए CAR की शुरुआत: परीक्षा तथा प्रमाण-पत्र और लाइसेंस जारी करना।**

नागर विमानन अपेक्षा) CAR) सेक्शन 7, सीरीज़ जी, पार्ट VI) को रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (प्रतिबंधित) प्रमाण-पत्र और लाइसेंस नियम, 2025 के नियम 18 के प्रावधानों के अधीन जारी किया गया है। यह विमान और संबंधित उपकरणों के संचालन और रखरखाव के लिए रेडियो टेलीफोन या टेलीग्राफ उपकरण के संचालन में लगे कर्मियों की परीक्षा और प्रमाणन के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। यह CAR परीक्षा में बैठने के लिए आवेदकों द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाओं, परीक्षा के संचालन और रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (प्रतिबंधित) प्रमाण-पत्र और लाइसेंस जारी करना निर्दिष्ट करता है।

**(iii) रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (प्रतिबंधित) सर्टिफिकेट और लाइसेंस परीक्षा की शुरुआत - 2025 (दिसंबर) के बाद से नियमित सत्र 04**

रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (प्रतिबंधित) (RTR) परीक्षा का पहला सत्र 16.12.2025 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। भारत के 15 शहरों में कुल 2,2284 उम्मीदवार (2,023 FC और 261 AME) परीक्षा में शामिल होने थे। इनमें से 1,891 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, और परिणाम घोषित किए गए जिसमें समग्र उत्तीर्णता प्रतिशत 86.46% रहा। (iv) FC और AME ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली पर समिति की रिपोर्टों का कार्यान्वयन।

मौजूदा फ्लाइट क्रू (FC) और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर (AME) ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए महानिदेशक के आदेश संख्या शून्य दिनांक 16.04.2025 और 28.04.2025

द्वारा श्री संजय किसन ब्रह्माणे, संयुक्त महानिदेशक (सीए) की अध्यक्षता में विस्तृत निबंधन-निर्देशों के साथ दो समितियाँ गठित की गईं। दोनों समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, और समितियों की सिफारिशों पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

4. नीचे दी गई तालिकाएँ 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान CEO द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और संसाधित किए गए कंप्यूटर नंबर आवेदनों से संबंधित डेटा को दर्शाती हैं।

**(सारणी I)**

| क्र. सं. | परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों की सूची | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | एयरक्राफ्ट अनुरक्षण इंजीनियर | 44204 |
| 2. | पायलट | 71984 |
| 3. | FATA | 85 |
| 4. | FIR/AFIR | 543 |
| 5. | फ्लाइट डिस्पैचर | 249 |
| 6. | RTR | 2284 |
| | कुल | 119349 |

**(सारणी II)**

| क्र. सं. | संसाधित कम्प्यूटर नंबर आवेदन | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | पायलट के लिए कम्प्यूटर नंबर आवेदन | 12418 |
| 2. | AME के लिए कम्प्यूटर नंबर आवेदन | 4339 |
| | कुल | 16757 |

**(सारणी III)**

| क्र. सं. | संसाधित अपडेट प्रोफाइल | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | पायलट के लिए संसाधित अपडेट प्रोफाइल | 4885 |
| 2. | AME के लिए संसाधित अपडेट प्रोफाइल | 1491 |
| | कुल | 6376 |

## 3.5 ड्रोन

वर्ष 2025 में ड्रोन निदेशालय, DGCA की विनियामक निगरानी और प्रशासन के अंतर्गत भारतीय सिविल ड्रोन पारिस्थिकी में पर्याप्त प्रगति हुई। ड्रोन निदेशालय ने महत्वपूर्ण सुधार और क्षमता-निर्माण पहलें संचालित कीं मुख्य उपलब्धियों के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है:

### 1. रिमोट पायलट ट्रेनिंग पारिस्थिकी को मज़बूत बनाना

ड्रोन क्षेत्र में उच्च गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकास सुनिश्चित करने के लिए, निदेशालय ने वर्ष के दौरान 79 रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (RPTO) प्राधिकार जारी किए। इन अनुमोदनों से पूरे भारत में प्रमाणित ड्रोन-ट्रेनिंग क्षमता का विस्तार हुआ, जिससे युवाओं, कृषि-आधारित प्रचालकों, आपदा-प्रतिक्रिया दलों और उद्योग के हितधारकों के लिए कौशल विकास विकास कार्यक्रमों तक पहुंच बेहतर हुई।

इसके अलावा, RPTO पारिस्थिकी ने संयुक्त रूप से इस वर्ष 15,636 रिमोट पायलटों को प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान किया, जो कौशल और प्रचालन संबंधी तैयारियों में आ रही निरंतर तेज़ी को दर्शाता है।

### 2. ड्रोनो का पंजीकरण और पहचान (UIN जनरेशन)

भारतीय हवाई क्षेत्र में ट्रेसबिलिटी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, DGCA ने विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) जारी करते हुए बड़े पैमाने पर ड्रोन पंजीकरण जारी रखा।

केवल वर्ष 2025 में ही कुल 10071 UINs जेनरेट किए गए। यह व्यावसायिक प्रचालकों, शैक्षणिक संस्थाओं और औद्योगिक प्रयोक्ताओं के बीच ड्रोनों को अपनाने में हुई भारी वृद्धि को दर्शाता है।

### 3. उद्योग और नवाचार के लिए ड्रोन प्रमाणन का विस्तार

वर्ष 2025 में, DGCA ने विभिन्न अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स (UAS) मॉडलों को 54 टाइप सर्टिफिकेट (TC) प्रदान किए, जिससे UAS के लिए प्रमाणन योजना आरंभ होने के बाद से कुल 145 टाइप सर्टिफिकेट हो गए हैं।

इन प्रमाणनों के जारी होने से भारतीय OEMs को प्रचालन-तंत्र, कृषि (किसान ड्रोन), निगरानी, मैपिंग और लोक-सेवा वितरण एप्लीकेशनों में सुरक्षित और नियमों के अनुरूप ड्रोनों को व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल करने में मदद प्राप्त हुई।

इसके साथ-साथ, निदेशालय ने विनिर्माण और सुरक्षा में गुणवत्तापूर्ण मानक सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रणाली के माध्यम से प्रमाणन के उपरांत अनुपालन की पर्याप्त निगरानी की।

वर्ष 2021 से 2025 तक, भारत की ड्रोन पारिस्थिकी में RPTO प्राधिकार और TC जारी किए जाने में लगातार वृद्धि होने के साथ ही उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यह रुझान एक लचीले विनियामक ढांचे का सुदृढीकरण और प्रचालनात्मक क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है।

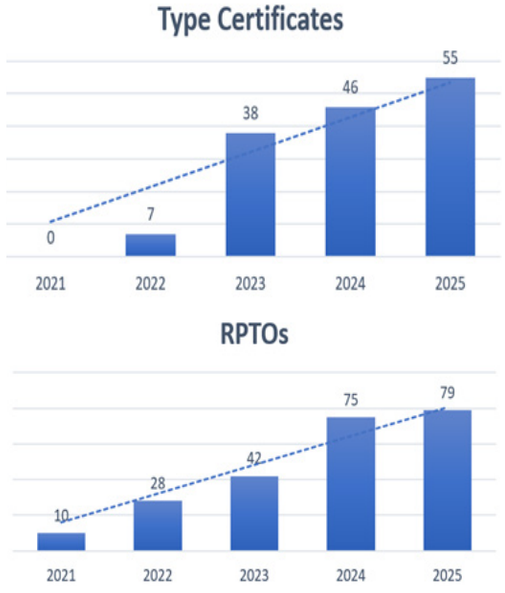


### 4. निगरानी, प्रवर्तन और सुरक्षा अनुवीक्षण

DGCA ने ड्रोन नियम, 2021 के अनुपालन, अवसंरचना संबंधी अनुपालन, प्रशिक्षण गुणवत्ता और उड़नयोग्यता अपेक्षाओं के अनुपालन का आकलन करने के लिए RPTO की 36 क्षेत्रीय निगरानी संपरीक्षाएँ और TC धारकों के सत्राह (17) निगरानी संबंधी निरीक्षण संचालित किए। इसके अलावा, DGCA ने 3 अधिकृत परीक्षण संस्थाओं

निगरानी भी की, जो DGCA को ड्रोन नियम, 2021 और UAS के लिए सर्टिफिकेशन स्कीम, 2022 के अनुसार UAS के टाइप सर्टिफिकेशन के लिए सिफारिश करती हैं।

निगरानी के दौरान अनुपालन के संबंध पाई गई कमियों और की-गई-कार्रवाई रिपोर्टों के विश्लेषण के आधार पर, उचित कार्रवाई की गई, जिसमें निष्कर्षों को बंद करना, चेतावनी देना और जुर्माना अधिरोपित करना शामिल था। ड्रोन नियमों के उल्लंघन के लिए कुछ RPTO और UAS निर्माताओं पर कुल 4,50,000 रु. का जुर्माना लगाया गया, जिससे अनुपालन संस्कृति सुदृढ़ हुई और नियमों के उल्लंघन के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस का संकेत मिला।

## 5. जारी की गई नीतियां, परिपत्र और मार्गदर्शी सामग्री

2025 के दौरान, DGCA ने निम्नलिखित परिपत्र जारी किए, जिनमें UAS और VTOL-सक्षम वायुयानों दोनों के लिए महत्वपूर्ण विनियामक मार्गदर्शन प्रदान किया गया और इन्हें DGCA वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया:

**मानवरहित विमान प्रणाली (UAS)/ड्रोन:**

- 2025 का ड्रोन विनिर्माण परिपत्र संख्या 01 दिनांक 30 अक्टूबर, 2025: मानवरहित विमान प्रणाली (<150 किग्रा) के संबंध में टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त करने और पहले से टाइप सर्टिफाइड UAS मॉडलों में परिवर्तन/आशोधन करने के लिए निर्माताओं के लिए दिशानिर्देश – 150 किग्रा से कम वज़न वाली मानवरहित विमान प्रणालियों के लिए टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया और साथ ही पहले से टाइप-सर्टिफाइड UAS मॉडल में परिवर्तन या आशोधन के लिए मंज़ूरी लेने की प्रक्रिया के बारे में निर्माताओं को विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए।

**VTOL-सक्षम विमान (VCA)/ एडवांस्ड एयर मोबिलिटी:**

- VTOL-सक्षम विमान (VCA) रेटिंग के प्रशिक्षण और एंडोर्समेंट के लिए मार्गदर्शी सामग्री; 2025 का FCL संख्या 01 दिनांक 30 अप्रैल, 2025 – VTOL-सक्षम विमानों का प्रचालन करने वाले पायलटों के लिए प्रशिक्षण और एंडोर्समेंट की अपेक्षाओं को आसान बनाना, जिससे एडवांस्ड पायलट स्किल सर्टिफिकेशन प्राप्त होने में सरलता हो सके।
- वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग में सक्षम विमानों (VCA) का प्रयोग करते हुए NSOP सेवाओं के प्रचालन के लिए एयर ऑपरेटर परमिट (AOP) प्रदान करने संबंधी मार्गदर्शी सामग्री; 2025 का एटीसी संख्या 02 दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 – व्यावसायिक VCA प्रचालन के लिए परमिट प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्रक्रियात्मक स्पष्टता और प्रचालन संबंधी मार्गदर्शी प्रदान करना।

कुल मिलाकर, इन परिपत्रों ने विनियामक स्पष्टता में वृद्धि की है, प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाया है, और विकसित होती पारिस्थिकी के लिए अधिक संरचित, उद्योगोन्मुखी और मापनयोग्य लाइसेंसिंग एवं अनुमोदन के विकास को सहयोग प्रदान किया है।

## 6. ई-गवर्नेंस और डिजिटल रूपान्तरण में प्रगति

DGCA ने ड्रोन नियम 2021 के अनुसार D1 से D5 फॉर्मों (प्रमुख ड्रोन-संबंधी विनियामक सेवाएं) को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से DGCA के संयुक्त ई-गवर्नेंस पोर्टल – e-GCA प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक अंतरित करते हुए अपने विनियामक कार्यों के डिजिटल रूपान्तरण को आगे बढ़ाया जाना जारी रखा। इस रूपान्तरण से टाइप सर्टिफिकेशन, UIN जेनरेशन, RPTO अनुमोदन और संबंधित विनियामक वर्कफ़्लो जैसी सेवाओं के लिए निर्बाध, एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग संभव हुई।

इन डिजिटल सुधारों का उद्देश्य 100% पेपरलेस अनुमोदन हासिल करना, पारदर्शिता में वृद्धि करना और देश भर के आवेदकों के लिए टर्नअराउंड समय में उल्लेखनीय कमी लाना है।

## 3.6 वायुयान इंजीनियरिंग निदेशालय

### 3.6.1 एयरो इंजीनियरिंग प्रभाग और प्रयोगशाला प्रभाग

**1. ASP 2025 के अनुसार निगरानी संबंधी कार्यकलाप**

(i) डिज़ाइन संगठनों की निगरानी बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, कानपुर, कोरवा, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, नोएडा और सेलम में की गई। **(कुल: 30)**

(ii) उत्पादन संगठनों की निगरानी कानपुर और हैदराबाद में की गई। **(कुल: 02)**

**2. डिजाइन संगठन अनुमोदन (DOA)**

निम्नलिखित संगठनों को वायुयान, संबंधित उपकरणों के डिज़ाइन और विकास और वायुयान डिज़ाइन में बदलाव करने के लिए डिज़ाइन संगठन अनुमोदन प्रदान किया गया है-

(i) फ्लाइट लैब, IIT कानपुर

(ii) नलवा एयरो, मोहाली पंजाब

(iii) एयरोचैंप इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई

(iv) इमेज सिनर्जी एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु

(v) लॉयल विंगमैन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु

(vi) टाइमटूथ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु

(vii) वर्टेक्स एयरोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबत्तूर

**(कुल: 07)**

**3. उत्पादन संगठन अनुमोदल (POA) और नवीकरण**

एयरक्राफ्ट सीटों के विनिर्माण के लिए टाइमटूथ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु को POA दिया गया **(कुल: 01)**

नागर विमानन के लिए विनिर्माण कार्यकलाप संचालित करने के लिए भारत में उत्पादन संगठनों का नवीकरण पूर्ण किया गया **(कुल: 09)**

**4. टाइप सर्टिफिकेट**

एरो इंजन रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर को शक्ति 1H1C टर्बो शाफ्ट इंजन के लिए टाइप सर्टिफिकेट दिया गया। **(कुल: 01)**

**5. ITSOA के अंतर्गत उपकरण डिज़ाइन और विनिर्माण अनुमोदन**

SLRDC HAL हैदराबाद को SELCAL डिकोडर के लिए इंडियन टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑथराइज़ेशन (ITSOA) के अंतर्गत वायुयान के उपकरण डिज़ाइन और विनिर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। **(कुल: 01)**

**6. विनियामक सुधार**

भारत में प्रचालन के लिए वैमानिकी उत्पादों के टाइप एक्सेप्टेंस के लिए CAR से संबंधित CAR, सेक्शन 6 सीरीज़ ए पार्ट II, रिविजन 5 में संशोधन किया गया है।

**7. विनिर्माण और उत्पादन क्रियाकलाप**

व्यवसाय में आसानी को बढ़ाने तथा डिज़ाइन और विनिर्माण के बीच सरल एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन/विनिर्माण क्रियाकलापों की निगरानी के विनियामक उत्तरदायित्व उड़नयोग्यता निदेशालय से अंतरित कर वायुयान इंजीनियरिंग निदेशालय को सौंप दिए गए हैं।

भारतीय अनुमोदित संगठनों द्वारा विनिर्मित वायुयान, इंजन तथा उसके संबंधित भागों और उपकरणों के विनिर्माण के दौरान स्टेज निरीक्षण संचालित किए गए:

| क्रम सं. | वैमानिकी उत्पादन | मात्रा |
|---|---|---|
| 1. | ध्रुव (ALH) – एनजी हेलीकाप्टर | 03 |
| 2. | शक्ति 1H1C टर्बोशाफ़्ट इंजन | 08 |
| 3. | हिंदुस्तान 228-201 एयरप्लेन | 04 |

**8. टाइप स्वीकृति**

वायुयान, इंजन, प्रोपेलर और डिज़ाइन में परिवर्तनों की टाइप स्वीकृति को DGCA द्वारा भारत में वायुयान प्रचालन के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार स्वीकार किया जाता है।

| क्रम सं. | वैमानिकी उत्पादन | मात्रा |
|---|---|---|
| 1. | वायुयान TC स्वीकृति | 10 |
| 2. | वायुयान STC स्वीकृति | 24 |
| 3. | इंजन स्वीकृति | 8 |
| 4. | प्रोपेलर स्वीकृति | 1 |
| 5. | हेलीकाप्टर TC स्वीकृति | 4 |
| 6. | हेलीकाप्टर STC स्वीकृति | 5 |

**9. आशोधनों का अनुमोदन (डिजाइन परिवर्तन)**

ध्रुव (ALH), एयरबस ए320, बोइंग B737-8, बोइंग B737-9, ATR-72, और बॉम्बार्डियर चैलेंजर-300 में किए गए आशोधनों को नागर विमानन अपेक्षाओं (CAR)-2 के अनुसार मंज़ूरी दी गई। **(कुल: 35)**

**10. फ्लाइट रिकॉर्डर मॉनिटरिंग**

1) नेमी मॉनिटरिंग के लिए जांचे गए कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) डेटा की कुल संख्या – 318

2) नेमी मॉनिटरिंग के लिए जांचे गए फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) डेटा की कुल संख्या – 306

3) फ्लाइट रिकॉर्डर डाउनलोड करने और डीकोड करने के रूप में AAIB को जांच में दी गई सहायता – 01

### 3.6.2 विमानन पर्यावरण यूनिट

**1. विमानन सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाने में DGCA की उपलब्धियाँ**

CO2 उत्सर्जन में कमी पर राज्य कार्य-योजना – DGCA ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर संकल्प A40-18 के अनुसार, नागर विमानन में कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में कमी के लिए भारत की राज्य कार्य-योजना ICAO को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। यह योजना नागर विमानन से CO2 उत्सर्जन को सीमित करने और कम करने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए उपायों और भविष्य की रणनीतियों की रूपरेखा बताती है।

**2. सस्टेनेबल विमानन फ्यूल्स (SAF) पहल:**

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए चरणबद्ध SAF ब्लेंडिंग के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए, 2027 तक 1% SAF ब्लेंडिंग, 2028 तक 2% SAF F ब्लेंडिंग, 2030 तक 5% SAF ब्लेंडिंग के सांकेतिक लक्ष्यों के साथ, DGCA ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. NABCB और ISCC के बीच समझौता ज्ञापन की सुविधा प्रदान की, जिससे CORSIA फ्रेमवर्क के तहत भारत की पहला SAF प्रमाणीकरण निकाय बना।

ii. इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी SAF उत्पादन के लिए ISCC CORSIA प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई।

**3. SAF इकोसिस्टम का समर्थन** करने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय(MoCA) ने सस्टेनेबल विमानन फ्यूल पर एक उप कार्य समूह का गठन किया है जिसने SAF के विकास को बढ़ावा देने के लिए संबंधित हितधारकों को शामिल करते हुए अंतर-मंत्रालयी परामर्श शुरू किया है।

**4. ICAO के साथ SAF फिजिबिलिटी स्टडी** – ICAO के सहयोग से DGCA ने व्यापक SAF फिजिबिलिटी स्टडी पूरी की। इस स्टडी ने भारत में SAF को अपनाने में तेज़ी लाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, कार्रवाई योग्य रास्ते और मज़बूत पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रदान किए। इसमें फीड-स्टॉक, उत्पादन के तरीके, बुनियादी सुविधाओं की तैयारी, पॉलिसी फ्रेमवर्क और बाज़ार विकास क्षमता का आकलन किया गया।

**5. 42वीं ICAO असेंबली** में, भारत ने विकासशील देशों में SAF विकास की चुनौतियों पर मज़बूत और सैद्धांतिक रुख पेश किया। जिन मुख्य मुद्दों पर ज़ोर दिया गया उनमें सीमित उत्पादन क्षमता, प्रमाणीकरण और विनियामक बाधाएँ, फीडस्टॉक और बुनियादी सुविधाओं की कमी, और वित्तीय बाधाएँ शामिल थीं। भारत की सिफारिशें—जैसे SAF प्रमाणीकरण में तेज़ी लाना, क्षेत्रीय SAF हब स्थापित करना, ICAO-अनुमोदित सस्टेनेबिलिटी प्रमाणीकरण योजनाओं का विस्तार करना, मिश्रित वित्त जुटाना, और ICAO प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहयोग को मज़बूत करना—वैश्विक समुदाय द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार की गईं और सराही गईं।

### 3.6.3 टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट (TMU)

(i) नवंबर 2019 में टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट (TMU) की स्थापना से यादृच्छिक रुप से चुने गए 50 रूटों पर हवाई किराए की व्यवस्थित निगरानी शुरू हुई, जिसे बाद में बढ़ाकर 62 और वर्तमान में 78 सेक्टर कर दिया गया है, जिसमें केरल-खाड़ी क्षेत्र से संबंधित 6 अंतरराष्ट्रीय सेक्टर भी निगरानी के लिए जोड़े गए हैं। यह घरेलू यातायात का लगभग 26.89% कवर करेगा।

(ii) TMU का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि एयरलाइंस हवाई किराए के स्तर को एयरलाइंस द्वारा निर्धारित टैरिफ सीमाओं के भीतर बनाए रखें। यह सक्रिय दृष्टिकोण स्थानीय घटनाओं या अप्रत्याशित परिस्थितियों से होने वाली अचानक कीमतों में बढ़ोतरी को कम करने में मदद करता है।

## 3.7 एयरोड्रोम मानक

### 1. एयरोड्रोम लाइसेंस

वर्ष 2025 के दौरान, DGCA ने लागू विनियामक अपेक्षाओं के अनुरुप जांच करने के बाद निम्नलिखित हवाई अड्डों को सार्वजनिक इस्तेमाल की श्रेणी के तहत विमान क्षेत्र लाइसेंस जारी किए:

इसके अलावा, वर्ष 2025 के दौरान:

| क्र. सं | एयरोड्रोम | स्थान | जारी करने की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1 | दतिया हवाईअड्डा | दतिया, मध्य प्रदेश | 21.02.2025 |
| 2 | हिसार हवाईअड्डा | हिसार, हरियाणा | 13.03.2025 |
| 3 | अमरावती एयरपोर्ट | बेलोरा, महाराष्ट्र | 10.03.2025 |
| 4 | नवी मुंबई एयरपोर्ट | नवी मुंबई, महाराष्ट्र | 30.09.2025 |

- सार्वजनिक इस्तेमाल की श्रेणी के तहत छब्बीस (26) एयरोड्रोम लाइसेंस की समीक्षा की, जिससे लगातार प्रचालन के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का सतत अनुपालन सुनिश्चित हुआ।
- लागू विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के मूल्यांकन के बाद ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर AISATS को सेफ्टी क्लीयरेंस दिया गया।

### 2. निगरानी और सुरक्षा निरीक्षण गतिविधियाँ

DGCA ने एयरोड्रोम पर सतत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और लेखापरीक्षा के माध्यम से व्यापक सुरक्षा निरीक्षण किया:

- वायु क्षेत्र अवसरंचना की निगरानी निरीक्षण (सरकारी/सार्वजनिक इस्तेमाल की श्रेणी): 104
- ब्रीथ एनालाइज़र (BA) का निरीक्षण: 118
- सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (SMS) निरीक्षण: 51
- ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी (GHA) निरीक्षण: 34

### 3. विनियामक सुधार

वर्ष 2025 के दौरान नागर विमानन (CAR) सेक्शन खंड 4, सीरीज़ ख, पार्ट I, "एयरोड्रोम डिज़ाइन एंड ऑपरेशन्स" और CAR सेक्शन 4, सीरीज़ ख, पार्ट III, "हेलीपोर्ट्स" में ज़रूरी बदलाव किए गए। इसमें संलग्नक 14 में ICAO द्वारा सुझाए गए बदलाव शामिल किए गए और विभिन्न विकास कार्यकलापों से पैदा होने वाली आवश्यकताओं को पूरा किया गया। इससे विमान क्षेत्र विनियामक ढांचा मज़बूत होगा और प्रचालन अपेक्षाओं को मौजूदा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के साथ जोड़ा जाएगा।

### 4. प्रचालन दक्षता/यात्री सुविधा

- वर्ष 2025 में, DGCA ने रायपुर और भोपाल हवाईअड्डे पर CAT-II (कम विज़िबिलिटी) प्रचालन के लिए मंज़ूरी दी। इसके अलावा, खजुराहो, सूरत, उदयपुर, इंफाल, देहरादून, विजयवाड़ा जैसे विभिन्न हवाई अड्डों पर कम विज़िबिलिटी की स्थिति में विमान उड़ाने की मंज़ूरी दी गई है ताकि कोहरे, बारिश आदि के कारण खराब मौसम के दौरान प्रचालन को आसान बनाया जा सके।
- यात्रियों के आराम और प्रचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए, दिल्ली, पटना, उदयपुर, तिरुचिरापल्ली

आदि हवाई अड्डों पर पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज (PBBs) लगाने की मंज़ूरी दी गई।

- प्रचालन दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न अवसंरचना उन्नयन परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है, जैसे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर CAT I से CAT II/III तक रनवे 10 की अप्रोच लाइटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना, गुवाहाटी हवाई अड्डे और लखनऊ हवाई अड्डे पर एप्रन का निर्माण, तिरुपति और तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर रनवे का विस्तार, मुंबई हवाई अड्डे, अहमदाबाद हवाई अड्डे आदि पर टैक्सी मार्ग नेटवर्क का विस्तार।

## 3.8 विमान कर्मीदल (FCL, DTL) का प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग

### i. उड़ान कर्मीदल लाइसेंस निदेशालय द्वारा जारी किए गए CPL और ATPL की संख्या निम्नानुसार अद्यतन की गई है:-

"पिछले 10 वर्षों में DGCA द्वारा जारी किए गए कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) और एयरलाइन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस (ATPL) की कुल संख्या इस प्रकार है:

| क्र.सं. | वर्ष | जारी किए गए CPL (विमान और हेलीकॉप्टर) | जारी किए गए ATPL (विमान और हेलीकॉप्टर) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 394 | 421 |
| 2 | 2016 | 537 | 482 |
| 3 | 2017 | 552 | 501 |
| 4 | 2018 | 640 | 599 |
| 5 | 2019 | 744 | 752 |
| 6 | 2020 | 578 | 398 |
| 7 | 2021 | 862 | 472 |
| 8 | 2022 | 1165 | 720 |
| 9 | 2023 | 1622 | 664 |
| 10 | 2024 | 1347 | 561 |
| 11 | 2025 | 1652* | 645 |

* वर्ष 2025 में, DGCA ने पिछले दशक में अधिकतम संख्या में कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी किए हैं।

### ii. ELP प्रशिक्षण एवं परीक्षण और संगठन:

2019 से अब तक कुल 13 संगठनों को पायलटों के लिए प्रशिक्षण देने और अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता का आकलन करने के लिए मंज़ूरी दी गई है। वर्ष 2025 में, इस सूची में दो और संगठन जोड़े गए हैं। विमानन अंग्रेजी भाषा प्रवीणता परीक्षण एवं प्रशिक्षण संगठनों (एविएशन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग और ट्रेनिंग संगठनों) द्वारा उड़ान कर्मी दल के प्रशिक्षण एवं परीक्षण से संबंधित डाटा इस प्रकार है।

| वर्ष | EPL संगठन |
|---|---|
| 2023 | 10 |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 13 |

### iii. वायुयान नियमावली 1937 और नागर विमानन अपेक्षाओं (CAR) में संशोधन:

(क) CAR खंड 7 सीरीज़ छ भाग III में संशोधन – प्रारंभ में 30 जनवरी 2019 को जारी किया गया और विमानन अंग्रेजी भाषा प्रवीणता– प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण से संबंधित CAR में संशोधन – 20 मार्च 2024 से प्रभावी

(ख) CAR खंड 7 सीरीज़ छ भाग V में संशोधन - शुरू में 30 जनवरी 2019 को जारी किया गया और विमानन अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण संगठन (AELTO) और परीक्षण सेवा प्रदाता (TSP) के अनुमोदन/नवीनीकरण से संबंधित CAR में संशोधन - 20 मार्च 2024 से प्रभावी

(ग) CAR खंड 7 सीरीज़ छ भाग II में संशोधन- भारत

में समुद्री जहाज प्रचालन के उपबंधों को शामिल करते हुए CAR में संशोधन- 5 जून 2024 से प्रभावी

## 3.9 अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO)

सरकार ने भारत में विमान अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) के व्यापक विकास के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने के लिए राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 के अंतर्गत नीति प्रावधानों का एक सेट घोषित किया था।

भारत को एक MRO हब के रूप में विकसित करने की नीति के अंतर्गत आरंभ की गईं पहलों में शामिल हैं:

I. टूल और टूल किट्स पर सीमा-शुल्क में छूट;

II. विभिन्न स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज़ और कंज्यूमेबल्स पर माल और सेवा कर की दरें कम की गईं;

III. पुर्जों की सरलीकृत निकासी प्रक्रिया;

IV. ड्यूटी-फ्री पुर्जों के प्रयोग पर पाबंदी में ढील को एक साल से बढ़ाकर तीन साल किया गया;

V. विदेशी विमानों को MRO कार्य की पूरी अवधि या 6 माह, जो भी कम हो, तक भारत में रहने की अनुमति;

VI. सर्विस किए जा सकने वाले पार्ट्स के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए अधिसूचना में संशोधन किया गया;

VII. MRO के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति।

VIII. MRO के लिए प्रतिस्पर्धी शर्तों पर विदेशी मुद्रा और रुपये में ऋण लेने और देने की नीति को उदार बनाया गया;

IX. ट्रांजिट के दौरान अपने विमानों की मरम्मत के लिए विदेशी एयरलाइंस द्वारा स्पेयर पार्ट्स के रियायती अस्थायी आयात के लिए तौर-तरीके निर्दिष्ट किए गए;

X. AAI हवाई अड्डों पर MRO को प्रोत्साहित करने के लिए AAI द्वारा भूमि आवंटन के लिए नीति निर्धारित की गई।

XI. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने फरवरी 2021 में शून्य रॉयल्टी और अत्यंत उदार भूमि किराए के साथ एक नई MRO नीति जारी की है।

XII. भूमि की लीज अवधि 3 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है।

XIII. भूमि आवंटन ई-टेंडरिंग आदि के माध्यम से किया जाता है।

MRO सेक्टर में हुए विकास के कारण, भारतीय प्रचालक/एयरलाइंस अपने विमानों को किसी बड़े अनुरक्षण कार्य के लिए विदेश भेजने के स्थान पर भारत में ही इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिससे अनुरक्षण की लागत कम हुई है और घरेलू एयरलाइंस को लाभ पहुंचा है।

### विनियामक सुधार:

वर्तमान में, सभी प्रकार के वायुयानों, जिनमें निर्धारित प्रचालनों, गैर-निर्धारित प्रचालनों, उड़ान प्रशिक्षण, सामान्य विमानन और निजी प्रचालनों के लिए उपयोग किए जाने वाले विमान भी शामिल हैं, को कवर करने के लिए दो प्रमुख नागर विमानन अपेक्षाएँ (CARs) विद्यमान हैं, जिनके द्वारा CAR-M के अंतर्गत सतत उड़नयोग्यता संगठन और CAR-145 के अंतर्गत विमान रखरखाव संगठन को शासित किया जाता है । CAR-145 द्वारा वाणिज्यिक प्रचालनों में प्रयोग किए जाने वाले वायुयानों और जटिल मोटर वायुयानों के अनुरक्षण के लिए विनियम निर्दिष्ट किए गए हैं।

ये CAR संगठनों के आकार पर ध्यान दिए बिना, उन सभी पर समान रूप से लागू होते हैं तथा वाणिज्यिक और निजी विमानों, बड़े और छोटे विमानों के लिए आवश्यक अनुरक्षण प्रक्रियाओं के मध्य कोई अंतर नहीं करते हैं। इसके समाधान के लिए, अब CAR-M को CAR-ML, CAR-CAO और CAR-CAMO में वर्गीकृत किया गया है।

CAR-ML वायुयान की सतत उड़नयोग्यता सुनिश्चित करने के लिए सामान्य तकनीकी अपेक्षाएं और दिशा-निर्देश निर्धारित और उपबंधित करता है, जिसमें उसमें लगाया जाने वाला कोई कंपोनेंट भी शामिल हैं, जहाँ ऐसे वायुयान गैर-CMPA (हल्के वायुयान) के रूप में वर्गीकृत हैं और एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) में सूचीबद्ध नहीं हैं। CAR-ML का आशय वायुयान की जटिलता और प्रचालनात्मक प्रयोग के अनुसार उचित अनुपात निर्धारित करना है। उदाहरण के लिए, निजी तौर पर चलाए जाने वाले वायुयान के स्वामी को उस स्थिति की तुलना में उड़नयोग्यता जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए अधिक अवसर प्रदान किया जाता है, जब किसी वायुयान को वाणिज्यिक परिवेश में प्रयोग किया जाता है।

CAR-CAO किसी संयुक्त उड़नयोग्यता संगठन (CAO) द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं निर्धारित करता है, ताकि किसी वायुयान और उस पर लगाए जाने वाले कंपोनेंट्स के अनुरक्षण और सतत उड़नयोग्यता प्रबंधन के लिए और उन क्रियाकलापों को जारी रखने हेतु अनुमोदन जारी

किया जा सके, जहाँ ऐसा वायुयान कॉम्प्लेक्स मोटर-पावर्ड एयरक्राफ्ट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और वह किसी एयर ऑपरेटर के AOC में सूचीबद्ध नहीं हैं। CAR-CAO गैरलाइसेंस वाले एयर कैरियर के नॉन-कॉम्प्लेक्स मोटर-पावर्ड एयरक्राफ्ट पर लागू होता है।

CAR-CAMO वायुयान की सतत उड़नयोग्यता सुनिश्चित करने के लिए सामान्य तकनीकी अपेक्षाएं और दिशा-निर्देश निर्धारित और उपबंधित करता है, जिसमें सभी प्रकार के वायुयानों और प्रचलनों के संस्थापित किए जाने वाले कंपोनेंट भी शामिल हैं।

ये नए विनियम, EASA मानकों के अनुरूप हैं, हल्के और उन वायुयानों के लिए उड़नयोग्यता अपेक्षाओं को सरल बनाते हैं, जिनका प्रयोग प्रचालकों द्वारा लाइसेंसधारक एयर कैरियरों से इतर जाता है। इन नए विनियमों के अनुरूप बनाने के लिए, CAR-M और CAR 145 में भी उपयुक्त संशोधन किए गए हैं।

ये नए और संशोधित विनियम विमानन उद्योग को ऐसे प्रचालकों/संगठनों के लिए अनुपालन संबंधी दबाव को कम करने में सहायता प्रदान करेंगे जो ऐसे वायुयानों के तुलना में, जो जटिल हैं, जिनमें अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालनों में प्रयोग होने वाले वायुयान भी शामिल हैं, गैर-जटिल वायुयानों का प्रयोग करते हैं।

## 3.10 उड़ान मानक

01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान उड़ान मानक निदेशालय (FSD) द्वारा द्वारा संचालित क्रियाकलापों का सारांश नीचे दिया गया है:

### 1. पायलट प्रशिक्षण अवसंरचना

वर्ष 2025 के दौरान, विभिन्न प्रकार के वायुयानों पर पायलट प्रशिक्षण के लिए पाँच (05) नए फ्लाइट सिमुलेशन ट्रेनिंग डिवाइस (FSTDs) अनुमोदित किए गए। इसके अलावा, एक (01) नए अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन (ATO) को अनुमोदन प्रदान किया गया और चार (04) ATO सर्टिफिकेशन के अलग-अलग चरणों में रहे, जिससे देश में पायलट प्रशिक्षण क्षमता का संवर्धन करने में योगदान प्राप्त हुआ।

### 2. प्रमाणीकरण क्रियाकलाप

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, गैर-अधिसूचित प्रचालकों (NSOP), अधिसूचित कम्यूटर प्रचालकों और सामान्य विमानन प्रचालकों को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) / एयर ऑपरेटर परमिट (AOP) प्रदान करने से संबंधित पैंतालीस (45) सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट संसाधित किए जाने के अलग-अलग चरणों में थे। इसके अलावा, चौहत्तर (74) विशेष प्रचालन सर्टिफिकेशन प्रक्रियाएँ जांच और मंज़ूरी के अलग-अलग चरणों में थे।

### 3 .निगरानी और पर्यवेक्षण

अनुमोदित वार्षिक निगरानी योजना (ASP) के अनुसार निगरानी कार्यकलाप आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान निर्धारित निगरानी क्षेत्रों के लिए कुल 975 निगरानी कार्यकलाप आयोजित किए गए। इसके अलावा, केबिन सुरक्षा अपेक्षाओं के साथ सतत अनुपालन को मॉनीटर करने के लिए 388 केबिन एन-रूट निगरानी की गई। मानसून तैयारी, एफडीटीएल क्रियान्वयन और वेट लीज एयरक्राफ्ट के लिए अतिरिक्त निगरानी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

### 4. प्रवर्तन कार्रवाई

वर्ष के दौरान सैंतीस (37) प्रवर्तन कार्रवाईयां संचालित की गईं। इसमें निगरानी कार्यकलापों के दौरान अनुपालन न किए जाने संबंधी पाए गए मामलों में कारण बताओ नोटिस, चेतावनी पत्र जारी करना और वित्तीय शास्ति का अधिरोपण शामिल है।

### 5. विनियामक उपाय

प्रचालनों को सुगम बनाने और विनियामक प्रावधानों को अंतरराष्ट्रीय उत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए वर्ष के दौरान धारा 7 और धारा 8 के अंतर्गत नागर विमानन अपेक्षाओं की समीक्षा की गई। रिपोर्ट अवधि के दौरान दो (2) केबिन सुरक्षा परिपत्र जारी किए गए और दो (2) प्रचालन पत्र प्रख्यापित किए गए। इसके अलावा एक (01) मानसून संचालन परिपत्र की समीक्षा की गई।

### 6. यात्री-केंद्रित पहल

यात्री के अधिकारों, यात्री-केंद्रित विनियमों और राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजी यात्रा सहित जन घोषणाओं और डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से यात्री जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किए गए।

### 7. कोहरे से निपटने की तैयारी-शीतकाल 2025-26

शीतकाल 2025-26 में कोहरे के मौसम से निपटने की तैयारी के लिए एयरलाइंस को उनके मुख्यालयों और मेट्रो हवाई अड्डों पर आपातकालीन नियंत्रण कक्ष चालू करने के निर्देश दिए गए। इन कंट्रोल रूमों को इस प्रकार संचालित किए जाने का निर्देश दिया गया था कि उनमें ऐसे वरिष्ठ अधिकारी तैनात हों जो समय पर परिचालन संबंधी निर्णय लेने के लिए अधिकृत हों, यात्रियों की शिकायतों का समाधान कर सकें, तथा व्यवधान की स्थिति में विमान संचालन और यात्रियों की सुगम सुविधा सुनिश्चित करने

हेतु संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर सकें।

## 3.11 उड़ान प्रशिक्षण

विभिन्न पायलट लाइसेंस और रेटिंग जारी करने के लिए शुरुआती पायलट प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारत में वर्तमान में 62 बेस पर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित 40 उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) प्रचालन में है। इनमें से 30 उड़ान प्रशिक्षण संगठन निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है, 9 उड़ान प्रशिक्षण संगठन विभिन्न राज्य सरकारों के नियंत्रणधीन है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (IGRUA) नामक एक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है ।

### 1. FTO अनुमोदन और अनापत्ति प्रमाण-पत्र

पायलट प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय ने कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान हुबली,कर्नाटक में एविएशन कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा दुमका,झारखंड में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट नामक दो (2 ) नए उड़ान प्रशिक्षण संगठनों का अनुमोदन किया गया । इसके अलावा, नए FTO स्थापित करने के लिए चार ( 04 ) संगठनों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए । इसके अतिरिक्त, भीलवाड़ा,राजस्थान में विद्यमान FTO के लिए एक नया प्रचालन बेस अनुमोदित किया गया ।

### 2. निगरानी और पर्यवेक्षण

सुरक्षा पर्यवेक्षण के लिए वर्ष 2025 में उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के 57 बेस पर सभी योजनाबद्ध वार्षिक निगरानी कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए। योजनाबद्ध निगरानी केअतिरिक्त, आवश्यकता के आधार पर विभिन्न विनियामक और सुरक्षा ऑडिट तथा स्थल निरीक्षण किए गए ताकि प्रयोज्य विनियमों और सुरक्षा मानकों के अनुसार सतत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।

### 3. विनियामक सुधार और संवर्धन

वर्ष 2025 के दौरान, उड़ान प्रशिक्षण निदेशालय ने तीन नागर विमानन अपेक्षाओं, निर्दिष्ट परीक्षक मैन्युअल को संशोधित किया, दो उड़ान प्रशिक्षण परिपत्र जारी किए तथा एक उड़ान प्रशिक्षण परिपत्र को संशोधित किया । इनका उद्देश्य सुदृढ़ सुरक्षा निगरानी को बनाए रखते हुए सरलीकृत विनियामक फ्रेमवर्क को प्राप्त करना था ।

उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के अनुमोदन,नवीनीकरण,प्रबंधन और सुरक्षा निगरानी संबंधी CAR सेक्शन 7,सीरीज D, भाग 1. को संशोधित किया गया तथा इसे अंक ॥। के रूप में जारी किया गया । संशोधित CAR से अपेक्षाओं को सरल और कारगर बनाकर एनओसी अनुदान तथा FTO अनुमोदन का सरलीकरण किया गया जिसका उद्देश्य भारत सरकार के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम को पूरा करना है ।

FTO में उड़ान निदेशकों, परीक्षकों, तथा पदधारकों के अनुमोदन से संबंधित मापदंडों संबंधी CAR सेक्शन 7, सिरीज़ ।, भाग 5 को संशोधित किया गया ताकि प्रशिक्षण मानकों से समझौता किए बिना इस प्रकार के अनुमोदन को और अधिक लचीला बनाया जा सके तथा उड़ान अनुदेशकों की कमी को पूरा किया जा सके ।

नवीनतम अपेक्षाओं के अध्याधीन ग्लाइडर परीक्षकों को स्थाई प्राधिकार प्रदान करने के लिए ग्लाइडर और मोटर ग्लाइडर संबंधी ग्लाइडर अनुदेशकों और परीक्षकों के प्राधिकार से संबंधित CAR सेक्शन 7, सिरीज़ ।, भाग 11 को संशोधित किया गया ।

संरचित निर्दिष्ट परीक्षित पाठ्यक्रमों को शुरू करके निर्दिष्ट परीक्षकों की गुणवत्ता और मानकीकरण मैं सुधार करने उद्देश्य से निर्दिष्ट परीक्षक मैन्युअल को संशोधित किया गया है ।

### 4. उड़ान प्रशिक्षण संगठनों की रैंकिंग

नागर विमानन महानिदेशालय ने 1 अक्टूबर 2025 से नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित सभी उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के लिए एक रैंकिंग प्रणाली लागू की। यह पहल नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रशिक्षण संगठनों के बीच पारदर्शिता, कार्यनिष्पादन, बेंचमार्किंग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भारत में पायलट प्रशिक्षण की गुणवत्ता,संरक्षा और कार्य- कुशलता में सुधार करने के लिए किए गए प्रयासों के तहत की गई है ।

### 5. विमान और अनुदेशक क्षमता

कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान नागर विमान महानिदेशालय द्वारा कुल 226 सहायक उड़ान अनुदेशक रेटिंग और उड़ान अनुदेशक रेटिंग प्राधिकार जारी किए गए जिसके फलस्वरुप इस उद्योग में योग्य उड़ान अनुदेशकों की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । इस वर्ष के दौरान उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के पास उपलब्ध विमानों की कुल संख्या बढ़कर 384 हो गई जबकि 2024 में इन विमानों की संख्या संख्या 297 थी। अनुदेशक संख्या और प्रशिक्षण एयरक्राफ्ट में संयुक्त वृद्धि से पायलट प्रशिक्षण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने और प्रशिक्षण पूरा करने की समय- सीमा में पर्याप्त कमी आने की आशा है ।

## 3.12 एयर स्पेस एंड एयर नेविगेशन सेवा मानक (AS एंड ANSS)

### 3.12.1 वार्षिक निगरानी कार्यक्रम (ASP), 2025 के अनुसार निगरानी कार्यकलाप:

1. मुंबई, गुवाहाटी, इंदौर, त्रिची, बारापानी, अगात्ती, नागपुर, पटना, दिमापुर, रांची, कोचीन, हैदराबाद, अहमदाबाद, मंगलोर, भोपाल, आईजीआईआई एटीएम दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, अमृतसर, विजयवाड़ा, डिब्रुगढ़, भुवनेश्वर, अयोध्या, देहरादून हवाई अड्डों पर एटीएम सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण। **(कुल: 26)**
2. मदुरै, अयोध्या, विशाखापटनम, दुर्गापुर, जबलपुर, बेलागावी, डिब्रुगढ़, रायपुर, गुवाहाटी, गाग्ले, कन्नूर, गया, भावनगर, उदयपुर, दिल्ली CAT-III ILS, जयपुर, कोलकाता, CAT-III ILS, लखनऊ, बेंगलुरु, अमृतसर CAT-III ILS, गोवा डेबोलिम, तिरुचिरापल्ली, देवघर, राजामुन्द्री, अगात्ती, कोहलापुर हवाई अड्डों पर सीएनएस सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण। **(कुल: 26)**
3. मुंबई, इंदौर, चेन्नई, औरंगाबाद, दीमापुर, अगात्ती, त्रिवेन्द्रम, मदुरै, वाराणसी, रांची, जबलपुर, हैदराबाद, मंगलोर, मोहनबाड़ी, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, अमृतसर, किशनगढ़, कन्नूर, तिरुपति, देहरादून हवाई अड्डों पर MET सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण। **(कुल: 24)**
4. मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डों पर एआईएस सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण। **(कुल: 2)**
5. मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आरसीसी पर एसएआर सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण। **(कुल: 3)**
6. AAI CHQ में PANS-OPS सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण। **(कुल: 1)**
7. AAI सीएचक्यू में कार्टो सुविधाओं का निगरानी निरीक्षण। **(कुल: 1)**
8. कुल निरीक्षण: 83

### 3.12 .2 CAR संशोधन

निम्नलिखित CAR में संशोधन किया गया है:

1. CAR सेक्शन 9 सीरीज E भाग I - वायु यातायात सेवाएं
2. CAR सेक्शन 9 सीरीज I भाग I अंक II - वैमानिकी सूचना सेवाएँ।.
3. CAR सेक्शन 9 सीरीज P भाग I अंक II। - उपकरण उड़ान प्रक्रियाओं का अभिकल्प, वैधता और प्रख्यापन
4. CAR सेक्शन 9 सीरीज D भाग I । अंक V - वैमानिकी दूरसंचार –रेडियो दिक्चालन सहाय्य
5. CAR सेक्शन 9 सीरीज D भाग II । अंक V - वैमानिकी दूरसंचार –संचार प्रक्रियाएं
6. CAR सेक्शन 9 सीरीज D भाग IV अंक V - वैमानिकी दूरसंचार – डिजिटल डेटा संचार और ध्वनि संचार प्रणाली
7. CAR सेक्शन 9 सीरीज D भाग V अंक V - वैमानिकी दूरसंचार – वैमानिकी रेडियो फ्रीक्वन्सी स्पेक्ट्रम उपयोग
8. CAR सेक्शन 9 सीरीज M भाग I अंक II – विमान दिक्चालन के लिए मौसम विज्ञान सेवा

### 3.12.3 नई/संशोधित उपकरण उड़ान प्रक्रियाओं (IFPs) का अनुमोदन उपकरण उड़ान प्रक्रिया अनुमोदन :

| IFP | अनुमोदनों की संख्या |
|---|---|
| नई प्रक्रियाएं | 23 |
| संशोधित प्रक्रियाएं | 71 |
| **कुल** | **94** |

सूची **अनुलग्नक -I** पर संलग्न है।

### 3.12.4 अन्य उल्लेखनीय गतिविधियां

क. विशेष एयर स्पेस प्रक्रियाएं

(i) BIAL एयर स्पेस के लिए पॉइंट मर्ज सिस्टम (PMS) का अनुमोदन।

(ii) मुंबई एयर स्पेस में स्पेस आधारित ADSB का प्रयोग करते हुए ATS रूट L639 और L309 पर 20 NM का अनुमोदन।

ख. ANSS एडवाइजरी परिपत्र 1/2025 - हवाई यातायात नियंत्रण इकाई लॉग बुक का प्रकाशन।

ग. IGI एयरपोर्ट दिल्ली के आसपास GNSS स्पूफिंग/ GNSS इंटरफेस घटनाओं की रियल टाइम रिपोर्टिंग- GNSS आरएफआई के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) का प्रकाशन।

घ. DGCA द्वारा AAI कारपोरेट सर्च एवं रेसक्यू मैनुअल की स्वीकृति।

## 3.13 निगरानी और सुरक्षा पर्यवेक्षण

| क्रम संख्या | निगरानी/ जांच | 2025 के लिए | आयोजित (दिसंबर 2025 तक) |
|---|---|---|---|
| 1 | योजनाबद्ध निगरानी | 4092 | 3946 |
| 2 | रैंप निरीक्षण (घरेलू) | 460 | 492 |
| 3 | रैंप निरीक्षण (विदेशी) | 78 | 84 |
| | **योजनाबद्ध निगरानी के लिए योग** | **4630** | **4522** |
| 4 | स्थल निरीक्षण | 874 | |
| 5 | रात्रि निगरानी | 550 | |

## 3.14 विमान सुरक्षा निदेशालय

### 1. वार्षिक सुरक्षा समीक्षा:

नागर विमानन महानिदेशालय ICAO ग्लोबल एवियशन सेफ्टी प्लान (GASP) की तर्ज पर राष्ट्रीय-घटनाओं की उच्च जोखिम श्रेणी (N-HRCs) की पहचान करते हुए राष्ट्रीय विमानन संरक्षा योजना (NASP) प्रकाशित करता है। NASP का उद्देश्य भारत में प्रचालनात्मक सुरक्षा जोखिमों को लगातार कम करना और विमानन सुरक्षा प्रबंधन में सुधार करना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक N-HRCs के लिए संरक्षा वृद्धि कार्यक्रमों सहित संरक्षा कार्यनिष्पादन संकेतकों, सुरक्षा लक्ष्यों और संरक्षा उद्देश्यों को समाविष्ट किया गया है।

प्रक्रिया के अनुसार संरक्षा कार्यनिष्पादन संकेतकों और लक्ष्यों का निष्पादन प्राप्त किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमानन सुरक्षा और विमानन विकास में समन्वय हो और दोनों के बीच सकारात्मक अनुरूपता बनी रहे तथा इसे वार्षिक संरक्षा समीक्षा (ASR) 2024 के रूप में प्रकाशित किया गया । इसमें पूर्ववर्ती वर्ष का संरक्षा डाटा और वैश्विक रूप से उल्लेखनीय संरक्षा घटनाओं का विश्लेषण दिया गया है। यह वार्षिक संरक्षण समीक्षा नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/?baseLocale=en_US?page=jsp/dgca/InventoryList/headerblock/ssp/main.html

### 2. नागर विमानन महानिदेशालय संरक्षा सेमिनार 2025:

भारतीय नागर विमानन में उन्नत सुरक्षा मानकों और उत्कृष्टता के प्रति समर्पित विमानन प्रोफेशनलों के साथ 19 दिसंबर 2025 को IAA ,वसंत कुंज में सेफ्टी सेमिनार आयोजित किया गया । इसमें विचार -विमर्श के प्रमुख विषय निम्नानुसार थे

- रनवे अतिक्रमण
- विमानन में सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति
- रखरखाव त्रुटि

### 3. नियम पुस्तकों और पदधारकों का अनुमोदन/ स्वीकृति :

- नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा कुल 186 नियम पुस्तक (उड़ान संरक्षा नाम पुस्तक, SMS नियम पुस्तकऔर FSD नियम पुस्तक)अनुमोदित /स्वीकृत की गई।
- वायु सुरक्षा निदेशालय द्वारा कुल 247 सुरक्षा पदधारक स्वीकृत/अनुमोदित किए गए।

### 4. घटना समीक्षा बोर्ड (ORB)

घटनाओं और उनकी जांच की अधिसूचना संबंधी CAR सेक्शन 5 सीरीज ग भाग -I के अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशालय और AAIB को घटनाओं की सूचना देना अपेक्षित है ।

नागर विमानन महानिदेशालय ने अनिवार्य सुरक्षा रिपोर्ट के माध्यम से घटनाओं की सूचना प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की है । नागर विमानन महानिदेशालय मुख्यालय में वायु सुरक्षा निदेशालय ने दिनांक 18 दिसंबर 2021 द्वारा यथापेक्षित घटना समीक्षा बोर्ड (ORB) के माध्यम से घटनाओं की समीक्षा करता है और संबंधित निदेशालय के साथ घटनाओं के डाटा का आदान-प्रदान करता है । अन्य

निदेशालय अर्थात DAW, ANSS, FSD आदि के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में DAS-मुख्यालय के उल्लिखित आदेश में 72 घंटों के दिशा- निर्देशों के अनुसार ORB की बैठक प्रत्येक सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार को आयोजित की जाती है।

वर्ष 2025 में वायु सुरक्षा निदेशालय द्वारा ORB की कुल 96 बैठकें आयोजित की गई तथा और ORB बैठकों में लगभग 9631 रिपोर्टयोग्य घटनाओं पर चर्चा की गई। इन घटनाओं में घटनाएं, दुर्घटनाएं, गंभीर दुर्घटनाएं, एयरप्रोक्ष, रनवे अतिक्रमण आदि, विविध घटनाएं(मौसम के कारण मार्ग परिवर्तन, अनस्टेबलेज्ड अप्रोच, लेजर इंटरफ्रेंस, GNSS इंटरफ्रेंस, एयरोड्रोम सुविधा संबंधी आदि) शामिल है। DAS-मुख्यालय द्वारा कुल 1381 घटनाओं की जांच का आदेश दिया गया जिसके अंतर्गत PIB द्वारा जांच, क्षेत्रीय जांच, AIB, नियम 13 (1 ) के अंतर्गत जांच और गंभीर घटनाओं की जांच शामिल है ।

### 5. जांच

- नागर विमानन महानिदेशालय ने 29 गंभीर घटनाओं/ घटनाओं मेंवायुयान नियमावली 2017 के नियम 13(1) के अंतर्गत जांच शुरू की है ।
- क्षेत्रीय वायु सुरक्षा कार्यालय ने उनके द्वारा संचालित वायुयानों से संबंधित घटनाओं की जांच के लिए एयरलाइंस के स्थायी अन्वेषण बोर्ड (PIB) के माध्यम से घटनाओं की जांच में सहयोग किया और मार्गदर्शन दिया।
- AIB द्वारा 46 एयरप्रोक्स घटनाओं की जांच की गई है।
- नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा रनवे अतिक्रमण की 35 घटनाओं की जांच की गई है ।
- विभिन्न विमान घटनाओं और दुर्घटनाओं की जांच से की गई संरक्षा संबंधी सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित एजेंसियों से संपर्क किया गया ताकि ऐसी घटनाओं/दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

### 6. की गई निगरानी/विनियामक सुरक्षा ऑडिट

- नागर विमानन महानिदेशालय वार्षिक निगरानी कार्यक्रम तैयार करता है जो नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वर्ष 2025 के दौरान अनुसूचित एयरलाइंस और विभिन्न गैर -अनुसूचित तथा निजी ऑपरेटरों की 56 लेखापरीक्षा (विनियामक लेखा परीक्षा/सुरक्षा लेखापरीक्षा) तथा 596 निगरानी निरीक्षण किए गए । इन निरीक्षण में विभिन्न विसंगतियां पाई गई जिनके संबंध में निवारक उपाय करने के लिए ऑपरेटरों के साथ मामले को उठाया गया।
- उपर्युक्त के अलावा, 14 विशेष लेखा परीक्षाएं भी की गई।

## 3.15 IT प्रभाग

### eGCA - नागर विमानन का इलेक्ट्रॉनिक संचालन

नागर विमानन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (e-GCA) नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA), भारत सरकार का एक मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर नवंबर 2021 में शुरू किया गया था। इसे एक सिंगल विंडो, एंड-टु-एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया था और नागर विमानन संबंधी कार्यों में पेपरलेस प्रोसेसिंग,रियल टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग, और संवर्धित पारदर्शिता से विनियामक सेवा वितरण में सुधार हुआ है । यह सभी नागर विमानन महानिदेशालय की विनियामक सेवाओं के लिए एक एकीकृत इंटरफेस के रूप में कार्य करता है जिससे विमानन कार्मिकों और संगठनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करने, दस्तावेज अपलोड करने,ट्रेक स्टेटस और अनुमोदन प्राप्त करने में सुविधा होती है। नागर विमानन महानिदेशालय मुख्यालय में कार्यों के एकीकरण द्वारा इस प्लेटफार्म से मैन्युअल प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, व्यक्तिक रूप से संपर्क में भी कमी आई है और इससे मानकीकृत, लेखापरीक्षा योग्य निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है ।

### अंगीकरण और प्रगति

अधिक संख्या में हितधारकों द्वारा eGCA को स्वीकार करने से यह पता चलता है कि इसे नागर विमानन महानिदेशालय के एक प्रमुख विनियामक इंटरफेस के रूप में स्वीकार किया गया है:

- शुरू होने सेअब तक प्राप्त कुल ईआवेदन : 4,15,925
- वर्ष 2025 के दौरान प्राप्त ई आवेदन :: 1,63,093

आवेदन प्रक्रिया में लगातार वृद्धि से इस प्लेटफार्म की विस्तार क्षमता, विश्वसनीयता और नागर विमानन इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित होती है।

वर्ष 2025 के दौरान eGCA ने निम्नानुसार कुछ नए कार्यों को शामिल किया :

- पायलटों तथा एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों (ATCO) के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस (EPL) का कार्यान्वयन, जिससे ICAO Annex-I के 178वें संशोधन तथा

ICAO डॉक 9379 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुरूप सुरक्षित एवं डिजिटल रूप से सत्यापित पायलट लाइसेंसिंग संभव हो सके। माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री (HMCA) द्वारा इस परियोजना के प्रथम चरण (Phase-I) का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात आगामी चरणों – Phase-II तथा Phase-III – का कार्यान्वयन वर्तमान में प्रगति पर है, जिसका उद्देश्य शेष सभी लाइसेंसों को EPL ढांचे के अंतर्गत लाना है।

- एयरलाइन सिस्टम के साथ निर्बाध एकीकरण के लिए ई-लाग बुक API -वर्जन 2 का क्रियान्वयन।
- eGCA प्लेटफार्म पर हेलीकॉप्टर (रोटरी विंग ) निदेशालय की स्थापना।
- बढ़ते विमान कार्यक्षेत्र को eGCA विस्तारक विनियामक कवरेज के लिए ड्रोन संबंधी सेवाओं का डिजिटल स्काई प्लेटफार्म में माइग्रेशन।
- ड्रोन संबंधी सेवाओं के लिए पहचान अधिप्रमाणन को सुदृढ़ करने हेतु आधार संख्या सत्यापन के लिए UIDAI के साथ एकीकरण।
- संबंधित साइबर सुरक्षा के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन (MFA) को लागू करना।
- एयरक्राफ्ट लाइफ साइकिल ट्रेकायबिलिटी और सतत उड़न योग्यता में सुधार करते हुए उड़न योग्यता संबंधी सेवाओं में "ट्रैक द टेल" फीचर को लागू करना।

## 3.16 सतर्कता

1. निवारक सतर्कता के उपाय के रूप में, वर्ष के दौरान नागर महानिदेशालय के निम्नलिखित कार्यालयों के निवारक सतर्कता निरीक्षण किए गए ।
   - क) क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रचालन और उड़नयोग्यता निदेशालय
   - ख) उप क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
   - ग) फ्लाइट क्रु लाइसेंसिंग DGCA (मुख्यालय) का औचक निरीक्षण
   - घ) सामान्य अनुभाग,DGCA (मुख्यालय) का औचक निरीक्षण
   - ड.) रोकड़ अनुभाग,DGCA (मुख्यालय)
   - च) उड़ान मानक निदेशालय, DGCA (मुख्यालय)
2. DGCA अधिकारियों के उंचास (49) IPRs का भी निरीक्षण किया गया।
3. सतर्कता प्रभाग द्वारा जारी व्यवस्थित सुधार:-

**(क) विभागों के बीच स्पष्ट संवाद माध्यम:** वायुयान के स्वामित्व और लीज स्टेटस के संबंध में दो निदेशालयों के बीच संवादहीनता को कम किया जाना चाहिए। उड़नयोग्यता निदेशालय, हवाई यातायात निदेशालय और अन्य संबद्ध हितधारकों के बीच एक औपचारिक संवाद प्रोटोकॉल स्थापित किया जाए।

**(ख) केवल आवश्यक दस्तावेजों के लिए बताई गई कमियां:** यह देखने में आया कि बताई गई कमियों का अनुपालन पूरा नहीं किया गया परंतु प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया था। अतः सीओआर जारी करने के लिए केवल अपेक्षित निर्धारित दस्तावेजों से संबंधित कमियो को ही दर्शाया जाए तथा सीओआर जारी करने से पहले तत्संबंधी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

**(ग) विदेशी प्रतिनियुक्ति के लिए सतर्कता स्वीकृति (Vigilance Clearance) की आवश्यकता:** निर्देशों के अनुसार, OD। सूची में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी भी विदेशी नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित नहीं किया जाना है।

अतः विदेशी नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण के लिए सतर्कता स्वीकृति प्राप्त करना ईमानदारी बनाए रखने, नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा संगठन के हितों की सुरक्षा हेतु अत्यंत आवश्यक है।

इसलिए, विदेशी नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों के लिए सतर्कता स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

**(घ) लैपटॉप आवंटन से संबंधित अभिलेखों का संधारण:** जनरल सेक्शन द्वारा एक केंद्रीकृत डाटाबेस संधारित किया जाना चाहिए, जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जारी किए गए लैपटॉप का विवरण अंकित हो।

तदनुसार, नए अनुरोधों पर विचार करने से पूर्व अभिलेखों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

## 3.17 प्रदूषण नियंत्रण

### 3.17.1 वृक्षारोपण अभियान:

DGCA मुख्यालय, उड़ान भवन और DGCA के क्षेत्रीय कार्यालयों में 700 से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जिनमें स्थान की उपलब्धता और भविष्य में वृद्धि की संभावनाओं

के आधार पर इनडोर पौधे, फलदार पौधे, फूलदार पौधे आदि शामिल हैं।

### 3.17.2 खाद के लिए गड्ढा बनाना:

जैविक कचरे का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए DGCA मुख्यालय और मुंबई तथा चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालयों में खाद के लिए तीन गड्ढे बनाए गए। इन गड्ढों से उत्पन्न पोषक तत्वों से भरपूर खाद का उपयोग पौध स्थानों पर पौधों को पोषण देने के लिए किया जाएगा, जिससे बाहरी कचरे के निपटान की आवश्यकता कम होगी और सतत तथा पर्यावरण के अनुकूल पौधों की देखभाल को बढ़ावा मिलेगा।

## 3.18 महिला कल्याण

DGCA में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें महिलाओं और पुरुषों, दोनों को इस विषय पर जानकारी दी गई।

## 3.19 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

• 31.12.2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग और PwDs के पदों और सेवाओं में इनका प्रतिनिधित्व:

| पद/सेवाएं | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DGCA के समूह 'क' तकनीकी अधिकारी | | | | |
| SC | ST | OBC | EWS | PWDs |
| 67 | 28 | 62 | 06 | 01 |

• वर्ष के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां और कारणों सहित शेष खाली पद: शून्य

नोट: वर्ष 2025 में, केवल प्रचालन अधिकारियों के 121 पदों के लिए सीधी भर्ती की गई थी और कोई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां लंबित नहीं थीं क्योंकि 121 पदों में से 117 पद हाल ही में सृजित किए गए थे।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए विभाग और उसके संगठनों द्वारा नामित संपर्क अधिकारी (अधिकारियों) का विवरण:

| क्र. सं. | संपर्क अधिकारी का नाम | निम्नलिखित के कल्याण के लिए |
|---|---|---|
| (i) | श्रीमती मीनू कपिल, उप महानिदेशक | अनुसूचित जाति और दिव्यांग जन |
| (ii) | श्री मुदावथ देवुला, उप महानिदेशक | अनुसूचित जनजाति |
| (iii) | श्री सी.के. सूत्रधार, निदेशक (वायुयान इंजीनियरी) | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| (iv) | श्री के. थुलासिरामन, निदेशक (वायुयान इंजीनियरी) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |

### 3.19. 1 पदोन्नति और आवश्यकताएं

**पदोन्नति:**

- 46 अधिकारियों के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति कार्यवाही पूरी की गई।
- अभी तक 25 अधिकारियों को पदोन्नति किया गया।
- 18 अधिकारियों (13 निदेशक -प्रचालन, 03 DRI, 01 DDRI और तथा 01 DD (प्रचालन) के लिए HMCA

का अनुमोदन प्राप्त किया गया, आदेश जारी किए गए परंतु यह पदोन्नतियां 01.01.2026 से प्रभावी होंगी ।

**सीधी भर्ती :**

- नागर विमानन महानिदेशालय में विभिन्न ग्रेड में 24 अधिकारियों ने कार्य ग्रहण कर लिया है।
- तकनीकी संवर्ग के विभिन्न ग्रेड के 209 अभ्यार्थियों का चयन किया गया है।
- स्टेनोग्राफर ग्रेड के 8 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

**परामर्शदाता:**

भर्ती अनुभाग द्वारा 36 परामर्शदाताओं/युवा प्रोफेशनल/ FOI की नियुक्ति की गई :

- परामर्शदाता=16
- युवा प्रोफेशनल=7
- परामर्शदाता (FOIs) =13

## 3.20 प्रशासन

DGCA में अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी के साथ निम्नलिखित दिवस/समारोह मनाए गए:

1. **महिला दिवस 2025:** सुश्री बबिता सेठ मिश्रा, ग्रुप कैप्टन, डीएमएस ने "महिलाओं के सवास्थ्य पर प्रेरक व्याख्यान दिया।
2. **अंतरराष्ट्रीय योग दिवस:** 21 जून 2025 को, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के विशेषज्ञ द्वारा योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें DGCA कर्मचारियों के बीच सेहत और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया गया।

3. **अंगदान दिवस 2025:** 3 अगस्त 2025 को "अंगदान जीवन संजीवनी अभियान" थीम के तहत यह कार्यक्रम अंगदान को बढ़ावा देने और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से मनाया गया। अधिकारियों को राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की वेबसाइट पर पंजीकरण करने और ऑनलाइन शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
4. **स्वच्छता ही सेवा (17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025):** वर्ष की थीम, " स्वच्छोत्सव " में स्वभाविक स्वच्छता और सफाई मित्रों के कल्याण पर जोर दिया गया। हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, साथ ही सेनेटाइज़ेशन किट भी वितरित की गई। अधिकारियों ने DGCA परिसर के बाहर सड़क की सफाई के लिए श्रमदान भी किया।
5. **विशेष अभियान 5.0 (2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025):** विशेष अभियान 5.0 में DGCA की भागीदारी, स्वच्छता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों के प्रति सक्रिय सहभागिता और प्रतिबद्धता सुनिश्चत करती है। अभियान के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में न केवल स्वच्छता और लंबित मामलों के समय पर निपटान को बढ़ावा दिया, बल्कि कर्मचारियों के बीच जिम्मेदारी और जवाबदेही की संस्कृति को भी बढ़ावा दिया।
6. **राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ (एकता शपथ)** सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती, जो 31.10.2025 को थी, को मनाने के लिए दिनांक 30.10.2025 को DGCA में राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ (एकता शपथ) का आयोजन किया गया।
7. **13 अगस्त, 2025 को 'नशा मुक्त भारत अभियान'** के लिए जागरूकता अभियान के भाग रूप में, DGCA के अधिकारियों को 13 अगस्त 2025 को नशीली दवाओं के खिलाफ ऑनलाइन शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
8. **संविधान दिवस 2025:** DGCA में 26 नवंबर, 2025 को वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाने की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई जिसकी थीम थी "हमारा संविधान हमारा स्वीभिमान"। इस समारोह में DGCA मुख्यालय में प्रस्तावना का औपचारिक (सेरेमोनियल) वाचन शामिल है।
9. **सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025:** सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर, 2025 से 3 नवंबर, 2025 तक DGCA मुख्यालय और उसके क्षेत्रीय

कार्यालयों में "सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है" थीम के साथ मनाया गया। सप्ताह के दौरान निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग और प्रश्नोत्तरी जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग रूप में आचरण नियमावली और सार्वजनिक खरीद तथा जांच एवं रिपोर्ट पर कार्यशालाएँ भी आयोजित की गईं।

10. **DGCA में 01 से 07 दिसंबर, 2025 तक सशस्त्र सेना झंडा दिवस** मनाने के लिए, सभी अधिकारियों को हमारे बहादुर सैनिकों के मातृभूमि की सेवा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए स्वैच्छिक रूप से अंशदान/दान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

11. **राजभाषा प्रभाग** ने 14 सितंबर, 2025 से 28 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया। प्रभाग ने विभिन्न प्रतियोगिताएं, हिंदी कार्यशाला, राजभाषा निरीक्षण आयोजित किए, तिमाही प्रगति रिपोर्ट मांगी, राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया, राजभाषा नीति लागू की और वर्ष 2024-2025 के लिए नागर विमानन मंत्रालय से द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया।

12. **जन शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने के लिए उठाए गए कदम** इस प्रकार हैं: शिकायत प्रकोष्ठ ने INGRAM, CPGRAMS जैसे विभिन्न पोर्टल और संचार के किसी अन्य माध्यम से DGCA से संबंधित शिकायतों के गुणात्मक निपटान को मजबूत करने के लिए 04.04.2025 को परिपत्र जारी किया है। शिकायत निवारण के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) DGCA की वेबसाइट पर उपलब्ध है और जानकारी के लिए इस ईमेल के साथ भी संलग्न है।

## 3.21 प्रशिक्षण प्रभाग

- उड़न योग्यता, उड़ान प्रचालन, हवाई दिक्चालन सेवाएं, लाइसेंसिंग, एयरोड्रम और दुर्घटना जांच जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण दिया ।
- नागर विमानन महानिदेशालय के तकनीकी,प्रचालन और विनियामक कार्यक्षेत्र के अधिकारियों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक नियोजित किया और समन्वित किया।
- चिन्हित सक्षमता अंतराल के आधार पर विभिन्न निदेशालयों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर विकसित और कार्यान्वित किए ।

| आयोजित प्रशिक्षणों (विदेशी और घरेलू) की संख्या |
|---|
| 31 (10 घरेलू + 21 विदेशी) |
| **प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या** |
| 379 |

अनुलग्नक -I

# उपस्कर उड़ान प्रक्रिया अनुमोदन
# 01 जनवरी, 2025 -30 नवंबर,2025)

## (a) नई उपस्कर उड़ान प्रक्रिया अनुमोदन

| क्र.सं. | IFP प्रक्रिया | हवाई अड्डे का नाम |
|---|---|---|
| 1 | RNP Y RWY 06 | स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, रायपुर: VERP |
| 2 | VOR RWY 11 | कुशीनगर हवाईअड्डा: VEKI |
| 3 | RNP Y RWY 04 | सलेम हवाईअड्डा, सलेम: VOSM |
| 4 | RNP Y RWY 27 | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 5 | RNP Y RWY 08 LNAV, LNAV VNAV | जॉली ग्रांट हवाईअड्डा, देहरादून: VIDN |
| 6 | RNP Y RWY 08 | नवी मुंबई: VANM |
| 7 | RNP Y RWY 26 | नवी मुंबई: VANM |
| 8 | RNP Y RWY 28 | टूटीकोरीन हवाईअड्डा, टूटीकोरीन: VOTK |
| 9 | ILS Y CAT II और III अथवा LOC RWY 26 | नवी मुंबई, हवाईअड्डा: VANM |
| 10 | ILS Y CAT II और III अथवा LOC RWY 08 | नवी मुंबई, हवाईअड्डा : VANM |
| 11 | ILS OR LOC RWY 04 | बिरसी एरोड्रोम, गोंडिया: VAGD |
| 12 | ILS Z RWY 09 आर CAT II और III | केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बेंगलुरु: VOBL |
| 13 | RNAV 1 STAR RWY 28 | नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा: VIDP |
| 14 | RNAV 1 STAR RWY 10 | नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा: VIDP |
| 15 | RNAV 1 STAR RWY 10 | नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा: VIDP |
| 16 | RNAV 1 STAR RWY 28 | नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा: VIDP |
| 17 | ILS OR LOC X RWY 14 | छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई : VABB |
| 18 | CAT II ILS और LOC ONLY RWY 30 | राजा भोज हवाईअड्डा, भोपाल: VABP |
| 19 | RNAV 1 STAR RWY 26 | तिरुपति हवाईअड्डा:VOTP |
| 20 | RNP 1 SID RWY 26 | तिरुपति हवाईअड्डा:VOTP |
| 21 | RNP Y RWY 32 | छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई : VABB |
| 22 | ILS RWY 19 L CAT II और III | नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता: VECC |
| 23 | ILS OR LOC RWY 10 CAT II और III | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |

**संशोधित उड़ान प्रक्रिया अनुमोदन:**

| क्र.सं. | IFP प्रक्रिया | हवाई अड्डे का नाम |
|---|---|---|
| 1 | VOR RWY 05 | सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद:VAAH |
| 2 | RNP Y RWY 26 | तिरुपति हवाईअड्डा:VOTP |
| 3 | RNP Y RWY 08 | तिरुपति हवाईअड्डा:VOTP |
| 4 | ILS RWY 11 R CAT II और III | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 5 | ILS RWY 29 L CAT II और III | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 6 | ILS OR LOC RWY 19 L | नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता: VECC |
| 7 | VOR RWY 01R | नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता: VECC |
| 8 | VOR RWY 19R | नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता: VECC |
| 9 | VOR RWY 07 | इंदौर हवाईअड्डा:VAID |
| 10 | ILS OR LOC RWY 07 | चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा: VOMM |
| 11 | ILS RWY 24 | वीर सुरेंद्र साई हवाईअड्डा, झारसुगुड़ा, ओडिशा: VEJH |
| 12 | ILS 01R | नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता: VECC |
| 13 | VOR RWY 28 | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 14 | VOR RWY 09 | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 15 | VOR RWY 10 | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 16 | VOR RWY 14 | तिरुवंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा: VOTV |
| 17 | VOR RWY 25 | चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा: VOMM |
| 18 | VOR RWY 07 | चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा: VOMM |
| 19 | VOR RWY 12 | चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा: VOMM |
| 20 | VOR RWY 30 | चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा: VOMM |
| 21 | ILS OR LOC RWY 19R | नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता: VECC |
| 22 | ILS OR LOC RWY 32 | तिरुवंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा: VOTV |
| 23 | ILS OR LOC Z RWY 28 | गया हवाईअड्डा, गया: VEGY |
| 24 | RNV 1 SID RWY 09 L | केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बेंगलुरु: VOBL |
| 25 | RNV 1 SID RWY 09 R | केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बेंगलुरु: VOBL |
| 26 | CAT-1 ILS प्रोसीजर RWY 25 | इंदौर हवाईअड्डा:VAID |
| 27 | RNV 1 PMS STAR RWY 27R 27L | केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बेंगलुरु: VOBL |
| 28 | ILS OR LOC RWY 27R | केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बेंगलुरु: VOBL |

| क्र.सं. | IFP प्रक्रिया | हवाई अड्डे का नाम |
|---|---|---|
| 29 | VOR RWY 24 | वीर सुरेंद्र साई हवाईअड्डा, झारसुगुड़ा,ओडिशा: VEJH |
| 30 | ILS OR LOC Z RWY 16 | दुर्गापुर हवाईअड्डा:VEDG |
| 31 | RNP Y RWY 09R | केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बेंगलुरु: VOBL |
| 32 | VOR RWY 06 | वीर सुरेंद्र साई हवाईअड्डा, झारसुगुड़ा,ओडिशा: VEJH |
| 33 | RNP Y RWY 22 | वडोदरा हवाईअड्डा:VABO |
| 34 | RNP Y RWY 04 | वडोदरा हवाईअड्डा:VABO |
| 35 | RNP Y RWY 23 | कोयम्बतूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोयम्बतूर: VOCB |
| 36 | SID RWY 11R | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 37 | SID RWY 11L | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 38 | SID RWY 10 | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 39 | SID RWY 09 | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 40 | STAR RWY 11 R | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 41 | STAR RWY 11L | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 42 | STAR RWY 10 | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 43 | STAR RWY 09 | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 44 | SID RWY 29 R | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 45 | SID RWY 28 | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 46 | STAR 29L | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 47 | SID RWY 27 | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 48 | STAR 29R | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 49 | STAR RWY28 | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 50 | STAR RWY27 | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 51 | SID RWY 29L | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 52 | ILS OR LOC Y RWY 09 | छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई : VABB |
| 53 | ILS OR LOC RWY 09L | केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बेंगलुरु: VOBL |
| 54 | ILS OR LOC Z RWY 27 | छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई : VABB |
| 55 | ILS RWY 01R CAT II और III | नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता: VECC |
| 56 | VOR RWY 10 | गया हवाईअड्डा, गया: VEGY |
| 57 | VOR RWY 28 | गया हवाईअड्डा, गया: VEGY |
| 58 | ILS OR LOC RWY 27R | केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बेंगलुरु: VOBL |

| क्र.सं. | IFP प्रक्रिया | हवाई अड्डे का नाम |
|---|---|---|
| 59 | ILS OR LOC RWY 19L | नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता: VECC |
| 60 | VOR RWY 32 | तिरुवंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा: VOTV |
| 61 | ILS OR LOC RWY 27 | तिरुचिरापल्ली हवाईअड्डा: VOTR |
| 62 | VOR RWY 09 | तिरुचिरापल्ली हवाईअड्डा: VOTR |
| 63 | VOR RWY 27 | तिरुचिरापल्ली हवाईअड्डा: VOTR |
| 64 | RNP RWY 27 | कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, नेदुम्बस्सेरी: VOCI |
| 65 | VOR RWY 10 | कालीकट हवाईअड्डा: VOCL |
| 66 | VOR RWY 28 | कालीकट हवाईअड्डा: VOCL |
| 67 | VOR RWY 22 | सूरत हवाईअड्डा: VASU |
| 68 | VOR RWY 04 | सूरत हवाईअड्डा: VASU |
| 69 | ILS OR LOC Z RWY 22 | सूरत हवाईअड्डा: VASU |
| 70 | ILS RWY 28 R CAT II और III | इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली: VIDP |
| 71 | ILS या LOC Z RWY 23 | सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद |

# 4. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

## 4.1 परिचय

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS), नागर विमानन मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। BCAS का उद्देश्य नागर विमानन संचालन को गैरकानूनी हस्तक्षेप से बचाना है। ब्यूरो भारत से/ भारत के लिए संचालित नागरिक उड़ानों के संबंध में सुरक्षा के मानकों को निर्धारित करने और नियमित निरीक्षण एवं सुरक्षा ऑडिट के माध्यम से उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार है। नागर विमानन उद्योग के विकास ने सुरक्षा से संबंधित नई चुनौतियाँ पेश की हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, यह आवश्यक है कि सरकारी नीतियों/ पहल और उनके कार्यान्वयन का गहन मूल्यांकन किया जाए।

BCAS का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका नेतृत्व महानिदेशक करते हैं, जो भारत के राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के विकास, रखरखाव, अद्यतन एवं कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने एवं इस संदर्भ में सभी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने हेतु "सक्षम प्राधिकारी" हैं। ब्यूरो, विमानन सुरक्षा (AVSEC) मामलों में कर्मियों के समन्वय, निगरानी, निरीक्षण और प्रशिक्षण, AVSEC गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन और नागर विमानन संचालन को सुरक्षित रखने हेतु प्रौद्योगिक उन्नयन के संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करने के लिए नियामक प्राधिकरण है।

BCAS के पास 598 पदों का स्वीकृत कार्यबल है, जो इसके मुख्यालय, 02 पर्यवेक्षी कार्यालयों (SOs), 24 क्षेत्रीय कार्यालयों (ROs) और 13 सहायक क्षेत्रीय कार्यालयों (AROs) के बीच आवंटित किया गया है, जो नागर विमानन सुरक्षा उपायों के प्रभावी पर्यवेक्षण, समन्वय और समान कार्यान्वयन की सुविधा के साथ-साथ हवाई अड्डों और अन्य विमानन संबंधी सुविधाओं के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों के साथ अचूक निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए देश भर में रणनीतिक रूप से तैनात हैं।

BCAS मुख्यालय में कुल सात (07) निदेशालय हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है :

- प्रशासन निदेशालय
- कार्मिक प्रमाणन और क्षमता निर्माण निदेशालय
- नीति एवं मानक निदेशालय
- प्रचालन एवं सहायता सेवा निदेशालय
- पर्यवेक्षण एवं सहायता सेवा निदेशालय
- तकनीकी एवं नवाचार निदेशालय
- ब्यूरो सचिवालय

BCAS, मूल रूप से एक प्रतिनियुक्ति आधारित संगठन है और इसके कार्मिक नियोजन के प्रारूप की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा BCAS रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयासरत है। वर्ष 2025 के दौरान, विभिन्न संगठनों से कुल 82 कार्मिकों ने प्रतिनियुक्ति के आधार पर BCAS में कार्यभार ग्रहण किया है तथा अन्य कार्मिकों द्वारा शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण किया जाएगा।

## 4.2 नीति एवं मान निदेशालय

नीति और मानक निदेशालय, हवाई अड्डों पर AVSEC उपायों की निगरानी और कार्यान्वयन हेतु ज़िम्मेदार सभी संस्थाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर आयोजित शिकागो सम्मेलन के अनुबंध 17 के अनुरूप विमानन सुरक्षा / AVSEC नीतियों के निर्माण संबंधित मानकों को निर्धारित करने हेतु मुख्य रूप से ज़िम्मेदार है।

(i) विभिन्न राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा दस्तावेजों का अद्यतन और संशोधन किया गया है और ये विचार/ अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं । प्रमुख पहल इस प्रकार हैं : -

(क) व्यवसाय स्थापना/ रियायत-प्राप्त सुरक्षा कार्यक्रम में संशोधन।

(ख) ट्रांसशिपमेंट एयर कार्गो नियमों को कारगर बनाने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) 'प्रवेश के आरक्षित अधिकार' के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से सिंगापुर के साथ नागर विमानन सुरक्षा में

## BCAS HQ - Organogram

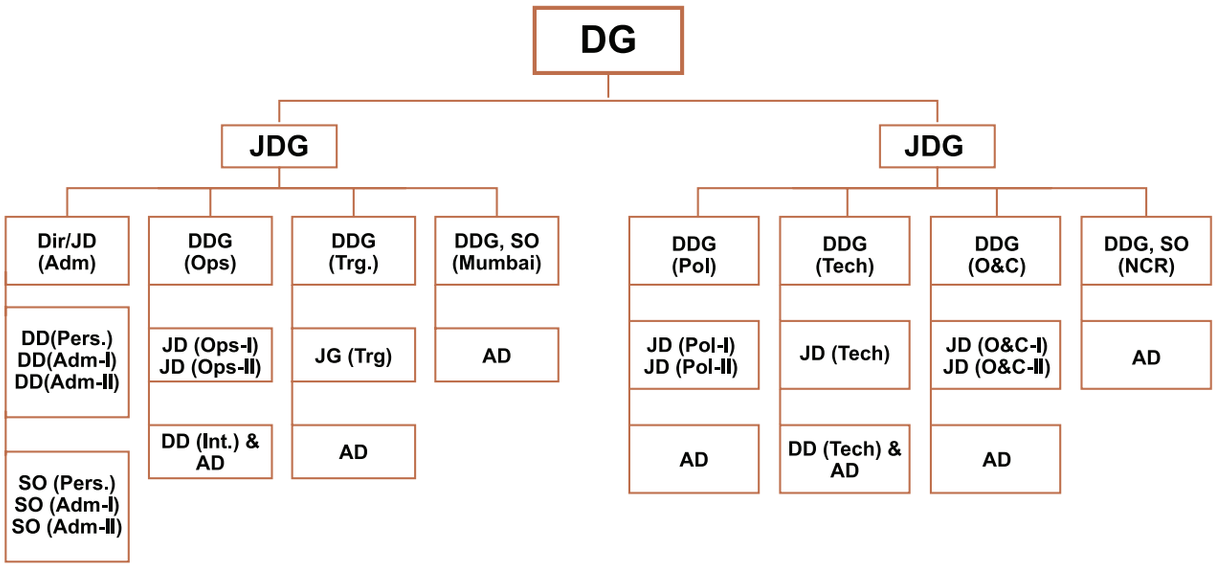


सहयोग हेतु द्विपक्षीय समझौते का प्रस्ताव।

(ङ) उप महानिदेशकों (DDGs)/ क्षेत्रीय निदेशकों (RD) को शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(च) मुहर लगा कर हैंड बैगेज के वितरण करने संबंधी परिशिष्ट जारी किया गया।

(छ) विनियमित एजेंटों हेतु सुरक्षा कार्यक्रम संबंधित टेम्पलेट में संशोधन।

(ज) हवाई अड्डों पर चेहरा की पहचान करने (FRS) और AI- आधारित सीसीटीवी समाधान से लैस सीसीटीवी निगरानी प्रणाली।

(झ) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम (NCASP)-2024 में आंशिक संशोधन करने से संबंधित कार्यालय ज्ञापन का मसौदा, अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

(ञ) सहायक सेवा प्रदाताओं हेतु सुरक्षा कार्यक्रम संबंधित टेम्पलेट में संशोधन।

(ट) विदेशी नागरिकों द्वारा हवाई अड्डों और एयरलाइनों के सुरक्षा मूल्यांकन/ निरीक्षण/ संपरीक्षण से संबंधित नागर विमानन मंत्रालय के 2019 के दिशानिर्देश।

**(ii) हवाई अड्डों के लिए आकस्मिक योजना:-** भारतीय हवाई अड्डों पर पूर्व में हुए आतंकवादी हमलों से सीखे गए सबक के आधार पर जमीनी स्तर पर त्वरित कार्रवाई दलों को सशक्त बनाने और निष्पादित करने संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। इस संबंध में समिति की रिपोर्ट अनुमोदन के अग्रिम चरण में है।

**(iii) AVSEC आदेशों का डिजिटलीकरण एवं एकीकरण:-** सभी AVSEC आदेशों/ परिपत्रों/ परिशिष्टों के डिजिटलीकरण, एकीकरण और संकलन हेतु एक आठ सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया एवं निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया है :-

1. हवाई अड्डा संचालक नीतियाँ
2. सभी टच प्वाइंट्स पर स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं
3. तकनीकी विनिर्देश, BDDS और डॉग स्क्वाड नीतियां
4. सुरक्षा जांच और फ्लोर प्लान
5. विविध नीतियाँ
6. सुरक्षा कार्यक्रम और सुरक्षा मंज़ूरी
7. प्रशिक्षण
8. आकस्मिक योजनाएं – AHCP और BTCP

**(iv) वायु सुरक्षा नियम, 2025:-** वायु सुरक्षा नियम, 2025 का मसौदा आवश्यक अनुमोदन हेतु नागर विमानन मंत्रालय को भेज दिया गया है।

**(v) विमानन साइबर सुरक्षा विनिर्देश, 2025:-** उभरती साइबर सुरक्षा घटनाओं और विकसित वैश्विक विकास को देखते हुए, विमानन क्षेत्र के हितधारकों के लिए व्यापक विमानन साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए गए।

**(vi) अपहरण-रोधी प्रतिकृति अभ्यास:** विमान अपहरण की परिस्थितियों से निपटने संबंधी AVSEC मैनुअल का मसौदा अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

**(vii) लेवल-1 बैठकों का आयोजन:**

व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से BCAS ने विमानन सुरक्षा हितधारकों के साथ अब तक कुल 25 लेवल – 1 बैठकें आयोजित की हैं। हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की गई और संचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए। BCAS ने कार्गो प्रचालन, ट्रांस- शिपमेंट एवं जीवन रक्षा हेतु ले जाए जाने वाले मानव – अंगों की सुचारु और त्वरित ढुलाई व एयरलाइन सुरक्षा कार्यों पर भी बैठकें आयोजित की हैं।

**(viii) BCAS दिवस समारोह :** दिनांक 01.04.2025 को BCAS का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वर्तमान एवं भविष्य की विमानन सुरक्षा आवश्यकताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। एक कार्यशाला और योग सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्वतजनों ने स्वास्थ्य, कल्याण और तनाव-मुक्ति के महत्व पर जोर दिया।

**(ix) 2025 में सुरक्षा जांच:**

नीति निदेशालय ग्रीनफील्ड और RCS हवाई अड्डों की सुरक्षा जांच भी करता है। वर्ष 2025 के दौरान 06 हवाई अड्डों की अंतिम सुरक्षा जांच और 08 हवाई अड्डों की डिजाइन चरण सुरक्षा जांच की मंजूरी जारी की गई है।

**(x) अंतिम सुरक्षा जांच (हवाई अड्डे):**

हीरासर (राजकोट), नया टर्मिनल भवन प्रयागराज, नया टर्मिनल भवन जेपीएनआई (पटना), नया टर्मिनल भवन डोनी पोलो (ईटानगर), नवी मुंबई।

**(xi) डिजाइन स्तर सुरक्षा जांच (हवाई अड्डे) :**

नया टर्मिनल भवन वाराणसी, मुंद्रा, दरभंगा, जिंदल हवाई अड्डा (ओडिशा), आगरा, न्यू टर्मिनल बिल्डिंग हिसार, बिहटा।

## 4.3 तकनीकी एवं नवाचार निदेशालय

यह निदेशालय मुख्य रूप से भारत में नागरिक हवाई अड्डों पर स्थापित सुरक्षा और जांच उपकरणों सहित अन्य उपकरणों हेतु परीक्षण निर्देशों और तकनीकी विशिष्टताओं की अनुशंसा करता है। यह निदेशालय भारत में हवाई अड्डों पर आगामी और नवीनतम तकनीकी समाविष्ट करने और उनके अनुकूलन हेतु प्रयासरत है। इसे कार्यबल सर्वेक्षण/ पुनः सर्वेक्षण करने, K9 और BCAS वेबसाइट प्रबंधन और उन्नयन के लिए दिशानिर्देश/मानदंड जारी करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यह BCAS मुख्यालय में विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी और हवाई अड्डों पर बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम (BACS) के प्रवर्तन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। विभिन्न परियोजनाओ से संबंधित मामलों हेतु ECIL, NIC, CDAC तथा अन्य संगठनों के साथ नियमित तकनीकी समन्वय भी बनाए रखता है। यह निदेशालय, विभिन्न संस्थाओं हेतु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रशिक्षण, निरीक्षण और अनुपालन के मॉड्यूल के साथ ही, e-BCAS परियोजना के कार्यान्वयन को प्रबंधित व सुनिश्चित करता है। यह निदेशालय, BCAS के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए गए एयरपोर्ट एंट्री परमिट (AEP) के संबंध में निर्देश/ दिशानिर्देश भी जारी करता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी/ भारतीय नागरिकों को AEP जारी करने हेतु केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षा मंज़ूरी भी प्राप्त की जा रही है। यह यूएस फेडरल एयर मार्शल (एफ़एएम) तथा जर्मन एफ़एएम के आवागमन तथा विदेशी नागरिकों को AEP/ TAEP जारी करने/ नवीनीकरण (बायोमेट्रिक AEP सहित) हेतु केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पृष्ठभूमि की जांच के माध्यम से सुरक्षा मंज़ूरी भी प्राप्त करता है। इस निदेशालय को CPGRAM, एयरसेवा तथा BCAS से संबंधित RTI

मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

### (i) Major Initiatives:

**(क) कार्यबल सर्वेक्षण/ पुनर्सर्वेक्षण :** वर्ष 2025 के दौरान, इस निदेशालय को देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर सुरक्षा कार्यबल बढ़ाने के लिए 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनकी गहन जांच की गई और स्थायी समिति के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद जनशक्ति को अंतिम रूप दिया गया।

**(ख) AI आधारित CCTV प्रणाली हेतु तकनीकी विनिर्देश :** BCAS की तकनीकी समिति ने सभी नागरिक हवाई अड्डों पर AI आधारित CCTV प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी विशिष्टताओं और कार्यात्मक आवश्यकता विशिष्टता (FRS) को अंतिम रूप दे दिया है, जो नागर विमानन मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात जारी होने पर विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित होगा।

**(ग) BCAS वेबसाइट का पुनः डिजाइन, उन्नयन और पुनरारंभ :** नई BCAS वेबसाइट (https://bcasindia.gov.in) को पुनः डिजाइन, अपग्रेड और लॉन्च करने के लिए एक बड़ी पहल की गई है, ताकि इसके यूजर इंटरफेस को खासकर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। BCAS ने आम जनता के बीच सूचना के प्रवाह को बढ़ाने और बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ BCAS वेबसाइट के नए उन्नत संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।

**(घ) अभिगम नियंत्रण प्रणाली का उन्नयन कर बायोमेट्रिक आधारित बनाना :** देश के सभी हवाई अड्डों अभिगम नियंत्रण हेतु चेहरे की पहचान आधारित प्रणाली, विभिन्न हितधारकों एवं उद्योग विशेषज्ञों के परामर्श से वेब- आधारित एप्लिकेशन के डिजाइन और विकास के अग्रिम चरण में है। यह प्रणाली देश के सभी नागरिक हवाई अड्डों पर लागू की जाएगी और यह मौजूदा केंद्रीकृत अभिगम नियंत्रण प्रणाली (CACS) का उन्नयन और प्रतिस्थापन करेगी, जो वर्तमान में 48 हवाई अड्डों पर लागू है। प्रक्रिया को सुगम और सुव्यवस्थित करना और सुरक्षा से समझौता किए बिना देरी कम करना।

**(ङ) e-BCAS पोर्टल और मॉड्यूल :** BCAS ने विभिन्न हितधारकों की व्यापार सुगमता के लिए मौजूदा ई-BCAS पोर्टल के उन्नयन, विकास और 2.0 संस्करण में स्थानांतरण के अतिरिक्त ई-सहज पोर्टल के साथ इसके एकीकरण को अंतिम रूप दिया है। e-BCAS 2.0 प्रस्ताव, सुरक्षा कार्यक्रम और AVSEC प्रशिक्षण के अनुमोदन की प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और स्वचालन में प्रस्तावित उन्नयन सहित अनुमोदन के उन्नत चरण में है और सुरक्षा नियमों का विस्तृत पर्यवेक्षण और अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है। अधिकांश सुरक्षा नियामक प्रक्रियाओं, प्रमाणन और अनुमोदनों को डिजिटल और स्वचालित करने के लिए कार्यबल सर्वेक्षण, सुरक्षा जांच, फ्लोर प्लान अनुमोदन, आकस्मिक योजनाओं (BTCP और AHCP) के अनुमोदन, हवाई अड्डों पर AEP जारी करने हेतु अभिगम नियंत्रण आदि के लिए e-BCAS संस्करण 2.0 में विभिन्न नए मॉड्यूल विकसित करने का भी प्रस्ताव है। यह पारदर्शी तरीके से अनुमोदन और प्रमाणन हेतु त्वरित और डिजिटल प्रक्रिया की व्यवस्था करेगा।

**(च) लोक शिकायत निवारण :** कम से कम 123 शिकायतों का सीपीग्राम (केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) के माध्यम से सहानुभूतिपूर्वक निपटान किया गया।

**(छ) पृष्ठभूमि जांच :** इस निदेशालय ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों यानी आईबी और रॉ के समन्वय से वर्ष 2025 में कम से कम 705 विदेशी नागरिकों की पृष्ठभूमि की जांच की है।

**(ज) UAS और जर्मन FAM (फेडरल एयर मार्शल):** इस निदेशालय द्वारा वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न हवाई अड्डों पर यूएस फेडरल एयर मार्शल (FAM) और जर्मन फेडरल एयर मार्शल की यात्रा हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं और सामयिक अनुमति सुनिश्चित की गई।

**(झ) अनधिकृत ड्रोन हेतु SOP और तकनीकी विशिष्टताओं को अंतिम रूप देना :** ADS (एंटी ड्रोन सिस्टम) की SOP पर उपसमिति के सदस्यों के साथ दो बैठकों में विचार विमर्श के पश्चात यह प्रस्ताव अंतिम रूप देने हेतु अग्रिम चरण में है। SOP को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ADS (एंटी ड्रोन सिस्टम) के तकनीकी विनिर्देशों और परीक्षण निर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

**(ञ) स्वदेशी परीक्षण प्रयोगशाला और भारत मानक का विकास :** BCAS, हवाई अड्डों पर उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपकरणों के परीक्षण और प्रमाणन हेतु विभिन्न संगठनों (DRDO, NABL, BIS, NFSU, RRU) के साथ लगातार संपर्क में है। NFSU और RRU ने सुरक्षा उपकरणों के परीक्षण और प्रमाणन हेतु प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। BCAS, नागर विमानन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव की जांच कर रहा है। उक्त प्रयोगशाला बनने के बाद, BCAS परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी के परामर्श से भारत मानक तैयार करेगा।

## 4.4 प्रचालन और सहायता सेवा निदेशालय

BCAS हवाई अड्डों पर परिचालन करने वाली संस्थाओं की सुरक्षा मंजूरी के लिए ऑनलाइन ई-सहज पोर्टल को संभालने के साथ-साथ संवेदनशील सामग्रियों की भौतिक जांच से छूट, आरोहण पूर्व सुरक्षा जांच, CISF से संबंधित मुद्दे, नागर विमानन मंत्रालय को मासिक विभागीय आदेश और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दौरे से संबंधित मामलों को संभालने के लिए भी जिम्मेदार है। इस निदेशालय की प्रदर्शन रिपोर्ट और प्राप्त लक्ष्य इस प्रकार हैं:

### (क) NSG मॉक एक्सरसाइज की अनुमति और स्काई मार्शल (IFSO) की तैनाती :

एंटी हाईजैक/काउंटर हाईजैक एक्सरसाइज़ : 36

काउंटर हाईजैक एक्सरसाइज़ : 176

14084 उड़ानों में 40540 स्काई मार्शल (IFSO) की तैनाती

### (ख) विमानन क्षेत्र की संस्थाओं को सुरक्षा मंज़ूरी प्रदान करने से संबंधित सभी मामले :

आवेदक संस्थाएं, BCAS मुख्यालय द्वारा आगामी प्रक्रिया हेतु, क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, निर्धारित विवरणों/ दस्तावेज़ों के साथ ई-सहज पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। BCAS में उपलब्ध जाँच बिंदुओं के अनुसार आवेदनों की जांच की जाती है और यदि आवेदन सभी पात्रता शर्तों को पूरा कर रहा हो तो उसे कंपनी और उसके निदेशक मण्डल (BOD) की पृष्ठभूमि जांच रिपोर्ट पर टिप्पणी/ सूचना हेतु केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों (IB, MHA और RAW) को अग्रेषित किया जाता है। जनवरी – 2025 से दिसंबर 2025 तक ई-सहज के माध्यम से किए गए आवेदनों का विवरण इस प्रकार है :

| वर्ष 2025 | |
|---|---|
| रियायतग्राही | 129 |
| खाद्य प्रतिष्ठान | 03 |
| सहायक सेवा प्रदाता | 587 |
| RA | 14 |
| GHA | 21 |
| फ़्यूल फार्म | 05 |
| PSA | 32 |
| GSA/GSSA | 10 |
| FBO | 01 |
| **वर्ष 2025 में अनुमोदित सुरक्षा मंज़ूरी** | **802** |
| **वर्ष 2025 में अस्वीकृत सुरक्षा मंज़ूरी** | **03** |

### (ग) सुरक्षा कार्यक्रम और सुरक्षा जांच की मंज़ूरी :

यह निदेशालय, संस्थाओं की सुरक्षा जांच व सुरक्षा कार्यक्रमों को भी संसाधित करता है।

वर्ष 2025 का विवरण इस प्रकार है:

सुरक्षा कार्यक्रम (सभी श्रेणियाँ) : 519

सुरक्षा जांच : 490

### (घ) विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दौरा और छूट :

इस प्रभाग को विदेश मंत्रालय से विदेशी प्रतिनिधिमंडल

को आरोहण-पूर्व सुरक्षा जांच में छूट देने और गृह मंत्रालय के VS प्रभाग की तरफ़ से विदेशी गणमान्यों के साथ आने वाले सुरक्षा अधिकारियों द्वारा साथ रखे जाने वाले हथियार/ गोला-बारूद और अन्य सुरक्षा/ तकनीकी/ संचार उपकरणों को ले जाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में, गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर, मौजूदा नियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार, इस प्रभाग को मामला-दर-मामला आधार पर छूट दी गई है। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान, विदेशी प्रतिनिधिमंडल को दी गयी छूट के मामलों की संख्या 1261 है।

## 4.5 कार्मिक प्रमाणन और क्षमता निर्माण निदेशालय :

BCAS का प्रशिक्षण प्रभाग, पूरे भारत में विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण की योजना, विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु ज़िम्मेदार है। यह वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करता है, विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों (ASTIs) को मंज़ूरी देने, निगरानी करने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ ऑनलाइन परीक्षाओं हेतु समन्वय का कार्य भी करता है। यह प्रभाग, ICAO की आवश्यकताओं के मानकीकरण और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट, पुनश्चर्या और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष के दौरान, संरचित प्रशिक्षण और प्रमाणन के माध्यम से सुरक्षा तैयारियों को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए गए।

## 4.6 प्रशिक्षण :

### 1. विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (ASTI) :

इस वर्ष, BCAS ने नौ नए विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों (ASTIs) को मान्यता दी, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर कुल संख्या 45 हो गई। इस विस्तार हेतु स्क्रीनर प्रमाणन के लिए 8,640 सीटें और AVSEC बेसिक पाठ्यक्रम के लिए 4,320 सीटें जोड़ी गईं। इन संस्थानों में प्रशिक्षण को मानकीकृत करके BCAS ने विभिन्न प्रकार के सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 2,458 बैचों का सफ़लतापूर्वक संचालन किया। पूरे भारत में मानकीकृत प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से BCAS ने इस वर्ष सभी प्रशिक्षण संस्थानों के निरीक्षण सहित कुल 36 निरीक्षण किए। इन प्रशिक्षण संस्थानों ने विभिन्न प्रकार के सुरक्षा पाठ्यक्रमों के माध्यम से कुल 2,458 बैचों का संचालन किया।.

### 2. वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर 2025 :

BCAS के प्रशिक्षण प्रभाग ने वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर 2025 को प्रभावी ढंग से लागू किया, जिसमें एडवांस AVSEC पाठ्यक्रम, स्क्रीनर्स का परीक्षण और प्रमाणन तथा AVSEC बेसिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। कैलेंडर को BCAS की वेबसाइट पर अपलोड किया गया और पाठ्यक्रम, निर्धारित समय सीमा के अनुसार आयोजित किए गए थे। इस कैलेंडर के तहत, 1.62 लाख से अधिक विमानन सुरक्षा कर्मी, विभिन्न पाठ्यक्रमों और प्रमाणपत्रों हेतु उपस्थित हुए, जो व्यवस्थित योजना और परिणामोन्मुखी निष्पादन का उदाहरण है।

### 3. AVSEC बेसिक पाठ्यक्रम हेतु ऑनलाइन परीक्षा :

NIELIT के सहयोग से BCAS ने कई शहरों में AVSEC बेसिक और स्क्रीनर प्रमाणन पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की, जिससे देश भर में मानकीकृत, पारदर्शी और एकरूप परीक्षण संभव हुए।

### 4. स्क्रीनर्स का परीक्षण एवं प्रमाणन :

BCAS, नाइलिट के सहयोग से स्वचालित और इनलाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनर्स (ILHBS) हेतु ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर रहा है। इस वर्ष इन कार्यक्रमों के परिमाणस्वरूप 345 स्वचालित प्रमाणन बैचों के माध्यम से 11,007 सफल उम्मीदवार और 42 ILHBS बैचों से 1,197 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जिससे हवाई अड्डों पर प्रमाणित स्क्रीनर्स की उपलब्धता में काफी वृद्धि हुई। परिचालन आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने और प्रशिक्षण की कमी को ठीक करने हेतु अतिरिक्त स्वचालित प्रमाणन परीक्षा स्लॉट,

CISF को आवंटित किए गए थे।

5. **APSU कार्मिकों के लिए विशेष AVSEC बेसिक पाठ्यक्रम:** प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने तथा प्रशिक्षण की कमी और ASTI की क्षमता में कमी को ठीक करने के उद्देश्य से क्षेत्रों/ हवाईअड्डों पर तैनात एपीएसयू कार्मिकों हेतु बेसिक AVSEC पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए विशेष मंज़ूरी दी गई।

6. **ऑनलाइन परीक्षाएं और द्विभाषी प्रश्न पत्र :**

NIELIT के समन्वय से AVSEC बेसिक पाठ्यक्रम, स्क्रीनर्स का परीक्षण और प्रमाणन (स्वचालित व ILHBS) संबंधित परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाती हैं। विमानन कार्मिकों के बीच राजभाषा हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न-पत्र, द्विभाषी रूप से तैयार किए जाते हैं।

7. **एडवांस्ड AVSEC पाठ्यक्रम हेतु नामांकन:** ASTC, नई दिल्ली में एडवांस्ड AVSEC पाठ्यक्रमों हेतु नामांकन, e-BCAS प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं, जहां पात्रता सत्यापित की जाती है और प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए परिणाम अपलोड किए जाते हैं।

8. **प्रशिक्षक एवं संपरीक्षक क्षमता निर्माण:** BCAS ने ASTC, IAA अकादमी में प्रमाणित विशेषज्ञों के राष्ट्रीय पूल को मज़बूत करने के लिए बैचों का आयोजन किया। इस उद्देश्य से BCAS ने 15 प्रशिक्षक पाठ्यक्रम (150 उत्तीर्ण) 10 प्रशिक्षक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (134 उत्तीर्ण), 9 संपरीक्षक पाठ्यक्रम (151 उत्तीर्ण), और 4 संपरीक्षक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (60 उत्तीर्ण) आयोजित किए।

**(क) ICAO प्रायोजित पाठ्यक्रम (ICAO AVSEC प्रबंधक पाठ्यक्रम):** ASTC नई दिल्ली ने विभिन्न हितधारकों के लिए इस पाठ्यक्रम की मेजबानी की। प्रतिभागियों में चार BCAS अधिकारी और मालदीव, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड के पांच विदेशी नागरिकों और संस्थाओं से ग्यारह कार्मिक शामिल थे, जिन्होंने पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया।

**(ख) BCAS में शामिल हुए नए अधिकारियों के लिए विशेष AVSEC बेसिक पाठ्यक्रम:** BCAS में प्रतिनियुक्ति पर शामिल हुए नए अधिकारियों के लिए AVSEC बेसिक पाठ्यक्रम के विशेष बैच आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, ASTC, IAA परिसर में BCAS अधिकारियों के लिए AVSEC प्रशिक्षक और AVSEC संपरीक्षक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

**(ग) संकट प्रबंधन और प्रथम उत्तरदाता अनुरूपित पाठ्यक्रम :** BCAS के प्रशिक्षण प्रभाग ने आपातकालीन तैयारियों में संवर्धन करने के उद्देश्य से, ATCOs, ASGs और एयरलाइनों सहित प्रथम उत्तरदाताओं और हितधारकों के लिए एक स्व-गति, संकट प्रबंधन पाठ्यक्रम, अनुरूपित, विकसित और संचालित किया। अभी तक, 5000 से अधिक प्रतिभागियों ने इस पाठ्यक्रम को सफ़लतापूर्वक पूरा किया है। इसका ऑनलाइन प्रारूप, उच्च अभिगम और प्रशिक्षु- अनुकूल अनुभव सुनिश्चित करता है, जिससे कार्मिकों को परिचालन कर्तव्यों और आवश्यक सुरक्षा प्रशिक्षण को संतुलित करने में सहायता मिलती है।

**(घ) गैर- सुरक्षा कर्मियों हेतु विमानन सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम :** BCAS ने एक दिवसीय ऑनलाइन विमानन सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से 92,921 गैर-सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित किया, जिससे विमानन पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने हेतु 100 प्रतिशत पूर्णता दर प्राप्त की गई।

**(ङ) साइबर सुरक्षा कार्यशालाएं और बम थ्रेट मूल्यांकन मॉड्यूल :** यूनाइटेड किंगडम के परिवहन विभाग (DFT) के सहयोग

से, BCAS ने अपने अधिकारियों के लिए एक हाइब्रिड साइबर सुरक्षा कार्यशाला और एक बम थ्रेट असेसमेंट मॉड्यूल का आयोजन किया, जिसमें क्रमशः 34 और 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन कार्यशालाओं ने विमानन सुरक्षा के उभरते परिदृश्य को समझने हेतु आवश्यक ज्ञान और कौशल में वृद्धि की। बढ़ते वैश्विक साइबर खतरों और बम खतरों के मद्देनजर इस तरह का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अधिकारियों को विमानन पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्नत मूल्यांकन तकनीकों और डिजिटल रक्षा रणनीतियों से लैस करता है।

**(च) IATA-BCAS सहभागिता :** IATA के साथ समझौते के तहत, 38 BCAS अधिकारियों ने सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

**(छ) BCAS द्वारा सुरक्षा कर्मियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम :** 2025 के दौरान विमानन क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों के लिए BCAS द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

AVSEC जागरूकता प्रशिक्षण (ऑनलाइन) - 01 दिन : 92921

AVSEC प्रशिक्षण (विभिन्न पाठ्यक्रम) 02-14 दिन : 69251

कुल योग : 1,62,172

(वर्ष 2025 के पाठ्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न किया गया है)

## 4.7 प्रदूषण नियंत्रण

सभी वाहनों के लिए प्रदूषण परीक्षण सुनिश्चित किया जाता है और सभी BCAS वाहनों की विंडस्क्रीन पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से चिपकाया जाता है। BCAS के सभी कार्यालय, कर्मचारियों की अपनी पहल और प्रदूषण मुक्त वातावरण की दिशा में किए गए प्रयासों के माध्यम से स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल कार्यस्थल सुनिश्चित करते हैं। BCAS यह सुनिश्चित करता है कि सभी नए वाहन "भारत-IV/VI" प्रमाणित हों। ब्यूरो अपने कर्मचारियों को "धुआं मुक्त वातावरण" भी प्रदान करता है।

## 4.8 महिला कल्याण

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) यह सुनिश्चित करता है कि महिला कर्मचारियों की समस्याओं और मुद्दों की सूचना मिलने पर उनका शीघ्र संज्ञान लिया जाए और निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से उनका समाधान किया जाए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए पॉश अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का विधिवत गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने और BCAS के अधिकारियों और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम पर दो जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

## 4.9 राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए BCAS ने 01-दिवसीय AVSEC जागरूकता, बेसिक AVSEC और AVSEC स्क्रीनर पाठ्यक्रमों की परीक्षा द्विभाषी रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया है ताकि विमानन क्षेत्र के साथ-साथ भारत में स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी भाषा का उपयोग बढ़े। हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालयों में निरीक्षण किए गए और अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया। इनका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है।

**अनुलग्नक-II**

**वर्ष 2025 के दौरान विमानन क्षेत्र में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के लिए BCAS द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण**

| क्रम संख्या | AVSEC पाठ्यक्रम का नाम | बैच की संख्या | उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या | उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गैर- सुरक्षा कार्मिकों हेतु एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण | Online | 92921 | 92921 |
| 2 | विमानन सुरक्षा प्रारम्भिक पाठ्यक्रम | 396 | 7189 | 6961 |
| 3 | विमानन सुरक्षा आधारभूत पाठ्यक्रम | 348 | 13924 | 9851 |
| 4 | विमानन सुरक्षा आधारभूत पुनश्चर्या पाठ्यक्रम | 453 | 12066 | 11873 |
| 5 | स्क्रीनर्स का परीक्षण और प्रमाणन (स्वतःपूर्ण) | 345 | 13824 | 11007 |
| 6 | इनलाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनर्स का परीक्षण और प्रमाणन | 42 | 1515 | 1197 |
| 7 | विमानन सुरक्षा कैबिन क्रू पाठ्यक्रम | 178 | 3991 | 3767 |
| 8 | विमानन सुरक्षा कैबिन क्रू पुनश्चर्या पाठ्यक्रम | 654 | 16079 | 15408 |
| 9 | विमानन सुरक्षा प्रशिक्षक पाठ्यक्रम | 15 | 200 | 150 |
| 10 | विमानन सुरक्षा प्रशिक्षक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम | 10 | 139 | 134 |
| 11 | विमानन सुरक्षा संपरीक्षक पाठ्यक्रम | 9 | 191 | 151 |
| 12 | विमानन सुरक्षा संपरीक्षक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम | 4 | 61 | 60 |
| 13 | AVSEC आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम | 2 | 29 | 29 |
| 14 | AVSEC पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम | 1 | 29 | 11 |
| 15 | AVSEC सुरक्षा कार्गो पाठ्यक्रम | 1 | 14 | 9 |
| | **कुल** | **2458** | **162172** | **153529** |

# 5. रेल संरक्षा आयोग

## 5.1 परिचय

रेल संरक्षा आयोग भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करता है, जो रेल परिवहनमें संरक्षा से संबंधित मामलों से निपटता है और इसे रेल अधिनियम 1989 एवं मेट्रो रेल (पर्चालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 में निर्धारित कुछ वैधानिक कार्यों का प्रभार दिया गया है। ये कार्य निरीक्षणात्मक, अन्वेषणात्मक और सलाहकारी प्रकृति के हैं । आयोग रेल अधिनियम के तहत बनाए गए कुछ नियमों और समय-समय पर जारी कार्यकारी निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्री यातायात के लिए खोली जाने वाली कोई भी नई रेल लाइन रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों और विशिष्टताओं के अनुरूप हो और नई लाइन यात्री यातायात के लिए सभी प्रकार से सुरक्षित हो। यह आमान परिवर्तन, लाइनों के दोहरीकरण/ तिगुनी/ चौगुनीकरण आदि जैसे कार्यों पर भी लागू होता है। आयोग गंभीर रेल दुर्घटनाओं की वैधानिक जांच भी करता है और रेलवे एवं मेट्रो रेलवे में संरक्षा में सुधार के लिए अनुशंसाएं करता है।

## 5.2 संगठनात्मक संरचना

रेल संरक्षा आयोग का नेतृत्व मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त करते हैं जो आयोग के संरक्षा संबंधी मामलों में केंद्र सरकार (रेल मंत्रालय) के प्रधान तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को 05 उप रेल संरक्षा आयुक्त और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में दो विंग हैं अर्थात रेल संरक्षा विंग जो प्रशासनिक मामलों को देखता है और तकनीकी विंग जो तकनीकी मामलों को देखता है।

देशभर में 09 रेल संरक्षा आयुक्त और 01 मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। प्रत्येक परिमण्ड़ल कार्यालय का नेतृत्व रेल संरक्षा आयुक्त / मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त करता है और 01 उप रेल संरक्षा आयुक्त / उप मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त तथा अन्य सहायक कर्मचारी उनकी सहायता करते हैं।

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त / रेल संरक्षा आयुक्त / मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त का पद वैधानिक है और वे रेल अधिकारियों में से समामेलन के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। हालांकि, उप रेल संरक्षा आयुक्त / उप मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त का पद वैधानिक नहीं है और यह रेलवे से प्रतिनियुक्ति के आधार पर आते हैं और अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के बाद रेलवे में वापस चले जाते हैं।

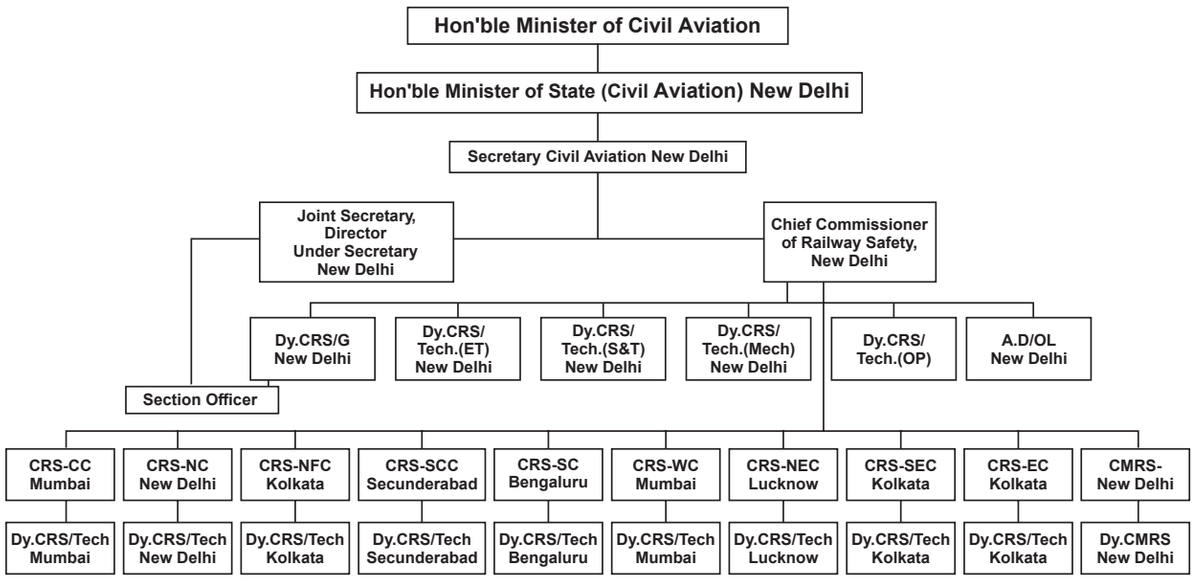

## 5.3 कार्य

### रेल संरक्षा आयुक्त / मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त के कार्य

क. नई रेलवे/ मेट्रो रेल्वे लाइनें खोलने के लिए प्राधिकार प्रदान करना।

ख. गंभीर रेल दुर्घटनाओं की जांच करना।

ग. संशोधनों के साथ संबंधित लघु कार्यों के निष्पादन हेतु स्वीकृति ।

घ. आयामों की अनुसूची के उल्लंघन की छूट, भारतीय रेलवे पर अति आयामी परेषणों (ODC) के संचलन की स्वीकृति ।

ङ. चलित लाइनों और अन्य रेलवे/मेट्रो रेलवे परिसंपत्तियों का आवधिक निरीक्षण।

### मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के कार्य

क. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त रेल संरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केंद्र सरकार के प्रमुख तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।

ख. रेल मंत्रालय और रेलवे सुरक्षा आयोग के बीच विवादों का समाधान करना ।

ग. नए चल स्टॉक की शुरूआत और मौजूदा चल स्टॉक की गति में वृद्धि।

घ. चल स्टॉक के मामले में भारतीय रेलवे आयामों की अनुसूची के उल्लंघन की माफी।

ङ. जब भी ऐसा संदर्भित हो, सामान्य नियमों, रेलवे खोलने के नियमों, आयामों की अनुसूची आदि में संशोधन के लिए रेलवे बोर्ड के प्रस्तावों की जांच करना।

च. प्रशासनिक कार्य- पदोन्नति/पदस्थापना, रिक्तियों की भर्ती, वार्षिक रिपोर्ट, प्रकाशन।

### नागर विमानन मंत्रालय की भूमिका

रेल संरक्षा आयोग नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। रेल संरक्षा आयोग तकनीकी मामलों में कार्यात्मक स्वायत्तता का प्रयोग करता रहा है, जबकि नागर विमानन मंत्रालय प्रशासनिक, स्थापना और

वित्तीय मुद्दों से संबंधित मामलों को देखता है।

## 5.4 क्रियाकलाप/ उपलब्धियां

| मुख्य क्रियाकलाप | आंकडे (01.01.25 से 31.12.25 तक) |
|---|---|
| **निरीक्षित और प्राधिकृत की गई रेल लाइनें (कि.मी.)** | |
| अतिरिक्त लाइनें/दोहरीकरण | 1275.92 |
| नई लाइनें | 615.873 |
| आमान परिवर्तन | 231.209 |
| लघु निर्माण कार्यों के लिए संस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या | 1107 |
| चल स्टाक के स्वीकृत/अग्रेषित मामलों की संख्या | 31 |
| **निरीक्षित और प्राधिकृत की गई मेट्रो रेल लाइनें (कि.मी.)** | |
| नई लाइनें | 179.713 |

## 5.5 हिन्दी के प्रयोग की प्रगति

आयोग परिमण्ड़ल कार्यालयों के बीच हिंदी में पत्राचार को अधिकतम करने के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। इसके परिणामस्वरूप मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के निरन्तर प्रयासों के बाद 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र (राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार वर्गीकृत) में स्थित परिमण्डल कार्यालय द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान हिन्दी में क्रमशः 100 प्रतिशत, 100 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत का उत्साह जनक लक्ष्य प्राप्त किया है। आयोग ने 14 सितम्बर 2025 को हिंदी दिवस के अवसर पर आयोग की अपनी हिंदी गृह पत्रिका 'सुरुचि' 2025 का प्रकाशन किया । हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मध्य परिमण्डल, मुंबई को प्रथम स्थान के लिए राजभाषा शील्ड प्रदान किया गया। द्वितीय स्थान के लिए दक्षिण परिमंडल एवं तृतीय स्थान हेतु उत्तर एवं पश्चिम परिमंडल को संयुक्त रूप से पुरस्कार प्रदान किया गया।

## 5.6 स्वच्छता एवं प्रदूषण नियंत्रण

रेल संरक्षा आयोग के कार्यालयों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यालय परिसर को सदैव साफ-सुथरा रखा जाता है। आयोग के सभी कार्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा भी सफलतापूर्वक मनाया गया। कार्यालय परिसर में धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित है। पर्यावरण को स्वच्छ एवं हरा-भरा बनाने के लिए कार्यालय परिसर में अधिकाधिक वृक्षारोपण किया गया है।

## 5.7 लिंग बजटीय आंकड़ों सहित महिला कल्याण

रेल संरक्षा आयोग के कार्यालय सामान्यतः रेलवे कार्यालय परिसरों में स्थित हैं और वे सुविधांए जो वहाँ दी जाती हैं जैसे प्रसाधन, शिशु-पालन और टिफन रूम इत्यादि, आयोग के महिला कर्मचारियों को भी प्राप्त हैं। महिला कर्मचारियों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

## 5.8 लोक शिकायत निवारण मशीनरी

सामान्यतः रेल संरक्षा आयोग में आम लोगों से संबंधित कार्य नहीं किए जाते हैं तथापि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का पूर्णतः पालन किया गया है। इसके अलावा, रेल संरक्षा आयोग (CPGRAMS) पोर्टल पर सभी शिकायतों का सक्रिय रूप से निवारण कर रहा है। रेल संरक्षा आयोग शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए ई-आफिस स्तर पर भी कार्य करता है।

## 5.9 पूर्वोत्तर में विकास के लिए चलायी जा रही गतिविधियों से संबंधित मुद्दे

पूर्वोत्तर में रेल संरक्षा आयोग को किसी भी प्रकार की विकासात्मक गतिविधियाँ करने का अधिकार नहीं है।

## 5.10 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार रेल संरक्षा आयोग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

रेल संरक्षा आयोग के परिमण्ड़ल कार्यालयों में, केवल अवर श्रेणी लिपिक के पद सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाते हैं। अन्य सभी पद पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन पद्धति से भरे जाते हैं। वर्तमान में, आयोग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का विवरण इस प्रकार है:

| संगठन का नाम | कुल कर्मचारियों की संख्या | अनुसूचित जाति कर्मचारियों की कुल सं. | प्रतिशत (लगभग) | अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की कुल सं. | प्रतिशत (लगभग) | अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों की कुल सं. | प्रतिशत (लगभग) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेल संरक्षा आयोग | 112 | 19 | 16.96 | 03 | 2.67 | 10 | 8.92 |

## रेल संरक्षा आयोग के कार्यालय में SC/ST, OBC, PwD, EWS और EX-SERVICEMEN से संबंधित संपर्क अधिकारी

| सं. | रेल संरक्षा आयोग के कार्यालय | संपर्क अधिकारी का नाम | पद | E-mail Id. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली | श्री अविनाश कुमार | रेल संरक्षा उपायुक्त | avinash.kumar17@gov.in |
| 2. | मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली | श्री अविनाश कुमार | रेल संरक्षा उपायुक्त | avinash.kumar17@gov.in |
| 3. | रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, उत्तर परिमण्डल, नई दिल्ली | श्री दीपक कुमार | रेल संरक्षा उपायुक्त | deepak.viraat@gov.in |
| 4. | रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, उत्तर पूर्व परिमण्डल, लखनऊ | श्री आशीष पांडे | रेल संरक्षा उपायुक्त | ashish.pandey@gov.in |
| 5. | रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, दक्षिण मध्य परिमण्ड़ल, सिकन्द्राबाद | श्री जी. श्रीनिवास राव | रेल संरक्षा उपायुक्त | gseenu.14@gov.in |
| 6. | रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, दक्षिण परिमण्डल, बेंगलुरू | श्री नीतीश कुमार रंजन | रेल संरक्षा उपायुक्त | nitish.ranjan@gov.in |
| 7. | रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, मध्य परिमण्ड़ल, मुम्बई | श्री प्रसन्न कुमार कटारिया | रेल संरक्षा उपायुक्त | prasanna.kataria@gov.in |
| 8. | रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, पश्चिम परिमण्ड़ल, मुम्बई | श्री देव प्रकाश | रेल संरक्षा उपायुक्त | devprakash.67@gov.in |
| 9. | रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, पूर्व परिमण्डल, कोलकाता | श्री मोनिरुल इस्लाम खान | रेल संरक्षा उपायुक्त | monirul.1305@gov.in |
| 10. | रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, दक्षिण पूर्व परिमण्ड़ल, कोलकाता | श्री ज्योतिर्मय रे | रेल संरक्षा उपायुक्त | jyotirmoy.ray@gov.in |
| 11. | रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय, पूर्वोत्तर सीमान्त परिमण्ड़ल, कोलकाता | श्री ज्योतिर्मय रे | रेल संरक्षा उपायुक्त | jyotirmoy.ray@gov.in |

रेल संरक्षा आयोग के पास एक समर्पित आरक्षण प्रकोष्ठ नहीं है, लेकिन प्रत्येक मंडल कार्यालय में संपर्क अधिकारी हैं।

## 5.11 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

रेल संरक्षा आयोग वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए भारत सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य करता है। इसके अलावा, रेल संरक्षा आयोग, जब भी आवश्यकता हो, सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा के आधार पर पुनः नियोजित करता है।

## 5.12 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

आयोग दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के सभी निर्देशों का पालन करता है।

## 5.13 सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप

रेल संरक्षा आयोग अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन परिमण्डलों के सतर्कता संबंधी क्रियाकलापों की निगरानी और समन्वय करते हैं। दिनांक 27.10.2025 से 02.11.2025 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी आयोजित किया गया था जिसमें आयोग द्वारा विभिन्न संवेदनशील अभियान आयोजित किए गए ।

## 5.14 नागरिक चार्टर

रेल संरक्षा आयोग द्वारा नागरिक चार्टर के अनुसार सभी समय-सीमाओं और दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

## 5.15 साइबर सुरक्षा

रेल संरक्षा आयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों/ दिशानिर्देशों का पालन करता है।

# 6. वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो

## 6.1 परिचय

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) द्वारा जारी मानकों और अनुशंसित पद्धतियों (SARPs) के अनुसार और विनियामक कार्य से अन्वेषण कार्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए; भारत सरकार ने (नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA), भारत) से स्वतंत्र नागर विमानन मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB) की दिनांक 30 जुलाई 2012 को स्थापना की गई थी। जांच के संचालन में कार्यात्मक स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए AAIB को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।

## 6.2 संगठन

i. AAIB नागर विमानन मंत्रालय (MOCA) का एक संबद्ध कार्यालय है, जिसकी स्थापना 30.07.2012 के एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से की गई थी। इसके अतिरिक्त, AAIB को विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से वैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसे भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 में बरकरार रखा गया है।

ii. वर्तमान में, AAIB में तकनीकी पद अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं। गैर-तकनीकी पद केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) और केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (CSSS) आदि के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं।

iii. AAIB का प्रशासन महानिदेशक (DG), AAIB के पास निहित है।

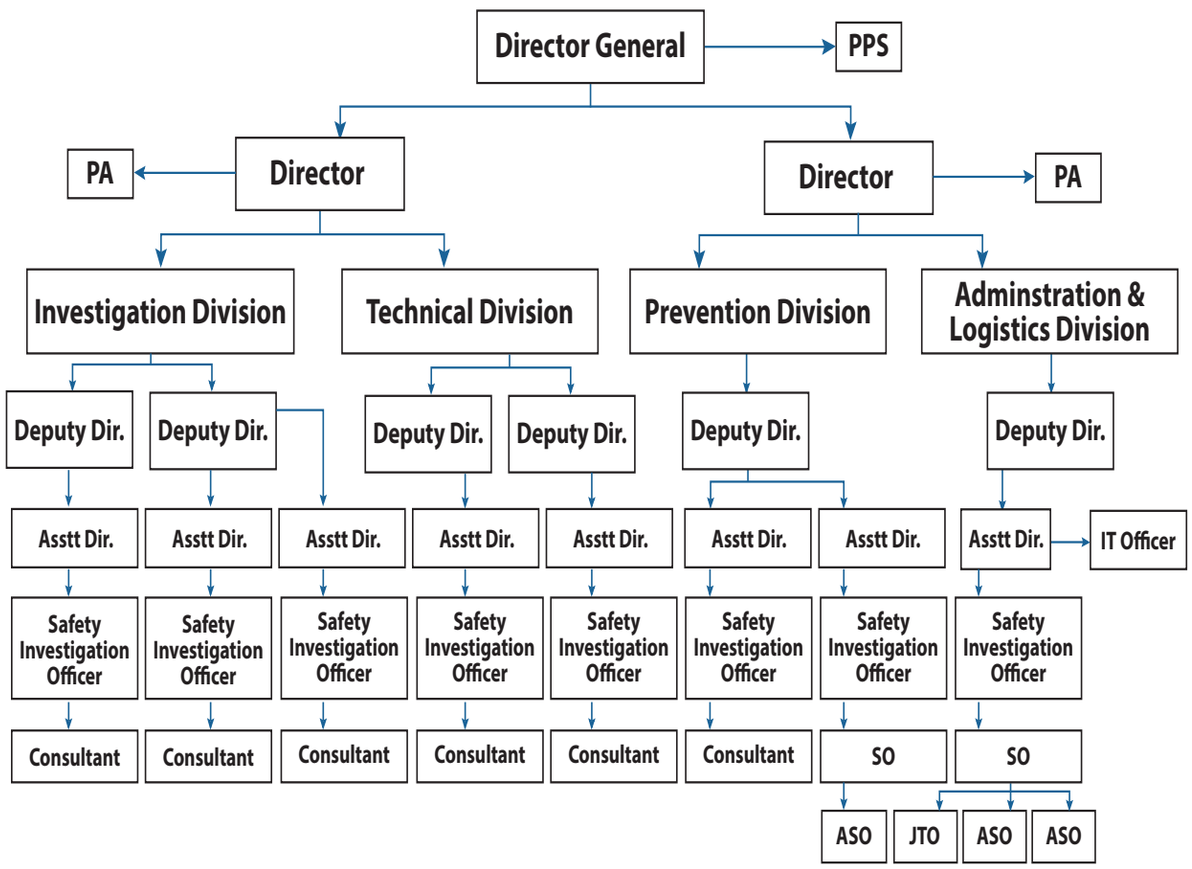

## 6.3 कार्य

AAIB निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, जिसमें शामिल हैं:

- घटना का वर्गीकरण करना और जांच स्थापित करना एवं इन नियमों के तहत औपचारिक जांच के मामले में केंद्र सरकार को सहयोग प्रदान करना;
- जब भी आवश्यक हो जाँच और जाँच के प्रशासनिक कार्य को सुकर बनाना;
- नियम 9 के उप-नियम (1) या नियम 7 के उप-नियम (3) के तहत किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों से नियम 9 के तहत प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त करना;
- वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्टों को संसाधित करना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

  i. महानिदेशक, AAIB द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति और महानिदेशक, AAIB द्वारा, जैसे भी वह उचित समझे उस ढंग से रिपोर्ट को सार्वजनिक करना

  ii. केंद्र सरकार द्वारा नियम 14 के उप-नियम (2) के तहत या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सार्वजनिक की गई अंतिम रिपोर्ट को अनुबंध 13 के तहत राज्यों को अग्रेषित करना

  iii. केंद्र सरकार या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सार्वजनिक की गई अंतिम रिपोर्ट को ICAO को अग्रेषित करना यदि दुर्घटना या घटना में शामिल वायुयान का मास 5,700 किलोग्राम से अधिक है।
- समय-समय पर आयोजित सुरक्षा अध्ययनों के आधार पर सुरक्षा अनुशंसाओं को तैयार करना जिसमे सुरक्षा बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का समावेशन शामिल है।
- वास्तविक या संभावित सुरक्षा त्रुटियों की जानकारी के प्रभावी विश्लेषण के लिए दुर्घटना और गंभीर घटना डेटाबेस स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना;
- समय-समय पर यथासंशोधित 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित अभिसमय के अनुबंध 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार के दायित्वों को प्रक्रिया में लाना;
- जांच रिपोर्टों और सुरक्षा अध्ययनों में की गई अनुशंसाओं को नागर विमानन महानिदेशालय और अन्य विनियामक प्राधिकरणों को उनकी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अग्रेषित करना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना;
- वैश्विक महत्व की सुरक्षा अनुशंसा (SRGC) को जारी करने और दिनांकित संचारित पत्राचार में इसकी प्रतिक्रियाओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) को सूचित करना, भले ही वैश्विक महत्व की सुरक्षा अनुशंसा (SRGC), अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को संबोधित न हो; तथा

कोई अन्य कार्य, जों इन नियमों के तहत समय-समय पर केंद्र सरकार वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो को निष्पादित करने के लिए कह सकती है।

### दुर्घटना/ गंभीर घटना जाँच

- दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक कुल 114 दुर्घटनाओं में से 94 दुर्घटनाओं की जांच पूरी कर ली गई है।
- 31 दिसम्बर, 2024 तक कुल 129 गंभीर घटनाओं में से 113 गंभीर घटनाओं की जाँच पूरी कर ली गई है।
- अंतिम जांच रिपोर्टें AAIB की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- 12 जून 2025 को AAIB को अहमदाबाद से गैटविक जा रही एयर इंडिया फ्लाइट AI171 (बोइंग 787, पंजीकरण VT-ANB) से जुड़ी एक दुर्घटना के बारे में सूचित किया गया था।

विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2025 के अनुसार दुर्घटना की जांच AAIB द्वारा की जा रही है। दुर्घटना पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट AAIB द्वारा 12.07.2025 को प्रकाशित की गई है और उनकी वेबसाइट www.aaib.gov.in पर उपलब्ध है। रिपोर्ट में उस समय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तथ्यात्मक जानकारी शामिल है। दुर्घटना के सभी संभावित कारणों की जांच की जा रही है। किसी दुर्घटना या घटना की जांच का एकमात्र उद्देश्य रोकथाम होना चाहिए।

### 01 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक दिए गए जांच के आदेश

वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम 2017/2025 के नियम 11 के तहत महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कुल 10 दुर्घटनाओं और 06 गंभीर घटनाओं की जांच के आदेश दिए गए।

## 6.4 उपलब्धियाँ:

- **13वी APAC-AIG बैठक:** AAIB ने 28.10.2025 से 31.10.2025 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 13वीं ICAO एशिया-प्रशांत दुर्घटना अन्वेषण समूह (APAC-AIG) की बैठक की मेजबानी की। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ICAO के सदस्य देशों ने इस बैठक में भाग लिया। समूह की इस बैठक का उद्देश्य दुर्घटना/घटना अन्वेषण प्राधिकरणों के बीच विशेषज्ञता, अनुभव और जानकारी साझा करना और उनके बीच सहयोग विकसित करना और मजबूत करना था।
- **42वीं ICAO महासभा:** मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित 42वीं महासभा के दौरान, भारत ने विश्व स्तर पर स्केलेबल, लागत प्रभावी विमानन सुरक्षा समाधान विकसित करने और दुर्घटना जांच फ्रेमवर्क को मजबूत करने पर सूचना पत्र (अप्रोच पर CFIT दुर्घटनाओं की रोकथाम) प्रस्तुत किया, जिसमें ICAO और इसके APAC क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आगे नीतिगत विचार के लिए प्रमुख सिफारिशें ली गईं। इस जुड़ाव ने अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन में एक उभरते वैश्विक नेतृत्व के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया।
- **वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2025:** वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2025 को G.S.R. 829 (E) दिनांक 07 नवंबर 2025 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। इन नियमों में भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 तथा ICAO उपाबद्ध 13 में किए गए संशोधनों के अनुरूप संशोधन किए गए हैं।
- **समझौता ज्ञापन:** अन्वेषण में सहायता एवं दुर्घटनाओं अन्वेषणों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए AAIB और राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (NAL), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला (DMRL) के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

## 6.5. विविध

- AAIB ने उड़ान भवन में डेटा डाउनलोड करने और सीवीआर रिप्ले के लिए अपनी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लैब का पहला चरण स्थापित किया है।
- सभी स्वीकृत रिपोर्टों में प्रभारी अन्वेषणकर्ता द्वारा की गई सुरक्षा अनुशंसाओं को इसके कार्यान्वयन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय को अग्रेषित किया गया।
- AAIB कार्यालय द्वारा "स्वच्छता अभियान" का आयोजन किया गया।
- AAIB कार्यालय द्वारा "हिंदी पखवाड़ा" भी मनाया गया।
- सतर्कता अभियान और सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी मनाया गया।
- वर्ष 2025 के दौरान AAIB ने फाइलों पर 80% से अधिक टिप्पणी हिंदी में करने का लक्ष्य प्राप्त किया और अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। AAIB नियमित रूप से हिंदी बैठकें आयोजित कर रहा है।

# 7. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

## 7.1 प्रस्तावना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (IGRUA), नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्यधीन देश में एकमात्र उड़ान प्रशिक्षण संस्थान है। IGRUA की स्थापना 07 नवम्बर 1985 को रायबरेली, उत्तर प्रदेश के निकट अमेठी जिले के फुरसतगंज में, देश के वाणिज्यिक पायलटों के उड़ान मानकों तथा स्थल प्रशिक्षण के परिमाण में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी।

अपनी स्थापना के लगभग पिछले चार दशकों के दौरान IGRUA द्वारा देश के लिए उत्तम पायलट तैयार किए गए हैं जिससे भारतीय विमानन उद्योग के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया जा सका है।

## 7.2 संगठन संरचना

IGRUA सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त निकाय है। IGRUA सोसायटी का संचालन नागर विमानन मंत्रालय के पदेन सचिव की अध्यक्षता में शासी परिषद द्वारा किया जाता है ।

अकादमी का नेतृत्व एक निदेशक द्वारा किया जाता है, जिन्हें विभागीय/अनुभागीय प्रमुखों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। IGRUA के संचालन का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है।

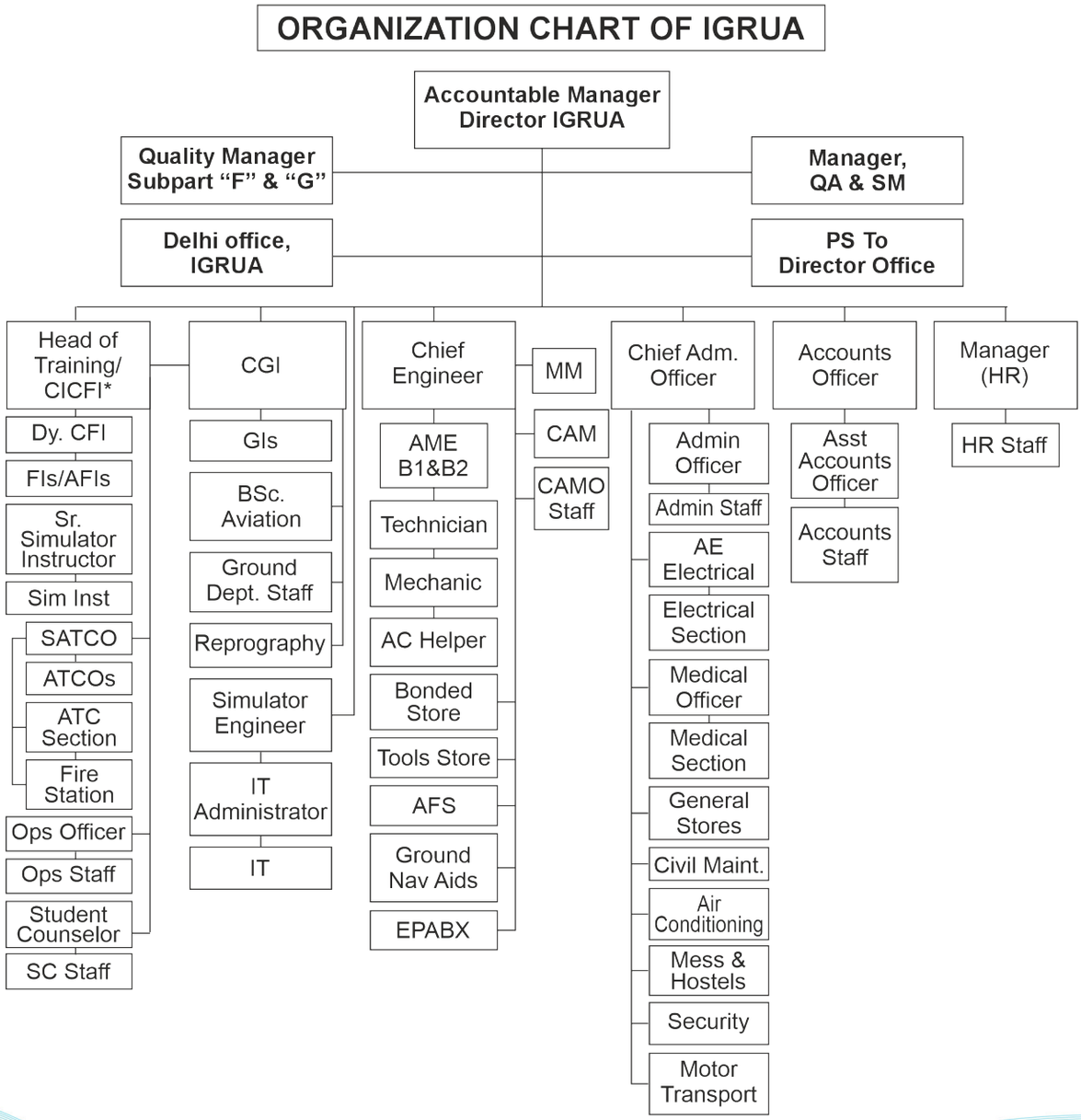

## 7.3 लक्ष्य

IGRUA का व्यापक उद्देश्य राष्ट्रीय हित में वैमानिकी एवं नागर विमानन विज्ञान को बढ़ावा देना और उसका विकास करना है तथा इस सुविधा का विस्तार विदेशी नागरिकों तक भी करना है। इस प्रक्रिया में अकादमी समकालीन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एयरलाइन उन्मुख उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करती है।

अकादमी द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

- फिक्स्ड विंग विमान पर एब-इनिशियो से CPL तक का उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जिसमें इंस्ट्रूमेंट रेटिंग एवं मल्टी-इंजन एंडोर्समेंट शामिल हैं।
- FSTC के साथ MoU के माध्यम से एयरबस-320, बोइंग-737, ATR-72 एवं Q-400 जैसे वाणिज्यिक विमानों पर टाइप रेटेड पायलट तैयार करने हेतु टाइप ट्रेनिंग, जिससे कैडेट विभिन्न एयरलाइनों में नियुक्ति हेतु उद्योग-तैयार बन सकें। यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2023-24 से IGRUA में प्रवेश लेने वाले उड़ान कैडेटों के लिए अतिरिक्त आकर्षण है।
- राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के माध्यम से IGRUA CPL एवं AME प्रशिक्षुओं के लिए B.SC(एविएशन) तथा B.SC(AME) में तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम।
- मेसर्स ड्रोन डेस्टिनेशन के सहयोग से सूक्ष्म और लघु श्रेणी के ड्रोन दोनों पर पेशेवर आरपीएएस पायलट बनने के लिए 5 दिवसीय DGCA प्रमाणित ड्रोन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- DGCA द्वारा अनुमोदित RPTOs के प्रशिक्षकों को ड्रोन प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु "ट्रेन द इंस्ट्रक्टर" 7-दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, IGRUA एवं मेसर्स ड्रोन डेस्टिनेशन के सहयोग से।
- पायलट अभ्यर्थियों हेतु इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रशिक्षण एवं परीक्षण।
- DA-42 विमान पर CRM एवं मल्टी-क्रू कन्वर्ज़न कोर्स।
- विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कैडेटों के लिए भारतीय CPL जारी करने हेतु कन्वर्ज़न प्रशिक्षण।
- नौसेना एवं तटरक्षक बल के अधिकारी कैडेटों को उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करना।
- उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमाणित फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स एवं पायलट इंस्ट्रक्टर्स के लिए रिफ्रेशर कोर्स।
- असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग (A) एवं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग (A) के पाठ्यक्रम।
- आवश्यकता के आधार पर IGRUA के पूर्व छात्रों हेतु लाइसेंस नवीनीकरण के लिए स्किल टेस्ट।
- डायमंड DA-40 एवं डायमंड DA-42 विमानों के फ्लाइट नेविगेशन प्रोसीजर ट्रेनर्स पर सिम्युलेटर प्रशिक्षण एवं चेक।
- DGCA द्वारा अनुमोदित एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम कर रहे छात्रों हेतु विमान पर ऑन-जॉब प्रशिक्षण।
- इंजीनियरिंग स्नातकों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- AME कंटिन्यूएशन प्रशिक्षण।
- तीन वर्षीय एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग (AME) पाठ्यक्रम।

## 7.4 अवसंरचना

**सार संक्षेप:** अकादमी अत्याधुनिक प्रशिक्षक विमान, दृश्य प्रणाली के साथ FNPTs और CPTs के रूप में आधुनिक सिमुलेटर, अद्यतन ऑडियो-विजुअल प्रशिक्षण सहायता, पर्याप्त अध्ययन सामग्री से सुसज्जित दो पुस्तकालय, आंतरिक मूल्यांकन के लिए कम्प्यूटरीकृत परीक्षा कक्ष और प्रभावी थल प्रशिक्षण के लिए अन्य सुविधाओं से सुसज्जित है। यह फ्लाइंग कैडेटों को सफलतापूर्वक लाइन ओरिएंटेड फ्लाइंग ट्रेनिंग (LOFT) प्रदान करने के लिए विमानन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले योग्य फ्लाइंग, सिम्युलेटर और ग्राउंड प्रशिक्षकों को नियुक्त करता है। IGRUA का उद्देश्य न केवल पायलट बनाने के लिए उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करना है, बल्कि उसे वैमानिकी में एक प्रभावी सिस्टम मैनेजर के रूप में ढालना भी है। अकादमी के उड़ान प्रशिक्षु एयरलाइंस के कॉकपिट में अपने पारगमन के लिए आवश्यक मानकों को सरलता से हासिल कर लेते हैं।

अकादमी के पास अविश्वसनीय बुनियादी ढांचा है जो इंटरमीडिएट (10+2) स्तर के व्यक्ति को B.Sc. (विमानन), में डिग्री प्राप्त करने के विकल्प के साथ एक आत्मविश्वासी वाणिज्यिक पायलट में बदलने की सुविधा प्रदान करता है जो एयरलाइंस द्वारा शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त है। यहां चार हॉस्टल (महिलाओं के लिए दो अलग हॉस्टल सहित) स्थापित हैं जिनमें 248 पुरूष एवं 48 महिला विद्यार्थी द्विभागिता आधार पर निवास कर सकते हैं। IGRUA परिसर में कर्मचारियों के लिए आवास परिसर भी है। प्रचालनात्मक क्षेत्र में समानांतर टैक्सी ट्रैक, फाइव लिंक्स, डिस्पर्सल क्षेत्र तथा तीन हैंगरों सहित 6080 फुट का रनवे है। संपूर्ण क्षेत्र PAPI सहित रात्रि उड़ान सुविधाओं

से सुसज्जित है। IGRUA के एयरफील्ड में अपना NAV तथा VOR/DME एवं ILS/DME के संदर्भ में अवतरण सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां अग्नि शमन सेवाएं, विमानन ईंधन स्टेशन तथा विमान यातायात नियंत्रण स्थापित किया गया है। भारतीय विमानन उद्योग की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए यह स्व.निहित चौतरफा सेट-अप पायलट उम्मीदवारों की गुणवत्ता और मात्रा की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है।

- **विमान बेड़ा:** अकादमी के पास कैलेंडर वर्ष 2025 के अंत में 13 विमानों का बेड़ा है। उड़ान प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विमानों के प्रकार का विवरण नीचे दिया गया है:-
- **ग्यारह DA-40 विमान है।** DA-40 विमान कोंटिंपररी ग्लास कॉकपिट से सुसज्जित है और एक एकल पिस्टन इंजन वाला विमान है जिसमें वैरिएबल पिच प्रोपेलर है, जिसमें फिक्स्ड अंडरकैरिज है।
- **02 DA-42 विमान है।** प्रशिक्षण का अंतिम चरण DA-42 विमान में किया जाता है। यह दो इंजन वाला विमान है। विमान ग्लास कॉकपिट, ऑटो-पायलट एवं रिट्रैक्टेबल पहिये से सुसज्जित है।

उपरोक्त विमानों का उपयोग प्रशिक्षुओं को एयरलाइनों के लिए आवश्यक लाइन ओरिएंटेड फ्लाइंग ट्रेनिंग प्रदान करने हेतु उड़ान प्रशिक्षण में किया जाता है। IGRUA में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र अपने कमर्शियल पायलट लाइसेंस पर मल्टी-इंजन एंडोर्समेंट एवं इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के साथ स्नातक होते हैं।

IGRUA वार्षिक उड़ान घंटों में वृद्धि करने तथा प्रति वर्ष अधिक संख्या में CPL धारक पायलट तैयार करने के उद्देश्य से अपने बेड़े की क्षमता बढ़ाने हेतु अधिक संख्या में प्रशिक्षण विमानों को शामिल करने की प्रक्रिया में है।

## 7.5 प्रशिक्षण

### (क) थल प्रशिक्षण

अकादमी में पहुंचने पर छात्र निम्नलिखित विषयों में थल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं-

| | | | |
|---|---|---|---|
| i. | एयर नेविगेशन | - | 135 घंटे |
| ii. | रेडियो एड्स | - | 045 घंटे |
| iii. | टेक्निकल जनरल | - | 130 घंटे |
| iv. | एयर मेट्रोलॉजी | - | 085 घंटे |
| v. | एयर रेग्युलेशन्स | - | 085 घंटे |

ग्राउंड ट्रेनिंग का उद्देश्य एक महत्वाकांक्षी पायलट को अनिवार्य CPL के बाद ATPL का प्रयास करने के लिए सक्षम बनाना है और इसमें हैंगर और फ्लाइट ऑपरेशंस सेंटर में 480 क्लासरूम लेक्चर और कंसॉलिडेशन क्लास शामिल हैं, जिसमें सैद्धांतिक कक्षाओं के व्यावहारिक पहलुओं से उन्हें अवगत कराया जाता है।

यह लाइन ओरिएंटेड फ्लाइंग ट्रेनिंग (LOFT) की नींव रखता है, इस प्रकार उन्हे विमानन उद्योग में गतिशील विकास के अनुकूल बनाने के लिए तैयार करता है।

**आडियो विजुअल साधन**

व्हाइट बोर्ड और क्वेरी सिस्टम का उपयोग लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। थल प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए अकादमी प्रत्येक विषय की व्यापक समझ को बढ़ाने के लिए जहां संभव हो एनीमेशन के साथ ओवर-हेड प्रोजेक्शन सिस्टम का उपयोग करके ऑडियो विजुअल इमेजरी का उपयोग करती है।

### (ख) उड़ान पूर्व स्थल प्रशिक्षण (PFGT)

PFGT अनुभवी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स द्वारा किया जाता है। सिम्युलेटर और विमान पर प्रत्येक उड़ान से पहले और बाद में पूरी तरह से व्यक्तिगत ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग के अलावा महत्वपूर्ण अभ्यासों पर समूह ब्रीफिंग की जाती है।

### (ग) सिमुलेटर प्रशिक्षण

एकल इंजिन प्रशिक्षण 180 डिग्री व्यू फील्ड वाले विजुअल सिस्टम से युक्त दो डायमण्ड DA-40 फ्लाइट सिमुलेटर पर दिया जाता है। अकादमी के पास प्रारम्भिक उड़ान प्रशिक्षण एवं इन्स्ट्रूमेन्ट रेटिंग हेतु एक एकल इंजिन TB-20 दृश्य प्रणाली युक्त सिमुलेटर भी उपलब्ध हैं।

बहुइंजिन प्रशिक्षण हेतु 180 डिग्री विजुअल फील्ड व्यू से युक्त डायमण्ड DA-42 फ्लाइट सिमुलेटर उपलब्ध है।

### (घ)एकल इंजन विमान के लिए सिमुलेटर/ उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम:

i) 20.00 घंटे: F.N.T.P. पर सिमुलेटर प्रशिक्षण।

ii) विमानों पर 185:00 घण्टों का उड़ान प्रशिक्षण।

**मल्टी इंजन विमान के लिए:** वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के साथ स्नातक प्रशिक्षणार्थियों को मल्टी इंजिन रेटिंग एन्डोर्समेंट के साथ डायमंड DA-42 विमान पर इन्सट्रूमेन्ट रेटिंग प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रशिक्षणार्थी इस विमान पर 15:00 घण्टों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

## 7.6 प्रमुख उपलब्धियां

### (क) विस्तार क्रियाकलाप:

अपने विस्तारण हेतु, IGRUA ने आत्मनिर्भरता की दिशा में अपने कदम को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कदम रखा, जैसे:

(i) IGRUA ने अपने साथ-साथ बाहर के 378 उम्मीदवारों के लिए अंग्रेजी भाषा दक्षता प्रशिक्षण और परीक्षण आयोजित किया।

(ii) ड्रोन प्रशिक्षकों के लिए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) पाठ्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे आमतौर पर "ड्रोन पायलट प्रशिक्षण" और "प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करें" पाठ्यक्रम कहा जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 2530 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

(iii) IGRUA के पास मानेसर, गुरुग्राम (हरियाणा), बेंगलुरु (कर्नाटक), कोयंबटूर (तमिलनाडु), ग्वालियर और भोपाल (मध्य प्रदेश) और कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में 06 ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हैं।

(iv) IGRUA के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूरे वर्ष प्रशिक्षण गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु, आवश्यक DGCA अनुमोदन प्राप्त करके गोंदिया, महाराष्ट्र में सेटेलाइट बेस को स्थायी रूप से दूसरा उड़ान बेस बनाया गया है। अतिरिक्त बेस में निरीक्षण और रखरखाव के लिए सभी सुविधाएं स्थापित की गई हैं। IGRUA सर्दियों के महीनों में विशेषकर भारत के दक्षिणी भाग में अपनी उड़ान बढ़ाने के लिए देश में और अधिक अड्डों की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

(v) FTOs के लिए CFI रिफ्रेशर कोर्स एवं AMOs के लिए AME रिफ्रेशर कोर्स का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

(vi) अपने दूरस्थ स्थान और खरीद प्रक्रिया में विभिन्न बाधाओं के बावजूद, IGRUA ने सरकारी ई-मार्केटिंग पोर्टल (GeM) के माध्यम से 70% से अधिक खरीद सफलतापूर्वक हासिल की है।

(vii) **कैंपस प्लेसमेंट:** IGRUA में अंतिम कैंपस चयन जनवरी 2024 में मेसर्स एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (AIXL) द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें 45 से अधिक IGRUA स्नातकों की भर्ती की गई है। भविष्य में ऐसे और कैंपस प्लेसमेंट की उम्मीद है।

### (ख) महत्वपूर्ण आयोजन:

i) **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस:** प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों की भागीदारी मे 21.06.2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

ii) **स्थापना दिवस:** IGRUA ने 07 नवंबर 2025 को अपना "स्थापना दिवस" मनाया। इस अवसर पर कैडेटों द्वारा "फुल थ्रॉटल" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सुव्यवस्थित श्रृंखला प्रदर्शित की गई, जिसकी शुरुआत कैडेटों एवं प्रशिक्षकों द्वारा सामूहिक गायन से हुई, जो एकता एवं संस्थागत गौरव का प्रतीक था। इसके पश्चात IGRUA बैंड द्वारा ऊर्जावान प्रस्तुति दी गई। यह कार्यक्रम स्थापना दिवस समारोह को गरिमापूर्ण एवं स्मरणीय बनाने में सफल रहा।

iii) **स्वच्छ भारत अभियान:** पूरे वर्ष के दौरान एवं 15 सितंबर, 2025 से 2 अक्टूबर, 2025 तक स्वच्छ भारत पखवाड़े के दौरान विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक, फुरसतगंज शाखा के सहयोग से वृक्षारोपण पर विशेष जोर देते हुए स्वच्छता अभियान चलाया गया।

iv) **सतर्कता जागरूकता सप्ताह:** भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, 27.10.2025 से 02.11.2025 की अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान खरीद और प्रशासन में निष्पक्ष प्रथाओं के महत्व को बढ़ाने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। फ्लाइंग कैडेट्स के बीच सतर्कता से संबंधित 'नारा लेखन' और 'ड्राइंग' में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। IGRUA ने पास के गांव ग्रामसभा में एक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया

v) **सत्यनिष्ठा शपथ:** 27.10.2025 को कर्मचारियों और ग्रामीणों को सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई।

vi) **संविधान दिवस:** 26.11.2025 को संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों द्वारा संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई।

## 7.7 निष्पादित कार्य:

**(क) विस्तार क्रियाकलाप:** महामारी के कारण विमानन उद्योग में मंदी के बाद संभावित उछाल की तैयारी के रूप में और केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए, IGRUA ने स्नातकों की संख्या के मुकाबले उड़ान की मात्रा बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। विमानन उद्योग की आवश्यकताओं के लिए इस अवधि के दौरान अर्थात 01.01.2025 से 30.12.2025 तक, बेड़े की संख्या मे 13 की कमी होने और फ्लाइंग प्रशिक्षकों की कमी के बावजूद IGRUA, 114904:25 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम रहा है। समवर्ती अवधि के दौरान कुल 79 कैडेट उत्तीर्ण हुए हैं।

**(ख) उन्नत उड़ान सुरक्षा:** वर्ष के दौरान दुर्घटना/घटना दर 0.75 रही (दर प्रति 10,000 उड़ान घंटों के आधार पर) है।

**(ग) CPL प्रशिक्षण के लिए नवीन नामांकन:** एक पायलट की नौकरी के बारे में धारणा विकासवादी बदलाव के दौर से गुजर रही है, खास कर लड़कियों और ग्रामीण भारत में। इससे पहले, शहरी भारत से केवल एक अल्पसंख्यक पायलट बनने की आकांक्षा रखते थे, हालांकि, यह प्रवृत्ति धीरे धीरे ग्रामीण भारत में और विशेष रूप से लड़कियों में भी फैल रही है। समय की मांग को देखते हुए IGRUA ने इसकी संख्या बढ़ाकर 125 कर दी है।

**(घ) प्रभावपूर्ण जनशक्ति प्रबंधन:** IGRUA ने अपने कार्यबल के अनुकूलन तथा परिचालन दक्षता बढ़ाने हेतु व्यापक कदम उठाए हैं। वर्तमान में 316 की स्वीकृत पदसंख्या के विरुद्ध अकादमी में कुल 277 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 55 नियमित, 202 संविदा, 06 परामर्शदाता तथा 14 अस्थायी (Ad-hoc) कर्मचारी शामिल हैं। अकादमी के विस्तारित उड़ान संचालन एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए प्रबंधक (HR), मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक व तकनीकी प्रशिक्षकों जैसे महत्वपूर्ण पदों को भर दिया गया है। उल्लेखनीय रूप से, विगत एक माह में अस्थायी कर्मचारियों की संख्या घटाकर 14 कर दी गई है तथा दिसंबर 2025 के अंत तक इसे और कम कर 11 किया जाएगा, जो वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। लेखा अधिकारी, प्रशिक्षक (एयर रेगुलेशन्स) एवं तकनीकी स्टाफ जैसे प्रमुख रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से प्रगति पर है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर संविदा कर्मचारियों की संख्या को तर्कसंगत बनाने हेतु विस्तृत मानव संसाधन समीक्षा की जा रही है तथा पद-वार योग्यता मानदंड अंतिम रूप दिए जा रहे हैं। संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है और इन दोनों पहलों पर आगामी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विचार किया जाएगा।

**(ङ) आर्थिक सहायता के प्रति कम आश्रिता:** सब्सिडी पर भार को कम करने के लिए IGRUA हर साल उड़ान के नए लक्ष्य निर्धारित कर रहा है जिसके परिणाम स्वरूप CPL प्रशिक्षण के लिए कैडेटों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे अधिक राजस्व उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा, इसने अपने राजस्व को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय नौसेना और तट रक्षकों के कैडेटों को प्रशिक्षण देकर, देश भर के छह केंद्रों में ड्रोन प्रशिक्षण देकर, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और ELP प्रशिक्षण और परीक्षण आयोजित करके अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। इसके साथ ही, अकादमी द्वारा गैर-जरूरी खर्चों पर अंकुश लगाकर, मेस और हॉस्टल, मोटर ट्रांसपोर्ट, जनरल स्टोर्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल मेंटेनेंस आदि जैसे विभिन्न वर्गों में अपने संसाधनों के प्रभावी और इष्टतम उपयोग कर आवश्यक वैधानिक खर्च को बेहतर तालमेल के द्वारा खर्च को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

## 7.8 स्वच्छ भारत और पर्यावरण संरक्षण–

**(क) नगर ठोस अपशिष्ट (MSW) प्रबंधन:** IGRUA के पास एक अच्छी तरह की MSW प्रबंधन प्रणाली है। सूखे कचरे, पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतलों, टूटे शीशे, पैकिंग सामग्री, नवीनीकरण-निर्माण के मलबे, मृत पत्तियों, अस्पताल के कचरे आदि के अलावा घरों, मेस किचन और कैंटीन से प्रतिदिन लगभग 500 किलोग्राम बायो-डिग्रेडेबल रसोई कचरा जमा होता है। इस कचरे को कचरे के दो डिब्बों में रखकर स्रोत पर अलग किया जाता है, एक बायो-डिग्रेडेबल (गीले) कचरे के लिए और दूसरा सूखे कचरे के लिए, जैसे- पॉलीथिन, प्लास्टिक की बोतलें, पैकिंग सामग्री, कागज, आदि। जबकि बायो-डिग्रेडेबल कचरे को वर्मीकल्चर के माध्यम से खाद में परिवर्तित किया जाता है, वहीं सूखे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाता है। परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।

**(ख) अपशिष्ट जल निपटान:** IGRUA में जल संसाधनों से उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के सुनिश्चय के लिए अंडरग्राउंड जल निकासी व्यवस्था एवं आधुनिक मल उपचार संयंत्र स्थापित है।

**(ग) सौर पैनल:** IGRUA के आवासीय और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए सौर बिजली उत्पादन के लिए रूफ टॉप सौर पैनलों की स्थापना का प्रस्ताव लिया जा रहा है।

## 7.9 प्रदूषण नियंत्रण:

IGRUA कोई भी निर्माण, उत्पादन नहीं करता है जिसके परिणामस्वरूप धुआं, अवशेष, औद्योगिक अपशिष्ट आदि का उत्सर्जन होता है। जिससे वायु, पानी, मिट्टी, प्रकाश या ध्वनि प्रदूषण होता है। तथापि, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों के इंजनों को निर्धारित सीमा के भीतर धुंआ उत्सर्जित करने, भस्मीकरण, लैंडफिल कंपोस्टिंग आदि द्वारा ठोस अपशिष्ट का निपटान करने एवं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर संभव पहल की गई है। अकादमी में हरित वातावरण बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से वनीकरण किया जा रहा है।

## 7.10 नागरिक चार्टर

IGRUA का सिटीजन चार्टर हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। एक नागरिक, IGRUA की वेबसाइट www.igrua.gov.in पर विजिट कर सकता है। नागरिक, आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी जानकारी के लिए हमारे मुख्य लोक सूचना अधिकारी (CPIO) श्री रवि सिंह एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (निदेशक IGRUA) से अनुरोध कर सकते हैं।

## 7.11 महिला कल्याण

IGRUA में कार्यरत 13 महिलाओं (1 नियमित व 12 संविदा) से कल्याण संबंधित कार्य सामान्य प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से किए जाते है। अकादमी में तीन सदस्यों की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित की गई है जो अकादमी में कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों की देखरेख एवं समाधान के कार्य करती है।

## 7.12 लोक शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए उपाय

अकादमी के संचालन की प्रकृति ऐसी है कि इसमें शायद ही कोई सार्वजनिक व्यवहार शामिल हो। हालाँकि, प्रबंधक मानव संसाधन को सार्वजनिक शिकायत से निपटने का कार्य सौंपा गया है। ऐसी किसी भी शिकायत का निवारण/ निपटान नियमों के दायरे में किया जाता हैं।

## 7.13 सतर्कता

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मुख्य सतर्कता अधिकारी IGRUA में सतर्कता कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। कर्मचारियों के बीच कर्तव्य और सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण में शामिल न होने के बारे में जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं।

## 7.14 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के विभिन्न प्रावधानो का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अकादमी लगातार आवश्यक कदम उठाती रही है। कर्मचारियों को हिन्दी, देवनागरी टाइपिंग इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित एवं प्रभावी उपयोग करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान किये गये है। कम्प्यूटरों में हिन्दी के प्रयोग कार्यालयीन पत्र व्यवहार हिन्दी में करने की व्यवस्था की गई है।

## 7.15 खेल सुविधाएं

IGRUA में स्क्वैश, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, पूल टेबल जैसे खेलों के लिए इनडोर और आउटडोर खेल सुविधाएं और मल्टी-जिम उपकरणों के साथ एक अच्छी तरह से सुसज्जित जिम है जो प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों को फिट रहने की सुविधा प्रदान करता है। हर साल प्रशिक्षुओं के लिए वार्षिक खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।

## 7.16 सांस्कृतिक क्रियाकलाप

IGRUA में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं समारोहों के आयोजन के लिए वातानुकूलित सभागृह स्थापित है। जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों के प्रति उड़ान विद्यार्थियों में अत्यधिक उत्साह जागृत हुआ है। IGRUA में "फुल थ्रौटल" के साथ प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं।

## 7.17 दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को लागू किया गया है और जहां भी संभव हो, विकलांग व्यक्तियों पर उचित ध्यान दिया जा रहा है।

## 7.18 पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास क्रियाकलापों से संबंधित मामले

IGRUA एक स्वायत्त निकाय है तथा इसका मुख्यालय फुरसतगंज, अमेठी (जिला), उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इस प्रकार के कोई मामले नहीं हैं।

## 7.19 SC/ST/OBC/EWS/PwDs का प्रतिनिधित्व

वर्ष 1996 के पश्चात से किसी प्रकार की नियमित भर्ती नहीं की गई है। 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार SC/

ST/OBC/EWS/PwDs का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित है:

| कर्मचारियों की विवरण | संख्या |
|---|---|
| कर्मचारियों की कुल संख्या | 55 |
| SC कर्मचारियों की कुल संख्या | 14 |
| प्रतिशत | 25.45% |
| ST कर्मचारियों की कुल संख्या | 1 |
| प्रतिशत | 1.82% |
| OBC कर्मचारियों की कुल संख्या | 28 |
| प्रतिशत | 50.91% |
| EWS कर्मचारियों की कुल संख्या | 0 |
| प्रतिशत | 0% |
| PwDs कर्मचारियों की कुल संख्या | 0 |
| प्रतिशत | 0% |

### पिछली आरक्षित रिक्तियां

1996 से नियुक्तियों पर प्रतिबंध होने के कारण नियमित कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई है। प्रतिबंध हटने के पश्चात, IGRUA लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी पिछली आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

## 7.20 वरिष्ठ नागरिक कल्याण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जैसा कि वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति में परिकल्पना की गई है, वृद्ध व्यक्तियों के लिए त्वरित, निष्पक्ष और मानवीय उपचार सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को निर्देश जारी किए गए हैं।

## 7.21 लायजन अधिकारी का विवरण

चयन प्रक्रिया के इंटरव्यू और स्किल टेस्ट चरणों के लिए एक अनुमोदित बोर्ड गठित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि शामिल होता है। यह सरकारी दिशानिर्देशों और संगठन की समान अवसर पर आधारित भर्ती नीतियों के अनुरूप पारदर्शिता, समावेशिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।

## 7.22 आरक्षण सेल का विवरण

IGRUA CPL और AME पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए वार्षिक प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें आरक्षण नीति को सख्ती से सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया जाता है। इंटरव्यू और स्किल टेस्ट चरणों में भी एक अनुमोदित बोर्ड गठित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि शामिल होता है, ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, समावेशिता और निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। संविदा नियुक्तियों में भर्ती के समय आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का ध्यान दिया जाता है।

## 7.23 फीस संरचना

मल्टी-इंजन एंडोर्समेंट सहित एब-इनिशियो से CPL पाठ्यक्रम हेतु प्रशिक्षण शुल्क रू. 45.00 लाख है तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग शुल्क (लगभग रू.15, 000/- प्रति माह) है। वर्ष 2026 से प्रशिक्षण शुल्क बढ़ाकर रू.55.00 लाख कर दिया गया है।

# 8. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

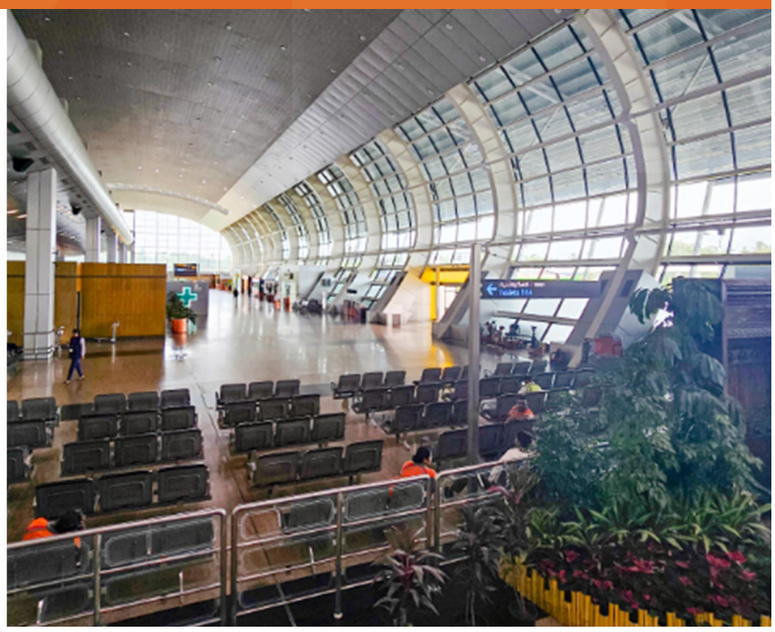

## 8.1. प्रस्तावना

हवाईअड्डा क्षेत्र में एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए श्री नरेश चंद्र समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के अधिनियमन द्वारा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) की स्थापना की। भारत सरकार ने इसकी दिनांक 12.05.2009 की अधिसूचना संख्या GSR 317 (E) द्वारा AERA की स्थापना की जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।.

## 8.2. संगठनात्मक स्वरुप

**प्राधिकरण का संगठनात्मक स्वरुप नीचे दर्शाया गया है:**

AERA के स्टाफ में विमानन क्षेत्र और वित्त क्षेत्र आदि में अनुभव प्राप्त विभिन्न केंद्रीय, राज्य सेवाओं और विभागों/ संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारी/कर्मचारी हैं

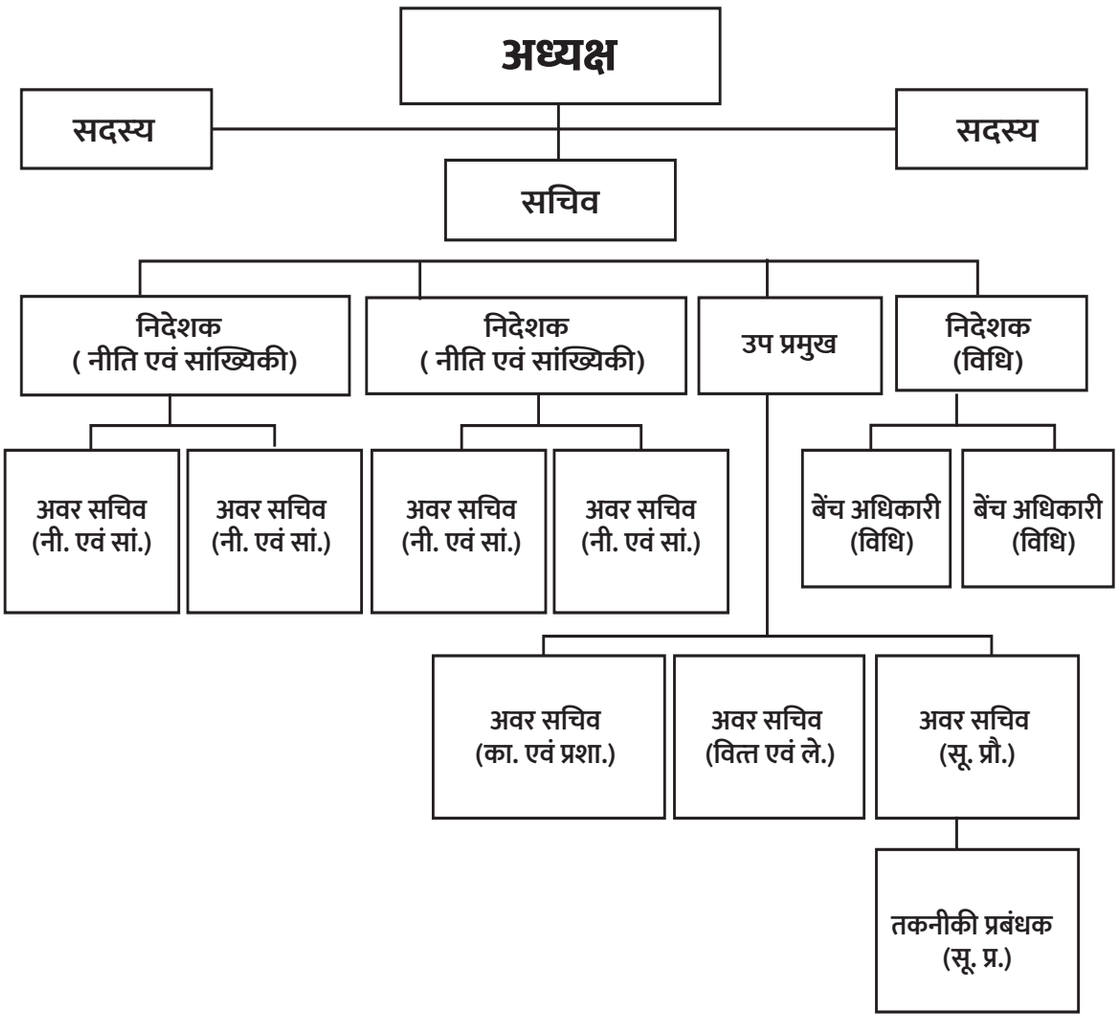

## 8.3. विनियामक प्राधिकरण का दायरा प्रस्तावना

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) की स्थापना, 2009 में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत प्रमुख हवाईअड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ एवं अन्य प्रभारों को विनियमित करने तथा निष्पादन मानकों को मॉनीटर करने के लिए की गई है। प्राधिकरण ने हवाईअड्डा प्रचालकों एवं कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए 2010-11 में अपने विनियामक सिद्धांत और दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया।

### प्राधिकरण के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

- वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करना प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में विकास शुल्क की राशि निर्धारित करना।

- वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के तहत बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम 88 के तहत वसूले जाने वाले PSF की राशि निर्धारित करना।

- सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित ऐसे निर्धारित निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण करना, जो केन्द्रीय सरकार या इस संबंध में उसकी ओर से प्राधिकृत किसी भी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

वर्तमान में AERA की विनियामक परिधि के अंतर्गत 35 हवाईअड्डे 'प्रमुख हवाईअड्डों' के दायरे में आते हैं। 31.12.2025 को प्रमुख हवाईअड्डों की सूची निम्नानुसार है:

1. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली
2. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई
3. कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू
4. राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद
5. कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोच्चि
6. शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, चंडीगढ़
7. चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, चेन्नई
8. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता
9. सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद
10. त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम
11. चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ
12. जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा,जयपुर
13. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी
14. कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोझीकोड
15. गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, गोवा
16. पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, पुणे
17. जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, पटना
18. गुरू राम दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर
19. लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी
20. बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, भुवनेश्वर
21. स्वामी विवेकानन्द हवाईअड्डा, रायपुर
22. तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरुचिरापल्ली
23. मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मंगलुरू
24. कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, कन्नूर
25. शेख उल अलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर
26. शिर्डी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, शिर्डी
27. मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा
28. देवी अहिल्या बाई होल्कर हवाईअड्डा, इंदौर
29. कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोयम्बटूर
30. नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर
31. वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, पोर्ट ब्लेयर
32. नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, नवी मुम्बई
33. जॉली ग्रांट हवाईअड्डा, देहरादून
34. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, नागपुर
35. भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, भोगापुरम

## 8.4 प्रमुख गतिविधियां

01 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक की अवधि के दौरान AERA ने प्रमुख हवाईअड्डों के लिए इनके टैरिफ निर्धारण कार्य के भाग के रूप में निम्नलिखित टैरिफ आदेश जारी किए:

| क्र. सं. | आदेश संख्या | विषय | जारी करने की तारीख |
|---|---|---|---|
| | | **हवाईअड्डा टैरिफ आदेश** | |
| **1.** | आदेश संख्या 16/2024-25 | लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी (VNS) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2029) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण | 01.03.2025 |
| **2.** | आदेश संख्या 17/2024-25 | श्री गुरु राम दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर (ATQ) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2029) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण | 21.03.2025 |
| **3.** | आदेश संख्या 20/2024-25 | इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली (DEL) के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01.04.2024 -31.03.2029) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण | 28.03.2025 |
| **4.** | आदेश संख्या 01/2025-26 | छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (CSMIA), मुम्बई के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01.04.2024 -31.03.2029) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण | 07.05.2025 |
| **5.** | आदेश संख्या 13/2025-26 | वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, पोर्ट ब्लेयर के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2025-31.03.2030) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण | 09.09.2025 |
| **6.** | आदेश संख्या 12/2021-22 में संशोधन | दिनांक 31 अगस्त 2021 के आदेश संख्या 12/2021-22 में संशोधन- हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए 01.04.2025 से 31.12.2025 तक लागू मौजूदा टैरिफ वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही अर्थात 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक के लिए जारी रखना। | 31.10.2025 |
| **7.** | आदेश संख्या 11/2021-22 में संशोधन | दिनांक 28 अगस्त 2021 के आदेश संख्या 11/2021-22 में संशोधन- बैंगलुरू अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए 01.04.2025 से 31.12.2025 तक लागू मौजूदा टैरिफ वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही अर्थात 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च 2026 तक के लिए जारी रखना। | 14.11.2025 |
| **8.** | आदेश संख्या 08/2021-22 में संशोधन | दिनांक 24 अगस्त 2021 के आदेश संख्या 08/2021-22 में संशोधन- कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए 01.04.2025 से 31.12.2025 तक लागू मौजूदा टैरिफ वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही अर्थात 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च 2026 तक के लिए जारी रखना। | 28.11.2025 |
| **9.** | आदेश संख्या 24/2025-26 | स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, रायपुर (RPR) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2025 - 31.03.2030) के लिए वैमानिक शुल्क का निर्धारण। | 19.12.2025 |

| क्र. सं. | आदेश संख्या | विषय | जारी करने की तारीख |
|---|---|---|---|
| | | **फ्यूल फार्म सेवा संबंधी आदेश** | |
| **10.** | आदेश संख्या 18/2025-26 | भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा में फ्यूल फार्म अवसंरचना और इंटो प्लेन सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2028) के लिए टैरिफ का निर्धारण | 25.09.2025 |
| | | **तदर्थ आदेश** | |
| **11.** | आदेश संख्या 15/2024-25 | मैसर्स अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर में प्रदान की जाने वाली अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण। | 31.01.2025 |
| **12.** | आदेश संख्या 03/2025-26 | मैसर्स BKG एयरपोर्ट्स देहरादून प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जॉली ग्रांट हवाईअड्डा, देहरादून में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण। | 16.05.2025 |
| **13.** | आदेश संख्या 04/2025-26 | मैसर्स इंडो-थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में 15.05.2025 से 13.08.2025 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण। | 17.06.2025 |
| **14.** | आदेश संख्या 05/2025-26 | मैसर्स बर्ड फ्लाइट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गोवा में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में 15.05.2025 से 14.09.2025 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण | 18.06.2025 |
| **15.** | आदेश संख्या 06/2025-26 | नवीं मुम्बई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (NMIA) पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("COD") से तदर्थ टैरिफ का निर्धारण। | 20.06.2025 |
| **16.** | आदेश संख्या 08/2025-26 | नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (NIA) पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से तदर्थ टैरिफ का निर्धारण। | 29.08.2025 |
| **17.** | आदेश संख्या 09/2025-26 | मैसर्स बर्ड फ्लाइट सर्विसेज(इं) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (COD) से 31.03.2026 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण। | 29.08.2025 |
| **18.** | आदेश संख्या 10/2025-26 | मैसर्स एआईसेट्स नोएडा कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (ANCTPL) द्वारा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (COD) से 31.03.2026 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण। | 29.08.2025 |

| क्र. सं. | आदेश संख्या | विषय | जारी करने की तारीख |
|---|---|---|---|
| **19.** | आदेश संख्या 11/2025-26 | IOSL नोएडा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में प्रदान की जाने वाली फ्यूल फार्म सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (COD) से 31.03.2026 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण। | 09.09.2025 |
| **20.** | आदेश संख्या 12/2025-26 | इंडियन ऑयल स्काइटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में प्रदान की जाने वाली इंटो प्लेन सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (COD) से 31.03.2026 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण। | 09.09.2025 |
| **21.** | आदेश संख्या 14/2025-26 | मैसर्स इंडो थाई एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में 15.05.2025 से 13.08.2025 तक तदर्थ टैरिफ बढ़ाना। | 18.09.2025 |
| **22.** | आदेश संख्या 15/2025-26 | मैसर्स बर्ड फ्लाइट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोपा गोवा में प्रदान की जा रही ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में 15.09.2025 से 31.03.2026 तक तदर्थ टैरिफ को बढाना। | 18.09.2025 |
| **23.** | आदेश संख्या 17/2025-26 | मैसर्स एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, रायपुर में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (COD) से 31.03.2026 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण। | 19.09.2025 |
| **24.** | आदेश संख्या 19/2025-26 | इंडियन ऑयल स्काइटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में प्रदान की जाने वाली इंटो प्लेन सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (COD) से 31.03.2026 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण। | 25.09.2025 |
| **25.** | आदेश संख्या 21/2025-26 | मैसर्स केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (KSIEL) द्वारा तिरूवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, तिरूवनंतपुरम में प्रदान की जाने वाली आयात कार्गो के लिए कूरियर कार्गो सेवाओं के संबंध में आयात कार्गो के लिए कूरियर कार्गो सेवाएं प्रारंभ होने की तारीख से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण। | 31.10.2025 |
| **26.** | आदेश संख्या 22/2025-26 | मैसर्स एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (AISATS) द्वारा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रस्तावित इसकी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (COD) से 31.03.2026 तक के लिए तदर्थ टैरिफ के संदर्भ में। | 21.11.2025 |
| **27.** | आदेश संख्या 23/2025-26 | मैसर्स BKG एयरपोर्ट्स (इंदौर) प्राइवेट लिमिटेड (BAIPL) द्वारा देवी अहिल्या बाई होल्कर हवाईअड्डा, इंदौर में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (COD) से 31.03.2026 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण। | 12.12.2025 |
| **टैरिफ की वैधता को बढ़ाने के लिए अंतरिम व्यवस्था** | | | |

| क्र. सं. | आदेश संख्या | विषय | जारी करने की तारीख |
|---|---|---|---|
| **28.** | आदेश संख्या 18/2024-25 | मौजूदा टैरिफ की वसूली 30.06.2025/30.09.2025 तक वसूल करने के लिए अंतरिम व्यवस्था। | 24.03.2025 |
| **29.** | आदेश संख्या 19/2024-25 | स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग एवं विमान में ईंधन की आपूर्ति (CGF) की सेवाओं के संबंध में मौजूदा टैरिफ की वसूली 30.09.2025 तक करने के लिए अंतरिम व्यवस्था। | 28.03.2025 |
| **30.** | आदेश संख्या 16/2025-26 | मौजूदा टैरिफ की वसूली 31.03.2026 तक जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था। | 18.09.2025 |
| **31.** | आदेश संख्या 20/2025-26 | स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो सुविधा, ग्राउन्ड हैंडलिंग एवं विमान में ईंधन की आपूर्ति (CGF) से जुड़ी सेवाओं के संबंध में मौजूदा टैरिफ की वसूली 31.03.2026 तक करने के लिए अंतरिम व्यवस्था। | 25.09.2025 |
| | | **अन्य आदेश** | |
| **32.** | आदेश संख्या 02/2025-26 | प्रमुख हवाई अड्डों पर निर्बाध प्रवेश आधार पर साझा ईंधन भंडारण सुविधा स्थापित करने के संबंध में | 16.05.2025 |
| **33.** | आदेश संख्या 07/2025-26 | भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (AERA अधिनियम, 2008) की धारा 2(i) के अंतर्गत भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे को 'प्रमुख हवाईअड्डा' घोषित करने के संबंध में | 29.08.2025 |

## 8.5 सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

AERA में सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए सभी प्रयास किए गए। कर्मचारियों को सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यालय में प्रेरणा, कर्मचारियों के कल्याण आदि जैसे विभिन्न विषयों पर विभिन्न व्याख्यान और वार्ताएं आयोजित की गईं।

14-30 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, इस दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। लगभग 120 कार्मिकों ने इनमें पूरे जोश एवं उत्साह से भाग लिया और विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। इस अवधि के दौरान, हिंदी अनुभाग ने राजभाषा के कार्य के संबंध में प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। वेबसाइट पर हिंदी सामग्री को अद्यतन करना सुनिश्चित करने के लिए AERA की वेबसाइट की समीक्षा भी की गई।

प्राधिकरण के बारह (12) कार्मिकों ने 26 जून, 2025 को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। पांच (05) कर्मिकों ने 10 जुलाई, 2025 को हैदराबाद में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद प्राधिकरण के सात (07) कार्मिकों ने 14-15 सितंबर, 2025 तक राजभाषा विभाग द्वारा गांधीनगर, गुजरात में आयोजित पांचवें अखिल भारतीय स्तर के हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। चार (04) कार्मिकों ने राजभाषा विभाग द्वारा जयपुर (राजस्थान) में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लिया। वर्ष के दौरान कार्मिकों के लिए चार (04) हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें कुल 158 कार्मिकों ने भाग लिया।

अध्यक्ष, AERA की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। अधिकारियों को अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्राधिकरण में भारत सरकार की राजभाषा (हिंदी) प्रोत्साहन योजना लागू की गई

है। वर्ष के दौरान इस योजना के विजेता तेरह (13) कार्मिकों को कुल 39,000/- रुपये के नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए।

संसदीय राजभाषा समिति ने 25 जून 2025 को प्राधिकरण का राजभाषा संबधी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया है। इसी तरह, नागर विमानन मंत्रालय ने भी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में 31 जुलाई, 2025 को AERA का निरीक्षण किया था और इस संबंध में किए गए कार्यों के लिए AERA की सराहना की है।

## 8.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 एवं विशेष अभियान 5.0 का आयोजन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के अंतर्गत "सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी" थीम के साथ प्राधिकरण में 18 अगस्त 2025 से 17 नवंबर 2025 तक कुल 11 विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में कुल 289 कर्मचारियों ने भाग लिया।

इसके अतिरिक्त, स्वच्छता एवं लंबित मामलों के निपटान हेतु प्राधिकरण में 2 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक विशेष अभियान 5.0 का भी आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान इस उद्देश्य से अनेक कार्य किए गए तथा विभिन्न क्षेत्रों की साफ-सफाई की गई।

## 8.7 वित्तीय निष्पादन

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) अधिनियम की धारा 34 के अनुसार केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त की जाती हैं। बजट आकलन 2025-26 में 20.00 करोड़ रूपए (वेतन शीर्ष के अतंर्गत 8.85 करोड़ रूपए और सामान्य शीर्ष के अंतर्गत 11.15 करोड़ रूपए) आबंटित किए गए। जारी की गई निधियों और 31 दिसम्बर, 2025 तक किए गए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है:-

## 8.8 प्रदूषण नियंत्रण:

प्राधिकरण हवाईअड्डों द्वारा पर्यावरण अनुकूल उपाय किए जाने को प्रोत्साहित करता है और टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के दौरान इसके लिए उन्हें तदनुसार प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। इन उपायों में मोटे तौर पर सौर/नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, वर्षा जल संरक्षण, शोधन संयंत्र के माध्यम से पानी की रिसाइक्लिंग आदि सम्मिलित हैं।

## 8.9 महिला कल्याण जिसमें जेन्डर बजटीय आंकड़ें भी शामिल है:

AERA में 28 महिला कर्मचारी हैं (AAI से लोन आधार पर लिए गए कर्मचारी और आउटसोर्स आधार पर कार्यरत सहायक कर्मचारियों सहित), जिनके लिए उपयुक्त कल्याणकारी उपाय किए गए हैं, जैसे चिकित्सीय आपात स्थिति होने पर या सरकारी कार्य की वजह से अनिवार्य होने पर जल्दी कार्यालय पहुंचने के लिए घर से लाने/देर होने पर घर छोड़ने के लिए परिवहन/वाहन का प्रावधान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर सामान्य वार्ता का आयोजन, महिला शौचालयों के लिए समर्पित महिला सफाई कर्मचारी आदि।

## 8.10 जन शिकायत निवारण प्रक्रिया में सुधार के लिए की गई कार्रवाई

AERA कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के जन शिकायत पोर्टल में पंजीकृत है और इसे अलग प्रयोक्ता क्रिडेन्शल दिए गए हैं। शिकायतों की नियमित रूप से जांच की जाती है और जब भी जन शिकायत प्राप्त होती है इसका जवाब निर्धारित

| क्र. सं. | शीर्ष | 2024-25 की अप्रयुक्त राशि | बजट आलकन (बीई) 2025-26 | अन्य स्रोतों से प्राप्त आय | नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आज तक जारी की गई निधि | कुल निधि | प्राधिकरण द्वारा आज तक खर्च की गई राशि | नगर विमानन मंत्रालय (MOCA) द्वारा जारी किया जाने वाला शेष सहायता अनुदान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | वेतन | 192.99 | 885.00 | # | 885.00 | 1077.99 | 651.72 | - |
| 2 | सामान्य | 428.95 | 1115.00 | # | 1115.00 | 1543.95 | 979.30 | - |
| **टिप्पणी: # बैंक शेष पर अर्जित ब्याज = 36,215,78/ रूपए** | | | | | | | | |

समय-सीमा के भीतर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) में जन शिकायत के लिए उप प्रमुख (उप सचिव स्तर के अधिकारी) को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। 31 दिसम्बर, 2025 को कोई भी शिकायत लंबित नहीं है।

## 8.11 पूर्वोत्तर में किए गए विकास संबंधी कार्यकलापों से जुड़े मुद्दे

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण नागर विमानन मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय होने के कारण इसे भारत के प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में टैरिफ निर्धारण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और पूर्वोत्तर में विकास से संबंधित कोई भी कार्यकलाप करना इस प्राधिकरण का कार्य नहीं है।

## 8.12 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण नागर विमानन मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय होने के कारण इसे भारत के प्रमुख हवाईअड्डों के संबंध में टैरिफ निर्धारण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और वरिष्ठ नागरिकों की कोई भी कल्याण योजना चलाना इस प्राधिकरण का कार्य नहीं है।

## 8.13 दिव्यांगों के लिए सुविधाएं:

इस अवधि के दौरान, AERA कार्यालय उड़ान भवन में स्थानांतरित कर दिया है, जो सफदरजंग हवाईअड्डा परिसर में स्थित AERA, AAIB , BCAS, DGCA और AAI का नवनिर्मित संयुक्त कार्यालय भवन है। यहाँ लिफ्टें, रैंप और दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए अलग शौचालय भी उपलब्ध हैं। AERA की वेबसाइट भी उनके लिए अनुकूल है।

## 8.14 सतर्कता विभाग के कार्यकलापों और उपलब्धियों तथा नागरिक चार्टर संबंधी ब्यौरा:

रिपोर्ट की अवधि में AERA के किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध कोई सतर्कता मामला शुरू नहीं किया गया है और न ही लंबित है।

## 8.15 दिनांक 31.12.2025 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं दिव्यांगों के संबंध में पदों और सेवा में प्रतिनिधित्व

AERA में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति केवल प्रतिनियुक्ति आधार पर की जाती है। इसलिए AERA में नियुक्तियों के संबंध में आरक्षण नीति लागू नहीं है। तथापि AERA में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के पदाधिकारियों का विवरण इस प्रकार है:

| श्रेणी | कार्यरत कार्मिकों की संख्या | पदनाम | भर्ती की पद्धति |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 04 | सहायक-03, आशुलिपिक -01, तकनीकी प्रबंधक -01 | प्रतिनियुक्ति पर |
| अनुसूचित जनजाति | 01 | निदेशक (नीति एवं साख्यिकी) -01 | |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 06 | उप प्रमुख -01, अवर सचिव -02, | |

## 8.16 वर्ष के दौरान बैक्लॉग में आरक्षित रिक्तियों में से भरी गई, शेष और न भरी गई रिक्तियां तथा इसके कारण

प्राधिकरण द्वारा AERA के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती केवल प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाती है। अतः उक्त प्रावधान AERA पर लागू नहीं होता है।

## 8.17 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर, पूर्व सैनिको के लिए विभाग और उनके संगठनों द्वारा नामित संपर्क अधिकारी/अधिकारियों का विवरण, जैसाकि समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा जारी निदेशों के अनुसार अपेक्षित है

प्राधिकरण द्वारा AERA के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती केवल प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाती है। अतः उक्त प्रावधान AERA पर लागू नहीं होता है।

## 8.18 विभाग और उनके संगठनों द्वारा बनाए गए आरक्षण सेल का विवरण, जैसाकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा जारी निदेशों के अनुसार अपेक्षित है

प्राधिकरण (AERA) में अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती केवल प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाती है। इसलिए AERA में यह लागू नहीं होता है।

## 8.19 AERA में वर्ष 2025 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां आयोजित की गई:

| क्र. सं. | आदेश संख्या | विषय | जारी करने की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री गुरु राम दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर के लिए हितधारकों की परामर्श बैठक | दिनांक 19.12.2024 के परामर्श पत्र संख्या 06/2024-25, के संबंध में बैठक: श्री गुरु राम दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर (ATQ) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2024 से 31.03.2029) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण। | 03.01.2025 |
| 2. | गणतंत्र दिवस 2025 | गणतंत्र दिवस 2025 मनाए जाने के दौरान कविता, भाषण, गीत और नाटक/स्किट प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। | 24.01.2025 |
| 3. | IGI हवाईअड्डा, दिल्ली के लिए हितधारकों की परामर्श बैठक | दिनाक 31.01.2025 के परामर्श पत्र संख्या 07/2024-25, के संबंध में बैठक: आईजीआई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01.04.2024 से 31.03.2029) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण। | 17.02.2025 |
| 4. | विनियामक स्वरुप पर सेमिनार | कार्गो टर्मिनल प्रचालकों के लिए विनियामक स्वरुप पर सेमिनार | 28.02.2025 |
| 5. | अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 | अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और "महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे" विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। | 10.03.2025 |
| 6. | छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई के लिए हितधारकों की परामर्श बैठक | दिनांक 10.03.2025 के परामर्श पत्र संख्या 08/2024-25, के संबंध में बैठक: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई (CSMIA) के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01.04.2024 से 31.03.2029) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण | 25.03.2025 |
| 7. | स्वयं के कल्याण, स्वास्थ्य और क्षमता विकास से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ | “आँखें और हमारा स्वास्थ्य” विषय पर और “अपनी क्षमता को पहचानना और विकसित करना” विषय पर व्याख्यान आयोजित किए गए। | 22.01.2025<br>30.05.2025 |
| 8. | योग पर व्याख्यान | योग और उसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए व्याख्यान का आयोजन किया गया। | 23.05.2025 |

| क्र. सं. | आदेश संख्या | विषय | जारी करने की तारीख |
|---|---|---|---|
| **9.** | अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2025 | 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान प्राधिकरण के सभी कार्मिकों को योग के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें योग अभ्यास भी करवाए गए। | 21.06.2025 |
| **10.** | वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, पोर्ट ब्लेयर के लिए हितधारकों की परामर्श बैठक | वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, पोर्ट ब्लेयर के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2025 - 31.03.2030) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में दिनांक 18.07.2025 के परामर्श पत्र संख्या 02/2025-26 के संबंध में बैठक | 04.08.2025 |
| **11.** | स्वतंत्रता दिवस - 2025 | स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान, कविता, भाषण, गीत और नाटक/ स्किट प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, साथ ही 'हर घर तिरंगा अभियान-2025' के उपलक्ष्य में एक रंगोली प्रतियोगिता और एक तिरंगा संगोष्ठी भी आयोजित की गई। | 08.08.2025 to .08.2025 |
| **12.** | प्रमुख हवाईअड्डों के कार्य-निष्पादन मानक तैयार करने के लिए हितधारकों की परामर्श बैठक | दिनांक 18.08.2025 के परामर्श पत्र संख्या 03/2025-26 के संबंध में सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता तथा संबद्ध गतिविधियों के संबंध में प्रमुख हवाईअड्डों के कार्य निष्पादन मानक तैयार करना। | 10.09.2025 |
| **13.** | सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2025 का आयोजन | इस समारोह की थीम "सतर्कता: हमारी साझा ज़िम्मेदारी" थी। यह तीन माह (18 अगस्त से 17 नवंबर, 2025) का अभियान था। इस दौरान, प्राधिकरण के सभी कार्मिकों के लिए निम्नलिखित व्याख्यान और गतिविधियां आयोजित की गईं: -GeM प्रशिक्षण | 22.09.2025 |
| | | साइबर जागरूकता पर व्याख्यान | 06.10.2025 |
| | | प्रतिदिन के सरकारी कामों में सतर्कता संबंधी मार्गदर्शन | 09.10.2025 |
| | | (क्या करें, क्या न करें) संबंधी व्याख्यान | 10.10.2025 |
| | | सार्वजनिक खरीद पर व्याख्यान | 14.10.2025 |
| | | चार्जशीट तैयार करने पर व्याख्यान | 17.10.2025 |
| | | वित्त एवं वित्त प्रबंधन पर व्याख्यान | 31.10.2025 |
| | | राष्ट्रीय एकता दिवस, 2025 - एकता की शपथ | 04.11.2025 |
| | | आचरण नियमावली पर व्याख्यान | 17.11.2025 |

| क्र. सं. | आदेश संख्या | विषय | जारी करने की तारीख |
|---|---|---|---|
| 14 | हिंदी पखवाड़ा 2025 | कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें हिंदी शब्द-सामर्थ्य, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टाइपिंग, हिंदी श्रुतलेख, हिंदी नोटिंग और ड्राफ्टिंग, भाषण, क्विज़ और हिंदी कविता पाठ शामिल हैं। | 14.09.2025 to 30.09.2025 |
| 15 | साफ-सफाई और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 5.0 | साफ-सफाई और लंबित मामलों के निपटान के लिए कई कार्य किए गए। | 02.10.2025 to 31.10.2025 |
| 16 | स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रायपुर के लिए हितधारकों की परामर्श बैठक | दिनांक 30.10.2025 के परामर्श पत्र संख्या 04/2025-26, के संबंध में स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, रायपुर (आरपीआर) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2025 - 31.03.2030) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में बैठक। | 14.11.2025 |
| 17 | संविधान दिवस 2025 | इस अवसर पर प्राधिकरण के सभी कार्मिकों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और उसके बाद 'संविधान की मूल संरचना और मौलिक अधिकार' पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया। | 26.11.2025 |

**अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस - 2025**

**एकता शपथ**

**संविधान दिवस - 2025**

**अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस - 2025**

# 9. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

## 9.1 परिचय

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) 1 अप्रैल 1995 को अस्तित्व में आया । भाविप्रा का गठन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में किया गया है। इसे देश के विमानपत्तनों पर वायु यातायात सेवाओं, यात्री टर्मिनलों, प्रचालन क्षेत्रों तथा कार्गो सुविधाओं के एकीकृत विकास, विस्तार एवं आधुनिकीकरण में गति लाने के उद्देश्य से तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय कर बनाया गया है

## 9.2 भाविप्रा के मुख्य कार्य

### विमानपत्तन विकासकर्ता के रूप में

- भारत में अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलु विमानपत्तनों तथा सिविल एन्क्लेवों की अभिकल्पना, विकास, प्रचालन एवं रखरखाव करना।
- प्रचालन क्षेत्र, अर्थात रनवे, एप्रन, टैक्सीवे आदि का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करना।
- यात्री टर्मिनलों तथा अन्य विमानपत्तन सुविधाओं का निर्माण, संशोधन एवं प्रबंधन करना।
- कार्गो टर्मिनलों का विकास एवं प्रबंधन करना (अपनी सहायक कंपनी – आईक्लास के माध्यम से) ।
- यात्री सुविधाओं एवं सूचना प्रणाली का प्रावधान सुनिश्चित करना।

### वायु दिक्चालन सेवा प्रदाता के रूप में

- ICAO द्वारा स्वीकृत देश की क्षेत्रीय सीमाओं से परे विस्तारित भारतीय वायुक्षेत्र को नियंत्रित एवं प्रबंधित करना।
- उड़ानों की संरक्षा एवं दक्षता सुनिश्चित करना।
- भारतीय वायुक्षेत्र के संचार, दिक्चालन एवं निगरानी हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रावधान करना।

## 9.3 वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वित्तीय प्रदर्शन (अनुमान)

### अनुमानित वित्तीय मुख्य बिंदु

(करोड़ रुपए में)

| विवरण | धनराशी |
|---|---|
| राजस्व | 20,004.03 |
| व्यय | 12431.35 |
| कर पूर्व लाभ | 7572.68 |
| कर पश्चात लाभ | 5666.79 |
| लाभांश | 1700.04 |

### राजस्व मुख्य बिन्दु (अनुमान)

(करोड़ रुपए में)

| विवरण | धनराशी |
|---|---|
| वायु दिक्चालन सेवाएँ | 5206.97 |
| वैमानिकी हवाई अड्डा सेवाएँ | 5903.04 |
| गैर-वैमानिकी हवाई अड्डा सेवाएँ | 2192.54 |
| हवाई अड्डा पट्टा राजस्व | 5719.55 |
| अन्य आय | 981.93 |
| कुल राजस्व | 20004.03 |

### व्यय मुख्य बिन्दु (अनुमान)

(करोड़ रुपए में)

| विवरण | विवरण |
|---|---|
| कार्मिक लाभ व्यय | 5151.72 |
| प्रचालन व्यय | 3177.97 |
| प्रशासनिक एवं अन्य व्यय | 1045.56 |
| वित्तपोषण शुल्क | 131.10 |
| मूल्यह्रास | 2925.00 |
| सुरक्षा व्यय | - |
| **कुल व्यय** | **12431.35** |

## वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोष में योगदान (अनुमान)

(करोड़ रुपए में)

| लाभांश | गारंटी शुल्क | आयकर | जीएसटी | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1700.04 | 1.98 | 2243.00 | 3040.00 | **6985.02** |

नोट: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभांश की गणना, DIPAM के दिशानिर्देशों के आधार पर, कर पश्चात अनुमानित लाभ के 30% की दर से की गई है।

### राजस्व (करोड़ रुपये में)

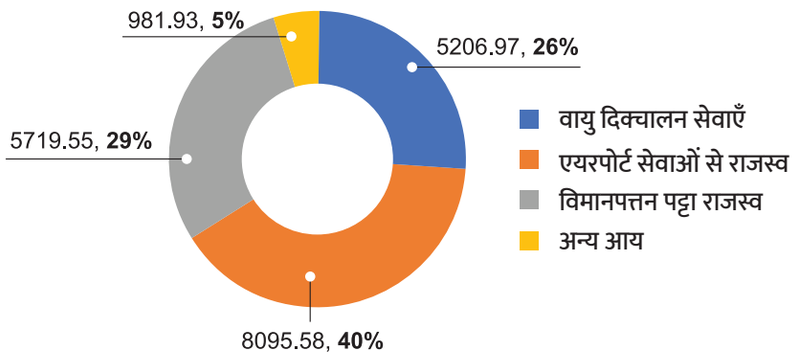


### विमानपत्तन सेवा राजस्व (करोड़ रुपये में)

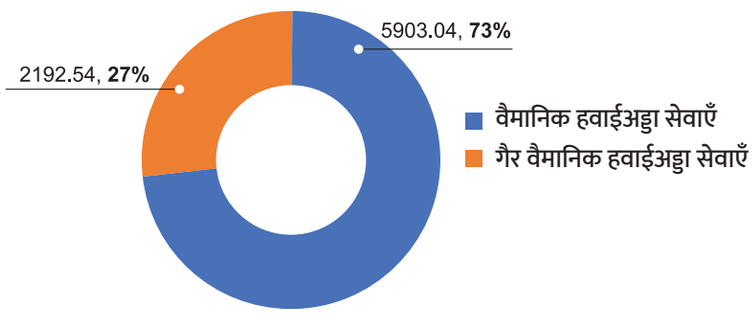


### Expenditue (Rs. in Crore)

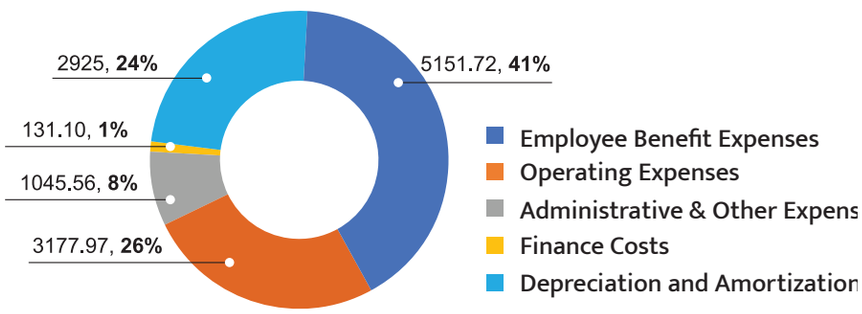

### भाविप्रा द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय (CAPEX)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संबंध में 01 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक हुआ CAPEX और अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक होने वाला अनुमानित व्यय नीचे सारणीबद्ध है : -

(करोड़ रुपए में)

| अवधि | किया गया पूंजीगत व्यय |
|---|---|
| जनवरी 25 से मार्च 25 | 2375.43 |
| अप्रैल 25 से मार्च 26 ( अनुमानित) | 4800.00 |
| कुल | 7175.43 |

## 9.4 यातायात प्रबंधन ( वर्ष 2025 बनाम वर्ष 2024) प्रदर्शन (अनुमान)

वर्ष 2025 में अर्थात कोविड के बाद के समय में, भारतीय हवाईअड्डों पर तीनों मोर्चों पर वायु यातायात में वर्ष 2024 की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सभी भारतीय हवाईअड्डों को मिलाकर वर्ष 2025 में 420 मिलियन यात्रियों के आवागमन को संभालने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2024 में यह 401 मिलियन था, जो 5% की बढ़ोतरी दिखाता है। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 के दौरान कुल विमान आवागमन और माल ढुलाई आवागमन में क्रमशः 2% और 5% की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2025 के दौरान संभाले गए यातायात का विवरण और वर्ष 2024 से तुलना नीचे दी गई है

| विवरण | 2025 | 2024 | %परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| **विमान आवागमन ('000 में)** | | | |
| **अंतरराष्ट्रीय** | 482.95 | 457.26 | 5.62% |
| **घरेलु** | 2416.54 | 2374.44 | 1.77% |
| **कुल** | **2899.50** | **2831.69** | **2.39%** |
| **विमान आवागमन ('000 में)** | | | |
| **अंतरराष्ट्रीय** | 81.13 | 75.47 | 7.49% |
| **घरेलु** | 338.91 | 325.31 | 4.18% |
| **कुल** | **420.03** | **400.78** | **4.80%** |
| **विमान आवागमन ('000 में)** | | | |
| **अंतरराष्ट्रीय** | 2418.23 | 2316.32 | 4.40% |
| **घरेलु** | 1479.61 | 1383.95 | 6.91% |
| **कुल** | **3897.84** | **3700.27** | **5.34%** |

**नोट: दिसंबर, 2025 का यातायात अनंतिम है।**

## 9.5ACI-ASQ पुरस्कार 2024

हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता (ASQ) सर्वेक्षण विश्व प्रसिद्ध और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित वैश्विक बेंचमार्किंग कार्यक्रम है जो यात्रियों की संतुष्टि को मापता है और इसका संचालन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) द्वारा किया जाता है।

ASQ सर्वेक्षण 32 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर यात्रियों की संतुष्टि को मापता है, जिसमें 8 प्रमुख श्रेणियां सम्मिलित हैं जैसे कि हवाई अड्डे पर आगमन, चेक-इन, सुरक्षा जांच, सीमा/पासपोर्ट नियंत्रण, खरीदारी/भोजन, गेट क्षेत्र, पूरे हवाई अड्डे में और हवाई अड्डे का परिवेश। ASQ पुरस्कार विश्व भर के उन हवाईअड्डों को पुरस्कृत करते हैं जो अपने यात्रियों के मतानुसार सर्वश्रेष्ठ ग्राहक अनुभव प्रदान करते हैं।

वर्ष 2025 में, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया प्रशांत के लगभग 381 हवाईअड्डों पर ACI-ASQ सर्वेक्षण किया गया। 2025 में, 30 भारतीय हवाईअड्डों ने ASQ सर्वेक्षण में भाग लिया, जिनमें से 17 भाविप्रा हवाई अड्डे (CHIAL सहित) थे।

वर्ष 2024 में, चंडीगढ़ हवाईअड्डे को आकार और क्षेत्र (एशिया-प्रशांत में प्रति वर्ष 2-5 मिलियन यात्री) श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया।

## 9.6 पर्यावरण संधारणीयता हेतु भाविप्रा द्वारा पहल

ग्लासगो में COP26 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 'पंचामृत मंत्र' के अनुरूप भाविप्रा नवीकरणीय ऊर्जा और उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के साथ हरित हवाईअड्डों के मिशन पर सतत अग्रसर है।

इस कार्य को पूर्ण करने हेतु, भाविप्रा ने एक "पर्यावरण नीति" तैयार की है, जिसका उद्देश्य उपयुक्त उपायों के कार्यान्वयन द्वारा कार्बन तटस्थता और नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- किफायती हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अधिकतम उपयोग सहित ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण उपायों को लागू करके ऊर्जा खपत को अनुकूलित करना।
- वैकल्पिक हरित ईंधन को बढ़ावा देकर और अपनाकर जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण और सुविचारित उपयोग सुनिश्चित करना।
- संरचनात्मक अखंडता आवश्यकताओं और सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना हरित भवन अभिकल्प अवधारणाओं और पर्यावरण अनुकूल और जैवनिम्नीकरणीय उत्पादों के इष्टतम उपयोग को समायोजित करना।
- संधारणीय परिवहन प्रौद्योगिकियों और कार्यनीतियों को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के साथ एकीकृत करना।
- संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों और उचित निपटान को लागू करना।
- अस्वीकरण, न्यूनीकरण, पुनरुपयोग, पुनप्रयोजन और पुनर्चक्रण की संस्कृति को विकसित कर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।
- वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल शोधन और अपव्यय को कम करने के लिए अन्य नवीन पद्धतियों के माध्यम से जल संरक्षण को लागू करना।
- • सर्वोत्तम एवं तकनीकी रूप से उन्नत प्रक्रियाओं को अपनाकर तथा प्रचलित सर्वोत्तम उद्योग पद्धतियों को क्रियान्वित करके GHG संसाधनों का दस्तावेजीकरण एवं परिमाणीकरण करना तथा कार्बन फुटप्रिंट को कम करना।को कम करने के लिए अन्य नवीन पद्धतियों के माध्यम से जल संरक्षण को लागू करना।
- हवाई अड्डे के टर्मिनलों पर आंतरिक वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए वायु-गुणवत्ता की निगरानी करना तथा प्रचलित सर्वोत्तम पद्धतियों को लागू करना।
- सर्वोत्तम वायु यातायात प्रबंधन सुविधाओं, पद्धतियों और प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करना/अपनाना।
- सभी लागू पर्यावरण अनुपालन दायित्वों को पूरा करना।भाविप्रा अपने हवाईअड्डों पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।भाविप्रा लागत प्रभावी रूप से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऊर्जा दक्षता में सुधार और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पद्धतियों को अपनाने का भी प्रयास कर रहा है।सभी आगामी परियोजनाओं की योजना और अभिकल्पना उद्योग की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाकर और ECBC अनुरूप विद्युत उपकरणों का चयन करके GRIHA-5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए बनाई गई है।

  प्रचालन दक्षता में सुधार के लिए, वायु क्षेत्र का स्थिति अनुरूप उपयोग (FUA), हवाई अड्डा सहयोगात्मक निर्णयन (A-CDM), केंद्रीय वायु यातायात प्रवाह प्रबंधन - (C-ATFM), प्रस्थान स्लॉट प्रबंधन (DSM), - प्रदर्शन आधारित दिक्चालन (PBN) और निरंतर - अवरोही प्रचालन (CDO) जैसे उपाय लागू किए गए हैं।

### वर्ष के दौरान भाविप्रा ने निम्नलिखित उपलब्धियां अर्जित की हैं:)

- वर्ष 2025 के दौरान भाविप्रा ने 18 हवाईअड्डों पर 100% हरित/नवीकरणीय ऊर्जा (आर ई ) पर प्रचालन प्रारंभ किया तथा दिनांक 31.12.2025 तक कुल 92 हवाईअड्डों को 100% RE द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है।
- संरचनात्मक अखंडता आवश्यकताओं और सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना हरित भवन

अभिकल्प अवधारणाओं और पर्यावरण अनुकूल और जैवनिम्नीकरणीय उत्पादों के इष्टतम उपयोग को समायोजित करना।

- वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न भाविप्रा हवाईअड्डों पर लगभग 1.70 मेगा वाट की संचयी क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए तथा दिनांक 31.12.2025 तक भाविप्रा ने 67 हवाईअड्डों पर लगभग 59 मेगा वाट की संचयी स्थापित सौर संयंत्र क्षमता प्राप्त की।
- स्थिति अनुरूप उपयोग (FUA), के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, अगस्त 2020 में इसके कार्यान्वयन के पश्चात् दिसंबर 2025 तक लगभग 3,76,805.44 tCO2 के कार्बन उत्सर्जन में संचयी कमी के अतिरिक्त ATF व्यय में लगभग रु 1188.43 करोड़ की संचयी बचत प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय वायु सेना, रक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श एवं समन्वय में FUA के कार्यान्वयन के बाद से लगभग 137 CDR (सशर्त मार्ग) प्रवर्तित किए गए हैं।
- भाविप्रा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा DGCA के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने हवाईअड्डों पर नॉइस मैपिंग भी कर रहा है। वर्ष 2025 के दौरान DGCA द्वारा 05 भाविप्रा हवाईअड्डों के लिए नॉइस मैपिंग रिपोर्टों को अनुमोदित किया गया, जिसके फलस्वरूप नॉइस मैपिंग किए गए हवाईअड्डों की कुल संख्या 17 हो गई है तथा DGCA के अनुमोदन के साथ हवाईअड्डा नॉइस ज़ोन को भाविप्रा की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।
- संधारणीय हरित हवाई अड्डा मिशन SUGAM (Sustainable Green Airports Mission) पुस्तिका के द्वितीय संस्करण का विमोचन माननीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू द्वारा 04 सितंबर 2025 को इटानगर में आयोजित नागर विमानन पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र मंत्रियों के सम्मेलन एवं तृतीय उत्तर पूर्वी विमानन समिट के अवसर पर किया गया। उक्त पुस्तिका में भारतीय हवाईअड्डों में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की प्रगति के साथ-साथ विभिन्न पर्यावरणीय पहलों को रेखांकित किया गया है जो हरित प्रचालन को आकार दे रही हैं।

## 9.7 महिला कल्याण पहल

भर्ती गतिविधियों में महिलाओं की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, भाविप्रा अपनी सभी भर्ती प्रक्रियाओं में महिला उम्मीदवारों से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लेता है। महिला कार्मिकों को अधिक सहायक वातावरण प्रदान करने के निरंतर प्रयास में, भाविप्रा प्रबंधन IVF के साथ सरोगेसी के मामले में अपनी महिला कार्मिकों को मातृत्व अवकाश का लाभ दे रहा है ।

भाविप्रा में महिला कार्मिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, एकल महिला कार्मिकों के लिए छात्रावास आवास का प्रावधान प्रारंभ किया है।

## 9.8 लोक शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदम

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) में शिकायत निवारण तंत्र उत्तरदायित्व सुनिश्चित एवं प्रबंधनीय गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए जनता की शिकायतों और मुद्दों का शीघ्रता और पारदर्शिता से समाधान करता है इन तंत्रों को सुदृढ़ करने से शिकायतों का शीघ्र समाधान करने, नौकरशाही की अकुशलताओं को कम करने तथा सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने में सहायता मिल सकती है।

शिकायतें भाविप्रा को तत्काल समस्याओं को ठीक करने का अवसर प्रदान करती हैं। वे सेवाओं में सुधार, वैश्विक कार्यप्रणाली को अपनाने, सेवाओं के उन्नयन आदि के लिए रचनात्मक विचार भी प्रदान करते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में लोक शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने से न केवल यात्रियों की शिकायतों का समय पर समाधान करने में सहायता मिलेगी, बल्कि इससे हमारे यात्रियों और अन्य हितधारकों के साथ अधिक मजबूत और अटूट संबंध भी बनेगा।

### भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) में लोक शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने की कार्यनीतियाँ

**ए) उन्नत डिजिटल मंच (प्लेटफॉर्म)** शिकायत पंजीकरण और ट्रैकिंग को व्यवस्थित करने के लिए भाविप्रा सभी यात्रियों और उपयोर्कताओं हेतु उपयोगकर्ता-हितैषी, केंद्रीकृत डिजीटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है।

**बी) जागरूकता और पहुंच में वृद्धिः** सभी भाविप्रा हवा-ईअड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले, उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली मॉनिटरों तथा पूरे हवाईअड्डे पर बैनरों और स्टैंडियों के द्वारा यात्री शिकायत दर्ज करने के विभिन्न माध्यम प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भाविप्रा के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर

भी यात्रियों को शिकायत निवारण की प्रक्रिया के संबंध में सूचना दी जाती है।

**सी) कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माणः** शिकायत प्रबंधन और सहानुभूति आधारित संवाद में भाविप्रा अधिकारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे अधिक प्रभावकारी निवारण संभव हो पाता है।

**डी) अंतर-एजेंसी समन्वयः** भाविप्रा और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों का कुशलता-पूर्वक निपटान किया जा सके।

**ई) निगरानी और प्रतिक्रियाः** भाविप्रा के पास शिकायतों की निगरानी और आवधिक मूल्यांकन हेतु एक मजबूत प्रणाली है, जिसमें नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन भी सम्मिलित हैं जो शिकायत निवारण प्रक्रिया में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है।

**फ) समय सीमा आधारित निवारणः** अनावश्यक विलंब से बचने एवं प्रतिक्रिया समय में सुधार हेतु विभिन्न श्रेणियों की शिकायतों के लिए अनिवार्य समय-सीमा का पालन किया जाता है। हालाँकि कुछ मामलों में, जिसमें कई एजेंसियां सम्मिलित होती है निवारण में अधिक समय लगता है जैसे पेंशन मामले, शिकायत का यथासंभव कम समय में समाधान करने का प्रयास किया जाता है।

## 9.9 अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) कार्य

कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान भाविप्रा द्वारा किए गए अभियांत्रिकी कार्य जैसे (ए) भवनों या सुविधाओं का शिलान्यास/उद्घाटन; (बी) पूर्ण हो चुकी पूंजीगत योजनाएं; (सी) प्रगति-पर पूंजीगत योजनाएं; और (डी) योजनाधीन परियोजनाएं का विवरण **अनुलग्नक-III** में प्रदान किया गया है।

## 9.10 CNS – O&M

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण महाद्वीपीय और महासागरीय वायु क्षेत्र में वायु दिक्चालन सेवाएं प्रदान करने, संचार, दिक्चालन, निगरानी, ATM स्वचालन प्रणालियों और सहायक प्रणालियों के प्रचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इसका उद्देश्य सुरक्षित, संरक्षित और लागत प्रभावी वायु दिक्चालन सेवाओं के लिए प्रचालन उपयोग हेतु सी एन एस /ATM सुविधाओं की उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

CNS - O&M निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न अनुभागों / इकाइयों की प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

### ए. दिक्चालन सुविधा (Nav-Aids) प्रभाग का प्रदर्शन:

- कैलेंडर वर्ष 2025 (1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025) में, विभिन्न दिक्चालन (Nav-Aids) सुविधाएं नई/प्रतिस्थापन/ट्रांस- संस्थापन (इंस्टॉलेशन) के रूप में शुरू की गई हैं, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - तेरह (13) इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS)।
  - दस (10) डॉप्लर अति उच्च आवृत्ति ओमनी दिशात्मक रेंज (DVOR)।
  - उन्नीस (19) दूरी मापक उपकरण (DME) जिसमें बारह (12) कम शक्ति (एलपी) DME और सात (07) उच्च शक्ति (एचपी) DME सम्मिलित हैं।
- कैलेंडर वर्ष 2025 (1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025) में निम्नलिखित स्टेशनों पर ILS की श्रेणी (CAT) का उन्नयन कार्य पूर्ण किया गया:
  - दिल्ली : आई एल एस आरडब्ल्यू वाई 10 (ILS RWY 10) (CAT -I से CAT -III 10.11.2025 से प्रभावी)
  - कोलकाता : ILS RWY 19L (CAT -I से CAT -III 27.11.2025 से प्रभावी) - उन्नीस (19) दूरी मापक उपकरण (DME) जिसमें बारह (12) कम शक्ति (एलपी) DME और सात (07) उच्च शक्ति (एचपी) DME सम्मिलित हैं।
  - भोपाल: ILS RWY 30 (CAT -I से CAT -II 02.10.2025 से प्रभावी)
  - रायपुर: ILS RWY 24 (CAT -I से CAT -II 20.02.2025 से प्रभावी)
  - भुवनेश्वर : ILS RWY 14 (CAT -I से CAT -II – CAT -II अप्रोच लाइटिंग सिस्टम के कमीशन होने के पश्चात प्रारंभ किया जाएगा)
- उपर्युक्त शुरू की गई दिक्चालन सहायता सुविधाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में प्रदान किया गया है:

| कमीशन किए गए Nav-Aids की स्थिति | | | |
|---|---|---|---|
| क्रम सं | हवाई अड्डा | सुविधा | कमीशन होने की तिथि |
| 1 | कालीकट | LP-DME | 16.01.2025 |
| 2 | त्रिची | DVOR/HP DME | 23.01.2025 |
| 3 | रायपुर | ILS/LPDME | 20.02.2025 |
| 4 | तिरुपति | ILS | 20.02.2025 |
| 5 | तिरुपति | DVOR | 20.02.2025 |
| 6 | लेंगपुई | LP-DME | 04.03.2025 |
| 7 | अहमदाबाद | DVOR | 20.03.2025 |
| 8 | जेवर | ILS/LPDME RWY -10L | 15.05.2025 |
| 9 | जेवर | ILS/LPDME RWY-28R | 15.05.2025 |
| 10 | नवी मुंबई | ILS/LPDME RWY-26L | 15.05.2025 |
| 11 | नवी मुंबई | ILS/LPDME RWY-08R | 15.05.2025 |
| 12 | जेवर | DVOR/HP DME | 15.05.2025 |
| 13 | नवी मुंबई | DVOR/HP DME | 15.05.2025 |
| 14 | गया | ILS/LPDME | 15.05.2025 |
| 15 | झारसुगुडा | LP-DME | 17.04.2025 |
| 16 | हिसार | DVOR/ HP DME | 11.04.2025 |
| 17 | गोंदिया | ILS/LPDME | 12.06.2025 |
| 18 | गोंदिया | DVOR/HP DME | 12.06.2025 |
| 19 | BIAL 27R | ILS/LPDME | 07.08.2025 |
| 20 | BIAL 09L | ILS/LPDME | 07.08.2025 |
| 21 | सूरत | DVOR/HPDME | 02.10.2025 |
| 22 | कोलकाता RWY 19L | ILS | 27.11.2025 |
| 23 | दिल्ली 28 | ILS | 27.11.2025 |
| 24 | दिल्ली 10 | ILS | 27.11.2025 |
| 25 | कोलकाता | DVOR | 27.11.2025 |
| 26 | बिलासपुर | DVOR/HPDME | 09.12.2025 |

## बी . स्वचालन अनुभाग (ऑटोमेशन सेक्शन) का प्रदर्शन :

- सॉफ्टवेयर सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट: - दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु हवाईअड्डों और सेंट्रल एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट दिल्ली के अत्यंत महत्वपूर्ण ऑटोमेशन सिस्टम को OEM के साथ अनुरक्षण समर्थन संविदा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

- कोलकाता में टावर प्रचालन 25.02.2025 को नए कंट्रोल टावर सह तकनीकी ब्लॉक से प्रारंभ हुआ।

- जेवर और IGIए, दिल्ली में स्वचालन प्रणाली के बीच सूचना आदान-प्रदान की सुविधा के लिए 12.08.2025 को "NIA, जेवर और IGIA, दिल्ली में स्वचालन प्रणाली के एकीकरण" के लिए OEM को संविदा प्रदान की गई है।

- 19.09.2025 को सेंट्रल विस्टा और CCCR उड़ान भवन, बीसीएएस मुख्यालय, नई दिल्ली में RASAM (रिमोट ATC सिचुएशन अवेयरनेस मॉनिटरिंग) सिस्टम के SITC के लिए OEM को संविदा दी गई है, ताकि सेंट्रल विस्टा भवन में COSAH कंट्रोल रूम और उड़ान भवन, नई दिल्ली में BCAS मुख्यालय कंट्रोल रूम में स्थितिजन्य जागरूकता की सुविधा मिल सके।

- दिल्ली में संस्थापित CNS /ATM प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए "SITC" की संविदा दी गई है, ताकि साइबर सुरक्षा अवसंरचना को बेहतर बनाया जा सके। इसमें दिल्ली के आई जी आई के सभी CNS /ATM अवसंरचना की साइबर सुरक्षा प्रोटेक्शन शामिल होगी। इस परियोजना में सुरक्षा प्रचालन केंद्र स्थापित किया जाएगा और DDOS, NPM, DATA डायोड, SIEM, IPS, Sys log सर्वर, WAF, UTM और फ़ायरवॉल प्रबंधन प्रणाली जैसे अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा टूल्स/उपकरण डिप्लॉय किए जाएगें।

- बड़े हवाईअड्डों पर CNS/ATM अवसंरचना का साइबर सुरक्षा ऑडिट करने के लिए 2 वर्ष के लिए सर्ट-इन एम्पैनल्ड एजेंसी को संविदा प्रदान की गई है।

- NCIIPC द्वारा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर CATC में आयोजित एडवांस साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रम में 50 ATSEP को प्रशिक्षण दिया गया ।

- कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 800 ATSEP को साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया ।

- CNS/ATM प्रणाली की साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख हवाईअड्डों पर UTM/फायरवॉल का इंस्टॉलेशन/कमीशन कार्य पूर्ण हो गया है।

## सी. भविष्योन्मुखी दूरसंचार अवसंरचना (FTI) अनुभाग:

- भाविप्रा ने BOO (निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन) मॉडल पर प्रबंधित सेवा प्रदाता (MSP) की सहायता से दूरसंचार अवसंरचना के सृजन के लिए प्रमुख पहल की है। यह एक घरेलू ग्राउंड टू ग्राउंड (G/G) संचार अवसंरचना है जो वर्तमान और भविष्य की वायु यातायात संचार आवश्यकताओं को पूरा करने और एयर-ग्राउंड (A/G) संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा का समर्थन करने में सक्षम है। यह 99.9% से 99.999% उपलब्धता वाली SLA-आधारित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में FTI भारत भर में 83 स्थानों पर उपलब्ध है, जो वॉयस और डेटा अनुप्रयोगों को कवर करता है। वर्तमान में, 367 सेवाएं एफटीआई पर चल रही हैं जिनकी औसत उपलब्धता 99.91% है।

- सुदृढ़ और स्थिति अनुरूप FTI अवसंरचना, बेहतर SLA प्रदान करेगा, जो न्यूनतम पृथक्करण को कम करने में संभावित रूप से सहायक होगा, जिससे वायु क्षेत्र की क्षमता बढ़ेगी और परिणामस्वरूप भाविप्रा के लिए राजस्व सृजन में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, लिंक्स की उच्च उपलब्धता से ATCO को वायु क्षेत्र की स्थिति के बारे में निरंतर जानकारी रखने में सहायता मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप वायु संरक्षा में वृद्धि होगी।में FTI भारत भर में 83 स्थानों पर उपलब्ध है, जो वॉयस और डेटा अनुप्रयोगों को कवर करता है। वर्तमान में, 367 सेवाएं FTI पर चल रही हैं जिनकी औसत उपलब्धता 99.91% है

## डी. संचार अनुभाग का प्रदर्शन :

- 2025 के दौरान सम्पूर्ण भारत में VCCS /VHF रेडियो / VHF फ़्रीक्वेंसी से जुड़े कमीशन हुए कार्यों का सार नीचे दिया गया है –

| VCCS प्रणाली कमीशनिंग | | |
|---|---|---|
| **एयरपोर्ट** | **कमीशनिंग तिथि** | **नया/प्रतिस्थापन (मेक)** |
| मदुरै | 14/08/2025 | ट्रांस-इंस्टॉलेशन (SITTI/Multifono M800IP) |
| डिब्रूगढ़ | 19/08/2025 | नई सुविधा (SITTI / Multifono M800IP) |
| नवी मुंबई | 09/09/2025 | नई सुविधा (DICOM / ICS2020) |
| तिरुपति | 27/10/2025 | प्रतिस्थापन (DICOM / ICS2020) |
| नोएडा (जेवर) | 18/11/2025 | नई सुविधा (DICOM / ICS2020) |

| नए तकनीकी ब्लॉक में VHF सुविधा का ट्रांस-इंस्टालेशन | | |
|---|---|---|
| **एयरपोर्ट** | **NTB में VHF सुविधा का शुभारंभ** | **उपकरण विवरण** |
| कोल्हापुर | 22/04/2025 | 06 VHF रेडियो सेट और उससे जुड़े सामान |
| तूतीकोरिन | 25/07/2025 | 04 VHF रेडियो सेट और उससे जुड़े सामान |
| मदुरै | 14/08/2025 | 08 VHF रेडियो सेट और उससे जुड़े सामान |
| डिब्रूगढ़ | 01/09/2025 | 05 VHF VHF रेडियो सेट और उससे जुड़े सामान |
| तिरुपति | 17/09/2025 | 08 VHF रेडियो सेट और उससे जुड़े सामान |

| नई VHF सुविधा/आवृत्ति कमीशनिंग | | |
|---|---|---|
| **एयरपोर्ट** | **VHF आवृत्ति की संख्या** | **नोटम तिथि** |
| अमरावती (बेलोरा) हवाई अड्डा | 02 | 15-05-2025 |
| हिसार हवाई अड्डा | 02 | 12-04-2025 |
| दिल्ली आईजीआई हवाई अड्डा | 03 | 12-06-2025 |
| कालीकट हवाई अड्डा | 02 | 02-10-2025 |
| जमशेदपुर हवाई अड्डा | 01 | 27-11-2025 |
| नवी मुंबई हवाई अड्डा | 10 | 18-08-2025 |
| नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | 08 | 18-11-2025 |

| VHF RCAG सुविधा का चालू होना | | |
|---|---|---|
| **हवाई अड्डे का नाम** | **VHF आवृत्ति की संख्या** | **कमीशनिंग तिथि** |
| भोपाल RCAG साइट | 01 | 27-02-2025 |
| खजुराहो RCAG साइट | 02 | 07-07-2025 |
| कोल्हापुर RCAG साइट | 01 | 21-07-2025 |

| नए IP आधारित VHF रेडियो (मेक - Jotron2024) कमीशनिंग | | | |
|---|---|---|---|
| **एस. नं.** | **एयरपोर्ट** | **कमीशनिंग तिथि** | **VHF रेडियो की संख्या (नया/रिप्लेसमेंट)** |
| 1 | तूतीकोरिन | 25/07/2025 | 4 |
| 2 | नवी मुंबई | 18-08-2025 | 23 |
| 3 | नोएडा (जेवर) | 18-11-2025 | 20 |
| 4 | तिरुपति | 17-09-2025 | 3 |

- **WPC क्लीयरेंस:** वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग या संचार सुविधा से मिली WPC क्लीयरेंस निम्नानुसार हैं:

| No. of WPC Clearances obtained | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम संख्या** | **सुविधा** | **DL** | **SACFA मंजूरी** | **WOL** | **आयात लाइसेंस** |
| 1. | ADS-B | 11 | 11 | 2 | - |
| 2. | ASMGCS (SMR-MLAT) | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 3. | RADAR (ASR-MSSR) | 4 | 9 | 9 | 11 |
| 4. | DME | 17 | 33 | 12 | - |
| 5. | DVOR | 9 | 20 | 12 | - |
| 6. | HF | - | 38 | - | - |
| 7. | ILS | 18 | 22 | 16 | - |
| 8 | NDB | - | 6 | 8 | - |
| 9 | VHF | 23 | 50 | 93 | - |
| | कुल | 85 | 187 | 159 | 13 |

- **डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सिस्टम चालू करना/ ट्रांस-इंस्टॉलेशन चालू करना:** पूरे भारत में अलग-अलग हवाईअड्डों पर 13 DVR चालू किए गए हैं/ट्रांस-इंस्टॉलेशन चालू किया जा रहा है और उन्हें सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।
- **डेटिस सिस्टम चालू करना/ट्रांस-इंस्टॉलेशन चालू करना:** 9 DATIS सिस्टम पूरे भारत में अलग-अलग एयरपोर्ट पर चालू/ट्रांस-इंस्टॉलेशन चालू किए जा चुके हैं और सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं।
- **AMSS सिस्टम: वै**मानिक संदेश के लेन-देन के लिए आरडबल्यूएस के ज़रिए दिल्ली-जेवर और मुंबई-नई मुंबई के बीच कनेक्टिविटी बनाई गई।

## ई. मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन अनुभाग का प्रदर्शन:

### मानकीकरण:

- संचार परिपत्र : संचार/ATM सुविधाओं के प्रचालन और रखरखाव प्रबंधन को आसान बनाने और गाइडेंस के लिए 04 संचार परिपत्र और 04 संचार टेक्निकल एडवाइजरी सर्कुलर जारी किए गए हैं।
- संचार मैनुअल: निगमित मुख्यालय द्वारा जारी संचार मैनुअल को अद्यतन किया गया।
- स्टेशन संचार मैनुअल: DGCA की गाइडलाइंस के अनुसार निगमित मुख्यालय ने 79 स्टेशनों के अपडेटेड संचार मैनुअल को मंज़ूरी दी। मंज़ूर किए गए स्टेशन संचार मैनुअल का विवरण नीचे दिया गया है: - पूर्वी क्षेत्र - 17 स्टेशन

  - उत्तर पूर्वी क्षेत्र - 15 स्टेशन

  - उत्तर क्षेत्र– 14 स्टेशन

-दक्षिणी क्षेत्र – 20 स्टेशन

-पश्चिमी क्षेत्र – 13 स्टेशन

## एफ. संचार सिमुलेशन अध्ययन / मल्टीपाथ अध्ययन:

- संचार सिमुलेशन अध्ययन किसी भी संरचना/बिल्डिंग से संबंधित संचार सुविधाओं के प्रदर्शन पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है और अगर सिमुलेशन अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि संचार सुविधाओं के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा है, तो एयरोड्रम परिसर (एयर साइड और सिटी साइड) के अंदर ऐसे संरचना/बिल्डिंग बनाने की इजाज़त है। सिमुलेशन अध्ययन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरपोर्ट कंट्रोल एंड सर्वे सॉफ्टवेयर टूल का इस्तेमाल करके कंप्यूटर मॉडलिंग बनाकर किया जाता है। संचार सिमुलेशन अध्ययन ILS, VOR/DME, रडार वगैरह की सिटिंग के लिए भी किया जाता है।
- ILS /LLZ CAT-II और CAT-III के परफॉर्मेंस पर पड़ने वाले असर को विश्लेषित करने के लिए मल्टीपाथ अध्ययन किया जाता है । मल्टीपाथ अध्ययन उन बिल्डिंग/स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है जो रनवे थ्रेशोल्ड के 1050 M के अंदर हैं और LLZ एंटीना से +\- 18 डिग्री तक का एंगल बनाते हैं (छोटे या मीडियम LLZ एंटीना के मामले में) या एलएलज़ेड एंटीना से +\- 15 डिग्री तक का एंगल बनाते हैं (वाइड अपर्चर LLZ एंटीना के मामले में)।
- जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025 तक संचार सिमुलेशन सेल द्वारा किए गए संचार सिमुलेशन अध्ययनों और मल्टीपाथ अध्ययनों की कुल संख्या 381 (सिमुलेशन अध्ययन- 52 और मल्टीपाथ अध्ययन- 329) है।

## जी. CNS-मानव संसाधन प्रबंधन (HRM) अनुभाग:

**एयर ट्रैफिक सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल ट्रेनिंग:** एयर ट्रैफिक सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल के प्रशिक्षण के लिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन करने के लिए, जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच कुल 1196 ATSEP ने अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी की। इस दौरान, सभी पांच क्षेत्रों में 72 प्रोफिशिएंसी लिंक्ड इंटीग्रेटेड (PLI), 39 नॉन-प्रोफिशिएंसी लिंक्ड इंटीग्रेटेड (NPLI) ट्रेनिंग और 08 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

**इसके अलावा**

- जुलाई-अगस्त 2025 और अक्टूबर 2025 के दौरान 2 सेशन में 733 एयर ट्रैफिक सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल के लिए 01 दिन की ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया।
- RRU के अनुदेशक द्वारा 50 एयर ट्रैफिक सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल के लिए CATC में 02 हफ़्ते का साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण ।

**OEM द्वारा ऑनसाइट प्रशिक्षण:**

1. 08 ATSEP के लिए नवंबर 2025 में जेवर में 02 सप्ताह का PACR-MSSR संचालन और रखरखाव।

2. अक्टूबर 2025 में 12 ATSEP के लिए HIAL में 04 हफ़्ते का आईएनडीआरए ऑटोमेशन ऑपरेशन मेंटेनेंस (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर)।

3. 12 ATSEP के लिए जून/जुलाई 2025 में मुंबई में 04 हफ़्ते का INDRA ऑटोमेशन ऑपरेशन मेंटेनेंस (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर)।

4. जुलाई 2025 में 20 ATSEP के लिए बीईएल द्वारा भुवनेश्वर में भुवनेश्वर विमान यातायात प्रबंधन ऑटोमेशन सिस्टम पर संचार कर्मियों के लिए प्रचालन और रखरखाव प्रशिक्षण ।

**OEM द्वारा फैक्ट्री ट्रेनिंग:**

1. जून 2025 में 11 ATSEP के लिए गुड़गांव में DVOR (JOTRON) प्रशिक्षण ।

2. जून 2025 में 07 ATSEPके लिए नोएडा में अनुकूलन और डेटा बेस प्रबंधन

**विदेशी प्रशिक्षण:**

इस दौरान कुल 09 विदेशी प्रशिक्षण आयोजित हुए

1. सर्विलांस रडार (ASR) ने जनवरी 2025 में 10 ATSEP के लिए पार्डुबिस, चेक रिपब्लिक में मोनो-पल्स सर्विलांस रडार (MSSR) को को-लोकेटेड किया।

2. फरवरी 2025 में 10 ATSEP के लिए पार्डुबिस, चेक रिपब्लिक में स्टैंडअलोन मोनो-पल्स सर्विलांस रडार (MSSR)।

3. जून 2025 में 07 ATSEP के लिए दक्षिण कोरिया में ILS का "प्रचालन, प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेंटेनेंस।

4. जून 2025 में 10 ATSEP के लिए दक्षिण कोरिया में एलपी-DME का ऑपरेशन, प्रिवेंटिव और मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग चेक।

5. जून 2025 में 3 ATSEP के लिए दक्षिण कोरिया में ILS का ऑपरेशन, प्रिवेंटिव करेक्टिव मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग चेक।

6. नवंबर 2025 में 03 ATSEP के लिए दक्षिण कोरिया में ILS रिपेयर फैसिलिटी / टेस्ट जिग।

7. नवंबर 2025 में 03 ATSEP के लिए दक्षिण कोरिया में HP-DME रिपेयर फैसिलिटी / टेस्ट जिग।

8. नवंबर 2025 में 03 ATSEP के लिए दक्षिण कोरिया में DVR रिपेयर फैसिलिटी / टेस्ट जिग।

9. LP-DME रिपेयर फैसिलिटी / टेस्ट जिग, साउथ कोरिया में दिसंबर 2025 में 03 ATSEP के लिए।

**OJTI पैनल में शामिल होना:**

CNS सर्कुलर 08/2023 के अनुसार, OJTI (ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर) एम्पैनलमेंट इवैल्यूएशन प्रोग्राम, OJTI गाइडलाइंस के एनेक्सर F के अनुसार पूरे भारत में किया गया था। अभी तक, स्टेशनों पर CNS सुविधाओं के लिए मूल्यांकन करने के लिए लगभग 325 ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को एम्पैनल किया गया है।

**आरंभिक प्रशिक्षण:**

इस कैलेंडर वर्ष में CATC में 44 प्रबन्धक इलेक्ट्रॉनिक्स और 35 वरिष्ठ सहायक (इलेक्ट्रॉनिक्स) को उनका प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया गया ।

## एच. निगरानी अनुभाग का प्रदर्शन:

**IGI हवाईअड्डा, दिल्ली पर ASMGCS का उन्नयन :**

• IGI हवाईअड्डा, दिल्ली के ATC टावर में 07 x डिस्प्ले पोजीशन के SITC और एप्रन-1 एरिया में 06 x नए आरयू सेंसर के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया गया है, ताकि नए एप्रन-1 एरिया में चौथा रनवे प्रचालन और ASMGCS कवरेज को पूरा किया जा सके।

**स्टेशनों के बीच सूचना आदान प्रदान के लिए वर्कशॉप आयोजित करना:**

फील्ड एक्सपर्ट्स के साथ ये वर्कशॉप हुईं, ताकि आने वाली मुश्किलों और उनके समाधान को शेयर किया जा सके, ताकि सर्विलांस फैसिलिटीज़ का अच्छे से इन -हाउस मेंटेनेंस किया जा सके।

• स्टेशनों के सामने आने वाली दिक्कतों पर चर्चा करने और स्टेशनों परELDIS PSR/MSSR को बनाए रखने के लिए अलग-अलग मेंटेनेंस के तरीकों को शेयर करने के लिए CARO में रडार (मेक- ELDIS) कार्यशाला।

• त्रिवेंद्रम में "रडार नेटवर्किंग में आवश्यकताएं और चुनौतियां" पर कार्यशाला। (मेक- ELDIS) कार्यशाला।

• स्टेशनों को आ रही दिक्कतों और एडीएस -बी ग्राउंड रिसीवर को मेंटेन करने के लिए स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरतों पर चर्चा करने के लिए CARO में ADS -B (मेक-GECI) वर्कशॉप हुई। चुनौतियां" पर कार्यशाला। (मेक- ELDIS) कार्यशाला।

## 9.11 दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकोंके लिए सुविधाएँ

भाविप्रा ने एयरपोर्ट पर दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह से आसान आधारभूत संरचना पक्का करके सुगम्य भारत अभियान के विज़न को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कोशिशें की हैं। भाविप्रा एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी और कम चलने-फिरने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एम्बुलिफ्ट सुविधा भी शुरू की गई। सिविल एविएशन के लिए एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस भी तैयार करके गैजेट नोटिफिकेशन से पहले पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दी गई हैं; जिससे सभी भारतीय हवाईअड्डों को लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

भाविप्रा ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बताए गए दस खास एक्सेसिबिलिटी फीचर्स वाली जनरल गाइडलाइंस को सभी एयरपोर्ट पर सक्रिय रूप से लागू कर रहा है ताकि एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाया जा सके। इन फीचर्स में शामिल हैं:

1. सुलभ मार्ग/पहुँच

2. सुलभ पार्किंग

3. भवन का सुलभ प्रवेश द्वार
4. सुलभ रिसेप्शन (हेल्पडेस्क)
5.सुलभ गलियारा/स्पर्शीय फ़्लोरिंग
6. सुलभ लिफ्ट
7. हैंडरेल वाली सीढ़ियाँ (मुख्य पैसेंजर मूवमेंट ज़ोन में)
8. सुलभ शौचालय
9. सुलभ पेयजल सुविधाएं
10. साइनेज

सम्मिलित रूप से की गई यह कोशिश भाविप्रा के इस वादे का हिस्सा है कि सभी लोग, चाहे उनकी खास ज़रूरतें कुछ भी हों, हवाई यात्रा के फ़ायदों का आनंद इज़्ज़तदार और समावेशी तरीके से ले सकें।

## 9.12 वाणिज्यिक नीतियों का उदारीकरण तथा भाविप्रा हवाईअड्डों में नई वाणिज्यिक गतिविधियों का निर्माण और कार्यान्वयन

• ऐप-बेस्ड कैब एग्रीगेटर्स पर पॉलिसी (इस बिन्दु को बनाए रखा जा सकता है) ।

• राजस्व शेयरिंग के आधार पर 48 हवाईअड्डों पर EV चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं।

• पैसेंजर की शिकायतों को कम करने के लिए पार्किंग पॉलिसी को रिव्यू किया जा रहा है, साथ ही पैसेंजर को सुविधा देने के लिए, ज़्यादातर एयरपोर्ट 8-15 मिनट का फ़्री टाइम दे रहे हैं। भाविप्रा हवाईअड्डों द्वारा वसूल की जाने वाली दरें यात्रियों के बेहतर अनुभव के लिए तुलनात्मक रूप से कम रखी गई हैं।

• बिलर डायरेक्ट मॉड्यूल को बदला गया है। सभी रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट को यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है। इससे बिलिंग और रेवेन्यू की बेहतर मॉनिटरिंग हो पाती है।

• भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अवसर प्रोग्राम के तहत "एक एयरपोर्ट एक उत्पाद"" (OAOP)" पहल को बढ़ावा देने के लिए रोटेशनल बेसिस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जगह देने की पॉलिसी बनाई है। राज्य-वार जीआई -टैग्ड प्रोडक्ट्स की पहचान करके, OAOP पहल का मकसद हर एयरपोर्ट पर एक सिग्नेचर प्रोडक्ट को खास प्रमोशन के लिए हाईलाइट करना है।

## 9.13 जेम (GeM) से खरीद

01.01.2025 से 31.12.2025 तक, भाविप्रा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए GeM पोर्टल से ₹1,545.22 करोड़ के सामान और सेवाओं की खरीद की। GeM से हुई खरीदारी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,000.00 करोड़ के सालाना लक्ष्य का लगभग 155% थी और यह टारगेट से ज़्यादा हो गई, जिससे GeM पोर्टल से ज़रूरी खरीदारी की ज़रूरत पूरी हो गई।

## 9.14 सुरक्षा

### विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण

- जनवरी से नवंबर 2025 तक, भाविप्रा के विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (ASTI) ने ₹8,90,79,216 का राजस्व कमाया, जिससे पहले ASTI की शुरुआत से अब तक कुल राजस्व ₹23,45,51,206 हो गया।
- इस दौरान, भाविप्रा- ASTI ने विमानन क्षेत्र के अलग-अलग हितधारकों के 3,195 लोगों को प्रशिक्षण दिया जिससे सभी (ASTI) प्रशिक्षण पाए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 10,528 हो गई।
- ASTI में प्रशासन , टेस्टिंग और सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस को डिजिटाइज़ करने के मकसद से, अध्यक्ष, भाविप्रा ने 06.05.2025 को एक खास वेबसाइट लॉन्च की। यह प्लेटफ़ॉर्म पेपर-बेस्ड प्रोसेस को खत्म करता है और अलग-अलग हितधारकों की प्रशिक्षण ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक आसान और कुशल सिस्टम देता है।
- संदर्भित अवधि के दौरान, भाविप्रा-ASTI ने DGCA से अपनी खतरनाक सामान प्रशिक्षण मंजूरी का नवीनीकरण किया और यात्रियों एवं चालक दल के साथ-साथ उनके सामान, कार्गो और मेल की जांच के लिए जिम्मेदार कर्मियों के कार्य के लिए कुल 2,600 ASG (CISF) स्क्रीनर्स का प्रशिक्षण पूरा किया।
- विमानन सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण सभी एयरपोर्ट वर्किंग स्टाफ को प्रदान किया जाता है, जिसमें भाविप्रा

कंसेशनरीज़, ऑक्ज़ीलरी सर्विस प्रोवाइडर्स शामिल हैं और मुख्य सुरक्षा अधिकारी सभी एयरलाइंस, जेएचए और दूसरी एंटिटीज़ के लिए संबंधित हवाईअड्डों पर इसे लागू करने के लिए समन्वय करते हैं।

### एयरपोर्ट पर नॉन-कोर सिक्योरिटी ड्यूटी पॉइंट्स के लिए CISF की जगह प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के लोग तैनात होंगे:

- PSA कर्मियों के लिए पांच (05) दिवसीय AVSEC प्रेरण प्रशिक्षण और चौदह (14) दिवसीय बुनियादी एवीएसईसी पाठ्यक्रम को BCAS द्वारा दिनांक 02.05.2024 के आदेश के अनुसार छह (06) दिवसीय एवीएसईसी फाउंडेशन कोर्स से प्रतिस्थापित किया गया।
- इस वजह से, साल के दौरान 43 भाविप्रा हवाईअड्डों पर 558 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और तैनाती की गई । इनमें जोधपुर, कानपुर और सूरत एयरपोर्ट पर 68 पीएसए लोग शामिल थे। ये लोग नॉन-कोर काम संभालेंगे, जिन्हें पहले CISF प्रबंधन करता था।

### सुरक्षा जांच अनुमोदन/मंजूरी

- इस दौरान, डायरेक्टर जनरल, बीसीएएस ने अलग-अलग भाविप्रा हवाईअड्डों पर आधारभूत संरचना में बदलाव और नई सुविधाओं के लिए कुल 452 सिक्योरिटी क्लीयरेंस/अप्रूवल जारी किए।

### ASG (राज्य पुलिस) इंडक्शन

- सतना, दतिया, हिसार और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिल गया है। BCAS ने कुल 307 ASG (स्टेट पुलिस) कर्मचारियों को मंज़ूरी दी है और ज़रूरी विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें अपने-अपने एयरपोर्ट पर तैनात किया है। ऊपर बताए गए चारों एयरपोर्ट अभी प्रचालन में हैं।
- प्राप्ति बजट एवं पेंशन बजट तैयार करना।

## 9.15 सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP)

- 06.05.2025 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और मेघालय सरकार के बीच बाल्जेक एयरपोर्ट तुरा के प्रचालन और प्रबंधन के लिए ऑपरेशन्स और मैनेजमेंट (O&M) एग्रीमेंट साइन किया गया।
- 30.06.2025 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार ने उड़ान योजना के तहत चुने गए 06 एयरपोर्ट के विकास के लिए एमओयू साइन किया। ये एयरपोर्ट हैं: बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर।
- ATR 72 प्रकार के विमान के लिए उज्जैन हवाई अड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और विमानन विभाग मध्य प्रदेश सरकार के बीच 01.11.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- 09.11.2025 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन, उत्तराखंड सरकार के बीच " 3 C VFR प्रचालन " के लिए हवाई अड्डे के विकास, प्रचालन और प्रबंधन हेतु नैनी-सैनी हवाई अड्डे, पिथौरागढ़ का अधिग्रहण करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- COD से नवंबर 2025 तक 06 चुने हुए PPP एयरपोर्ट्स, यानी अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, मैंगलोर और तिरुवनंतपुरम के कंसेशनर से 3305.97 करोड़ रुपये की कंसेशन फीस मिली।

## 9.16 मानव संसाधन

26.12.2025 तक भाविप्रा के कर्मचारियों की कुल संख्या और SC, ST, OBC, EWS और दिव्याङ्गजन के प्रतिनिधित्व का आंकड़ा नीचे दिया गया है

| वर्ग | कर्मचारियों की कुल संख्या | और SC, ST, OBC, EWS और दिव्याङ्गजन का रिप्रेजेंटेशन डेटा (संख्या में) | | | | | SC, ST, OBC, EWS और दिव्याङ्गजन का रिप्रेजेंटेशन डेटा (कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के हिसाब से) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जन जाति | OBC | EWS | दिव्यां-गजन | अनु-सूचित जाति | अनु-सूचित जन जाति | OBC | EWS | दिव्यां-गजन |
| ग्रुप ए | 7513 | 1275 | 515 | 2190 | 0 | 65 | 16.97 | 6.85 | 29.15 | 0 | 0.87 |
| ग्रुप बी | 5262 | 914 | 395 | 1726 | 245 | 89 | 17.37 | 7.51 | 32.80 | 4.66 | 1.69 |
| ग्रुप सी | 1737 | 286 | 241 | 628 | 20 | 36 | 16.47 | 13.87 | 36.15 | 1.15 | 2.07 |
| ग्रुप डी | 1474 | 592 | 95 | 215 | 0 | 47 | 40.16 | 6.45 | 14.59 | 0 | 3.19 |
| **कुल** | **15986** | **3067** | **1246** | **4759** | **265** | **237** | **19.19** | **7.79** | **29.77** | **1.66** | **1.48** |

**बैकलॉग वैकेंसी** - एसटी में 01 बैकलॉग वैकेंसी खाली है, लेकिन इसे भरने के लिए विज्ञापन प्रक्रिया में है। किसी और कैटेगरी में कोई बैकलॉग वैकेंसी नहीं है।

संपर्क अधिकारी को निगमित मुख्यालय स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर भी नामांकित किया जाता है।

## SC/ST/PwD/पूर्व सैनिकों के लिए संपर्क अधिकारी

| नाम / पदनाम | क्षेत्र |
|---|---|
| राजीव कपूर, संयुक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन) | उत्तरी क्षेत्र |
| कपिल रोहतगी, महाप्रबंधक (मानव संसाधन ) | पश्चिमी क्षेत्र |
| सुशील कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक (मानव संसाधन) | पूर्वी क्षेत्र |
| ज्ञान बत्रा, महाप्रबंधक (मानव संसाधन) | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र |
| बी मुरलीधरन, महाप्रबंधक (मानव संसाधन ) | दक्षिणी क्षेत्र |
| हीरालाल पराते, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) | निगमित मुख्यालय |

## OBC के लिए संपर्क अधिकारी

| नाम / पदनाम | क्षेत्र |
|---|---|
| विभाष चंद्र सिन्हा, संयुक्त महाप्रबंधक (ATM) | उत्तरी क्षेत्र |
| एके डुडी, संयुक्त महाप्रबंधक (IT) | पश्चिमी क्षेत्र |
| नागाबम मेत्रबा, मेती (उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन ) | पूर्वी क्षेत्र |
| देबाशीष घोष, संयुक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन) | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र |
| सी. थंबिथुराई, संयुक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन) | दक्षिणी क्षेत्र |
| प्रेमजीत, संयुक्त महाप्रबंधक (संचार) | निगमित मुख्यालय |

## EWS के लिए संपर्क अधिकारी

| नाम / पदनाम | क्षेत्र |
|---|---|
| ऋषिकेश प्रियदर्शी | निगमित मुख्यालय |
| चंद्र प्रकाश, संयुक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन) | उत्तरी क्षेत्र |
| मधुलिका मणि दास, संयुक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन) | पूर्वी क्षेत्र |
| एस रवि, संयुक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन) | दक्षिणी क्षेत्र |
| बीसी दास, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र |
| सुश्री नीलम शर्मा, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) | पश्चिमी क्षेत्र |

### कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार भाविप्रा, निगमित मुख्यालय में बनाए गए आरक्षण सेल में अभी निम्नलिखित अधिकारी हैं:

(i) श्री ऋषिकेश प्रियदर्शी, महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

(ii) श्री आनंद सिंह रावत, संयुक्त महाप्रबंधक (मानव संसाधन)]

(iii) श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक महाप्रबंधक (संसाधन)

(vi) श्री आर.के. सिन्हा, प्रबंधक (मानव संसाधन)

(v) सुश्री श्वेता दहिया,सहायक प्रबन्धक (मानव संसाधन)

### 01.01.2025 से 31.12.2025 तक के समय के लिए मानव संसाधन निदेशालय की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं: -

1. **चश्मे/कॉन्टैक्ट लेंस/डार्क ग्लास गॉगल्स की खरीद के लिए प्रतिपूर्ति**

   कर्मचारियों की भलाई के लिए, भाविप्रा प्रबंधन ने एक पॉलिसी शुरू की है। इसके तहत, मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों, दोनों के लिए चश्मा/कॉन्टैक्ट लेंस/डार्क ग्लास खरीदने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2. **CATC प्रशिक्षक और OJT प्रशिक्षक भत्ता, एटीसीओ के लिए रेटिंग/तनाव भत्ता और ATSEP (CNS कार्यपालक) के लिए रेटिंग (कुशलता) भत्ता की स्वीकार्यता के लिए नीति दिशानिर्देश जारी किए गए:**

   कर्मचारी कल्याण के उपाय के तौर पर, विमान यातायात नियंत्रकों और CNS अधिकारियों के काम की क्रिटिकल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, रेटिंग, प्रोफिशिएंसी और स्ट्रेस अलाउंस को 100% तक बदला गया है।

3. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) में रिटायर्ड सरकारी/पीएसयू कर्मचारियों को सलाहकार के तौर पर फिर से काम पर रखने के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस जारी की गईं :**

   क्योंकि भाविप्रा को टेक्निकल/स्पेशल फील्ड में अनुभवी लोगों की सर्विस की ज़रूरत है, इसलिए भाविप्रा में रिटायर्ड सरकारी/पीएसयू कर्मचारियों को एडवाइजर के तौर पर फिर से काम पर रखने की नीति शुरू की गई है।

4. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में निजी सलाहकार की नियुक्ति के लिए नीति**

   भाविप्रा की खास ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग कंसल्टेंट्स को रखने की पॉलिसी बनाई गई है।

5. **भाविप्रा कर्मचारियों के लिए सर्विस यूनिफॉर्म पर रिवाइज्ड गाइडलाइंस**

   भाविप्रा कर्मचारियों के लिए सर्विस यूनिफॉर्म से जुड़ी गाइडलाइंस में बदलाव किया गया है, ताकि बाहरी दुनिया को संगठन की इमेज दिखे और कर्मचारियों में गर्व और अपनेपन की भावना दिखे।

6. **प्रदर्शन आधारित वेतन का वितरण**

   **वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए कार्यपालकों को (PRP) और गैर कार्यपालकों को परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट (PLP)**

   भाविप्रा के कार्यपालकों और गैर कार्यपालकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एक के बाद एक PRP और PLP दिए गए हैं।

7. **स्टेशनों के कार्यकाल की समीक्षा**

   स्टेशनों/एयरपोर्ट्स का कार्यकाल तय/बदल दिया गया

है ताकि बदलते नागर विमानन माहौल में होने वाले बदलावों को पूरा किया जा सके।

8. **बोर्ड स्तर के कार्यपालक अधिकारियों से नीचे के पदों के लिए बाहरी रिक्तियों हेतु आवेदन अग्रेषित करने हेतु दिशानिर्देश।**

   संगठन की प्रचालानात्मक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, भाविप्रा प्रबंधन ने बोर्ड लेवल से नीचे के कार्यपालकों के लिए बाहर की वैकेंसी के लिए आवेदन भेजने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं।

9. **स्थानांतरण लाभ के मकसद से दो स्टेशनों के बीच ट्रांसफर पर विचार के लिए मानदंड**

   आस-पास कई नए एयरपोर्ट बनने के साथ, भाविप्रा प्रबंधन ने दो स्टेशनों के बीच ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर बेनिफिट्स के मानदंड तय किए हैं।

10. **बचाव और अग्निशमन सेवाओं के लिए सर्विस यूनिफॉर्म पर समेकित दिशानिर्देश**

    फायर सर्विस अधिकारियों की सर्विस यूनिफॉर्म के बारे में कुछ मापदण्डों की समीक्षा की गई है।

11. **ESS पोर्टल के ज़रिए OPD मेडिकल बिल**

    मेडिकल बिल जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, भाविप्रा प्रबंधन ने ESS पोर्टल के ज़रिए OPD मेडिकल बिल ऑनलाइन जमा करने की सुविधा शुरू की है।

## 9.17 तकनीकी निदेशालय

- भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, निगमित मुख्यालय में 58 ई-गाड़ियां शामिल की गईं, जो भारत सरकार के साफ़ और ग्रीन भविष्य के विज़न के मुताबिक, पारंपरिक फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) में बड़े पैमाने पर बदलाव है।
- अलग-अलग एयरपोर्ट पर 10000 लीटर पानी की टंकी की क्षमता वाले 21 एयरफील्ड क्रैश फायर टेंडर और 6000 लीटर पानी की टंकी की क्षमता वाले 21 एयरफील्ड क्रैश फायर टेंडर चालू किए गए और कंसाइनी भाविप्रा हवाईअड्डों की ARFF सेवाओं को मज़बूत किया गया। इनमें से 06 देश में ही बनाए गए, भारत सरकार की पब्लिक प्रोक्योरमेंट (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) पॉलिसी के तहत 10000 लीटर पानी की टंकी की क्षमता वाले ASFT थे।
- भारत सरकार की पब्लिक प्रोक्योरमेंट (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) पॉलिसी के तहत पहली बार देश में बने 08 नए एयरपोर्ट सरफेस फ्रिक्शन टेस्टर शामिल किए गए और इन ASFT को अलग-अलग भाविप्रा हवाईअड्डों पर चालू किया गया।
- भारत सरकार की पब्लिक प्रोक्योरमेंट (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) नीति के तहत अलग-अलग एयरपोर्ट पर रनवे से रबर डिपॉज़िट हटाने के लिए 4 स्वदेशी रूप से विकसित, स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट रनवे रबर रिमूवल मशीन चालू की गईं, ताकि रनवे का ज़रूरी फ्रिक्शन लेवल बनाए रखा जा सके।
- अलग-अलग हवाईअड्डों पर 05 मोबाइल कमांड पोस्ट चालू किए गए, जो इमरजेंसी या एयरफील्ड की दूसरी एक्टिविटी के दौरान ऑपरेशन और कम्युनिकेशन को समन्वय करने के लिए एक सेंट्रलाइज़्ड जगह देते हैं।
- विभिन्न भाविप्रा हवाईअड्डों की ARFF सेवाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न हवाईअड्डों के लिए 38 ACFT (10000 लीटर पानी टैंक क्षमता) और 33 ACFT (6000 लीटर पानी टैंक क्षमता) की आपूर्ति के लिए CPPP पोर्टल पर वैश्विक निविदा प्रकाशित की गई।
- भाविप्रा की 232वीं बोर्ड मीटिंग में एयरक्राफ्ट रेस्क्यू और फायर फाइटिंग व्हीकल / एयरफील्ड क्रैश फायर टेंडर (मेजर रिपेयर / ओवरहॉल पॉलिसी-2025 को अपनी मंज़ूरी दे दी है, ताकि ACFT / ARFFV को टॉप मैकेनिकल और ऑपरेशनल कंडीशन में बनाए रखा जा सके।

## 9.18 अग्निशमन सेवाएं

- हवाईअड्डों को आपदा प्रतिरोधी बनाने के प्रयासों के लिए, तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं के तौर पर WCDM डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (DRR) अवार्ड-2024 माननीय श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग, CAFPD और कपड़ा मंत्री द्वारा 15 जनवरी 2025 को भाविप्रा को प्रदान किया गया।
- NABET से मान्यता प्राप्त NSCI इंटरनल ऑडिटर कोर्स के अंतर्गत एसएचई वैधानिक अनुपालन प्रशिक्षण सभी क्षेत्रों एवं चेन्नई और कोलकाता हवाईअड्डों के 15 वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारियों को प्रदान किया गया ।
- ड्राई केमिकल पाउडर (DCP) और एक्वस फिल्म

फार्मिंग फोम (AFFF) के सुरक्षित निस्तारण के दिशानिर्देशों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई।

- 10 वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारियों द्वारा भाविप्रा में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जागरूकता के लिए APOSHO 39 सम्मेलन में प्रतिभागिता की गई।
- कॉफिन बैग, स्ट्रेचर और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तकनीकी विनिर्देश तैयार किए गए ।
- टर्मिनल भवन की फायर सेफ्टी के विषय में सभी सिविल एन्क्लेव का निरीक्षण मूल्याकंन किया गया और इसके बाद लेह, जोधपुर और गोरखपुर में अग्निशमन कर्मियों के साथ मल्टीपर्पस फायर टेंडर (MFT) तैनात करने का निर्णय लिया गया।

### अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान

- **प्रशिक्षित किए गए कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या:** कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान भाविप्रा अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् नई दिल्ली और कोलकाता केन्द्रों में कुल 2025 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

  - **प्रशिक्षित भाविप्रा ARFF कर्मियों की संख्या :** 1654

  - **अन्य प्रतिभागी:** पारंपरिक रूप से भाविप्रा के अपने ARFF कर्मियों की प्रशिक्षण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए स्थापित, अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थानों ने अपनी सीमा में विस्तार किया बढ़ाया है। आज, वे निजी और संयुक्त उद्यम के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और स्वयं को एविएशन रेस्क्यू और अग्निशमन प्रशिक्षण लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर स्थापित कर रहे हैं (जिसमें RCS हवाईअड्डे, निजी हवाईअड्डे, निजी संस्थाओं आदि के प्रशिक्षण शामिल हैं)। कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान कुल 371 निजी/बाह्य प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

- **एडवांस्ड ट्रेनिंग इक्विपमेंट का आरंभ :** प्रेशर फेड फ्यूल अग्निशमन प्रशिक्षण प्रणाली (PFFT) को भाविप्रा अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान के दोनों केन्द्रों में शुरू कर दिया गया है। DGCA द्वारा अनिवार्य प्रेशर फेड फ्यूल अग्निशमन प्रशिक्षण अब तक,भाविप्रा के लगभग 99% एआरएफएफ अधिकारियों को दिया जा चुका है।
- **नई दिल्ली केन्द्र में पुनर्विकास की पहल:** फरवरी 2025 में नए प्रशासन, एकेडमिक और हॉस्टल ब्लॉक के निर्माण हेतु पुनर्विकास के लिए भूमि पूजन किया गया। निर्माण कार्य चल रहा है।
- **नई जिम सुविधा:** नई दिल्ली केन्द्र में एक आधुनिक, अच्छी सुविधाओं वाला जिम बनाया गया है। यह सुविधा हमारे प्रशिक्षणार्थियों के शारीरिक फिटनेस और तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभिकल्पित की गई है।
- **IITF-2025 में भागीदारी:** भाविप्रा अग्निशमन सेवा ने भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF)-2025 में प्रतिभागिता की, जिसमें अन्य विभागों के साथ ARFF बचाव और अग्निशामन क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। इसमें भाविप्रा पेविलियन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन का पहला पुरस्कार प्राप्त किया ।
- **कौशल विकास और इंडस्ट्री लिंकेज:** भाविप्रा विमानन अग्निशामन में कुशल जनशक्ति के महत्व को समझते हुए, भाविप्रा अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्रों ने अपने प्रयासों को राष्ट्रीय कौशल विकास के पहलों के साथ जोड़ा है। विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों को व्यवसाय से सम्बद्ध प्रशिक्षण प्रदान कर, ये संस्थान पूरे देश में एआरएएफ (ARFF) प्रचालन में कौशल की कमी को पूरा करने में सहायता दे रहे हैं ।
- इसके अलावा, ये संस्थान निजी हवाईअड्डा प्रचालकों के साथ मिलकर कैंपस भर्ती अभियान को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं। इससे कुशल कार्मिकों और संभावित नियोक्ता के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक बना है, जिससे नौकरियों के लिए तैयार लोगों की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित होती है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों को आजीविका के अवसर भी प्राप्त होते हैं।
- डिजिटलाइज़्ड ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया के माध्यम से बेसिक प्रशिक्षण कोर्स (BTC) के लिए कुल 96 प्राइवेट प्रशिक्षणार्थी चुने गए, जिनमें से 64 "ऑन एंड ऑफ" कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से चुने गए ।
- नॉन-ट्रैफिक राजस्व उत्पादन: भाविप्रा फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने कैलेंडर वर्ष 2025 में निजी /बाहरी उम्मीदवारों को अपने प्रशिक्षण प्रदान लगभग 3.17 करोड़ रुपये का नॉन-ट्रैफिक रेवेन्यू अर्जित किया है।

## 9.19 विमान यातायात प्रबंधन (ATM)

### ए. विमानक्षेत्र प्रबंधन और प्रचालन दक्षता

1. भाविप्रा ने ATS विमानक्षेत्र में 5 NM सर्विलांस-बेस्ड सेपरेशन लागू किया है, जिससे 22 नियंत्रण क्षेत्र, ज़ोन और एयर ट्रैफिक ज़ोन बनाए गए है और इन्हें श्रेणीबद्द

किया गया है। इसमें 23 ATS मार्ग बनाना और उनमें परिवर्तन करना शामिल था। इससे विमानक्षेत्र की क्षमता में वृद्धि हुई और एयरलाइंस के लिए ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई।

2. भाविप्रा महासागरीय वायुक्षेत्र में निष्पादन आधारित सेपरेशन को कम करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मिल कर काम कर रहा है।स्पेस बेस्ड ADS-B निगरानी के आधार पर, योग्य विमान के बीच 20NM का लॉन्गीट्यूडिनल सेपरेशन मिनिमम 01.01.2025 से मुंबई और मस्कट (ओमान) के बीच दो रूट्स पर लागू किया जाएगा। PBCS आधार पर 30NM का लॉन्गीट्यूडिनल सेपरेशन, फरवरी 2025 से चेन्नई FIR में ATS मार्ग (N571) पर योग्य विमानों के बीच परीक्षण के आधार पर लागू किया गया।

3. एयरियन के SADS-B और FANS डेटा लिंक के आधार पर 20NM सेपरेशन 21 मई 2025 को भारतीय मानक समय 1030 पर मुंबई FIR के समुद्री विमानक्षेत्र में ATS मार्ग एल301 और एल 639 पर शुरू हुआ। इस प्रचालन सुधार से विमानक्षेत्र की क्षमता बढ़ी, साथ ही एयरलाइंस के लिए ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई।

4. 16 पुनसंयोजित एवं प्रतिष्ठापित परियोजना के लिए संरक्षा मूल्याकंन किए गए, और मुंबई, कोलकाता और शमशाबाद जैसे मुख्य शहरों में ATS मार्गों में सर्वेक्षण के आधार पर समायोजन किए गए। इसके अलावा, 582 से ज़्यादा अस्थायी विमानक्षेत्र आरक्षण (टीएआर) और 455 ड्रोन प्रचालन आवेदनो को संसाधित किया गया, जो अलग-अलग विमानक्षेत्र उपयोगकर्ता को सहायता करने के लिए भाविप्रा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फायर सर्विस अधिकारियों की सर्विस यूनिफॉर्म के बारे में कुछ मापदण्डों की समीक्षा की गई है।

5. चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली विमान सूचना क्षेत्रों (FIRs) का अपर एरिया हार्मोनाइजेशन (UAH) भाविप्रा द्वारा लागू किया गया है। भाविप्रा ने 97 निष्पादन आधारित दिक्चालन (PBN) ATS मार्ग, 130 PBN इंस्ट्रूमेंट अप्रोच टू लैंड (आईएएल) प्रक्रिया और 35 स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर (SID) और 44 स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट अराइवल (STAR) भी लागू किए हैं।

## बी. ATC प्रशिक्षण

03 विमान यातायात सेवाएँ प्रशिक्षण संस्थान ATCO, नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज (CATC), हैदराबाद प्रशिक्षण केन्द्र (एचटीसी) और राष्ट्रीय विमानन प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (NIATAM) ने वर्ष 2025 में स्वीकृत पाठ्यक्रमों से कुल 830 नियंत्रकों को प्रशिक्षण दिया। इनमें से, 371 नए नियंत्रकों को एयरोड्रोम कंट्रोल (ADC) और अप्रोच कंट्रोल (APP) 226 नियंत्रकों को सर्विलांस कंट्रोल (SCC) और 233 नियंत्रकों को एरिया कंट्रोल (ACC) पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया गया। वर्तमान में तीनों ATCO में कुल 179 नियंत्रकों ADC/ APP, SCC और ACC पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

## सी. विशेष उपलब्धि

1. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और आस-पास के वायु दिकचालन सेवा प्रदाता द्वारा एयरस्पेस बंद करने के कारण, मुंबई ATC ने प्रत्येक दिन लगभग 500 अतिरिक्त ओवरफ्लाइट्स को सुरक्षित और कुशलता से संभाला।

2. 21 नवंबर, 2025 को मुंबई ATC ने एक ही दिन में एक ही रनवे पर रिकॉर्ड 1036 विमान यातायात प्रचालित (एयर ट्रैफिक मूवमेंट) करने की उपलब्धि प्राप्त की। इस उपलब्धि को इंडस्ट्री और वर्ल्ड बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स, यूके ने भी मान्यता दी है।

## डी. नियामक अपेक्षाएँ

DGCA (महानिदेशक, नागर विमानन) के दिशानिर्देशों के अनुसार और ATCO की थकान को दूर करने के लिए, वॉच ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (WDTL) को 2025 में 06 हवाईअड्डों पर लागू किया गया है, जिससे भारत में WDTL का अनुपालन करने वालों हवाईअड्डों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है।

## ई. पर्यावरणीय योगदान

1. C-ATFM भारतीय वायु क्षेत्र में विमान यातायात प्रवाह को कार्यनीतिक रूप से प्रबंधित करने में सहयोग कर रहा है, जिससे विमान यातायात जाम के कारण होने वाली देरी और होल्डिंग कम होती है, जिससे ईंधन की बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन कम होता है। कैलेंडर वर्ष 2025 (30-11-25 तक) के दौरान मांग क्षमता में असंतुलन की स्थितियों को प्रबंधित करने के लिए, ATFM उपायों को 465 बार लागू किया गया, जिससे हवाई यात्रा में लगभग 3768.9 घंटे की देरी में कमी आई, लगभग 14307.5 टन ईंधन की बचत हुई और कार्बन उत्सर्जन में लगभग 45211.706 टन की कमी आई।

2. फ्लेक्सिबल यूज ऑफ़ एयरस्पेस (FUA) नीति के तहत, भाविप्रा ने ₹1185 करोड़ की बचत की और FUA के

तहत बनाए गए 137 कंडीशनल मार्गों पर उड़ने वाली एयरलाइंस के लिए कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन को लगभग 375943 टन कम किया। 8 हवाईअड्डों के लिए ट्रांज़िशन स्तर बनाए गए और उनमें बदलाव किए गए। कई महत्वपूर्ण अभ्यास, जैसे कि पूरे भारत में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक तीनों सेनाओं के स्तर पर विमानक्षेत्र कवरेज, सफलतापूर्वक नियोजित एवं पूर्ण किए गए।

### एफ. विमानन क्षेत्र में अनुसंधान

भाविप्रा ने नागर विमानन के क्षेत्र में इन-हाउस और सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नागर विमानन अनुसंधान संस्थान (CARO) की स्थापना की। भाविप्रा और भारतीय तकनीकी संस्थान मद्रास, प्रवर्तक ने भाविप्रा के नागर विमानन अनुसंधान संस्थान (CARO) में विमानन तकनीकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

## 9.20 विमानपत्तन प्रणालियाँ

1. "मेक इन इंडिया" के तहत श्रेणी-1 निर्माता को "विभिन्न हवाईअड्डों पर निविदा दरों पर 310 ईटीडी की SITC, जिसमें एक वर्ष की ऑनसाइट वारंटी और कल-पुर्जों और कंज्यूमेबल्स के साथ 6 वर्षों का CAMC शामिल है" कार्य के लिए आदेश जारी किया गया। 35 की आपूर्ति पूरी हो गई है।

2. 13 हवाईअड्डों पर 36.18 करोड़ रुपये की कुल लागत पर "CCCR (सेंट्रल कमेटी कंट्रोल रूम) से कंट्रोल रूम और ACCR (एयरोड्रोम कमेटी कंट्रोल रूम) तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण, परीक्षण एवं कमीशनिंग, जिसमें आइसोलेशन बे कैमरों का एकीकरण, तीन वर्ष की ऑनसाइट वारंटी और वारंटी अवधि के बाद कल-पुर्जों के साथ 3 वर्ष का CAMC शामिल है" कार्य के लिए आदेश जारी किया गया।

3. "विभिन्न हवाईअड्डों पर 51 नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर और 26 ब्लास्ट इनहिबिटर की आपूर्ति" के लिए क्रमशः 5.40 करोड़ रुपये और 2.86 करोड़ रुपये की कुल लागत पर आदेश जारी किया गया।

4. 12 हवाईअड्डों पर BDDS प्रायोरिटी-I उपकरण जैसे रियल टाइम व्यूइंग प्रणाली, फाइबर ऑप्टिक सर्विलांस उपकरण और हुक एंड लाइन सेट की आपूर्ति पूरी की गई, जिसमें 9 RCS हवाईअड्डे शामिल हैं।

5. पूर्णिया हवाईअड्डे पर अंतरिम टर्मिनल भवन को चालू करने के संबंध में सुरक्षा उपकरणों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, "पूर्णिया हवाईअड्डे पर 6 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (NIJ स्टैंडर्ड 0601.02) की SITC का कार्य एक वर्ष की ऑनसाइट वारंटी और कल-पुर्जों सहित 7 वर्ष के CAMC के साथ" कुल 0.20 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया।

6. विभिन्न हवाईअड्डों पर X-BIS की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य आदेश जारी किया गया।

## 9.21 सतर्कता

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) के सतर्कता विभाग का नेतृत्व डॉ. निखिल कुमार कानोडिया, IPS (OD: 2003) कर रहे हैं, जिन्होंने 12 अगस्त 2024 को मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। मुख्य सतर्कता अधिकारी, भाविप्रा अध्यक्ष को सतर्कता से जुड़े सभी मामलों पर मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते है और भाविप्रा और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और केन्दीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जैसी बाहरी निगरानी संस्थाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते है।

सतर्कता निदेशालय तीन प्रकार से काम करता है: रोकथाम, दंड, निगरानी और पहचान।

• अपनी निवारक क्षमता के तहत, यह विभाग ऐसे जागरूकता अभियान चलाता है जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार और अनैतिक कामों के प्रति संवेदनशील इलाकों में कार्मिकों को जागरूक करना है। इस संबंध में एक विशेष पहल सतर्कता जागरूकता सप्ताह (VAW) का आयोजन करना है, जिसके दौरान भाविप्रा के सभी संस्थानों में भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए कार्यशाला, लेक्चर, सेमिनार और दूसरे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

• दंडात्मक कार्य में रिपोर्ट की गई अनियमितताओं की विस्तृत जांच करना, सतर्कता के पहलू का आकलन करना, और जहां आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना शामिल है।

• निगरानी एवं खोजबीन के कार्यों के अंतर्गत, विभागीय प्रणालियों में कमियों और संभावित अनैतिक कार्यों का पता लगाने के लिए औचक निरीक्षण, नियमित निरीक्षण और मुख्य तकनीकी जाँचकर्ता (CTE) प्रकार

के निरीक्षण करना शामिल है।

निगमित सतर्कता विभाग (CVD) का मुख्यालय नई दिल्ली में भाविप्रा के निगमित कार्यालय में है और यह मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और गुवाहाटी में अपने क्षेत्रीय मुख्यालय में प्रकोष्ठों के माध्यम से पूरे संगठन में निगरानी रखता है। विभाग की गतिविधियों का दायरा बहुत विस्तृत है, जिसमें भ्रष्टाचार के मामलों पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, जांच शुरू करना और निरीक्षण करना, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा आगे विचार के लिए रिपोर्ट तैयार करना, और कदाचार को कम करने के लिए बचाव के उपायों की सिफारिश करना शामिल है।

अपनी सक्रिय प्रणाली के तहत, सतर्कता विभाग लगातार मुख्य विभागों को अपनी प्रक्रियाओं को कोडिफाई करने और प्रचालन नियमावली को अद्यतित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता में विस्तार और मनमानी प्रथाओं को कम करना है। अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण और कार्यशाला से मिले इनसाट्स का प्रक्रियाबद्ध तरीके से विश्लेषण किया जाता है ताकि प्रबंधन में सुधार के सुझाव दिए जा सकें और प्रबंधन की आंतरिक प्रक्रिया में सुधार किए जा सकें।

## 9.22 सूचना प्रौद्योगिकी

### डिजी यात्रा:

डिजी यात्रा सुविधाएं 31.12.2024 तक भाविप्रा के 14 हवाईअड्डों , अर्थात् वाराणसी, कोलकाता, विजयवाड़ा, पुणे, चेन्नई, बागडोगरा, कोयंबटूर, रांची, रायपुर, इंदौर, पटना, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर और गोवा (डाबोलिम) पर शुरू की गई है।

वर्ष 2025 के दौरान, भाविप्रा के 10 और हवाईअड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा प्रतिष्ठापित की गई है और चंडीगढ़, श्रीनगर, सूरत, अगरतला, इम्फाल, पोर्ट ब्लेयर, अमृतसर, देहरादून, भोपाल और जम्मू में इसका परीक्षण चल रहा है।

डिजी यात्रा सुविधा लाइन में लगने का समय कम करती है और यात्री के वेरिफ़ाएबल क्रेडेंशियल के साथ फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से यात्रियों के आवागमन को तेज़ करती है एवं अंतर्देशीय यात्रियों को निर्बाध, कागज रहित यात्रा का अनुभव प्रदान करती है।

### विभिन्न नए टर्मिनलों पर IT नेटवर्क की स्थापना

वर्ष 2025 के दौरान, हवाईअड्डे। प्रचालन के मुख्य आधार स्तम्भ IT नेटवर्क को कई नए हवाईअड्डा टर्मिनलों, जैसे तूतीकोरिन, सहारनपुर, तिरुपति, दतिया और सूरत में सफलतापूर्वक लागू और पूरा किया गया है।

### एयरसेवा पोर्टल पर एयरफेयर मॉड्यूल लॉन्च किया गया

यात्रियों की सुविधा के लिए अत्यधिक हवाई किराए से जुड़ी शिकायतों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए, एयरसेवा पोर्टल पर एक विशेष "एयर फेयर" शिकायत निवारण मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है।

### नागर विमानन मंत्रालय के तहत प्रचालन नियंत्रण केन्द्र की स्थापना।

नागर विमानन मंत्रालय के उड़ान भवन में केन्द्रीयकृत संयुक्त नियंत्रण कक्ष 10 दिसंबर 2025 को स्थापित किया गया। यह भारत के नागर विमानन परितंत्र के लिए एक राष्ट्रीय, केन्द्रीयकृत हब और डिजिटल नर्व सेंटर के तौर पर काम करता है, जो अनवरत चलता है, और रियल-टाइम विमानन गतिविधियों की निगरानी, प्रभावी शिकायत निवारण में सहायता, आपातकालीन परिस्थितियों में समन्वय और समस्त प्रचालन निष्पादन की पूरी निगरानी रखता है।

### कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण (CBT) सिमुले शन सिस्टम सॉफ्टवेयर

कोलकाता, चेन्नई और अमृतसर में स्थित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (ASTI) में अत्याधुनिक सीबीटी सिम्युलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रापण और संचालन किया गया है। इससे 3D/CT बैगेज निरीक्षण मशीनों का प्रयोग करके एक सिमुलेटेड वातावरण देकर बैगेज जांचकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण की योग्यता और क्षमता में वृद्धि हुई है। यह प्रणाली एक साथ 120 प्रशिक्षणार्थियों तक को प्रशिक्षण देने में सहायक है।

### SAP ERP एकीकरण और विकास

**ए. SAP ERP** का माइग्रेशन डिजास्टर रिकवरी, हैदराबाद के साथ **SAP ERP** एप्लीकेशन का माइग्रेशन सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया।

**बी. SAP ERP की कार्यक्षमताओं का डिजिटलीकरण:** कार्मिक प्रतिपूर्ति कार्यक्षमताओं का डिजिटलीकरण-एसएपी ईआरपी (SAP ERP) पोर्टल पर मेडिकल आउटडोर क्लेम, चश्मे और टेलीफोन बिल की प्रतिपूर्ति।

**सी. इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट (EBRS), एसएपी_ ईआरपी (SAP_ERP) पोर्टल:** एमटी940 (MT940) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट (EBRS) एक्टिवेशन, बैंक स्टेटमेंट को आंतरिक रिकॉर्ड के साथ व्यवस्थित तरीके से मिलाकर और त्रुटियों , कमियों, समय के अंतर और संभावित धोखाधड़ी की पहचान करके सटीक नकद शेष सुनिश्चित करता है।

**डी. एसएपी- ईआरपी (SAP-ERP) का AIMS IDG पोर्टल के साथ एकीकरण :**

भाविप्रा ग्राहक या स्टेकहोल्डर्स को दिए गए फ्रंटएंड एप्लिकेशन पर ग्राहक से जुड़ी वित्तीय सूचना जैसे बकाया, कलेक्शन, ओपनिंग बैलेंस, टीडीएस (TDS) रिकॉन्सिलिएशन आदि , समय पर दिखाने के लिए ईआरपी (ERP) सिस्टम को आईडीजी (IDG) पोर्टल, एआईएमएस (AIMS) के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत कर दिया गया है।

**ई. एसएपी_ ईआरपी (SAP_ERP) के साथ जीईएम (GeM) का एकीकरण :**

यह एकीकरण ईआरपी (ERP) के माध्यम से किए गए ऑफ़लाइन पेमेंट से जुड़े भुगतान की स्थिति को जीईएम (GeM) पर भेजने में सहायता करता है। यह एकीकरण नाविमं (MOCA) द्वारा निर्धारित किए गए MoU के महत्वपूर्ण पैरामीटर को लागू करने में सहायता करता है।

**एफ. SAP_EPR मॉड्यूल में छूट/प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन :**

इस कार्यान्वयन से विभिन्न प्रकार के AAI ग्राहकों द्वारा गैर-एयरो समुद्री बिलिंग से संबंधित शीघ्र और समय पर भुगतान संभव हो पाता है।

**जी . ATC रेटिंग भत्ते के पुनर्गठन का कार्यान्वयन:**

ATC के पुनर्गठन का कार्यान्वयन ATCO के लिए रेटिंग भत्ते का कार्यान्वयन परिपत्र संख्या 13/2024 दिनांक 24.04.2024 के अनुसार मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन को अनुकूलित करके रेटेड अधिकारियों को स्वचालित भुगतान के लिए।गैर-एयरो समुद्री बिलिंग से संबंधित शीघ्र और समय पर भुगतान संभव हो पाता है।

**एच . बैंक समाधान प्रक्रिया का स्वचालन प्रक्रिया:**

बैंक समाशोधन के वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया को MT940 फॉर्मेट स्टैंडर्ड के अनुसार स्वचालित कर दिया गया है।

**आई. राजभाषा-हिन्दी ज्ञान प्रोफार्मा:**

वर्तमान पेपर फॉर्मेट को SAP_ERP सिस्टम में डिजिटाइज़ किया गया है, जिससे कार्मिक अपनी हिंदी दक्षता की सूचना जमा कर सकते हैं। यह स्वचालन हिंदी विभाग को MIS रिपोर्ट बनाने और भाषा कौशल को बेहतर बनाने और पूरे संगठन में हिंदी के व्यापक और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता करता है।

## AIMS मॉड्यूल विकास

**ए. ATCO प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली**

भाविप्रा इस मॉड्यूल का उपयोग भारत भर के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में ATC अधिकारियों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए किया जाता है।

उपरोक्त गतिशील प्रणाली का उपयोग हवाईअड्डों पर आवश्यकतानुसार आवश्यक कौशल सेट के अनुरूप मानव संसाधन को बनाए रखने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। साथ ही, यह प्रशिक्षण बैचों (निर्धारित/चल रहे), प्रशिक्षुओं की संख्या और विभिन्न रिपोर्टों के विवरण भी रखता है।

**बी. हवाई यातायात डेटा प्रबंधन प्रणाली (ATDM):**

यह मॉड्यूल (CPMS) विभाग के उपयोग हेतु अभिकल्पित किया गया है जिससे यातायात डेटा स्टैटिस्टिक्स को हैंडल किया जा सके, अर्थात दैनिक यातायात डेटा, मासिक यातायात डेटा, यात्रियों और कार्गो आवागमन के लिए अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रद्द किए गए आवागमन । यह सिस्टम हिस्टोरिकल डेटा बनाए रखता है, जो रिपोर्ट बनाने और तुलनात्मक विश्लेषण करने में सहायता करता है। इस प्रणाली (सिस्टम) का उपयोग नाविमं, DGCA और भाविप्रा अधिकारियों को स्वचालित रिपोर्ट शेयर करने के लिए भी किया जाता है।

**सी. क्रेडिट सुविधा कैलकुलेटर मॉड्यूल:**

भाविप्रा ने इनवॉइसिंग डेटा गेटवे (IDG) के माध्यम से सभी अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय प्रचालकों के लिए क्रेडिट सुविधा प्रक्रिया को डिजिटाइज़ किया है, जिससे देश भर में स्टैंडर्ड कैलकुलेशन सुनिश्चित होते हैं और एयरलाइंस को क्रेडिट एप्लीकेशन और इनवॉइस प्रबंधन हेतु एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म मिलता है, जिससे पारदर्शिता और प्रचालनात्मक दक्षता में वृद्धि होती है।

**डी. वाणिज्यिक परिवर्तन - पुरस्कार पत्र:**

उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ID से जुड़ा एक पूर्व निर्धारित अवार्ड लेटर फ़ॉर्मेट लागू किया गया है, जिससे उचित जीएल (GL) कोड के अंतर्गत बिलिंग का सही विभाजन करने और सुगमता से एक्सेस सुनिश्चित करने में सहायता होगी।

**ई. CAPEX बिलिंग API :**

यह सुविधा स्वचालित रूप से पूंजीगत व्यय (CAPEX) कर चालान तैयार करने में सक्षम बनाती है। यह सुविधा AIMS और SAP के बीच API एकीकरण के माध्यम से VAN ID द्वारा भुगतान प्राप्त होने पर स्वचालित रूप से चालान तैयार करती है। यह एकीकरण प्रोफोर्मा चालानों के आधार पर कर चालान तैयार करता है, जिससे परिचालन और वित्तीय प्रणालियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना आसान हो जाता है।

**एफ. CNS–मेंटेनेंस लीज़्ड लाइन मॉड्यूल:**

यह मॉड्यूल CNS विभाग के लिए हवाईअड्डों की लीज़्ड लाइनों के विवरण का प्रबंधन करता है, जिन्हें आगे इंटरसिटी, इंट्रासिटी, वैल्यू ऐडेड हॉटलाइन्स (VAH) एवं आईडीडी (IDD) हॉटलाइन्स आदि में वर्गीकृत किया गया है।

**जी. कॉमन यूज़ पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम (CUPPS) कंसेशनायर का स्वचालित बिलिंग:**

स्वचालित CUPPS बिलिंग का मुख्य उद्देश्य एक केंद्रीकृत बिलिंग प्रणाली विकसित करना है, जिसके माध्यम से घरेलू अनुसूचित एयरलाइनों से प्राप्त यात्री (PAX) डेटा के आधार पर एयरलाइन-वार चालान स्वचालित रूप से तैयार किए जा सकें। CUPPS चालान तैयार होने के पश्चात प्रणाली स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से चालान को जीएसटी पोर्टल एवं SAP ETP पर प्रस्तुत करती है।

**एच. MoCA डैशबोर्ड का विकास:**

एक अत्याधुनिक डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जो कनेक्टिविटी, उड़ानों, यात्रियों तथा कार्गो की वास्तविक-समय जानकारी प्रदान करता है, जिससे शीर्ष प्रबंधन को सूचित एवं समयोचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। यह व्यापक हवाई अड्डा डेटा की सटीक प्रविष्टि, प्रबंधन एवं निगरानी हेतु एक केंद्रीकृत मंच के रूप में भी कार्य करता है, जिससे परिचालन दक्षता एवं नियंत्रण सुनिश्चित होता है।

## NOCAS पोर्टल

**ए. NOCAS एप्लिकेशन का हैदराबाद स्थित AAI डाटा सेंटर में माइग्रेशन:**

NOCAS एप्लिकेशन, जो पूर्व में BSNL क्लाउड पर होस्ट था, को AAI के ऑन-प्रिमाइस डाटा सेंटर (हैदराबाद) में माइग्रेट किया गया है। इससे प्रदर्शन में सुधार हुआ है तथा एप्लिकेशन की धीमी गति और बार-बार न चलने से संबंधित दैनिक शिकायतों का समाधान हुआ है।

**बी. NOCAS का NSWS (नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम) एवं अन्य ULB (शहरी स्थानीय निकाय) पोर्टलों के साथ एकीकरण:**

NSWS भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य सभी आवश्यक अनुमोदनों हेतु एक केंद्रीकृत पोर्टल उपलब्ध कराकर 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा देना है। AAI का NOCAS एप्लिकेशन अब NSWS पोर्टल के साथ एकीकृत है, जिससे उपयोगकर्ताओं को एक सहज एवं एकीकृत अनुभव प्राप्त होता है।

## IAMATC एप्लिकेशन का AAI डाटा सेंटर में माइग्रेशन

ATM निदेशालय द्वारा पैन-इंडिया स्तर पर विकसित एवं उपयोग किया जाने वाला यह वेब-आधारित सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, जो पूर्व में एक निजी क्लाउड पर होस्ट था, को IT डाटा सेंटर, दिल्ली में माइग्रेट किया गया है। इस माइग्रेशन से बेहतर अवसंरचना समर्थन के साथ

## साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (C-SOC)

AAI ने 24×7 साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना के माध्यम से IT सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ किया है। इसमें IT अवसंरचना की निरंतर निगरानी, DPDP प्रावधानों सहित सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ISMS) का कार्यान्वयन, ई-मेल सेवाओं हेतु सुरक्षित इंटरनेट एक्सेस के लिए ओटीपी-आधारित मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण, तथा इंट्रानेट ट्रैफिक के लिए एंटी-एपीटी समाधानों की तैनाती शामिल है, जिससे समग्र साइबर सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

**अनुलग्नक III**

# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) की विभिन्न परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

## पूर्वी क्षेत्र

### 1. भवन या सुविधाओं का शिलान्यास / उद्घाटन

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | तिथि |
|---|---|---|
| पटना | माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन | 29.05.2025 |
| बिहटा | भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बिहटा हवाई अड्डे (बिहार) में नए सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु शिलान्यास किया गया। | 29.05.2025 |
| पूर्णिया | माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूर्णिया हवाई अड्डे (CE) पर EPC मोड (रिकॉल) पर अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन | 15.09.2025 |

### 2. पूर्ण की गई पूंजीगत योजनाएं

(राशि करोड़ रुपये में)

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | पूर्ण लागत | पूरा करने की तिथि |
|---|---|---|---|
| भुवनेश्वर | BPI हवाई अड्डा , भुवनेश्वर में समानांतर टैक्सी ट्रैक (PTT), रैपिड एग्जिट टैक्सी वे (RET) और 08 कोड सी विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन का निर्माण। SH: PTT और RET का निर्माण (चरण II) | 46.50 | फ़रवरी-25 |
| | BPI हवाई अड्डा, भुवनेश्वर में कैटेगरी-I लाइटिंग को कैटेगरी-II लाइटिंग सिस्टम में बदलना | 23.25 | मार्च-25 |
| दरभंगा | दरभंगा हवाई अड्डे का विकास।<br>SH : डिजाइन और निर्माण के आधार पर मौजूदा प्री-इंजीनियर्ड टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, अग्निशमन, HVAC/VRF, हवाई अड्डा प्रणाली, IT प्रणाली, कार पार्किंग और सड़कें, सीमा दीवार, शहर की तरफ विकास और अन्य संबंधित कार्य तथा मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग में संशोधन शामिल है।] (चरण II) | 25.43 | अगस्त-25 |

## 3. प्रगति पर पूंजीगत योजनाएँ

(राशि करोड़ रुपये में)

| परियोजना स्थल/ हवाई अड्डा | विवरण | पूर्ण लागत |
|---|---|---|
| पूर्णिया | पूर्णिया , बिहार में एप्रन, टैक्सीवे, GSE, सड़क (एयर और शहर की साइड) का निर्माण और अन्य संबंधित कार्य (चरण- I) | 43.55 |
| | पूर्णिया एयरपोर्ट (CE) पर EPC मोड पर अंतरिम टर्मिनल भवन का निर्माण (रिकॉल) | 58.00 |
| दरभंगा | दरभंगा, बिहार में नए सिविल एन्क्लेव का विकास।<br>SH: इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल पर नए टर्मिनल भवन, एलाइड स्ट्रक्चर का निर्माण और बाह्य विकास कार्य। | 911.66 |
| | दरभंगा हवाई अड्डे पर प्रस्तावित नए सिविल एन्क्लेव में एप्रन, दो लिंक टैक्सीवे और एयरसाइड अवसंरचनाओं का निर्माण (चरण-1) । | |
| | दरभंगा, बिहार में नए सिविल एन्क्लेव का विकास। SH: दरभंगा एयरपोर्ट पर बैगेज हैंडलिंग सिस्टम का SITC - जिसमें प्रचालन और AICMC शामिल हैं। | 20.81 |
| पटना | पटना हवाई अड्डे में नए घरेलू टर्मिनल भवन और अन्य अवसंरचनाओं का निर्माण (फेज I और II) | 1216.90 |
| | पटना हवाई अड्डे में राज्य सरकार के हैंगर, फ्लाइंग क्लब भवन, वीआईपी लाउंज भवन का निर्माण एवं अन्य संबद्ध कार्य | |
| | पटना हवाई अड्डे में वायु यातायात नियंत्रण ब्लॉक, तकनीकी ब्लॉक फायर स्टेशन और कार्गो ब्लॉक का निर्माण | |
| | पटना हवाई अड्डे में IMD भवन, मेडिकल सेंटर और जी+3 बहु उद्देशीय भवन का निर्माण (सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य)। | |
| | JPNI हवाई अड्डा, पटना में नए घरेलू टर्मिनल भवन और अन्य संबद्ध अवसंरनाओं का निर्माण (चरण-I और II) SH: पटना हवाई अड्डे में एप्रन (चरण-III) का निर्माण। | |
| बिहटा | बिहटा में नए सिविल एन्क्लेव का विकास ।<br>उपशीर्ष: नए एकीकृत टर्मिनल भवन, उपयोगिता भवन, उन्नत सड़क सहित संबंधित इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्य, विमानपत्तन प्रणाली, IT प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली का निर्माण जिसमें अभियांत्रिकी प्रापण और निर्माण (EPC) मोड पर व्यापक रखरखाव और प्रचालन सम्मिलित है। | 767.00 |
| | बिहटा में नए सिविल एन्क्लेव का विकास ।<br>उपशीर्ष: 10 ए321/बी737-800/ए320 प्रकार के विमानों की पार्किंग हेतु एप्रन का निर्माण और दो लिंक टैक्सीवे, जिसमें विद्युत कार्य भी सम्मिलित है। | 88.27 |
| रांची | बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची में CAT-II लाइटिंग सिस्टम का प्रावधान। | 10.70 |

| परियोजना स्थल/ हवाई अड्डा | विवरण | पूर्ण लागत |
|---|---|---|
| भुवनेश्वर | भुवनेश्वर में 4 MWP(DC) ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट का प्रावधान। | 41.24 |
| पाक्योंग | पाक्योंग हवाई अड्डे में बेसिक स्ट्रिप को चौड़ा करना, ढलान को स्थिर करना, ऊपर की ओर बैलेंस बनाने का काम और स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम बनाना। | 323.26 |
| कोलकाता | सेक्शन RWY, 'K' और 'A' टैक्सी के कठोर हिस्से का पुनर्निर्माण | 328.30 |
| | NSCBI हवाई अड्डा, कोलकाता के एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन की क्षमता बढ़ाना । | 109.07 |
| | NSCBI हवाई अड्डा, कोलकाता में कॉमन यूज़र डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल (सीयूडीसीटी) का निर्माण ।<br>SH: NSCBI हवाई अड्डा, कोलकाता में हवाई अड्डा प्रचालन क्षेत्र से भाविप्रा आवासीय कॉलोनी तक वीआईपी रोड पर सबवे/अंडरपास का निर्माण। (डिपॉज़िट वर्क) | 233.55 |
| | NSCBI हवाई अड्डा, कोलकाता में सेकेंडरी रनवे, 'K' और 'A' टैक्सीवे के रिजिड हिस्से का पुनर्निर्माण और 'सी' टैक्सीवे को मजबूत करना।<br>SH: - AGL फिटिंग और उससे संबद्ध कार्यों का प्रावधान। | 12.74 |
| | NSCBI हवाई अड्डा, कोलकाता के मुख्य रनवे की रीसरफेसिंग। SH: - AGL फिटिंग और उससे संबद्ध कार्यों का प्रावधान। | 17.14 |
| बागडोगरा | बागडोगरा हवाई अड्डे में नए सिविल एन्क्लेव का विकास । SH: - इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट<br>और कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल पर नए टर्मिनल भवन, MLCP, संबद्ध अवसंरचनाओं का निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य | 1549.00 |
| | बागडोगरा हवाई अड्डे में नए सिविल एन्क्लेव का विकास । SH: एप्रन, लिंक टैक्सीवे और एयरसाइड अवसंरचनाओं का निर्माण । | 101.99 |

## उत्तर पूर्वी क्षेत्र

### 1. भवन या सुविधाओं का शिलान्यास / उद्घाटन

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | तिथि |
|---|---|---|
| शून्य | | |

### 2. पूर्ण की गई पूंजीगत योजनाएं

(राशि करोड़ रुपये में)

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | पूर्ण लागत | पूरा करने की तिथि |
|---|---|---|---|
| इम्फाल | इम्फाल में टर्न पैड और फिलेट्स का विस्तार और TWY C का सुदृढ़ीकरण | 10.65 | जनवरी-25 |
| | इम्फाल हवाई अड्डे में एप्रन, आइसोलेशन बे, GSE एरिया समेत सर्विस लेन की री-कारपेटिंग और टैक्सीवे की बड़ी मरम्मत | 8.30 | मई-25 |
| | इंफाल हवाई अड्डे में प्रचालन क्षेत्र में स्टॉर्म वॉटर ड्रेन का निर्माण और बेसिक स्ट्रिप की ग्रेडिंग। | 71.63 | अक्टूबर-25 |
| | इंफाल एयरपोर्ट पर नए स्टैंडर्ड के फायर पिट का निर्माण और अप्रोच रोड के साथ फायर स्टेशन हार्ड स्टैंड का विस्तार | 12.70 | दिसंबर-25 |
| लीलाबाड़ी | लीलाबाड़ी हवाई अड्डे पर नई अधिग्रहित ज़मीन के लिए प्रॉपर्टी वॉल का निर्माण। | 6.76 | जून-25 |
| अगरतला | अगरतला में रनवे, टैक्सीवे की री-कारपेटिंग, प्रचालन क्षेत्र की ग्रेडिंग, ड्रेनेज सिस्टम का विकास और संबद्ध कार्य। | 61.42 | जुलाई-25 |
| होल्लोंगी / ईटानगर | होलोंगी में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण | 700.274* | जुलाई-25 |
| *** फाइनल बिल का कार्य प्रगति पर है।** | | | |

### 3.योजनाधीन परियोजनाएँ

(राशि करोड़ रुपये में)

| परियोजना स्थल/ हवाई अड्डा | विवरण | पूर्ण लागत |
|---|---|---|
| सिलचर | डोलू, सिलचर्क्र असम में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण। | 2134.00 (भाविप्रा द्वारा स्वीकृत) |
| जोरहाट | जोरहाट हवाई अड्डे पर NITB का निर्माण | 565.00 (मौजूदा Sow के अनुसार) |
| बारापानी (शिलांग) | बारापानी (शिलांग) हवाई अड्डे का विस्तार जिसमें रनवे विस्तार, टर्मिनल बिल्डिंग और एप्रन का विस्तार और बारापानी हवाई अड्डे पर अन्य संबद्ध कार्य शामिल हैं। | 488.60 |

## 4. प्रगति पर पूंजीगत योजनाएँ

(राशि करोड़ रुपये में)

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | स्वीकृत लागत |
|---|---|---|
| सिलचर | सिलचर हवाई अड्डे में यात्रियों के सुगम मूवमेंट के लिए टर्मिनल भवन में सुधार कार्य | 9.04 |
| इम्फाल | इम्फाल हवाई अड्डे में हैंगर का निर्माण और अन्य संबद्ध कार्य। | 35.90 |
| | इम्फाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इम्फाल, मणिपुर में नए एकीकृत टर्मिनल भवन, नियंत्रण टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक, एप्रन, लिंक टैक्सीवे का निर्माण और संबद्ध कार्य। | 499.00 |
| | इम्फाल हवाई अड्डे में प्रचालन बाउंड्री वाल का निर्माण। | 25.41 |
| | पैरीमीटर सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण | 10.00 |
| दीमापुर | दीमापुर हवाई अड्डा, नागालैंड में यात्री टर्मिनल भवन की क्षमता वृद्धि के लिए संशोधन/विस्तार। | 26.36 |
| अगरतला | खोवाई हवाई अड्डे में बाउंड्री वॉल का निर्माण | 12.77 |

## उत्तरी क्षेत्र

### 1. भवन या सुविधाओं का शिलान्यास / उद्घाटन

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | तिथि |
|---|---|---|
| शून्य | | |

### 2. पूर्ण की गई पूंजीगत योजनाएं

(राशि करोड़ रुपये में)

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | पूर्ण लागत | पूरा करने की तिथि |
|---|---|---|---|
| किशनगढ़ | किशनगढ़ हवाई अड्डे में ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण। | 6.10 | मार्च-25 |
| फुरसतगंज | आसीएस संचालन के लिए उत्तर प्रदेश में फुरसतगंज हवाई अड्डे का विकास SH: डिजाइन और निर्माण के आधार पर प्री-इंजीनियर्ड टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, नलसाजी, अग्निशमन, HVAC, हवाई अड्डा प्रणाली, IT प्रणाली, कलाकृतियां, सहायक भवन, कार पार्किंग, शहर की साइड का विकास और अन्य संबद्ध कार्य शामिल हैं। | 13.00 | मार्च-25 |
| | RCS प्रचालन के लिए उत्तर प्रदेश में फुरसतगंज हवाई अड्डे का विकास । SH: एप्रन, टैक्सी ट्रैक का निर्माण एवं संबद्ध कार्य। | 9.00 | दिसंबर-24 |
| कुल्लू | कुल्लू मनाली हवाई अड्डे में ब्यास नदी के किनारे प्रचालन क्षेत्र में RCC बाउंड्री वॉल का निर्माण। | 6.01 | मई-25 |
| सहारनपुर | सरसावा (सहारनपुर) हवाई अड्डे का डिजाइन और निर्माण के आधार पर। विकास । SH : प्री-इंजीनियर्ड टर्मिनल भवन का निर्माण और संबद्ध कार्य | 28.25 | मई-25 |
| देहरादून | देहरादून हवाई अड्डे में ड्रेनेज सिस्टम का विस्तार | 20.95 | जुलाई-25 |
| प्रयागराज | प्रयागराज हवाई अड्डे में डिजाइन और निर्माण के आधार पर नए टर्मिनल भवन, दूसरे लिंक टैक्सी ट्रैक का निर्माण, एप्रन का विस्तार और अन्य संबद्ध कार्य | 215.03 | सितम्बर-25 |
| अयोध्या | अयोध्या हवाई अड्डे का विकास ।<br>SH : डिज़ाइन और निर्माण आधार ( EPC) पर प्री-इंजीनियरिंग बिल्डिंग (PEB) का निर्माण और अन्य संबद्ध कार्य । | 328.00 | नवंबर-24 |
| | उत्तर प्रदेश में अयोध्या हवाई अड्डे का विकास ।<br>SH: डिजाइन और बिल्ड (EPC) आधार पर प्रचालन क्षेत्र में पेवमेंट, ग्रेडिंग और अन्य कार्य।<br>अयोध्या हवाई अड्डे का विकास ।<br>SH: टर्मिनल भवन के लिए ग्लास फाइबर रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट एलिमेंट्स उपलब्ध करवाना और लगाना । | | |

## 3. प्रगति पर पूंजीगत योजनाएँ

(राशि करोड़ रुपये में)

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | स्वीकृत लागत |
|---|---|---|
| रंगपुरी | रंगपुरी, नई दिल्ली में फायर ट्रेनिंग सेंटर का पुन:विकास<br>SH:- प्रशानिक एवं शैक्षिक ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक, सहायक बिल्डिंग का निर्माण और अन्य सबद् कार्य । | 136.13 |
| सफदरजंग | INA कॉलोनी, नई दिल्ली में टाइप-II और टाइप-III क्वार्टरों की मरम्मत/नवीनीकरण।<br>SH - INA कॉलोनी, नई दिल्ली में आवासीय क्वार्टर (टाइप-II और टाइप-III) का उन्नयन । | 4.47 |
| हिसार | हिसार हवाई अड्डे में एकीकृत टर्मिनल भवन, कार्गो टर्मिनल, ATC टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक, फायर कंट्रोल टॉवर के साथ फायर स्टेशन भवन, जिसमें कार्यालय भवन, रखरखाव भवन, सुरक्षा भवन, सब-स्टेशन भवन, A/C संयंत्र, पंप रूम, एमटी पूल सह कार्यशाला आदि जैसे सहायक भवन शामिल हैं । भवनों के एयर और शहर की तरफ विकास कार्य, कार पार्किंग आदि और अन्य संबंधित कार्य। | 660.80 |
| कांगड़ा | कांगड़ा हवाई अड्डे में एप्रन का विस्तार ।। | 12.09 |
| जम्मू | जम्मू हवाई अड्डे में नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण | 861.37 |
| | जम्मू हवाई अड्डे में नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण (चरण -1)।<br>SH: AB-321 टाइप के 13 विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन का निर्माण और संबद्ध कार्य । | |
| श्रीनगर | श्रीनगर हवाई अड्डे में पावर सप्लाई सिस्टम को उन्नत करना। | 5.14 |
| लेह | लेह हवाई अड्डे में नए टर्मिनल भवन का निर्माण । | 640.00 |
| | लेह हवाई अड्डे में टर्मिनल भवन का निर्माण और संबद्ध कार्य ।<br>SH : अतिरिक्त लिफ्ट और एस्केलेटर का SITC | |
| | लेह हवाई अड्डे में टर्मिनल भवन का निर्माण और संबद्ध कार्य ।<br>SH: CT-EDS के साथ बैगेज हैंडलिंग सिस्टम का प्रावधान। | |
| | लेह हवाई अड्डे में टर्मिनल भवन का निर्माण और संबद्ध कार्य ।<br>SH: CT-EDS के साथ बैगेज हैंडलिंग सिस्टम का प्रावधान। | |
| ग्वालियर | ग्वालियर हवाई अड्डे में नई भाविप्रा बाउंड्री वॉल के आगे कवर्ड स्टॉर्म वॉटर ड्रेन का निर्माण। ( डिपॉज़िट वर्क – राज्य) | 12.24 |

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | स्वीकृत लागत |
|---|---|---|
| जोधपुर | जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण | 480.00 |
| | जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण जोधपुर हवाई अड्डे में बैगेज हैंडलिंग सिस्टम का SITC जिसमें संचालन और AICMC शामिल हैं | |
| किशनगढ़ | किशनगढ़ हवाई अड्डे में एप्रन और टैक्सीवे का निर्माण | 17.78 |
| उदयपुर | उदयपुर हवाई अड्डे में नए एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण | 887.00 |
| | PBB | |
| | CT-EDS के साथ इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम का प्रावधान। | 49.56 |
| | M.P. हवाई अड्डा, उदयपुर पर स्टैंड अलोन MSSR के बदले नया स्टैंड अलोन MSSR लगाया जाना । | 10.60 |
| कोटा | बूंदी , कोटा, राजस्थान में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास ।<br>SH: एयरसाइड के कामों की डिटेल्ड डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण, जिसमें अर्थ वर्क, ग्रेडिंग, रनवे, एप्रन, टैक्सीवे, आइसोलेशन बे, दिक्चालन सहायता सुविधाओं के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य, पेरिमीटर रोड, अप्रोच रोड, ऑपरेशनल और नॉन-ऑपरेशनल बाउंड्री वॉल, रनवे लाइटिंग सिस्टम और उससे जुड़े काम शामिल हैं। | 1507.00 |
| कुशीनगर | कुशीनगर एयरपोर्ट पर नए पेरिमीटर रोड का निर्माण और मौजूदा रोड को चौड़ा करना ,<br>SH:. डायवर्टेड रोड का निर्माण और मौजूदा रोड को चौड़ा करना। | 8.70 |
| अयोध्या | अयोध्या हवाई अड्डे का विकास ।<br>SH: डिज़ाइन और निर्माण आधार (EPC) पर प्री-इंजीनियरिंग बिल्डिंग (PEB) का निर्माण और पर अन्य संबद्ध कार्य । | 328.00 |
| | उत्तर प्रदेश में अयोध्या हवाई अड्डे का विकास ।<br>SH : डिज़ाइन और निर्माण आधार (EPC) पर प्रचालन क्षेत्र में पेवमेंट, ग्रेडिंग और अन्य कार्य। | |
| | उत्तर प्रदेश में अयोध्या हवाई अड्डे का विकास ।<br>SH : डिज़ाइन और निर्माण आधार (EPC) पर प्रचालन क्षेत्र में पेवमेंट, ग्रेडिंग और अन्य कार्य। | |

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | स्वीकृत लागत |
|---|---|---|
| आगरा | आगरा हवाई अड्डे में नए सिविल एन्क्लेव का विकास। | 579.00 |
| वाराणसी | वाराणसी हवाई अड्डे का विकास ।<br>पैकेज - I: इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण और संबद्ध कार्य । | 2869.65 |
| | वाराणसी हवाई अड्डे पर एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन के विस्तार के लिए कॉन्सेप्ट से लेकर कमीशनिंग तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (PMC) सेवाएं । | |
| | LBSI हवाई अड्डा, वाराणसी में नई अधिग्रहित ज़मीन के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण। | |
| | पैकेज-II: मौजूदा रनवे की री-कारपेटिंग के साथ-साथ रनवे का विस्तार जिसमें समानांतर टैक्सी, लिंक टैक्सी, शोल्डर के साथ RET, ब्लास्ट पैड और परिधि सड़क, ड्रेनेज, RESA, रनवे बेसिक स्ट्रिप को मजबूत करने सहित लेवलिंग और ग्रेडिंग, एप्रन का विस्तार और शोल्डर और GSE क्षेत्र के साथ आइसोलेशन बे का निर्माण शामिल है। | |
| | एनएचएआई द्वारा बनाया जाने वाला एनएच अंडर पास (डिपॉज़िट वर्क ) | |
| पंतनगर | पंतनगर में सिविल हवाई अड्डे पर 524.78 एकड़ नई अधिग्रहित भूमि पर परिसीमा दीवार का निर्माण कार्य। | 14.14 |
| अमृतसर | अमृतसर हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत प्रकाश नियंत्रण और निगरानी प्रणाली (ILCMS) का प्रावधान | 25.99 |

## दक्षिणी क्षेत्र

### 1. आधारशिला / भवन या सुविधाओं का उद्घाटन

**आधारशिला**

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | तिथि |
|---|---|---|
| शुन्य | | |

**उद्घाटन**

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | तिथि |
|---|---|---|
| तूतीकोरिन | तूतीकोरिन हवाई अड्डे के विकास कार्यों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया | 26.07.2025 |

### 2. पूंजीगत योजनाएं पूरण/आरंभ की गई

(राशि करोड़ रुपये में)

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | पूर्ण लागत | पूरा करने की तिथि |
|---|---|---|---|
| मदुरै | मदुरै हवाई अड्डे पर मरम्मत और रखरखाव, प्रचालन और AICMC सहित नवीन ATC टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक का निर्माण | 84.52 | जनवरी-25 |
| तूतीकोरिन | तूतीकोरिन हवाई अड्डे का विकास : तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर रनवे का विस्तार जिसमें ब्लास्ट पैड, RESA, टैक्सीवे, एप्रन, GSE क्षेत्र, आइसोलेशन बे और अन्य कार्य सम्मिलित हैं, और नए टर्मिनल भवन, ATC टावर सह तकनीकी ब्लॉक, अग्निशमन स्टेशन का निर्माण और संबंधित कार्य, जिसमें रखरखाव, प्रचालन और AICMC सम्मिलित हैं। | 391.84* | जून-25 |
| अगाती | अगाती हवाई अड्डे का विकास उपशीर्ष: अगाती हवाई अड्डे पर रनवे का पुनःसतहीकरण. | 31.11* | मई-25 |
| तिरुपति | तिरुपति हवाई अड्डे पर ATC टावर सह तकनीकी ब्लॉक का निर्माण | 49.01* | मई-25 |
| चेन्नई | दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई हवाई अड्डे पर ATS कॉम्प्लेक्स और ASR/MSSR में DG सेट और LT पैनल को बदलकर विद्युत आपूर्ति प्रणाली को बेहतर बनाना। उपशीर्ष: DG सेट, LT पैनल को बदलना और संबद्ध कार्य । | 4.89 | अगस्त-25 |
| | चेन्नई हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के सिटी साइड पर कैनोपी लगाना। | 6.82 | अगस्त-25 |
| | “चेन्नई हवाई अड्डे, चेन्नई में प्लाजा, पिक-अप लेन और आवश्यक अनुषंगी सुविधाओं के साथ सिटी साइड ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट के लिए अवसंरचना का विकास। | 26.96* | नवम्बर-25 |

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | पूर्ण लागत | पूरा करने की तिथि |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | चेन्नई हवाई अड्डे, चेन्नई में 'H' टैक्सी ट्रैक, कोड 'E' विमान प्रचालन हेतु 'E' टैक्सी ट्रैक का पुनर्निर्माण और सुदृढीकरण, घरेलु एप्रन में RET-एम से 'एच' टैक्सी ट्रैक तक लिंक टैक्सी ट्रैक का निर्माण, माध्यमिक रनवे का पुनर्निर्माण और संबद्ध कार्य। | 53.66* | अक्टूबर-25 |
| हैदराबाद | बेगमपेट हवाई अड्डे, हैदराबाद में परिसीमा सड़क के शेष भाग का निर्माण और उसका विस्तार। | 4.74* | नवम्बर-25 |
| कलबूर्गी | कलबुर्गी हवाई अड्डे पर अग्निशमन स्टेशन से फायर पिट तक वर्तमान परिसीमा सड़क का विस्तार और शेष भाग में परिसीमा दीवार का निर्माण। | 16.90* | दिसंबर-25 |
| **अंतिम बिल प्रक्रियाधीन है (*)** | | | |

## 3. प्रक्रियाधीन पूजीगत योजनाएँ

(राशि करोड़ रुपये में)

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | अनुमोदित लागत |
|---|---|---|
| विजयवाड़ा | विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर एप्रन, ATC टावर और उससे संबद्ध कार्यों सहित NITB का निर्माण। | 611.80 |
| | विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर ATC टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक का निर्माण | 94.98 |
| कडप्पा | नए घरेलु टर्मिनल भवन का निर्माण और रखरखाव, प्रचालन और AICMC सहित अन्य कार्य। | 265.91 |
| | कडप्पा हवाई अड्डे पर नए घरेलु टर्मिनल भवन का निर्माण और अन्य कार्य।<br>उपशीर्ष: कडप्पा हवाई अड्डे पर 24 चेक-इन-काउंटर के लिए नॉन -इनलाइन प्रकार की प्रस्थान कन्वेयर प्रणाली और 02 फ्लैट टाइप आगमन कन्वेयर प्रणाली का SITC, जिसमें 07 वर्ष तक प्रचालन और 2 वर्ष के DLP के पश्चात 05 वर्ष तक AICMC सम्मिलित है। | 8.20 |
| राजमन्ड्री | राजमन्ड्री हवाई अड्डे पर नए घरेलु टर्मिनल भवन का निर्माण और रखरखाव, प्रचालन और AICMC सहित अन्य कार्य । | 347.15 |
| कालीकट | रनवे 10-28 पर दोनों ओर अतिरिक्त RESA का विकास और कालीकट हवाई अड्डे पर CNS सुविधाओं को अन्यत्र ले जाना और विस्तार करना।<br>उपशीर्ष: रनवे 10-28 पर दोनों ओर अतिरिक्त RESA हेतु ढलान से बचाने वाला, ड्रेनेज प्रणाली और संबद्ध कार्यों के साथ तटबंध बनाना। | 484.57 |

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | अनुमोदित लागत |
|---|---|---|
| बेलगावी | बेलगावी हवाई अड्डे पर नए घरेलु टर्मिनल भवन का निर्माण और अन्य कार्य | 322.45 |
| | बेलगावी हवाई अड्डे पर कोड-'C' प्रकार के विमानों और उससे सबंधित अवसंरचना हेतु एप्रन बे का विस्तार और पुनर्विन्यासन | 31.42 |
| | बेलगावी हवाई अड्डे पर नई घरेलु टर्मिनल भवन का निर्माण और अन्यकार्य। उपशीर्ष: बेलगावी हवाई अड्डे पर 2 वर्ष के DLP के पश्चात 14 चेक-इन-काउंटर और 02 फ्लैट आगमन कन्वेयर प्रणाली हेतु नॉन-इनलाइन प्रकार की प्रस्थान कन्वेयर प्रणाली का SITC, जिसमें 07 वर्ष तक प्रचालन और 05 वर्ष तक AICMC सम्मिलित है। | 7.86 |
| हुबली | हुबली हवाई अड्डे पर नए घरेलु टर्मिनल भवन का निर्माण और अन्य कार्य | 320.47 |
| | हुबली हवाई अड्डे पर कोड-'सी' प्रकार के विमानों और उससे संबंधित अवसंरचना हेतु एप्रन बे का विस्तार और पुनर्विन्यासन | 45.17 |
| | हुबली हवाई अड्डे पर नए घरेलु टर्मिनल भवन का निर्माण और अन्य कार्य-बैगेज हैंडलिंग प्रणाली (BHS) का प्रावधान। उपशीर्ष: हुबली हवाई अड्डे पर 14 चेक-इन-काउंटरों हेतु नॉन -इनलाइन प्रकार की प्रस्थान कन्वेयर प्रणाली और 03 हेवी ड्यूटी स्लेट प्रकार की इनक्लाइंड आगमन कन्वेयर प्रणाली की अभिकल्पना और SITC, साथ ही 2 वर्ष की DLP के पश्चात 07 वर्ष तक इसका प्रचालन और 05 वर्ष तक AICMC। | 9.74 |
| चेन्नई | चेन्नई चेन्नई हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण (चरण-II), चेन्नई हवाई अड्डा। | 2467.00 |
| | चेन्नई हवाई अड्डे के प्रचालन क्षेत्र में बरसाती नाले का आशोधन। | 209.10 |
| | चेन्नई हवाई अड्डे पर क्षमता विस्तार हेतु T1 और टी4 का नवीनीकरण | 81.80 |
| | चेन्नई हवाई अड्डे पर तृतीय चरण में विद्युत कार्य के साथ CISF हेतु आवासीय बैरक का निर्माण। | 43.76 |
| | राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कोलापक्कम गाँव में 16.49 एकड़ और चेन्नई हवाई अड्डे, चेन्नई में रनवे 12 की ओर 9.60 एकड़, सौंपी गई भूमि हेतु परिसीमा दीवार का निर्माण (चरण -III) | 14.87 |
| | चेन्नई हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण (फ़ेज़-II), चेन्नई हवाई अड्डे। उपशीर्ष: चेन्नई हवाई अड्डे पर इन-लाइन बैगेज हैंडलिंग प्रणाली का प्रावधान | 445.59 |
| | भारत के विभिन्न हवाईअड्डों हेतु एप्रन ड्राइव ग्लास वाल्ड पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज (PBB) और एडवांस विजुअल डॉकिंग गाइडेंस प्रणाली (AVDGS) प्रदान करना (90 PBB हेतु) | 239.99 |

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | अनुमोदित लागत |
|---|---|---|
| चेन्नई | चेन्नई हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण (द्वितीय चरण), चेन्नई।<br>उपशीर्ष : साइनेज की अभिकल्पना, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग | 10.72 |
| | चेन्नई हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण फेज़-II.<br>उपशीर्ष: आंतरिक विद्युत प्रकाश व्यवस्था का कार्य । | 31.82 |
| | 20 रडार और सहायक उपकरणों की SITC।<br>उपशीर्ष : चेन्नई हवाई अड्डे पर ASR सह-स्थित MSSR और एंटीना टावर का निर्माण। | 10.60 |
| | मुगलिवक्कम , चेन्नई में नए एचएफ़ ट्रांसमीटर भवन का निर्माण। उपशीर्ष: सिविल और विद्युत कार्य। | 7.93 |
| | रनवे 07-25 हेतु 8 RET और रनवे 12-30 हेतु 3 RET का निर्माण। चेन्नई हवाई अड्डे पर लिंक टैक्सी-ट्रैक और लिंक टैक्सी-ट्रैक -के1 के साथ सामांतर टैक्सी ट्रैक – 'आर' का विस्तार। | 480.06 |
| त्रिची | नए ATC टॉवर सह तकनीकी ब्लॉक और उपयोगिता/सेवा ब्लॉक का निर्माण जिसमें प्रचालन और नियमित रखरखाव तथा सभी समावेशी व्यापक रखरखाव अनुबंध (AICMC) सम्मिलित है। | 80.17 |
| तूतीकोरिन | रनवे के 10 और 28 ओर 96.77 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के अंतर्गत परिसीमा दीवार का निर्माण | 9.56 |
| | रनवे के 10 और 28 ओर 96.77 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के अंतर्गत परिसीमा दीवार का निर्माण | 6.79 |
| अन्य हवाई अड्डे | भारत में विभिन्न हवाईअड्डों हेतु एप्रन ड्राइव ग्लास वाल्ड पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज (PBB) और एडवांस्ड विजुअल डॉकिंग गाइडेंस प्रणाली (AVDGS) की अभिकल्पना, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (DMSITC)। | 51,26,535.39 अमरीकी डॉलर+ ₹ 114.76 करोड़ (भारतीय ₹ में कुल= 151.11 करोड़) |
| | भारत के अलग-अलग हवाईअड्डों हेतु एप्रन ड्राइव ग्लास वॉल्ड पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज (PBB) और एडवांस्ड विज़ुअल डॉकिंग गाइडेंस प्रणाली (AVDGS) की अभिकल्पना, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (DMSITC)। - 38 PBB | 386.86 |
| मदुरै | रनवे के दक्षिण की ओर प्रचालन क्षेत्र की ग्रेडिंग, जिसमें ड्रेन का निर्माण सम्मिलित है। | 17.15 |
| वेल्लोर | वेल्लोर हवाई अड्डे पर प्रचालन सीमा दीवार का निर्माण | 10.18 |
| कोयंबटूर | कोयंबटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नई अधिग्रहित भूमि हेतु प्री-कास्ट प्रचालन/नॉन-प्रचालन परिसीमा दीवार का निर्माण | 51.31 |

## पश्चिमी क्षेत्र

### 1.भवन या सुविधाओं का शिलान्यास / उद्घाटन

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | तिथि |
|---|---|---|
| दतिया | माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19-सीटर विमान के प्रचालन हेतु दतिया हवाई अड्डे के विकास कार्य का उद्घाटन किया गया | 31.05.2025 |
| सतना | माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19-सीटर विमान के प्रचालन हेतु सतना हवाई अड्डे के विकास का उद्घाटन किया गया | 31.05.2025 |

### 2. पूर्ण पूंजीगत योजनाएँ

(राशि करोड़ रुपये में)

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | पूर्ण लागत | पूरा करने की तिथि |
|---|---|---|---|
| गोवा | गोवा हवाई अड्डे पर MLCP भवन को ऑफिस भवन में परिवर्तित करना। | 15.32 | 25.06.2025 |
| नागपुर | DBAI हवाई अड्डे, नागपुर में रनवे 14/32 का पुनःसतहीकरण (सिविल और विद्युत कार्य) | 34.20 | 28.03.2025 |
| सूरत | सूरत में एप्रन का विस्तार और सामांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण | 91.54* | 31.03.2025 |
| गोवा | CISF बैरक के निर्माण का शेष कार्य, जिसमें कोट, शस्त्रागार, आयुध आदि और श्वान घर (डॉग केनेल) सम्मिलित हैं। | 7.85 | 23.07.2025 |
| दतिया | CISF बैरक के निर्माण का शेष कार्य, जिसमें कोट, शस्त्रागार, आयुध आदि और श्वान घर (डॉग केनेल) सम्मिलित हैं। | 55.64* | 10.10.2024 |
| | CISF बैरक के निर्माण का शेष कार्य, जिसमें कोट, शस्त्रागार, आयुध आदि और श्वान घर (डॉग केनेल) सम्मिलित हैं। | | 28.05.2025 |
| भोपाल | राजा भोज हवाई अड्डे, भोपाल में नए MSSR भवन और एंटीना हेतु RCC टावर का निर्माण, जिसमें आंतरिक विद्युत कार्य भी सम्मिलित है। | 8.67 | 31.05.2025 |
| सूरत | सूरत हवाई अड्डे पर वर्तमान टर्मिनल भवन का पुनर्विन्यास | 9.19* | 10.07.2025 |
| पुणे | पुणे में भारतीय वायु सेना हेतु विद्युत कार्य सहित बीएसओ यार्ड शेड, CWE ऑफिस आदि का निर्माण। | 29.66* | अगस्त-25 |
| भोपाल | राजा भोज हवाई अड्डे भोपाल पर वर्तमान टर्मिनल भवन का पुनर्विन्यास। उपशीर्ष: लोअर ग्राउंड फ़्लोर को आगमन हॉल में परिवर्तित करने संबंधी सिविल कार्य | 8.33* | 30.10.2025 |

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | पूर्ण लागत | पूरा करने की तिथि |
|---|---|---|---|
| भोपाल | राजा भोज हवाई अड्डे, भोपाल में नए अग्निशमन स्टेशन का निर्माण। | 14.36* | 15.11.2025 तक पूर्ण |
| शिरडी | टैक्सीवे का पुनःसतहीकरण ( सिविल और विद्युत कार्य) | 31.44* | 30.11.2025 |
| **अंतिम बिल प्रक्रियाधीन है (*)** | | | |

## 3. प्रक्रियाधीन पूजीगत योजनाएँ

(राशि करोड़ रुपये में)

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | अनुमोदित लागत |
|---|---|---|
| धोलेरा | धोलेरा , अहमदाबाद (गुजरात) में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास। | 1551.00 |
| केशोद | केशोद हवाई अड्डे का विकास । उपशीर्ष: रनवे 05/23 का विस्तार और सुदृढीकरण और लिंक टैक्सीवे, PTT, एप्रन, आइसोलेशन बे, परिसीमा सड़क, प्रचालन परिसीमा सड़क, ड्रेनेज प्रणाली, आदि का निर्माण, जिसमें केशोद हवाई अड्डे पर सिविल और विद्युत संबंधित कार्य सम्मिलित हैं।<br>केशोद हवाई अड्डे का विकास। | 363.10 |
| | केशोद हवाई अड्डे का विकास। उपशीर्ष: पार्किंग के साथ नए घरेलु टर्मिनल भवन की विस्तृत अभिकल्पना, अभियांत्रिकी, प्रापण और निर्माण, ATC टावर सह तकनीकी ब्लॉक, अग्निशमन स्टेशन, विद्युत सब-स्टेशन, अप्रोच रोड, अनुषंगी संरचना, संबद्ध कार्य और संबंधित एमईपी और इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य, विमानपत्तन प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली जिसमें रखरखाव, प्रचालन और AICMC सम्मिलित है। | |
| सूरत | सूरत इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मुख्य प्रवेश/निकास सड़क का विस्तार करना। उपशीर्ष: सिविल कार्य | 6.85 |
| | सूरत इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर DVOR/DME-मोपियंस के सिविल कार्य हेतु नए DVOR भवन का निर्माण और ग्राउंड लेवल को AMSL 5.50 से 8.00 मीटर तक बढ़ाने हेतु मिट्टी/मूरम फिलिंग समेत अन्य कार्य। | 10.28 |
| भावनगर | भावनगर हवाई अड्डे के प्रचालन क्षेत्र के अंदर RCC बॉक्स प्रकार के बरसाती नाले का निर्माण | 10.8 |
| भुज | भुज में वर्तमान टर्मिनल भवन का पुनर्निर्माण | 9.75 |
| दीव | दीव हवाई अड्डे के प्रचालन क्षेत्र में परिसीमा सड़क का निर्माण। | 10.28 |

| परियोजना स्थल/हवाई अड्डा | विवरण | अनुमोदित लागत |
|---|---|---|
| कांडला | कांडला में रनवे का पुनःसतहीकरण, टैक्सीवे, एप्रन, परिसीमा सड़क के साथ-साथ रनवे शोल्डर, ब्लास्ट पैन, परिसीमा सड़क शोल्डर का निर्माण और RESA विस्तार | 22.14 |
| वडोदरा | वडोदरा में प्रचालन क्षेत्र के शेष भागों में बरसाती जल निकासी मार्ग का प्रावधानर | 11.43 |
| गोवा | गोवा हवाई अड्डे पर वर्तमान एकीकृत टर्मिनल भवन का विस्तार। | 255.69 |
| | गोवा हवाई अड्डे पर इंटरलेयर डामर रीइन्फोर्समेंट प्रणाली और बिटुमिनस ओवरले के साथ एप्रन की मरम्मत | 8.40 |
| | NITB की दूसरी मंज़िल पर फॉल्स सीलिंग को बदलना । | 11.31 |
| भोपाल | राजा भोज हवाई अड्डे, भोपाल पर सामांतर टैक्सी ट्रैक, लिंक टैक्सी और रैपिड एग्जिट टैक्सी का निर्माण | 116.97 |
| | राजा भोज हवाई अड्डे, भोपाल पर समांतर टैक्सी ट्रैक और रैपिड एग्जिट टैक्सीवे का निर्माण। उपशीर्ष: विद्युत LT और AGL केबल्स पुन: अनुमार्गण । | |
| | रक्षा हेतु आगमन द्वार, क्वार्टर गार्ड, स्टेज और उससे जुड़ी संरचना को 3 EME सेंटर से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा। | 8.61 |
| इंदौर | डीएबीएच हवाई अड्डा, इंदौर में एकीकृत टर्मिनल भवन का पुनर्विन्यास और पुराने टर्मिनल भवन का नवीनीकरण। उपशीर्ष: सिविल और आंतरिक विद्युत कार्य। | 42.54 |
| | D.A.B.H हवाई अड्डा, इंदौर पर रनवे और टैक्सीवे का पुनःसतहीकरण | 32.00 |
| दतिया | दतिया हवाई अड्डे पर DGCA की टिप्पणियों, प्रचालन और प्रचालन आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अन्य कार्य | 7.54 |
| पुणे | पुणे हवाई अड्डे पर पुराने टर्मिनल भवन का पुनःनिर्माण। उपशीर्ष: सिविल और विद्युत कार्य। | 14.50 |
| | पुणे हवाई अड्डे पर पुराने टर्मिनल भवन का पुनःनिर्माण। उपशीर्ष: एयर कंडीशनिंग का कार्य। | 7.48 |
| जुहू | जुहू हवाई अड्डे पर रनवे 08 - 26 और 16-34 का पुनःसतहीकरण | 24.45 |

# 10. AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड और सहायक कंपनियां

# 10.1 AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL)

## 10.1.1 परिचय

AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड भारत सरकार (GoI) की 100% स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसे एयर इंडिया के विनिवेश के उद्देश्य से एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य एअर इंडिया लिमिटेड की चार सहायक कंपनियों AI एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (AIASL), एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (AAAL), AI इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (AIESL) और भारतीय होटल निगम लिमिटेड (HCI) के साथ-साथ गैर-मुख्य परिसंपत्तियों और अन्य गैर-प्रचालनिक परिसंपत्तियों का भंडारण करना है, जिनका किसी परिसंपत्ति द्वारा समर्थन नहीं है।

निदेशक मंडल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक AIAHL तथा नागर विमानन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के नामित निदेशक शामिल हैं।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, AI प्रशासनिक भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003 में स्थित है।

## 10.1.2 प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी

31 मार्च 2025 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 70,000 करोड़ रुपये थी, जो 10 रुपये प्रति शेयर के 7,000,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित थी। कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 63,022.59 करोड़ रुपये थी, जो 10 रुपये प्रति शेयर के 6,302,25,90,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित थी।

## 10.1.3 वित्तीय निष्पादन (स्टैण्डलोन)

(करोड़ रुपए में)

| विवरण | वित्त वर्ष 2024-25 | वित्त वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|
| कुल राजस्व | 1613.484 | 1431.708 |
| कुल व्यय | 1269.737 | 1323.041 |
| कर से पूर्व लाभ/(हानि) | 343.747 | 108.667 |
| कर व्यय<br>1. चालू कर<br>2. आस्थगित कर<br>3. पिछले वर्ष से संबंधित कर समायोजन | 8.589<br>66.803<br>11.134 | (376.044) |
| वर्ष के लिए लाभ/(हानि) | **257.221** | **484.711** |

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) संकलन प्रक्रियाधीन है।

## 10.1.4 गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD)

कंपनी ने वर्ष 2019 में एअर इंडिया लिमिटेड के चिन्हित ऋणों के पुनर्वित्त के लिए भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत, कुल 21,985 करोड़ रुपये के तीन श्रृंखलाओं के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) जारी किए थे। NCD का मूलधन और ब्याज भुगतान बजटीय सहायता/मुद्रीकरण आय/किराया आदि से किया जाता है।

तीनों श्रृंखलाओं में से 7,000 करोड़ रुपये के श्रृंखला-1 NCD परिपक्व हो गए और 16 दिसंबर 2022 को सरकारी अनुदान कोष से भुना लिए गए। श्रृंखला-2 और श्रृंखला-3 के कुल 14,985 करोड़ रुपये के NCD अक्टूबर 2029 में भुनाए जाने के लिए देय हैं।

## 10.1.5 सहायक कंपनियाँ

वित्त वर्ष 2021-22 में एअर इंडिया लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित सहायक कंपनियों के शेयर एअर इंडिया लिमिटेड से AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। कंपनी की सहायक कंपनियाँ निम्नलिखित हैं:

1. AI एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड- पूर्ण स्वामित्व वाली
2. AI इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड - पूर्ण स्वामित्व वाली
3. एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड - पूर्ण स्वामित्व वाली
4. भारतीय होटल निगम लिमिटेड

कंपनी के पास भारतीय होटल निगम लिमिटेड के 86.14% इक्विटी शेयर हैं, और शेष 13.86% शेयर भारत के राष्ट्रपति के पास हैं।

## 10.1.6 परिसंपत्ति मुद्रीकरण

दिसंबर 2025 तक की गई गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

i. खजुराहो स्थित एक संपत्ति को महाराष्ट्र नगर निगम (KMC) को 0.019 करोड़ रुपये के मुआवजे पर सौंप दिया गया।

ii. एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (AISAM) ने नरीमन प्वाइंट स्थित एयर इंडिया बिल्डिंग को महाराष्ट्र सरकार को 1601.00 करोड़ रुपये के विक्रय मूल्य पर बेचने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, विक्रय प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

iii. हैदराबाद स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को 27.01.2024 से 31.12.2025 तक 1.24 करोड़ रुपये (लगभग 15.00 करोड़ रुपये वार्षिक) के मासिक विक्रय किराए पर एयर इंडिया को पट्टे पर दिया गया है, जिसमें लागू जीएसटी भी शामिल है।

iv. चेन्नई के मीनाबक्कम स्थित इंडियन एयरलाइंस हाउसिंग कॉलोनी को 2,79.15 करोड़ रुपये के विक्रय मूल्य पर AAI को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। बिक्री प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

v. IGI एयरपोर्ट टर्मिनल-I पर स्थित कुछ संरचनाओं को 2.64 करोड़ रुपये के बुक वैल्यू के बदले DIAL को सौंप दिया गया।

## 10.1.7. एअर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

भारत सरकार ने पात्र एअर इंडिया (AI) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पति/पत्नी (AIESL और AIESL के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित) को CGHS के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। 31.12.2025 तक लगभग 50,500 CGHS लाभार्थी कार्ड AI के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथियों को जारी किए गए हैं ताकि वे चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकें। लाभार्थियों को CGHS वेलनेस सेंटरों के माध्यम से ओपीडी सुविधाएं और CGHS से जुड़े अस्पतालों के माध्यम से आईपीडी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। चिकित्सा सुविधाओं का खर्च नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त अनुदान निधि से वहन किया जाता है।

## 10.1.8 विनिवेश

भारत सरकार ने कंपनी की तीन सहायक कंपनियों - AI इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, AI एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड और एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इस संबंध में DIPAM द्वारा रोड शो आयोजित किए गए हैं।

## 10.1.9 मानव संसाधन

AIAHL में वर्तमान में 16 कर्मचारी कार्यरत हैं।

## 10.1.10 प्रदूषण नियंत्रण

AIAHL में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। पर्यावरण को स्वच्छ और हरा-भरा रखने के लिए पौधे लगाए गए हैं। हालांकि, AIAHL किसी भी प्रकार की प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गतिविधि में शामिल नहीं है।

## 10.1.11 महिला कल्याण

कंपनी कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, जिनमें सुरक्षित कार्य वातावरण, अवकाश और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित की है। कंपनी ने 13 नवंबर 2025 को कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के ICC सदस्यों के लिए POSH प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया।

## 10.1.12 जन शिकायत निवारण तंत्र

AIAHL ने जन शिकायतों के निपटान और समयबद्ध समाधान के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें RTI अधिनियम, 2022 के तहत PIO (जन सूचना अधिकारी) के रूप में भी नामित किया गया है ताकि कंपनी द्वारा प्राप्त RTI प्रश्नों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया

जा सके।

### 10.1.13. दिनांक 31.12.2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व

AIAHL में भर्ती प्रक्रिया के दौरान भारत सरकार के निर्देशों का पालन किया जाता है। सभी चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है।

### 10.1.14. सतर्कता गतिविधियाँ

AIAHL का बोर्ड और उसकी सहायक कंपनियों के CEO नागर विमानन मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) की सतर्कता के दायरे में आते हैं। बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों की सतर्कता AIAHL के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) द्वारा देखी जाती है।

AIAHL का सतर्कता विभाग, AIAHL और उसकी सहायक कंपनियों के प्रत्येक कर्मचारी की सामूहिक भागीदारी के साथ, निवारक सतर्कता को प्रमुख क्षेत्र बनाकर भ्रष्टाचार-विरोधी उपायों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।

इस वर्ष, CVC के निर्देशानुसार, AIAHL और उसकी सहायक कंपनियों में 27 अक्टूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 मनाया गया, जिसका विषय था:

**“सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी”**

**“Vigilance: Our Shared Responsibility”**

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के पूर्वार्ध, CVC के जनादेश के अंतर्गत, AIAHL और उसकी सहायक कंपनियों में तीन महीने का निवारक सतर्कता अभियान (18 अगस्त 2025 से 17 नवंबर 2025) भी चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षमता निर्माण, परिसंपत्ति प्रबंधन और डिजिटल पहलों को बढ़ावा देना था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का सफल समापन कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ हुआ, जो सार्वजनिक जीवन के साथ-साथ व्यक्तिगत गुणों में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के महत्व को दर्शाता है।

## 10.2 AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड (AIASL)

### 10.2.1 परिचय

AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड (AIASL) की स्थापना फरवरी 2013 में की गई थी और इसने वित्त वर्ष 2014–15 से स्वायत्त रूप से अपना संचालन प्रारंभ किया। वित्त वर्ष 2021–22 से यह AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड के पास भारत में ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट (GSE) का सबसे बड़ा भंडार है, जिसे ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं में व्यापक विशेषज्ञता रखने वाले अत्यंत कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल का समर्थन प्राप्त है। इसकी क्षमताएँ सभी प्रकार के कॉर्पोरेट जेट विमानों के साथ-साथ यात्री एवं मालवाहक विमानों के संचालन तक विस्तृत हैं, जिनमें A380, A350 तथा B777 मैक्स जैसे उन्नत विमान भी शामिल हैं। इससे सभी श्रेणियों के विमानों में निर्बाध और सुचारु संचालन सुनिश्चित होता है।

AIASL (AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड) की भारत में लगभग 150 हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग एवं संबंधित सेवाएँ प्रदान करने की सबसे व्यापक और विस्तृत उपस्थिति है। AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड द्वारा सेवित हवाईअड्डों में लेह एवं थोइज़ जैसे अत्यधिक ऊँचाई और हिमाच्छादित हवाईअड्डे, जैसलमेर का मरुस्थलीय हवाईअड्डा, अगत्ती एवं पोर्ट ब्लेयर जैसे द्वीपीय हवाईअड्डे तथा कोझिकोड एवं कन्नूर जैसे टेबल-टॉप हवाईअड्डे शामिल हैं। यह देशभर में विविध और चुनौतीपूर्ण परिवेशों में संचालन करने की AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड की क्षमता को दर्शाता है। यह विस्तृत नेटवर्क भारत के सबसे विविध और कठिन भू-भागों में भी विश्वसनीय ग्राउंड हैंडलिंग एवं संबंधित सेवाएँ उपलब्ध कराने की AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जिससे अत्यंत दूरस्थ क्षेत्रों में भी निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होती है। AIASL की उपस्थिति नीचे दिए गए

चार्ट में प्रदर्शित की गई है।

सेवाओं को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में पहचाना जा सकता है:

- यात्री हैंडलिंग / रैम्प हैंडलिंग / कार्गो हैंडलिंग / केबिन सेवाएँ / स्टेशन प्रबंधन।
- वर्तमान में BOM एवं MAA हवाईअड्डों पर कार्गो वेयरहाउस हैंडलिंग तथा भविष्य में अन्य हवाईअड्डों पर भी ऐसी सेवाएँ प्रदान करना।
- सहायक कंपनियों एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड एवं AI इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान करना।
- घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय निजी चार्टर उड़ानों (नॉन-शेड्यूल्ड फ्लाइट्स) की पैन इंडिया आधार पर हैंडलिंग।
- भारतीय वायु सेना (IAF) की विशेष अतिरिक्त सेक्शन उड़ानों (SESF) की घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हैंडलिंग।
- सरकारी एजेंसियों जैसे भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल, एनएसजी चार्टर आदि की नॉन-SESF घरेलू उड़ानों की हैंडलिंग।
- बेंगलुरु स्थित HAL हवाईअड्डे पर HAL–AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड संयुक्त कार्य समूह।

## 10.2.2 कार्य-निष्पादन

### 10.2.2.1 वित्तीय

(राशि : करोड़ रुपये में)

| ववरण | वित्त वर्ष 2024 - 25 | वित्त वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|
| कुल राजस्व | 1003.70 | 875.97 |
| कुल व्यय | 999.61 | 798.87 |
| कर-पूर्व लाभ/(हानि) | 4.09 | 77.10 |
| कर व्यय | 1.15 | 36.68 |
| कर-पश्चात लाभ/ (हानि) | 2.94 | 40.42 |

### 10.2.2.2 प्रचालनिक

कैलेंडर वर्ष 01.01.2025 से 31.12.2025 के दौरान AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड ने AI समूह की उड़ानों (AI समूह एवं एलाइंस एअर) सहित कुल 137645 उड़ानों की हैंडलिंग की। इसी अवधि के दौरान AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड ने अनुसूचित ग्राहक एयरलाइनों की 33393 उड़ानों, दौरान गैर-अनुसूचित प्रचालकों की 19188 उड़ानों तथा हज संचालन के अंतर्गत 176 उड़ानें भी संभालीं हैं।

वर्तमान परिदृश्य में, ग्राउंड हैंडलिंग (यात्री, रैम्प और कार्गो) सेवाएँ 65 भारतीय अनुसूचित एयरलाइनों (जिसमें AI समूह – एअर इंडिया एवं एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें शामिल हैं), 54 क्षेत्रीय एयरलाइनों (जिसमें एलायंस एयर की उड़ानें शामिल हैं), 1 घरेलू कार्गो एयरलाइन, 59 विदेशी अनुसूचित एयरलाइनों, 4 मौसमी चार्टर एयरलाइनों तथा 22 विदेशी एयरलाइनों को प्रदान की जा रही हैं, जो एपीडा (APEDA) के अंतर्गत नाशवंत कार्गो संचालित सेवाओं का लाभ उठा रही हैं, इसके अतिरिक्त गैर-अनुसूचित उड़ानें भी संचालित की जा रही है।

AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड का HAL हवाई अड्डा,

बेंगलुरु में मेसर्स HAL के साथ संयुक्त कार्य समूह (जॉइंट वर्किंग ग्रुप–JWG) की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत उस हवाईअड्डे पर सभी रक्षा विमानों की हैंडलिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त, AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड हाल ही में एअर इंडिया से रक्षा संगठनों द्वारा अधिग्रहित A–321 विमानों की भी हैंडलिंग कर रही है, जिनका उपयोग रक्षा कर्मियों के परिवहन हेतु नेटवर्क के विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है।

**MAA एवं BOM में कार्गो वेयरहाउस प्रबंधन**

- AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड भारतीय सीमा शुल्क की ओर से मुंबई एवं चेन्नई हवाईअड्डों पर अंतरराष्ट्रीय कार्गो वेयरहाउस का प्रबंधन एवं संचालन करती है। निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, AIASL को चेन्नई तथा मुंबई कार्गो वेयरहाउस के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) से विनियमित एजेंट (रेगुलेटेड एजेंट–RA) का दर्जा प्राप्त हुआ है।
- AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड द्वारा कुल 176,367.98 टन अंतरराष्ट्रीय कार्गो का परिचालन किया गया, जिसमें मुंबई में निर्यात 67,260.49 टन एवं आयात 38,404.49 टन तथा चेन्नई में निर्यात 39,878.00 टन एवं आयात 30,825.00 टन शामिल है। इसी प्रकार, कुल 67,047.60 टन घरेलू कार्गो का परिचालन किया गया, जिसमें मुंबई में आउटबाउंड 31,303.16 टन एवं इनबाउंड 24,335.72 टन तथा चेन्नई में आउटबाउंड 6,072.00 टन एवं इनबाउंड 5,336.72 टन शामिल है।
- इसके अतिरिक्त, AIASL को चेन्नई एवं मुंबई दोनों कार्गो वेयरहाउस के लिए थर्ड पार्टी रेगुलेटरी एजेंट (RA3) का दर्जा भी प्रदान किया गया है। इससे स्क्रीनिंग के उपरांत यहाँ से सीधे यूनाइटेड किंगडम, यूरोप तथा अन्य यूरोपीय संघ देशों के लिए कार्गो के परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी।

AIASL के सभी हवाईअड्डों पर रक्षा बलों की ओर से सभी उड़ानों की हैंडलिंग करता है। रक्षा संगठनों द्वारा AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड को एकमात्र ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किए जाने के पश्चात, AIAHL ने एअर इंडिया से यह दायित्व सफलतापूर्वक ग्रहण करते हुए विदेश स्थित (ओवरसीज़) सभी हवाईअड्डों पर विशेष अतिरिक्त सेक्शन उड़ानों (SESF) की हैंडलिंग के समन्वय, व्यवस्था एवं सुनिश्चित संचालन हेतु ग्राउंड हैंडलिंग कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025 में AIASL को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के ग्राउंड हैंडलिंग पार्टनरशिप प्रोग्राम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इस आईएटीए साझेदारी से AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड को लाभ प्राप्त होते रहे हैं तथा ग्राउंड हैंडलिंग के क्षेत्र में वैश्विक मानकों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप विशेषज्ञता भी अर्जित की है.

## 10.2.3 प्रदूषण नियंत्रण

a. सभी उपकरणों की प्रदूषण नियंत्रण के लिए जाँच की जाती है।

b. सभी नए उपकरणों की खरीद BS-VI मानकों के अनुरूप की जाती है।

c. बैटरियों/प्रयुक्त तेलों का निपटान खतरनाक अपशिष्ट निपटान दिशानिर्देशों के अनुसार तथा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

## 10.2.4 लैंगिक बजटीय आँकड़े महिला कल्याण सहित

AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड की उपस्थिति 91 हवाईअड्डों पर है तथा अनुरोध के आधार पर अतिरिक्त 32 हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। संगठन में अकुशल एवं अर्ध-कुशल कर्मचारियों, जैसे हैंडीमैन तथा यूटिलिटी एजेंट-कम-रैम्प ड्राइवर, की पर्याप्त आवश्यकता रहती है। अत्यधिक श्रम-साध्य कार्यों जैसे हैंडीमैन एवं यूटिलिटी एजेंट-कम-रैम्प ड्राइवर को छोड़कर, अन्य सभी पदों में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करते हुए महिला

प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। इनमें ग्राहक सेवा कार्यकारी, कनिष्ठ अधिकारी-यात्री, ड्यूटी अधिकारी, ड्यूटी प्रबंधक, उप टर्मिनल प्रबंधक, टर्मिनल प्रबंधक आदि पद शामिल हैं

संगठन में पुरुष एवं महिला प्रतिनिधित्व का विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

| कुल संलग्न कर्मचारी | पुरुष | महिला |
|---|---|---|
| 20233 | 17,144 | 3,089 |
| **एअर इंडिया से स्थानांतरित कर्मचारी** | **पुरुष** | **महिला** |
| 478 | 476 | 2 |

कंपनी कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, जिसमें सुरक्षित कार्य वातावरण, शौचालयों की सुविधा, अवकाश तथा अन्य लाभ शामिल हैं।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुरूप एक तंत्र उपलब्ध है, जिसे AIASL में लागू किया गया है। इसके अंतर्गत AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड की महिला कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों की जाँच एवं यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कॉर्पोरेट स्तर पर शिकायत समितियों का गठन किया गया है।

## 10.2.5 शिकायत निवारण तंत्र

AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड में प्राप्त होने वाली शिकायतें मुख्यतः भविष्य निधि (PF) से संबंधित होती हैं। ऐसे मामलों में कर्मचारी संबंधित स्टेशन/डिवीजनल प्रशासनिक कार्यालयों से संपर्क करते हैं, जो आगे इन्हें नामित क्षेत्रीय मानव संसाधन (रीजनल HR) के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। क्षेत्रीय HR टीम अपने स्तर पर इन PF संबंधी प्रश्नों की जाँच एवं समाधान करती है। तथापि, यदि अतिरिक्त स्पष्टीकरण अथवा समाधान की आवश्यकता होती है, तो इन मामलों को मुख्यालय स्तर पर PF टीम को अग्रेषित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, पूर्ण एवं अंतिम निपटान (फुल एंड फाइनल सेटलमेंट) से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त होती हैं। ऐसे मामलों में कर्मचारी संबंधित स्टेशन/डिवीजनल प्रशासनिक कार्यालयों के माध्यम से नामित क्षेत्रीय HR से संपर्क करते हैं। क्षेत्रीय HR टीम इन मामलों की जाँच एवं समाधान अपने स्तर पर करती है। आवश्यकता पड़ने पर, इन शिकायतों को औद्योगिक संबंध (IR) टीम को अग्रेषित किया जाता है, जो वेतन (पेरोल) टीमों एवं वित्त विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आगे की कार्रवाई एवं निपटान सुनिश्चित करती है।

## 10.2.6 दिनांक 01.12.2025 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

कुल 20,233 कर्मचारियों (नियत अवधि संविदा आधार एवं अस्थायी नियुक्ति आधार पर) में से 19,635 कर्मचारी नियत अवधि संविदा आधार पर कार्यरत हैं तथा 598 कर्मचारी अस्थायी/सेवानिवृत्त आधार पर संलग्न हैं।

इन नियत अवधि संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के प्रतिनिधित्व का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

| | |
|---|---|
| **EWS** | 19 |
| **जनरल** | 9,121 |
| **OBC** | 5,049 |
| **SC** | 4,928 |
| **ST** | 1,116 |
| **कुल** | 20,233 |

स्थायी कर्मचारियों के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के प्रतिनिधित्व का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

| | |
|---|---|
| **जनरल** | 214 |
| **OBC** | 72 |
| **SC** | 149 |
| **ST** | 43 |
| **कुल** | 478 |

## 10.2.7 पूर्वोत्तर में विकास गतिविधियां

AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों/क्षेत्रों के

स्टेशनों पर संबंधित उड़ानों की हैंडलिंग के लिए अन्य कार्य केंद्रों से कर्मचारियों की तैनाती करने के स्थान पर स्थानीय क्षेत्रों से मानव संसाधनों की भर्ती की जाती है।

### 10.2.8 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा राष्ट्रीय वृद्धजन नीति में परिकल्पित प्रावधानों के अनुरूप, सभी संबंधितों को वरिष्ठ नागरिकों के प्रति त्वरित, निष्पक्ष एवं मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

### 10.2.9 स्वच्छ भारत मिशन

विशेष अभियान 5.0 – स्वच्छता के अंतर्गत AI एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड द्वारा "परिवर्तन – व्यवहार के माध्यम से स्वच्छता" विषय पर एक वीडियो अभियान प्रारंभ किया गया, जिसे 4 नवम्बर 2025 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया गया।

## 10.3 AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (AIESL)

### 10.3.1 कंपनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी

AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना वर्ष 2013 में हुई थी और यह एयरलाइंस की सभी इंजीनियरिंग आवश्यकताओं के लिए एक ही स्थान पर सभी सेवाएं प्रदान करती है।

AIESL के भारत भर में 7 प्रमुख स्थानों पर बेस मेंटेनेंस सुविधा केंद्र हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, नागपुर, हैदराबाद और चेन्नई शामिल हैं।

AIESL भारत की एकमात्र MRO कंपनी है जिसके पास वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए लाइन और बेस मेंटेनेंस सुविधा है।

AIESL को DGCA, FAA और EASA से मान्यता प्राप्त है।

AIESL के ग्राहक आधार में विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस शामिल हैं।

AIESL भारतीय रक्षा संगठनों की रखरखाव सेवाओं की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है।

### 10.3.2 कंपनी का कार्य निष्पादन

#### 10.3.2.1 वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने 1946.05 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया और परिणामस्वरूप, 504.14 करोड़ रुपये का पीबीटी और 404.66 करोड़ रुपये का पीएटी प्राप्त किया। पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों सहित संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2024-25 | वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|
| कुल आय | 1946.05 | 2183.02 |
| कुल व्यय | 1562.73 | 1552.44 |
| असाधारण मदों से पहले लाभ (हानि) | 383.31 | 630.57 |
| शामिल करना: असाधारण वस्तुएँ | 120.83 | -259.50 |
| कर से पूर्व लाभ (हानि) | 504.14 | 371.07 |
| आस्थगित कर सहित कर व्यय | 99.48 | 113.41 |
| कर के बाद लाभ | 404.66 | 257.66 |
| अन्य व्यापक आय | -7.22 | -19.25 |
| कुल व्यापक आय | 397.44 | 238.40 |

### 10.3.2.2 गैर-वित्तीय निष्पादन

2025 के दौरान, AIESL ने बेस मेंटेनेंस संचालन के लिए EASA की मंजूरी सफलतापूर्वक प्राप्त की और त्रिवेंद्रम में बेस मेंटेनेंस गतिविधियों के लिए AS9110C प्रमाणन हासिल किया।

वर्तमान में AIESL 50 से अधिक लाइन स्टेशनों और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद और नागपुर में स्थित 7 प्रमुख बेस स्टेशनों का एक व्यापक नेटवर्क संचालित करता है। इन सुविधाओं में 13 हैंगर, 3 इंजन वर्कशॉप, एक APU वर्कशॉप, एक पेंट हैंगर और कंपोनेंट वर्कशॉप शामिल हैं।

यह संगठन A320 फ़ैमिली , B737 मैक्स और एनजी, B777, B747, B787 और ATR सहित कई प्रकार के विमानों के लिए रखरखाव सेवाएं प्रदान करता है। इंजन रखरखाव क्षमताएं JT8D, CFM56, V2500, GE90, GNX, PW4000 और एलईएपी तक फैली हुई हैं।

AIESL की लाइन मेंटेनेंस सेवाएं एयर इंडिया के बेड़े के साथ-साथ कतर एयरवेज, ओमान एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, स्कूट एयरवेज, मलेशियन एयरलाइंस बरहाद, एयर एशिया बरहाद, यूएस बांग्ला, बिमान बांग्लादेश, ड्रुक एयर, कोरेंडन एयरवेज, कुवैत एयरवेज और रॉयल ब्रुनेई जैसी कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों को भी सेवाएं प्रदान करती हैं। घरेलू ऑपरेटरों में एआईएक्स कनेक्ट (पूर्व में एयर एशिया इंडिया), स्पाइसजेट, फ्लाई 91, AFCOM कार्गो और अकासा एयर शामिल हैं। घरेलू स्टेशनों के अलावा, AIESL एआईएक्स कनेक्ट के लिए काठमांडू सहित अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर भी लाइन मेंटेनेंस सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी रक्षा और निजी क्षेत्र दोनों के ऑपरेटरों को MRO सेवाएं प्रदान करती है।

वर्ष 2025 में, AIESL ने इंडिगो एयरलाइंस (पिछले 3 महीनों में कई स्थानों पर 4 विमान शामिल किए गए), एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट एयरलाइंस सहित घरेलू ऑपरेटरों के लिए आधारभूत रखरखाव और संबंधित सेवाएं प्रदान कीं। ACG, CCB, JSA, TWC, ICBC और MSFL जैसी लीजिंग कंपनियों के साथ सहयोग से परियोजनाओं का सटीक निष्पादन सुनिश्चित हुआ। इसके अतिरिक्त, AIESL ने रक्षा संगठनों के लिए महत्वपूर्ण रखरखाव और मरम्मत कार्य पूरे किए। साथ ही, AIESL ने रक्षा विमानों के पुर्जों की मरम्मत भी की है।

कंपनी नैरो बॉडी और वाइड बॉडी विमानों को यात्री विमान से मालवाहक विमान में परिवर्तित करने के लिए OEM/STC धारकों के साथ बातचीत कर रही है। AIESL विमानों को तोड़कर उनके पुर्जे निकालने के व्यवसाय में भी संभावनाएं तलाश रही है।

रिलायंस RCDL और ब्लू डार्ट एयरक्राफ्ट सहित कई संस्थाओं के लिए निजी विमानों का रखरखाव कार्य किया गया। उल्लेखनीय उपलब्धियों में इंडिगो के A320 विमानों की प्रमुख जांच, कुवैत एयरवेज के B777 विमानों का बेस रखरखाव, एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए केबिन सीट रेट्रोफिटिंग और स्पाइसजेट के B737 मैक्स विमानों की प्रमुख जांच शामिल हैं।

AIESL के पास 15 विदेशी नागर विमानन प्राधिकरणों से अनुमोदन है: FAA, EASA, DGCA, KSCAR (कुवैत), QCAR (कतर), CAACI (केमैन आइलैंड), ECAA (मिस्र), BCAA (भूटान), CAAN (नेपाल), SSCA (कंबोडिया साम्राज्य), CAAB (बांग्लादेश), CAAM (मलेशिया), CAAS (सिंगापुर), ग्वेर्नसे के ASA CAA बेलीविक, और CAASL (श्रीलंका)।

AIESL ने 28 अप्रैल 2025 को दिल्ली में अपना दूसरा वार्षिक सम्मेलन, "एविएशन होराइजन 2025" आयोजित किया। इस अवसर पर माननीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू उपस्थित रहे। उद्योग जगत के नेताओं और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की।

संगठन ने हाल ही में विदेशी एयरलाइनों के साथ समझौतों के माध्यम से अपने घरेलू लाइन स्टेशन नेटवर्क का विस्तार किया है।

## 10.3.3 वर्ष 2025 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1. AIESL और स्पाइसजेट ने CFM56-7B इंजनों के रखरखाव के लिए 5 साल की अवधि हेतु एक सामान्य समझौता (GTA) किया है। इस समझौते में वर्कशॉप में ऑफ-विंग मरम्मत सेवाएं और CFM56-7B इंजनों के लिए ऑन-विंग/लाइन रखरखाव सेवाएं शामिल हैं। इस GTA के बाद, स्पाइसजेट के CFM56-7B इंजनों को मरम्मत कार्य के लिए मुंबई और JEOC वर्कशॉप में शामिल किया गया है।

2. जनवरी 2025 के मध्य में, AIESL ने 32 एयरबस A320 विमानों पर ' C ' चेक सेवाओं के लिए एयर इंडिया के RFP को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, जिससे एक प्रमुख MRO सेवा प्रदाता के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हुई।

3. प्रधान एयर के एक एयरबस A320 विमान को जनवरी में दिल्ली स्थित संयंत्र में प्रमुख जांच प्रक्रियाओं के लिए शामिल किया गया था।

4. मेसर्स कॉन्फिटी कैपिटल पार्टनर्स ने EFW और SEC लिंक के साथ साझेदारी में, भारत में एयरबस A330 यात्री विमान को मालवाहक विमान में परिवर्तित करने की सेवाओं के लिए AIESL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

5. सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन्स और AIESL के बीच लाइन एंड साइट ऑपरेशन (LSO) के लिए जीटीए को एक प्रदर्शनी पर हस्ताक्षर किए गए। यह प्रदर्शनी LEAP-1A इंजनों पर आरबीएस मॉडिफिकेशन (रिवर्स ब्लीड सिस्टम) के अनुपालन को कवर करती है, जो सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स द्वारा AIESL को प्रदान किए जाएंगे। आरबीएस मॉडिफिकेशन AIESL सुविधाओं में किया जाएगा और इसे विश्व स्तर पर सभी LEAP-1A इंजनों पर लागू किया जाना अनिवार्य है।

6. AIESL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के कोरापुट डिवीजन ने पूरे एशियाई क्षेत्र में नागरिक विमान इंजनों के लिए MRO सेवाएं प्रदान करने में संभावित सहयोग का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

7. AIESL ने नागपुर स्थित अपने अड्डे पर सात बोइंग 777 विमानों के प्रमुख रखरखाव जांच के लिए कुवैत एयरवेज से एक महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल किया है।

8. AIESL को रक्षा विमानों को सेवा में पुनः लाने के लिए एक अनुबंध से सम्मानित किया गया था।

9. AIESL ने विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन ऑपरेटरों और कार्गो वाहकों के साथ लाइन रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए 28 लाइन स्टेशन समझौते स्थापित किए हैं। यह संगठन अब रॉयल ब्रुनेई, बैटिक

मलेशिया, एयरएशिया बरहाद, मलेशियन एयरलाइंस बरहाद, थाई एयरएशिया, स्काई अंगकोर, चार्म विंग्स, कतर एयरवेज, ओमान एयरवेज, एअर इंडिया, फ्लाई91, M-जेट कार्गो, AFCOM कार्गो और SF कार्गो एयरलाइंस सहित कई एयरलाइनों को सेवाएं प्रदान करता है। ये नए लाइन स्टेशन भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमृतसर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, काठमांडू, अगाटी, विशाखापत्तनम, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, कालीकट, जलगांव, त्रिवेंद्रम, जयपुर, पुणे, कन्नूर और चेन्नई सहित प्रमुख स्थानों पर स्थित हैं।

10. AIESL के मुंबई स्थित बेस ने रक्षा विमानों की गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लैंडिंग गियर, सहायक उपकरण, पहिए और ब्रेक के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए एनवीटी गुणवत्ता प्रमाणन AS9110C प्राप्त किया है।

11. मुंबई स्थित AIESL लैंडिंग गियर ओवरहॉल शॉप सुविधा को A320 फ़ैमिली के विमानों के लैंडिंग गियर की सर्विसिंग के लिए FAA की मंजूरी मिल गई है।

12. AIESL ने A320 और ATR विमानों पर भारी जांच से संबंधित रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) के साथ एक GTA पर हस्ताक्षर किए।

13. AIESL की दिल्ली इकाई ने TWC एविएशन कैपिटल के लिए लंबे समय से ग्राउंडेड B737NG विमान को सफलतापूर्वक सेवा में वापस लाने का कार्य पूरा किया।

14. AIESL त्रिवेंद्रम बेस को A320 और B737NG विमानों के लाइन और बेस चेक के लिए EASA मान्यता प्राप्त हुई।

15. AIESL ने गो एयर द्वारा पूर्व में संचालित चार एयरबस A320 विमानों के लिए सेवा में वापसी (RTS) रखरखाव गतिविधियों को करने के लिए एयरबस के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है। ये विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी MSFL से जुड़े हैं।

16. AIESL के मुंबई और त्रिवेंद्रम स्थित अड्डों को भारी विमानों (संशोधन, संरचनात्मक निरीक्षण और मरम्मत सहित), पहियों और ब्रेक, ऑक्सीजन सिलेंडर और बैटरी के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए एनवीटी एएस 9110सी गुणवत्ता अनुमोदन प्राप्त हुआ है। यह गुणवत्ता प्रमाणन रक्षा विमानों की सर्विसिंग के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

17. AIESL ने चेन्नई में व्यापक रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए कोरेंडन एयरलाइंस के साथ एक रखरखाव सहायता समझौता किया।

18. AIESL ने स्पाइसजेट के साथ एक MSA समझौता किया है। यह व्यापक MSA AIESL को स्पाइसजेट के पूरे बेड़े के लिए लाइन मेंटेनेंस, बेस मेंटेनेंस और इंजन एवं कंपोनेंट ओवरहॉल गतिविधियाँ संचालित करने का अवसर प्रदान करता है।

## 10.3.4 AIESL की भविष्य की योजनाएँ

कंपनी का लक्ष्य आक्रामक विपणन पहलों के माध्यम से और नई क्षमताओं को हासिल करके मौजूदा क्षमताओं के साथ तीसरे पक्ष को MRO सेवाएं प्रदान करके राजस्व सृजन को बढ़ाना है।

AIESL ने रक्षा क्षेत्र में अपनी MRO सेवाओं का विस्तार किया है। कंपनी ने वाणिज्यिक विमानों को रक्षा मिशन विमानों में परिवर्तित करने के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लिया है। AIESL ने रक्षा विमानों के चरण 56 की जांच के लिए बोइंग को एक RFP भी प्रस्तुत किया है।

AIESL हिंडन एयरबेस पर AIESL के वाणिज्यिक विमान ग्राहकों के लिए प्रमुख रखरखाव और पेंटिंग कार्यों को संचालित करने के लिए रक्षा बलों के साथ भी बातचीत कर रही है।

नैरो-बॉडी और वाइड-बॉडी विमानों को यात्री विमान से मालवाहक विमान में परिवर्तित करने के संबंध में OEM और STC धारकों के साथ बातचीत चल रही है। AIESL विमानों को तोड़कर उनके पुर्जे निकालने के संचालन में भी अवसरों की तलाश कर रही है।

व्यवसाय विकास प्रयासों में नासिक पेंटिंग सुविधा में नैरो-बॉडी विमानों (A320 और B737 दोनों बेड़े) के लिए पेंटिंग सेवाओं की संभावना तलाशना शामिल है। AIESL त्रिवेंद्रम में अपना अत्याधुनिक पेंट हैंगर भी बना रही है और इसके लिए निविदा प्रक्रिया में है। AIESL इंजीनियरों के लिए इन-हाउस पार्ट 147 प्रशिक्षण स्थापित करने के लिए बोइंग के साथ सहयोगात्मक चर्चा (संयुक्त उद्यम) में लगी हुई है। इसके अतिरिक्त, AIESL और अकासा एयर के बीच उनके बेड़े के रखरखाव के प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक रखरखाव अनुबंध पर बातचीत चल रही है।

राजस्व बढ़ाने के लिए AIESL निम्नलिखित उपाय लागू कर रहा है:

1. तकनीकी डेटा, उपकरण, स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए CFMI जैसे OEM के साथ सहयोग करना।

2. भारत भर में कई स्थानों पर ऑन-कॉल और AOG सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी वाहकों की लाइन रखरखाव सेवाओं का विस्तार करना।

3. अंतरराष्ट्रीय नियामक मानकों के अनुरूप होने और अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय और घरेलू तृतीय-पक्ष ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त FAA और EASA प्रमाणपत्र प्राप्त करना।

4. रक्षा संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करना ताकि उनकी आवश्यकताओं का समर्थन किया जा सके, जिसमें वाणिज्यिक विमानों को पर्यावरण के अनुकूल विमानों में परिवर्तित करना शामिल है।

5. पट्टादाताओं (लेसरों) के लिए विशेषीकृत वर्टिकल्स का निर्माण करना ताकि उन्हें लीज़ रिटर्न सेवाएँ प्रदान कर सकें

6. यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ग्राहक एयरलाइनों को केबिन नवीनीकरण सेवाएं प्रदान करना।

7. विदेशी बाजार एजेंटों को शामिल करके बाजार पहुंच का विस्तार करना, दृश्यता बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय ग्राहक अधिग्रहण में सुधार करना।

व्यापक SWOT विश्लेषण पर आधारित AIESL की रणनीतिक पहलों ने इसकी बाजार स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। आंतरिक शक्तियों और बाहरी अवसरों का लाभ उठाते हुए तथा कमजोरियों और खतरों को कम करते हुए, AIESL वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त MRO अग्रणी बनने की दिशा में प्रगति कर रही है।

## 10.3.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

| वर्ग | कर्मचारियों का प्रतिशत |
|---|---|
| सामान्य एवं EWS | 46.89 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 27.24 |
| अनुसूचित जाति | 19.98 |
| अनुसूचित जनजाति | 5.89 |
| कुल | 100 |

## 10.3.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2025, गतिविधियाँ

केंद्रीय सतर्कता आयोग (AIESL) के अनुसार, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन 27 अक्टूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक "सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी" विषय के तहत किया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित की गईं:

क) गहन CTI प्रकार की परीक्षाओं का संचालन

ख) आरोप पत्र तैयार करना

ग) जांच एवं रिपोर्ट

AIESL के अध्यक्ष और CEO सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने नई दिल्ली के सफदरजंग हवाईअड्डे के सम्मेलन कक्ष में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया, जिसमें AIESL के सभी क्षेत्रीय अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे।

## 10.3.7 प्रदूषण नियंत्रण:

AIESL पर्यावरण संबंधी मामलों की देखरेख और प्रबंधन के

लिए पेशेवर रूप से योग्य कर्मियों से सुसज्जित एक विशेष पर्यावरण प्रकोष्ठ का संचालन जारी रखे हुए है। यह प्रकोष्ठ सभी प्रासंगिक पर्यावरण कानूनों और नियामक ढांचों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विनियामक अनुपालन के अलावा, AIESL पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने और सतत संचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों और प्रथाओं के नियमित मूल्यांकन और सुधार के माध्यम से अपने पर्यावरण प्रबंधन दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

## 10.3.8 महिला कल्याण, जिसमें लिंग संबंधी बजटीय आंकड़े शामिल हैं:

AIESL यह सुनिश्चित करता है कि महिला कर्मचारियों की चिंताओं पर उचित ध्यान दिया जाए और भारत सरकार की संबंधित नीतियों के अनुसार उनका समय पर समाधान किया जाए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए एक वैधानिक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित की गई है। इस समिति में एक अध्यक्ष, DGM/ सीनियर AGM स्तर के वरिष्ठ प्रबंधन प्रतिनिधि और एक मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन का एक बाहरी सदस्य शामिल होता है।

कार्य वातावरण को और अधिक सहायक बनाने के लिए, उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली), पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता) और दक्षिणी क्षेत्र (हैदराबाद) में स्थित एवियोनिक्स कॉम्प्लेक्स जैसे प्रमुख स्थानों पर शिशु देखभाल (क्रेच) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। महिला कर्मचारियों को परिवहन सुविधाओं और कार्यस्थल से संबंधित अन्य सुविधाओं सहित अतिरिक्त सहायता सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

AIESL में महिला दिवस 2025 भी उत्साहपूर्वक मनाया गया। सभी भूमिकाओं और विभागों में महिलाओं के बहुमूल्य योगदान को मान्यता देते हुए प्रशंसा की भावना को बढ़ावा दिया गया। इस कार्यक्रम में कार्यस्थल पर जेन्डर समानता, समावेशिता और सम्मान के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

इस समारोह में विचारपूर्ण संवाद, प्रशंसा के संदेश और आकर्षक गतिविधियाँ शामिल थीं, जिन्होंने एकता और प्रोत्साहन की भावना को बढ़ावा दिया।

## 10.3.9 सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र:

AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (AIESL) अपने कर्मचारियों, हितधारकों और ग्राहकों के लिए एक सकारात्मक और सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को कायम रखने के लिए, AIESL ने एक व्यापक शिकायत निवारण तंत्र लागू किया है ताकि मुद्दों, चिंताओं और शिकायतों का कुशलतापूर्वक और समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

**शिकायत निवारण प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं:**

- **तीन स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली:** कर्मचारी अपनी शिकायतें लिखित रूप में अनुभाग/ शॉप स्तर के जीआरओ को प्रस्तुत करेंगे। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान नहीं होता है, तो मामला क्षेत्रीय GRO को भेजा जाएगा। यदि फिर भी समाधान नहीं होता है, तो अंतिम समाधान के लिए इसे केन्द्रीय GRO को अग्रेषित किया जाएगा। कर्मचारियों को प्रत्येक चरण में समाधान की सूचना दी जाएगी।
- **व्यक्तिगत शिकायत के लिए प्रपत्र:** व्यक्तिगत कर्मचारी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए एक मानक प्रपत्र तैयार किया गया है।
- **संबंधित GRO द्वारा शिकायत रजिस्टर का रखरखाव:** अनुभाग/ शॉप स्तर, क्षेत्रीय और कॉर्पोरेट स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी व्यक्तिगत कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों का एक डिजिटल रजिस्टर बनाए रखेगा।
- **समीक्षा और निगरानी:** कंपनी का मानव संसाधन विभाग समय-समय पर शिकायतों के रिकॉर्ड की समीक्षा करेगा और नीतिगत सुधारों की सिफारिश करेगा।
- **प्रतिक्रिया निगरानी प्रणाली:** भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई प्रतिक्रिया प्रणाली, जिसमें शिकायतकर्ताओं से प्रतिक्रिया ली जाती है, न केवल शिकायतों के समय पर समाधान में बल्कि गुणवत्तापूर्ण निपटान में भी सहायक होती है।

### 10.3.10 पूर्वोत्तर में किए गए विकासात्मक कार्य

AIESL पूर्वोत्तर राज्यों में एअर इंडिया समूह, एलाइंस एअर और अन्य एयरलाइनों की रखरखाव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाइन स्टेशनों का प्रचालन कर रही है।

### 10.3.11 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय वृद्धजन नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी संबंधित पक्षों को वृद्धजनों के साथ शीघ्र, निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

### 10.3.12 दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

AIESL सभी कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और निर्धारित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार दिव्यांगजन कर्मचारियों को सभी लागू सुविधाएं प्रदान करना जारी रखता है। हालांकि, MRO संगठन होने के नाते, तकनीकी भूमिकाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शारीरिक रूप से कठिन गतिविधियों से जुड़ा है, जैसे कि व्यापक शारीरिक श्रम, ऊंचाई पर काम करना, भारी उपकरणों को संभालना और विमानों की सुरक्षा और उड़नयोग्यता सुनिश्चित करने के लिए उच्च दबाव वाले वातावरण में काम करना शामिल है। इन भूमिकाओं के लिए परिचालन दक्षता बनाए रखने और कड़े सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए निर्बाध गतिशीलता, त्वरित प्रतिक्रिया और उच्च स्तरीय स्थितिजन्य जागरूकता आवश्यक है।

इसलिए AIESL अपने कार्यबल में उपयुक्त गैर-तकनीकी भूमिकाओं में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को शामिल करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

### 10.3.13 विशेष अभियान 5.0

विशेष अभियान 5.0 के तहत, भारत में AIESL के कार्यालय भारत को स्वच्छ बनाने की दिशा में योगदान देने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए हैं।

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान 5.0 में AIESL ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अभियान के दौरान स्वच्छता को बढ़ावा देने और लंबित फाइलों की संख्या कम करने के लिए विशेष पहल की गई।

## 10.4 एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (AAAL)

### 10.4.1 प्रस्तावना

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) देश की अग्रणी क्षेत्रीय एयरलाइनों में से एक है जो भारत में टिअर 2 व टिअर 3 शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करती है और 'एलाइंस एअर' ब्रांड के नाम से प्रचालित होती है।

एलाइंस एअर, वर्ष 2003 से ATR प्रकार के विमानों का परिचालन कर रही है और उसके पास 21 विमानों का बेड़ा है जिसमें 18 ATR 72-600, 2 ATR 42-600 और एक डोर्नियर डीओ-228 शामिल हैं। यह एयरलाइन, जो पहले एअर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करती थी, उसके विनिवेश के बाद स्वामित्व में बदलाव आया है। भारत सरकार द्वारा कंपनी का स्वामित्व AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) को हस्तांतरित कर दिया गया जिसे एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में स्थापित किया गया था।

कंपनी का बेड़ा 50 गंतव्यों के नेटवर्क पर प्रतिदिन 50(+) से अधिक प्रस्थान प्रचालित करने हेतु तैनात है।

**क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)**

भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS), "उड़े देश का आम नागरिक" (उड़ान) की शुरुआत के साथ, एलाइंस एअर द्वारा असेवति और अल्पसेवित हवाईअड्डों के लिए नए मार्ग प्रचालित किए गए हैं। एलाइंस एअर उड़ान योजना के तहत शिमला/दिल्ली सेक्टर पर उड़ान प्रारंभ करने वाली पहली एयरलाइन थी, जिसका भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 27 अप्रैल 2017 से शुभारंभ किया गया था।

अब तक, एलाइंस एअर ने RCS उड़ान 5.3 राउंड में अवॉर्ड किए गए 165 मार्गों में से 139 पर सेवाएं प्रारंभ कर दी हैं।

एलाइंस एअर ने विंग्स इंडिया 2024 - सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पुरस्कार प्राप्त किया है।

## 10.4.2 निष्पादन

### 10.4.2.1 वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपए में)

| पैरामीटर | वित्तीय वर्ष 2023-24 (लेखापरीक्षित) पुन: घोषित | वित्तीय वर्ष 2024-25 (लेखापरीक्षित) |
|---|---|---|
| कुल राजस्व | 964.02 | 821.49 |
| कुल व्यय | 1,585.91 | 1,504.29 |
| लाभ/हानि | (621.90) | (682.80) |

### 10.4.2.2 वास्तविक निष्पादन

(करोड़ रुपए में)

| पैरामीटर | (जनवरी, 2025 से दिसंबर 2025 तक) |
|---|---|
| यील्ड/पैक्स (सब्सिडी को छोडकर) (रुपए) | 3,558 |
| राजस्व पैक्स (रुपए) | 787,816 |
| सीट फैक्टर | 71% |
| ओटीपी | 64% |

## 10.4.3 प्रदूषण नियंत्रण

• ईंधन दक्षता और वायु प्रदूषकों/उत्सर्जनों को कम करने के लिए ईंधन (ATF) की गणना और उत्सर्जन की निगरानी और रिकॉर्डिंग की जाती है।

• क्रू पिक–अप और ड्रॉप आफ के लिए सिंगल वाहन के उपयोग को कम करने हेतु परिवहन काफी हद तक क्लबिंग आधार पर दिया जाता है।

• अनावश्यक हवाई और सड़क परिवहन को कम करने के लिए ऑनलाइन बैठकें, साक्षात्कार और प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

• एलाइंस एअर की सभी उड़ानों और ग्राउंड कार्यालयों में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध है। इसके विकल्प के रूप में पेपर बैग/बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग किया जाता है।

• अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रभावी निपटान प्रणाली लागू है।

• सभी अपशिष्टों/अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है।

## 10.4.4 जेंडर बजटीय डेटा सहित महिला कल्याण

कंपनी ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने व यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने और सजा की सिफारिश करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

कम्पनी में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष महिला दिवस मनाया जाता है।

## 10.4.5 लोक शिकायत निवारण मशीनरी

एयर सेवा पोर्टल और PG पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए दो समर्पित नोडल अधिकारियों को तैनात किया गया है।

## 10.4.6 पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई संपर्क

एलाइंस एअर पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में उड़ानें प्रचालित करती है ताकि इस क्षेत्र के दूरस्थ इलाकों को हवाई संपर्क प्रदान किया जा सके। NER के लिए निम्नलिखित उड़ानें प्रचालित की जाती हैं:

| क्र. सं. | मार्ग | साप्ताहिक आवृत्ति |
|---|---|---|
| 1 | कोलकाता-लीलाबाड़ी-कोलकाता | 03 |
| 2 | गुवाहाटी-ऐजवाल-गुवाहाटी | 04 |
| 3 | गुवाहाटी-पासीघाट-गुवाहाटी | 04 |
| 4 | ऐजवाल -शिलांग- ऐजवाल | 04 |
| 5 | गुवाहाटी-ईटानगर-गुवाहाटी | 05 |
| 6 | गुवाहाटी-जीरो-गुवाहाटी | 03 |
| 7 | ईटानगर-तेजू- ईटानगर | 02 |
| 8 | कोलकाता-रूपसी-कोलकाता | 02 |
| 9 | गुवाहाटी-रूपसी-गुवाहाटी | 03 |
| 10 | गुवाहाटी-तेजू-गुवाहाटी | 05 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | इम्फाल-तेजू-इम्फाल | 03 |
| 12 | पासीघाट-शिलांग-पासीघाट | 04 |
| 13 | इम्फाल-गुवाहाटी-इम्फाल | 02 |
| 14 | इम्फाल-दीमापुर-इम्फाल | 02 |
| 15 | इम्फाल-कोलकाता-इम्फाल | 02 |
| 16 | कोलकाता-गुवाहाटी-कोलकाता | 05 |

पूर्वोत्तर में एलायंस एअर द्वारा किराया रियायत

एलाइंस एअर ने मणिपुर के यात्रियों के लिए अतिरिक्त रियायतें प्रदान कीं है , अर्थात्:

i. राज्य चिकित्सा बोर्ड द्वारा विधिवत अनुशंसित तत्काल चिकित्सा उपचार कराने वाले रोगियों के लिए मूल किराए पर 10% की छूट और

ii. आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए मूल किराए पर 10% की छूट

## 10.4.7 वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण

- एलाइंस एअर की उड़ानों में वरिष्ठ नागरिकों को रियायती किराए की पेशकश की जाती है।
- हवाईअड्डे पर वरिष्ठ नागरिकों और विशेष आवश्यकताओं वाले यात्रियों को विशेष सहायता प्रदान की जाती है।

## 10.4.8 फेयर से फुर्सत:

एलाइंस एअर ने 25 क्षेत्रों के लिए दिनांक 13.10.2025 से 31.12.2025 तक लागू होने वाली प्रमोशनल फिक्स्ड फेयर स्कीम 'फेयर से फुर्सत (एक रूट-एक किराया)' प्रारंभ की है।

## 10.4.9 सिटीजन चार्टर

नोडल अधिकारी, एयर सेवा पोर्टल और PG पोर्टल (जिसका नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निगरानी और नियंत्रण किए जाते हैं) पर शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित कर रहे हैं।

## 10.4.10 ST/ OBC और EWS के लिए प्रतिनिधित्व

- दिनांक 02.12.2025 के अनुसार SC/ ST और OBC की संख्या : SC 124, ST 50, OBC 148, EWS- 01
- दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व – 01

इस संबंध में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार SC/ ST और OBC का रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।

## 10.4.11 एलाइंस एअर द्वारा नामित संपर्क अधिकारी (यों) का विवरण

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए: सुश्री लामखोनी पुलामटे
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए: श्री तरुण पी. शिवम

## 10.4.12 वर्ष 2025 के दौरान एलाइंस एअर के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की मुख्य झलकियां

**(क) वर्ष के दौरान स्टेशनों का शुभारंभ**

**अमरावती स्टेशन**

**हिसार स्टेशन**

**राजमुंदरी स्टेशन**

रीवा स्टेशन

**(ख) महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण**

POSH अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता लाने के लिए दिनांक 13 नवंबर 2025 को एक सेमिनार आयोजित किया गया था।

**(ग) विशेष स्वच्छता अभियान 5.0**

विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 का आयोजन दिनांक 15 सितंबर, 2025 से 30 नवंबर, 2025 तक किया गया था, जिसमें सभी कार्यालय परिसरों के आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

**(घ) हिंदी पखवाड़े का आयोजन-2025**

हिंदी पखवाड़ा 2025 के अवसर पर एलाइंस एअर मुख्यालय में दिनांक 14 सितम्बर, 2025 से 28 सितम्बर, 2025 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसमें दिनांक 22 सितम्बर, 2025 को कविता पाठ प्रतियोगिता व दिनांक 24 सितम्बर, 2025 को हिंदी भाषा ज्ञान एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

14 सितम्बर, हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एलाइंस एअर, कार्मिक प्रधान एवं राजभाषा अधिकारी जी द्वारा जारी संदेशों को सभी विभागों/अनुभागों/कर्मचारियों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित किया गया।

इस अवधि के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन करने व अधिकारियों/कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता लाने के लिए हिंदी स्लाइड व स्लोगनों, राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा नियम, 1976 एवं राजभाषा अधिनियम 1963 को सभी विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित किया गया।

हिंदी पखवाड़े के दौरान एलाइंस कार्यालय में हिंदी में काम करने का माहौल बनाया गया। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एलाइंस एअर द्वारा विजेताओं को प्रमाण पत्र वितरित करके हिंदी पखवाड़े का समापन किया गया।

**(ड.) सतर्कता विभाग की गतिविधियां और उपलब्धियां**

i. एलाइंस एअर ने वर्ष 2025 के दौरान CVC और सतर्कता मुख्यालय के सभी निर्देशों का अनुपालन किया है। एलाइंस एअर की वेबसाइट को सतर्कता संबंधी जानकारी के साथ अपडेट किया गया है और एलाइंस एअर ने सोशल मीडिया पर डिजिटल पोस्ट के माध्यम से अपने कर्मचारियों को अपने जीवन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया है।

ii. एलाइंस एअर में दिनांक 27 अक्तूबर से 2 नवंबर 2025 तक आयोग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, "सतर्कता: हमारी साझा ज़िम्मेदारी/Vigilance Our Shared Responsibility" विषय पर आधारित सतर्कता जागरूकता सप्ताह (VAW) 2025 को पूरे नेटवर्क में मनाया गया। VAW 2025 का शुभारंभ एलाइंस एअर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह के

साथ हुआ। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और उसके बाद सार्वजनिक संबोधन से हुआ। इस अवसर पर एलाइंस एअर के CEO ने भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण प्राप्त करने के लिए सभी कर्मचारियों की साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया और इस लक्ष्य को संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों से जोड़ा।

iii. एलाइंस एअर के CEO और कार्मिक प्रधान ने दिनांक सितम्बर 2025 को AIAHL में सतर्कता मुख्यालय द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें कर्मचारियों ने भी हाईब्रिड मोड में भाग लिया।

iv. एलाइंस एअर के 151 कर्मचारियों ने iGOT कार्यक्रम में भाग लिया और उन्हें सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया।

v. त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (QPR) निर्धारित प्रारूप में समयबद्ध तरीके से तैयार और साझा की गई थी, जिसका संकलन वार्षिक सतर्कता रिपोर्ट 2025 के रूप में स्वतः ही तैयार हो जाएगा।

एलाइंस एअर अपने कर्मचारियों को राष्ट्र की समृद्धि हासिल करने के लिए ईमानदारी को अपनी जीवन शैली बनाने हेतु बढ़ावा दे रहा है और प्रेरित कर रहा है।

**(च) उड़ान संरक्षा एवं ERP जागरूकता कार्यक्रम**

**1. ERP टेबल टॉप अभ्यास –दिनांक 07 फरवरी 2025 को आयोजित**

ERP प्रधान ने ERP समन्वयक के साथ मिलकर 07 फरवरी 2025 को एलाइंस भवन में आपातकालीन कमांड सेंटर (ECC) कक्ष में ERP टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया। टेबल टॉप अभ्यास के दौरान सभी संबंधित विभागों के नामित प्रतिनिधियों के साथ Go टीम और एलाइंस वीर सदस्यों ने भाग लिया।

| | |
|---|---|
| मॉक तिथि | 07.02.2025 |
| घटना का समय | 14:20 बजे |
| स्थान | ECC ऑनलाईन |
| कॉकपिट क्रू एवं केबिन क्रू | 2+2 |
| विमान में यात्री | (55+0) |
| मॉक घटना का विवरण | विमान VT-XYZ द्वारा संचालित उड़ान संख्या 9I-123 (BOM–IXK / मुंबई–केशोद) को केशोद हवाईअड्डे पर अपराह्न 14:20 बजे रनवे एक्सकर्शन की घटना का सामना करना पड़ा। विमान लैंडिंग के बाद रनवे की केंद्र रेखा से बाईं ओर विचलित हो गया और रनवे 23 से बाहर निकलकर RESA क्षेत्र में प्रवेश कर गया। विमान के मुख्य पहिए संख्या 1 एवं 2 की हवा निकल गई। दो यात्रियों को मामूली चोटें आने की सूचना है।. |

**2. ERP मॉक ड्रिल अभ्यास – 02 जुलाई, 2025**

एलाइंस एअर के ERP प्रधान द्वारा 2 जुलाई 2025 को एलाइंस भवन, नई दिल्ली में ERP मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया गया। एलाइंस एअर के सभी विभागाध्यक्षों/ प्रभागाध्यक्षों और उनके प्रतिनिधियों ने मॉक ड्रिल अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास में एलाइंस एअर के कार्मिकों ने भी भाग लिया।

| | |
|---|---|
| मॉक तिथि | 02.07.2025 |
| घटना का समय | 14:13 बजे |
| स्थान | पिथौरागढ |
| कॉकपिट क्रू एवं केबिन क्रू | 2+2 |
| विमान में यात्री | 29+1 |
| मॉक घटना का विवरण | 2 जुलाई 2025 को दोपहर 14.13 बजे पिथौरागढ़ स्टेशन प्रबंधक से ERP प्रधान को सूचना प्राप्त हुई विमान ATR 42-600, वीटी-एबीसी, उड़ान संख्या 9I XYZ का पिथौरागढ़ में हार्ड लैंडिंग हुई, जिसके परिणामस्वरूप लैंडिंग के बाद विमान रनवे से बाहर निकल गया। मुख्य पहिए नंबर 1 और 2 में हवा कम पाई गई जिससे विमान रनवे 32 के बाईं ओर कच्ची सतह पर चला गया, दो यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। |

मॉक ड्रिल अभ्यास के दौरान उपयोग किए गए मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से लाइव कवरेज।

**आपातकालीन प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास और मॉक ड्रिल के लर्निंग परिणाम:**

i. यह देखा गया कि दूरस्थ हवाईअड्डों पर बचाव कार्य के लिए आवश्यक अवसंरचना और उपकरण उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, इसलिए टीम को ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।

ii. यह भी देखा गया कि दूरस्थ हवाईअड्डों में रसद संबंधी चुनौतियाँ थीं, इसलिए ऐसे हवाईअड्डों में प्रचालन करने के लिए अतिरिक्त नियोजन की आवश्यकता होगी।

**3. SRBM (संरक्षा समीक्षा बोर्ड बैठक)**

| SRBM | को आयोजति |
|---|---|
| पहली तिमाही 2025 | 30.04.2025 |
| दूसरी तिमाही 2025 | 06.08.2025 |
| तीसरी तिमाही 2025 | 15.10.2025 |

उड़ान संरक्षा प्रमुख द्वारा एलाइंस भवन में SRBM बैठक आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता एलाइंस एअर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी(CEO) द्वारा की गई। बैठक में एलाइंस एअर के सभी विभागाध्यक्ष/प्रभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

**4. गुणवत्ता/संरक्षा/स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह:**

यह जागरूकता सप्ताह उड़ान संरक्षा विभाग द्वारा दिनांक 30 जून से 4 जुलाई 2025 और 13 से 17 अक्तूबर 2025 तक आयोजित किया गया था।

इस सप्ताह के दौरान, एलाइंस एअर ने उड़ान संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसे बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में संरक्षा, ERP, DMS, चिकित्सा और QMS के लिए ई पोस्टर जारी करना और महत्वपूर्ण संरक्षा उपायों पर प्रकाश डालने वाला एक न्यूज़लेटर प्रकाशित करना शामिल था। पायलटों, केबिन क्रू और इंजीनियरों के बीच संरक्षा मुद्दों पर संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए। हमारे आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ग्राउंड स्टाफ के लिए प्राथमिक चिकित्सा कक्षा भी आयोजित की गई।

उड़ान संरक्षा जागरूकता सप्ताह का मुख्य उद्देश्य हमारे यात्रियों, क्रू दल के सदस्यों और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के महत्व पर जोर देना था। कंपनी द्वारा निर्मित विमान मॉडल के इर्द-गिर्द संरक्षा संबंधी नाटक प्रस्तुत करके और इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेकर, हमने न केवल कर्मचारियों के ज्ञान को ताज़ा किया, बल्कि अपने संगठन के भीतर एक मजबूत संरक्षा/न्यायपूर्ण संस्कृति के निर्माण में भी योगदान दिया। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत माइंडफुल गेम्स गतिविधियों का भी आयोजन किया गया।

**5. मुख्य बेस (दिल्ली स्टेशन) का आंतरिक संरक्षा लेखापरीक्षा**

मुख्य बेस (दिल्ली) का आंतरिक संरक्षा लेखापरीक्षा दिनांक 24 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक CAR धारा 5, श्रृंखला एफ, भाग 1 के अनुसार विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु किया गया। प्रचालन विभाग, CAMO, प्रशिक्षण विभाग, स्थल प्रचालन विभाग, CMS , डिस्पैच, IFS , चिकित्सा विभाग, सुरक्षा विभाग, अन्य सेवा प्रदाता/एजेंसी और घटक उपकरण भंडार का लेखापरीक्षा किया गया।

**6. साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन**

एलाइंस एअर के IT टीम ने साइबर सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित को लागू किया है:

1. ZTNA: जीरो ट्रस्ट नेटवर्क आर्किटेक्चर जो प्रयोगकर्ता प्रमाणीकरण, टू फैक्टर प्रमाणीकरण, डिवाइस पोस्चरिंग और सिक्युर इंटरनेट गैट्वे के साथ साथ क्लाउड के माध्यम से कार्यान्वित सुरक्षा नीतियों की निगरानी करता है।

2. निजी एप्लिकेशन और सुरक्षित आंतरिक अवसंरचना के साथ IPSec/SSL VPN टनलिंग हेतु फायरवॉल उपलब्ध है।

3. संविधा के अनुसार होस्टेड वैण्डर द्वारा होस्ट किए गए सभी समाधान सुरक्षा व्यवस्था के अधीन हैं।

4. गोपनीय नीतियों, गैर-प्रकटीकरण करारों और GDPR

अनुपालन जैसी अन्य विनियामक अपेक्षाओं को सभी करारों में नियंत्रक और प्रोसेसर के रूप में व्यवस्थित किया जाता है।

5. एलाइंस एअर अद्यतन सुरक्षा पैच सूचना के लिए NCIIPC/ CERT-In के साथ पंजीकृत है। उनके पोर्टलों से प्राप्त फीड का उपयोग

## 10.5 भारतीय होटल निगम लिमिटेड

### 10.5.1 परिचय

भारतीय होटल निगम को वर्ष 1971 में पहले की एअर इंडिया लिमिटेड की 100% सब्सिडियरी के तौर पर शुरू किया गया था। दिनांक 27 जनवरी, 2022 से शेयरहोल्डिंग AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई है।

सेन्टॉर होटल, दिल्ली IGI हवाईअड्डे के नज़दीक स्थित है, यह एरोसिटी और गुरुग्राम के व्यावसायिक जिलों के करीब स्थित है। इस होटल का उद्घाटन वर्ष 1982 में हुआ था। वर्तमान में कंपनी सेन्टॉर ब्रांड के तहत दिल्ली में एक होटल प्रचालित करती है। कंपनी शैफेयर ब्रांड के तहत दो फ्लाइट किचन भी संचालित करती है।

### 10.5.2 कंपनी की वित्तीय स्थिति

वर्ष के दौरान, कुल रेवेन्यू घटकर 46.361 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 63.117 करोड़ रुपये था, अर्थात 26.66% की कमी हुई है। कुल ऑपरेटिंग खर्च 74.603 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 67.763 करोड़ रुपये था, अर्थात वर्तमान वर्ष के दौरान बुक किए गए यूनियनइसेड वर्कर्स के वेज रिवीजन एरियर के कारण एम्प्लॉई कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण 10.09% की बढ़ोतरी हुई। इस निवल परिचालन हानि 28.242 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 4.546 करोड़ रुपये था। यानि 521.29% की बढ़ोतरी हुई।

### 10.5.3 प्रदूषण नियंत्रण

HCI इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। हर मोड़ पर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाता है। गाड़ियों से होने वाले एमिशन को कम करने के लिए पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों से बचने को प्राथमिकता दी जाती है। सभी गाड़ियां सीएनजी फ्यूल से चलती हैं। ग्रीन एमिशन के नॉर्म्स का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

कार्बन एमिशन कम करने के लिए लागू की गई दूसरी पहलें-

i) BS-VI नॉर्म्स का पालन।

ii) अनावश्यक निर्माण गतिविधियों से बचना।

iii) सतत पर्यावरणीय लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना।

### 10.5.4 महिला कल्याण

कार्य प्रणाली के सभी स्तर पर महिला कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित किया जाता है। कंपनी संगठन में कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष और न्याय संगत व्यवहार सुनिश्चित करने की नीतियों का सख्ती से पालन करती है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित विनियामक प्रावधानों के अनुपालन में निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं-

1. महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने संबंधी अधिनियम (POSH एक्ट) के प्रावधानों का अनुपालन।
2. संगठन में महिलाओं की शांति को प्रभावित करने वाली घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के लिएआंतरिक शिकायत समिति का गठन।
3. कर्मचारियों को महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन करने या उसे ठेस पहुंचाने की धमकी देने के परिणामों के बारे

शिक्षित करना।

4. महिलाओं के अधिकारों के बारे में सभी में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष महिला दिवस मनाया जाता है।

5. महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अधिकतर दिन की शिफ्ट में काम पर रखना।

## 10.5.5 सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र

हितधारकों की शिकायतों का समाधान कॉर्पोरेट कामकाज के लिए सबसे ज़रूरी पहलुओं में से एक है। जनता के विवादों का समय पर समाधान करना आवश्यक है।

शिकायतों के प्रभावी निपटान को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं:

1. CPGRAM पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों सहित सभी शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग ।
2. प्राप्त शिकायतों की स्थिति और उनके निवारण पर सक्रिय रूप से ट्रैकिंग करना।
3. शिकायतों का समाधान न होने पर सही कारण बताना।

## 10.5.6 दिव्यांग लोगों को सुविधाएं

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांग व्यक्ति से संबंधित दिशा निर्देशों को लागू किया जाता है और उनका सख्ती से अनुपालन किया जाता है।

विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे अन्य कदम -

i) कर्मचारियों को उनकी ज़रूरतों और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ।

ii) अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कार्यस्थल पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना

## 10.5.7 सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 2 नवंबर, 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

सतर्कता संगठन की साझा जिम्मेदारी है, जिसमें प्रत्येक हितधारक सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानक को बनाए रखने का प्रयास करता है।

## 10.5.8 क्षमता निर्माण कार्यक्रम

HCI द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनुलग्नक- IV के रूप में संलग्न है।

## 10.5.9 नागरिक चार्टर

होटल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड अपने सभी परिचलनों में जवाबदेही , पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों का पालन करता है। HCI का प्राथमिक उद्देश्यहमारी कंपनी के सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए एक सतत और सुचारू रूप से कार्य करने वाला वातावरण बनाना है । .

## 10.5.10 SC, ST, OBC, EWS और PwD का ब्योरा

SC/ST, और OBC का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| ग्रुप | कर्मचारी | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SC | ST | OBC | Total |
| क | 4 | 3 | 1 | 11 |
| ख | 7 | 4 | 9 | 66 |
| ग | 16 | 8 | 14 | 51 |
| घ | 17 | 4 | 2 | 26 |
| कुल | 44 | 14 | 26 | 154 |

## अनुलग्नक – IV

| क्षमता निर्माण कार्यक्रम | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र० स० | ट्रेनिंग का विषय | प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों की संख्या * | मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारियों सहित प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या | प्रशिक्षित कर्मचारियों की कुल संख्या |
| 1 | जांच और रिपोर्ट | | | |
| | 11.09.2025 - ऑनलाइन | शून्य | 15 | 15 |
| | 22.09.2025 - ऑनलाइन | शून्य | 15 | 15 |
| | 14.10.2025 – ऑनलाइन | शून्य | 13 | 13 |
| | | | **कुल** | **43** |
| 2 | आरोप पत्र तैयार करना | | | |
| | 11.09.2025 - ऑनलाइन | शून्य | 15 | 15 |
| | 22.09.2025 - ऑनलाइन | शून्य | 15 | 15 |
| | 14.10.2025 – ऑनलाइन | शून्य | 13 | 13 |
| | | | **कुल** | **43** |
| | सीटीई टाइप इंटेंसिव परीक्षाएं आयोजित करना | | | |
| | 16.09.2025 - ऑनलाइन | शून्य | 10 | 10 |
| | 09.10.2025- ऑनलाइन | शून्य | 21 | 21 |
| | | | **Total** | **31** |

# 11. राजीव गाँधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

## 11.1 विश्वविद्यालय के बारे में

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU) की स्थापना संसद के अधिनियम- राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 26) के अंतर्गत की गई है। जिसका मुख्यालय भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिले के फुरसतगंज में स्थित है।

यह विश्वविद्यालय विमानन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान बनने की परिकल्पना के साथ स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक अनुसंधान, विशेषीकृत प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक उत्कृष्टता के माध्यम से भारत के विमानन उद्योग को सशक्त और समर्थ बनाना है। अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय को विमानन के विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री तथा PhD प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। वैश्विक शैक्षणिक मानकों को सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय सक्रिय रूप से अग्रणी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ सहयोग विकसित कर रहा है, जिससे भारतीय विमानन अपेक्षाओं के अनुरूप वैश्विक रूप से प्रासंगिक विशेषज्ञता को अपनाया जा सके।

विश्वविद्यालय का एक प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत विमानन उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक चुनौतियों के लिए अनुसंधान-आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना है। RGNAU अपनी अकादमिक विशेषज्ञता का लाभ उठकार ऐसी चुनौतियों की पहचान और समाधान करता है, जिससे उद्योग–अकादमिक सहभागिता को सुदृढ़ किया जाता है, व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है तथा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विजन को पूरा किया जाता है ।

## 11.2 विजन और मिशन

### विजन वक्तव्य

"विमानन शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में एक अग्रणी वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरना तथा आगामी पीढ़ी के विमानन पेशेवरों को प्रेरित और सशक्त बनाना।"

### मिशन वक्तव्य

"हमारा मिशन अग्रणी अनुसंधान के माध्यम से विमानन उद्योग में उत्कृष्टता, सुरक्षा और वहनीयता को विकसित करना है। हम विविधता और समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा ऐसे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ विमानन क्षेत्र उन्नत सुरक्षा, दक्षता और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ समृद्ध हो।"

### संगठनात्मक ढांचा:

(अधिनियम एवं विनियमों के अनुसार)

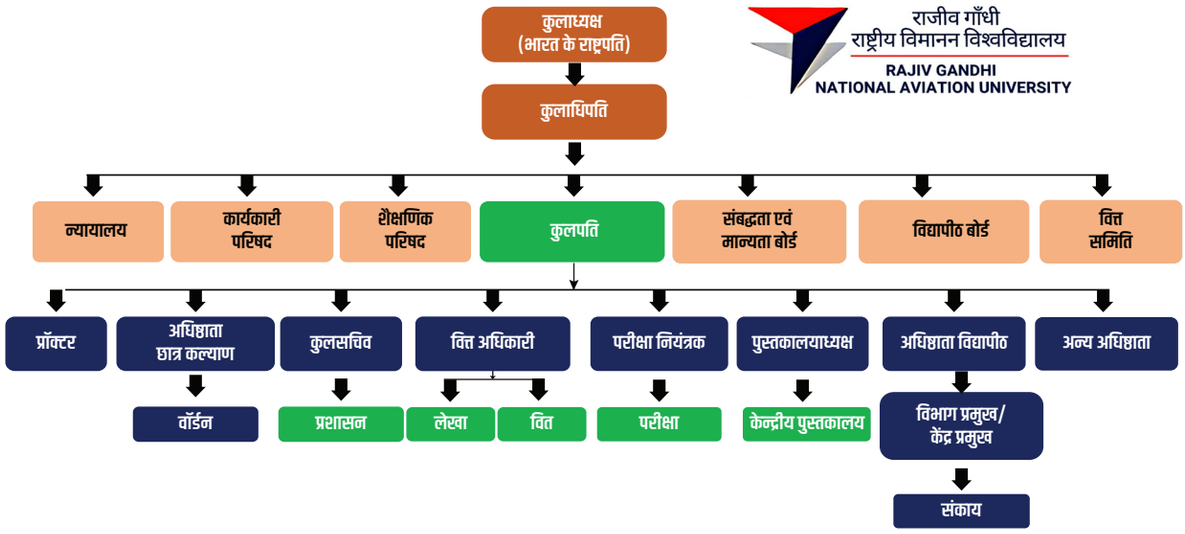


## 11.3 विश्वविद्यालय के उद्देश्य

**क.** विमानन प्रबंधन, विमानन विनियमन और नीति, विमानन इतिहास, विमानन विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, विमानन विधि, विमानन सुरक्षा एवं संरक्षा, विमानन चिकित्सा, खोज एवं बचाव, खतरनाक वस्तुओं का परिवहन, पर्यावरणीय अध्ययन तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विमानन अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विस्तार कार्य को सुगम बनाने और बढ़ावा देने तथा भविष्य के उभरते क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करना।

**ख.** संस्थागत एवं अनुसंधान सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उन्नत ज्ञान को प्रोत्साहित करना तथा प्रबंधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध विषयों में समन्वित शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करना।

**ग.** विमानन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिगम, नवाचार एवं अकादमिक शोध के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना।

**घ.** भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित विमानन शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एवं उसका विनियमन करना।

**ङ.** अंतरराष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता के अनुरूप शैक्षणिक मानकों का विकास करना।

**च.** एयरलाइनों, हवाईअड्डों, विमानन प्राधिकरणों तथा विमानन कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना, जिनमें एयरलाइन प्रबंधन, हवाईअड्डा प्रचालन, विमानन विनियम एवं विधि, विमानन सुरक्षा एवं संरक्षा तथा अन्य विशिष्ट क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाए।

**छ.** शिक्षण–अधिगम विधियों में नवाचार को बढ़ावा देना तथा अंतर्विषयी अध्ययन एवं अनुसंधान करना।

## 11.4 विश्वविद्यालय अवसंरचना

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU) भारत का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जो विमानन शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए समर्पित है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि RGNAU की सभी इमारतों को GRIH ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटैट असेसमेंट द्वारा प्रमाणन प्राप्त है। (GRIH) भारत की राष्ट्रीय हरित भवन रेटिंग प्रणाली है, जिसे वर्ष 2007 में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट (TERI) द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के सहयोग से विकसित किया गया था।

**ओपन एयर थिएटर**

**शैक्षणिक ब्लॉक**

शैक्षणिक ब्लॉक कुल 12,750 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें दो सेमिनार हॉल, दो पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, 20 कक्षाएँ, संकाय और कर्मचारियों के कैबिन और एक प्रशासनिक ब्लॉक शामिल हैं। इसके अलावा, पार्किंग के लिए बाहरी स्थान, खुला एम्फीथिएटर और अन्य सेवाएं जैसे सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, जल उपचार संयंत्र, सीवेज उपचार संयंत्र उपलब्ध हैं। अकादमिक ब्लॉक में छात्रों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए उच्च तकनीक वाले IT अवसंरचना और स्मार्ट क्लास तकनीक से युक्त है।

**सेमिनार हॉल**

## 11.5 सुविधायें

- उद्यम आधारित IT अवसंरचना तथा ऑडियो-विज़ुअल तकनीक से युक्त स्मार्ट कक्षाओं से सुसज्जित अकादमिक ब्लॉक।
- दो पुस्तकालय जिनमें डिजिटल लाइब्रेरी की विशेष व्यवस्था हैं।
- 209 लोगों के बैठने की क्षमता वाले दो सेमिनार हॉल, जिनमें 86-इंच इंटरएक्टिव पैनल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा तथा 4K PTZ वीडियो कैमरा उपलब्ध है।
- स्पेस फ्रेम संरचना सहित ओपन-एयर थिएटर।
- 20 आधुनिक कक्षाएँ, जिनमें से 10 कक्षाएँ ऑडियो-विज़ुअल सुविधाओं से युक्त स्मार्ट कक्षा इंटरएक्टिव तकनीक से सुसज्जित हैं।
- ऑनलाइन कक्षा सुविधाओं हेतु 4K वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था।
- 100 विद्यार्थियों की बैठने की क्षमता वाला कंप्यूटर लैब, जिसमें समर्पित LAN कनेक्टिविटी, एंटीवायरस सुरक्षा तथा नवीनतम जनरेशन के साथ डेस्कटॉप कंप्यूटर।
- सुरक्षित इंटरनेट सुविधा के लिए फायरवॉल-सक्षम उच्च उपलब्धता (HA मोड) सर्वर कक्ष।
- प्रवेश प्रक्रिया हेतु समर्पित दो लैंडलाइन नंबरों सहित ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल।

### छात्रावास ब्लॉक

छात्रावास ब्लॉक, अकादमिक ब्लॉक से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर, IGRUA आवासीय क्षेत्र के निकट स्थित है। यह ब्लॉक लगभग 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है तथा इसमें आठ-आठ मंज़िलों वाले चार विंग सम्मिलित हैं। इस ब्लॉक में कुल 288 कक्ष उपलब्ध हैं, जिनमें

दो लोगों के साथ रहने आधार पर लगभग 576 विद्यार्थियों के आवास की व्यवस्था है। छात्रावास के भूतल पर विद्यार्थियों के लिए भोजनालय, इनडोर मनोरंजन क्षेत्र तथा जिमनैजियम की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जबकि ऊपर की मंज़िलों पर द्वि-आवासीय कक्ष स्थित हैं।

**छात्रावास ब्लॉक**

## 11.6 अन्य सुविधाएँ

- विद्यार्थियों के लिए कैंटीन, चिकित्सा कक्ष तथा कॉमन रूम की व्यवस्था।
- निर्धारित संपर्क मार्ग एवं कार पार्किंग, भूमिगत जल टंकी, UPPCL से 33 KV समर्पित विद्युत आपूर्ति तथा 100% विद्युत बैकअप जैसी सुविधाएँ।
- 576 विद्यार्थियों के लिए वाई-फाई युक्त छात्रावास आवास सुविधा, जिसमें मनोरंजन एवं जिम की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएँ, जिनमें प्रवेश द्वार तथा विभिन्न मंज़िलों को जोड़ने हेतु रैम्प की व्यवस्था शामिल है।

**आवासीय ब्लॉक**

## 11.7 आवासीय ब्लॉक

संकाय आवास ब्लॉक में कनिष्ठ संकाय, वरिष्ठ संकाय तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिनका कुल निर्मित क्षेत्रफल 83,000 वर्ग फुट है। कनिष्ठ संकाय आवास ब्लॉक भूतल+7 मंज़िलों का है, जिसमें कुल 56 आवासीय इकाइयाँ हैं, जबकि वरिष्ठ संकाय आवास ब्लॉक भूतल+8 मंज़िलों का है, जिसमें 32 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए तीन स्वतंत्र आवासीय इकाइयों है।

## 11.8 केंद्रीय पुस्तकालय

RGNAU के पुस्तकालय का उद्देश्य विश्वविद्यालय के सदस्यों के लिए अपने संसाधनों को सुलभ एवं उपयोगी बनाना तथा ज्ञान एवं सृजनात्मकता के संग्रह को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय को बेहतर रूप से जानना उसका प्रभावी उपयोग करने की दिशा में पहला कदम है। हमारे पुस्तकालय में सुदृढ़ भौतिक अवसंरचना तथा समृद्ध ज्ञान-संपदा उपलब्ध है। यह पुस्तकालय विश्वविद्यालय परिसर के भूतल पर स्थित है तथा उपयोगकर्ताओं को विविध प्रकार की सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रदान करता है।

इसके अलावा, पुस्तकालय वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) पहल के तहत विद्वानों की पत्रिकाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है, जिन तक अधिकृत उपयोगकर्ता निर्धारित पहुंच तंत्र के माध्यम से पहुंच सकते हैं। परिसर के बाहर निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, पुस्तकालय ने ONOS पत्रिकाओं के लिए INFED रिमोट एक्सेस भी सक्षम किया है, और उपयोगकर्ता आईडी और लॉगिन क्रेडेंशियल पात्र उपयोगकर्ताओं को इन ई-संसाधनों तक निर्बाध पहुंच के लिए विधिवत वितरित किए गए हैं।

## 11.9 . विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

RGNAU अधिनियम, 2013 की खंड-18 के अनुसार विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:

i. कोर्ट
ii. कार्यकारी परिषद
iii. अकादमिक परिषद
iv. संबद्धता एवं मान्यता बोर्ड
v. विद्यालय बोर्ड
vi. वित्त समिति

vii. विश्वविद्यालय के विधान द्वारा घोषित अन्य ऐसे प्राधिकारी, जिन्हें विश्वविद्यालय के प्राधिकारी माना जाए।

### कार्यकारी परिषद

कार्यकारी परिषद, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय है। कार्यकारी परिषद को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन की शक्ति प्राप्त होगी और विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक कार्यों के संचालन का अधिकार भी उसी के पास होगा। कार्यकारी परिषद की शक्तियों में शामिल हैं नियम बनाना, उनमें संशोधन करना या उन्हें निरस्त करना, अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित अध्यादेशों के प्रावधानों को लागू करना, विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए और अधिनियम, विधानों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य सभी मामलों को विनियमित और निर्धारित करना।

### अकादमिक परिषद

अकादमिक परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख अकादमिक निकाय है और विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करने का अधिकार रखता है और शिक्षण विधियों, सहयोगात्मक शिक्षण और अनुसंधान के मूल्यांकन या अकादमिक मानकों में सुधार के संबंध में निर्देश देने का अधिकार रखता है। यह विश्वविद्यालय के भीतर शैक्षणिक गतिविधियों के मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और सभी अकादमिक मामलों पर कार्यकारी परिषद को सलाह देता है।

### वित्त समिति

वित्त समिति विश्वविद्यालय के सभी वित्तीय मामलों की जांच और विचार करती है जिसमें वार्षिक बजट, वार्षिक खाते, परियोजनाएं, नीतिगत मामले और अन्य वित्तीय गतिविधियां शामिल हैं, और इसे कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले जांचा जाता है।

### संबद्धता एवं मान्यता बोर्ड

संबद्धता एवं मान्यता बोर्ड (BAR) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए कॉलेजों और संस्थानों को प्रवेश देने के लिए जिम्मेदार होगा।

## 11.10. RGNAU में आयोजित कार्यक्रम

### RGNAU का दूसरा दीक्षांत समारोह

RGNAU ने अपना दूसरा दीक्षांत समारोह दिनांक 7 दिसंबर 2025 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें माननीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए। समारोह में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अमित पात्रा, निदेशक, IIT (BHU) वाराणसी, उप कुलपति प्रोफेसर भृगु नाथ सिंह (जिन्होंने समारोह की अध्यक्षता की), रजिस्ट्रार, उद्योग जगत के नेता, शिक्षाविद, संकाय सदस्य और छात्र भी उपस्थित थे।

इस शुभ अवसर पर कुल 59 छात्रों को उनकी डिग्रियां प्रदान की गईं, जिनमें से 43 बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (BMS) - एविएशन सर्विसेज एंड एयर कार्गो और 16 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ऑपरेशंस (PGDAO) के छात्र थे। इसके अतिरिक्त, सुश्री पल्लवी रजीश (BMS-2022) को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक और सुश्री जैस्मीन यादव

(PGDAO-2023) को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। साथ ही, उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों और समग्र प्रदर्शन के लिए छात्रों को दो अन्य स्वर्ण और रजत पदक भी प्रदान किए गए।

## अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन दिवस का आयोजन

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU) में 7 दिसंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन दिवस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम IIT (BHU), वाराणसी के निदेशक की उपस्थिति से विशेष रूप से गरिमामय रहा। इस अवसर पर कार्यकारी परिषद एवं अकादमिक परिषद के सदस्यों, विशिष्ट अतिथियों तथा विश्वविद्यालय के संकाय एवं कर्मचारियों की सम्माननीय भौतिक उपस्थिति से समारोह और भी समृद्ध हुआ।

इस अवसर पर विमानन उद्योग एवं वैश्विक संपर्क में उसके योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, फुरसतगंज; जवाहर नवोदय विद्यालय, रायबरेली; किसान विद्यालय, फुरसतगंज तथा तरौना प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए, जिससे विमानन क्षेत्र के प्रति उनके ज्ञान, रुचि और उत्साह को प्रोत्साहन मिल सके।

## IIT(BHU), वाराणसी के साथ RGNAU का समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU) ने 7 दिसंबर, 2025 को IIT (BHU) वाराणसी के साथ विमानन और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग अनुसंधान, विकास और कौशल संवर्धन के लिए नए अवसर पैदा करेगा। RGNAU के उप कुलपति प्रो. बी. एन. सिंह और IIT (BHU) वाराणसी के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और एक-दूसरे के साथ जानकारी का आदान-प्रदान किया।

यह समझौता एयरोस्पेस, विमानन प्रबंधन, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में ज्ञान साझा करने, संयुक्त अनुसंधान पहलों तथा श्रेष्ठ प्रथाओं के आदान–प्रदान के माध्यम से अकादमिक उत्कृष्टता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है।

**उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ विश्वविद्यालय की प्रगति एवं विमानन उद्योग प्रशिक्षण पर चर्चा हेतु बैठक**

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU), फुरसतगंज, अमेठी के उप कुलपति प्रो. बी. एन. सिंह ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से भेंट कर विश्वविद्यालय की प्रगति तथा विमानन शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित उनके पहलों के बारे में उन्हें अवगत कराया।

**शैक्षणिक सत्र 2025–26 से B.Tech., MBA, BBA एवं B.SC कार्यक्रमों का शुभारंभ**

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU), फुर्सतगंज, अमेठी स्थित भारत का प्रमुख केंद्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ने अकादमिक परिषद एवं कार्यकारी परिषद की स्वीकृति से अकादमिक सत्र 2025–26 से पाँच नए अकादमिक कार्यक्रम प्रारंभ किए।

नवप्रारंभित कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

i. B.Tech. (एयरोस्पेस अभियांत्रिकी)

ii. B.Tech. (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी– एवियोनिक्स)

iii. BBA (एविएशन मैनेजमेंट)

iv. MBA (एविएशन मैनेजमेंट)

v. MBA (एविएशन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट)

चार वर्षीय B.Tech. के प्रत्येक कार्यक्रम में 60 सीटें निर्धारित की गई हैं, जिनमें प्रवेश JoSAA एवं CSAB के माध्यम से किया जाएगा। दो वर्षीय MBA कार्यक्रमों में विधयार्थियों का प्रवेश CUET-PG अंकों के आधार पर किया जाएगा, जबकि तीन वर्षीय BBA कार्यक्रम में प्रवेश CUET-UG एवं अन्य अर्हकारी परीक्षाओं के माध्यम से अभ्यर्थियों को शामिल करेंगे।

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय द्वारा तीन वर्षीय बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ तथा 18 माह का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ऑपरेशंस कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है, जिनमें उद्योग-संलग्न इंटर्नशिप की व्यवस्था है। इसके साथ ही 6 माह का बेसिक फायरफाइटर कोर्स, 5 सप्ताह का फायरमैनशिप कार्यक्रम तथा जूनियर एवं सीनियर फायर ऑफिसर कोर्स जैसे अल्पकालिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

RGNAU को संबद्धता के माध्यम से अन्य संस्थानों द्वारा संचालित विमानन संबंधी कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। वर्ष 2025 से RGNAU द्वारा इंदिरा गांधी विमानन अकादमी द्वारा संचालित CPL कैडेट्स के लिए B.SC(एविएशन) तथा AME कैडेट्स के लिए B.Sc (एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग) की उपाधियाँ प्रदान की जाएँगी। साथ ही, विश्वविद्यालय ने अकदामिक सत्र 2026–27 से शुरू की जाने वाली विमानन संबंधी कार्यक्रमों की मान्यता हेतु देशभर के महाविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

अकादमिक सत्र 2025–26 में प्रवेश प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण की गई हैं क्यूंकि विश्वविध्यालय को B.Tech., BBA एवं MBA के प्रिमियर बैच के लिए देशभर से विद्यार्थियों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण निम्नानुसार है:।

| क्रम संख्या | पाठ्यक्रम | सामान्य | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाती | अनुसूचित जनजाति | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Tech. (एयरोस्पेस अभियांत्रिकी) | 10 | 20 | 02 | 02 | 34 |
| 2 | B.Tech. (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी) | 12 | 18 | 05 | 05 | 40 |
| 3 | BBA (एविएशन मैनेजमेंट) | 17 | 18 | 03 | 00 | 38 |
| 4 | BMS (एविएशन सर्विसेज़ एवं एयर कार्गो) | 26 | 47 | 12 | 03 | 88 |
| 5 | MBA (एविएशन मैनेजमेंट) | 18 | 03 | 00 | 00 | 21 |
| 6 | MBA (एविएशन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट) | 09 | 01 | 00 | 00 | 10 |
| 7 | पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ऑपरेशंस | 07 | 01 | 01 | 00 | 09 |
| | कुल | 99 | 108 | 23 | 10 | 240 |

### नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU), फुर्सतगंज, अमेठी ने अगस्त 2025 में अकादमिक सत्र 2025 बैच के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के स्वागत हेतु स्नातक, स्नातकोत्तर एवं तकनीकी कार्यक्रमों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की अकादमिक व्यवस्था, पाठ्यक्रम संरचना, अकादमिक नियमावली, छात्रावास सुविधाओं तथा संकाय सदस्यों से परिचित कराना था, जिससे वे विश्वविद्यालय जीवन में सहज एवं सुचारु रूप से प्रवेश कर सकें।

### विश्व पर्यावरण दिवस और वृक्षारोपण अभियान

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU), फुर्सतगंज, अमेठी ने 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस को पर्यावरण जागरूकता एवं सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न गतिविधियों के साथ मनाया। इस अवसर पर विद्यार्थी, संकाय सदस्य एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति द्वारा संबोधन के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के जिम्मेदाराना उपयोग तथा भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति की रक्षा में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला।

### अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का परिसर-व्यापी योग सत्र

रांट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU), फुरसतगंज, अमेठी ने 21 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर परिसर-व्यापी योग सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास किया।

इस सत्र का उद्देश्य विश्वविद्यालय समुदाय में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण एवं समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था। प्रतिभागियों को एकाग्रता बढ़ाने, तनाव कम करने तथा संतुलित जीवनशैली अपनाने हेतु योग को नियमित अभ्यास के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। यह आयोजन सीखने एवं व्यक्तित्व विकास के लिए स्वस्थ एवं समग्र वातावरण को प्रोत्साहित करने के प्रति RGNAU की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

### विमानन पेशेवरों के लिए विमान पट्टे एवं वित्तपोषण पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU) ने 4 से 8 अगस्त 2025 के दौरान नई दिल्ली में "एयरक्राफ्ट लीज़िंग एंड फाइनेंसिंग" विषय पर एक अल्पकालिक पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से विमानन उद्योग में कार्यरत पेशेवरों के लिए अभिकल्पित किया गया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक विमानन क्षेत्र में विमान पट्टे, वित्तपोषण तथा रणनीतिक निर्णय–निर्माण के प्रमुख पहलुओं की समग्र समझ प्रदान करना था। पाठ्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर उप कुलपति ने विमानन क्षेत्र में इस प्रकार के अनुकूलित एवं उन्नत पाठ्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया।

### राष्ट्रीय एकता दिवस पर "एकता दौड़"

दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर "एकता दौड़" का आयोजन अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ किया गया। इस कार्यक्रम को माननीय उप कुलपति प्रो. भृगु नाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

### स्वच्छता पखवाड़ा

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU), फुर्सतगंज, अमेठी द्वारा स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित परिसर बनाए रखने के उद्देश्य से एक विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस पहल के अंतर्गत सामूहिक स्वैच्छिक श्रमदान के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें संकाय सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लिया।।

विद्यालयी छात्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्राथमिक विद्यालय, तरौना, अमेठी में 'स्वच्छ भारत–स्वस्थ भारत' विषय पर एक चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए माननीय कुलपति ने महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को स्मरण किया तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा समर्थित स्वच्छता शपथ का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह अवसर सभी को एक स्वच्छ, स्वस्थ एवं विकसित राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय योगदान देने की प्रेरणा देता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्वच्छता केवल बाह्य स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है। विशेष रूप से उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को समाज के मार्गदर्शक के रूप में रेखांकित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों में सकारात्मक मूल्यों और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में उनकी सक्रिय सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

### राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय में हिंदी पखवाड़ा

30 सितंबर 2025 को राजीव गांधी केंद्रीय विमानन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, अमेठी में हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलसचिव प्रो. एस. एल. हरिकुमार ने की। इस अवसर पर परीक्षा नियंत्रक श्री जितेंद्र प्रसाद, वित्त अधिकारी श्री कुलभूषण शर्मा तथा विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य उपस्थित रहे।

हिंदी पखवाड़े के दौरान तात्कालिक भाषण, हिंदी निबंध लेखन, कविता पाठ, वाद-विवाद तथा हिंदी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें कर्मचारियों एवं छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन समारोह में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

### राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 18 दिसंबर 2025 को माननीय कुलपति प्रो. भृगु नाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर माननीय कुलपति ने उपस्थित अधिकारियों को हिंदी से संबंधित कार्यों को गंभीरता एवं प्रतिबद्धता के साथ संपादित करने के निर्देश दिए। बैठक में विश्वविद्यालय की आंतरिक

पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय लिया गया तथा इसके लिए संपादकीय मंडल के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

### RGNAU में हिंदी कार्यशाला

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय में 17 दिसंबर 2025 को एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान विश्वविद्यालय के हिंदी अधिकारी श्री श्वेतांशु शेखर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा नीति से संबंधित विषयों पर संबोधित किया।

### कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम पर RGNAU द्वारा कार्यशाला का आयोजन

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU) ने यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह के अंतर्गत 17 दिसंबर 2025 को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस सत्र का संचालन डॉ. आशा वर्मा, सहायक प्राध्यापक (ECE–एवियोनिक्स) द्वारा किया गया, जिन्होंने POSH अधिनियम, 2013 का कानूनी प्रावधानों सहित तथा आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका एवं दायित्वों पर विशेष जोर देते हुए विस्तृत एवं उपयोगी अवलोकन प्रस्तुत किया।

सभा को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. बी. एन. सिंह ने

यौन उत्पीड़न के प्रति विश्वविद्यालय की शून्य-सहिष्णुता नीति को दोहराया और सुरक्षित, संरक्षित एवं समावेशी परिसर वातावरण सुनिश्चित करने के प्रति RGNAU की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। उन्होंने कार्यस्थल पर गरिमा एवं सम्मान बनाए रखने के लिए जागरूकता, संवेदनशीलता तथा त्वरित शिकायत निवारण की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

### GTTC बेंगलुरु में एयरोस्पेस और विमानन में सह-शिक्षण आयोग की स्थापना पर नागर विमानन मंत्रालय में बैठक

नागर विमानन सचिव की अध्यक्षता में 18 जून 2025 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित सरकारी उपकरण कक्ष एवं प्रशिक्षण (GTTC) में एयरोस्पेस एवं विमानन उत्कृष्टा की (COE) की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। RGNAU के कुलपति ने बैठक में भाग लिया और उद्योग – अकादमिक साझेदारी के माध्यम से भारत के एयरस्पेस एवं विमानन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से अकादमिक सहयोग,उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान पहलों पर चर्चा में योगदान दिया।

### सांस्कृतिक महोत्सव 'उड़ान 2025'

विश्वविद्यालय ने छात्रों के बीच टीम वर्क, नेतृत्व और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फरवरी 2025 में अपना वार्षिक खेल और सांस्कृतिक महोत्सव, उड़ान 2025 आयोजित किया। महोत्सव में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, शतरंज, चित्रकला, रंगोली और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों सहित विविध कार्यक्रम शामिल थे। छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और उत्कृष्ट व्यक्तियों और टीमों को ट्रॉफी प्रदान की गई।

विश्वविद्यालय के छात्र समुदाय को चार सदनों में विभाजित किया गया था: सरला ठुकराल हाउस (पीला), कैप्टन गोपीनाथ हाउस (नीला), सौदामिनी देशमुख हाउस (हरा), और जेआरडी टाटा हाउस (लाल)। सरला ठुकराल हाउस समग्र चैंपियन के रूप में उभरा और चैंपियन ट्रॉफी जीती।

पांच दिवसीय उड़ान महोत्सव में प्रतिस्पर्धी खेल आयोजनों के चार दिन शामिल थे, जिसके बाद पुरस्कार वितरण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की एक भव्य समापन कार्यक्रम हुई, जिसमें छात्रों की प्रतिभा, रचनात्मकता और समुदाय की मजबूत भावना का प्रदर्शन किया गया।

## 11.11. पुरस्कार

### प्रो. भृगु नाथ सिंह को एयरोस्पेस शिक्षा में वर्ष 2020-21 का उत्कृष्टता पुरस्कार

एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (AeSI) ने राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) भृगु नाथ

सिंह को प्रतिष्ठित एयरोस्पेस शिक्षा में उत्कृष्टता पुरस्कार 2020–21 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार पुणे स्थित डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित "विकसित भारत–2047 के लिए एयरोस्पेस में चुनौतियाँ" विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन तथा AeSI की वार्षिक आम बैठक के दौरान

प्रदान किया गया।

प्रो. सिंह को एयरोस्पेस शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में 28 वर्ष का अनुभव है और इस क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उनके 173 शोध प्रकाशन हैं और वर्ष 2021 में उन्हें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया।

प्रो. सिंह को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और उन्हें यह पुरस्कार डॉ. जी. सतीश रेड्डी, अध्यक्ष- DRDO; रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार; तथा अध्यक्ष-AeSI द्वारा प्रदान किया गया। इस समारोह में डॉ. एस. सोमनाथ, पूर्व अध्यक्ष- इसरो एवं सचिव-अंतरिक्ष विभाग, तथा अध्यक्ष-निर्वाचित-AeSI सहित अनेक प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजारापु राममोहन नायडू ने सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई।

विश्वविद्यालय के संकाय एवं कर्मचारियों ने प्रो. सिंह को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय एयरोस्पेस एवं विमानन शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता प्राप्त करता रहेगा। RGNAU नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि एयरोस्पेस और विमानन उद्योग के लिए भावी नेतृत्व का विकास किया जा सके।

### इंजीनियरिंग अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए स्कॉलर GPS द्वारा RGNAU के कुलपति को सम्मानित किया गया

प्रो. भृगु नाथ सिंह, कुलपति, RGNAU को डायनामिक स्कोरिंग और कंपोजिट प्लेट विश्लेषण के विशिष्ट अनुसंधान क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट विद्वतापूर्ण योगदान के लिए स्कॉलरGPS द्वारा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। स्कॉलरGPS, एक वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित शैक्षणिक विश्लेषण मंच है, जो निरंतर अनुसंधान उत्पादकता, विद्वतापूर्ण प्रभाव और प्रकाशनों की गुणवत्ता के आधार पर दुनिया भर के अग्रणी शोधकर्ताओं की पहचान करता है।

यह मान्यता एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, संरचनात्मक इंजीनियरिंग और सामग्री विज्ञान में व्यापक अनुप्रयोगों के साथ उन्नत इंजीनियरिंग अनुसंधान में प्रो. सिंह के महत्वपूर्ण और स्थायी योगदान को रेखांकित करती है। उनके कार्य ने न केवल सैद्धांतिक समझ को आगे बढ़ाया है, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग चुनौतियों के लिए प्रासंगिक व्यावहारिक अंतर्दृष्टि भी प्रदान की है।

अपने गतिशील नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन के तहत, प्रो. सिंह राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU) के शैक्षणिक और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना जारी रखते हैं, नवाचार, अंतःविषय अनुसंधान और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देते हैं। संपूर्ण RGNAU समुदाय इस विशिष्ट उपलब्धि पर प्रो. सिंह को हार्दिक बधाई देता है, जो उत्कृष्टता, नवाचार और उच्च-प्रभाव अनुसंधान के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करती है।

### प्रो. मनीष शर्मा को वेवलेट अनुसंधान में विश्व के शीर्ष विद्वानों में शामिल होने की मान्यता

प्रो. मनीष शर्मा, प्रोफेसर एवं डीन- इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी स्कूल, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU), को स्कॉलरजीपीएस द्वारा वेवलेट की विशेषता में उच्च रैंक वाले विद्वान- पूर्व पांच वर्ष (2025) के रूप में मान्यता दी गई है। यह प्रतिष्ठित मान्यता उन्हें अपने क्षेत्र में दुनिया भर के शीर्ष 0.05% विद्वानों में स्थान देती है, जो पिछले पांच वर्षों में उनकी असाधारण अनुसंधान उत्पादकता, महत्वपूर्ण विद्वतापूर्ण प्रभाव और अकादमिक योगदान की उच्च गुणवत्ता को स्वीकार करती है। यह विशिष्टता प्रो. शर्मा की उन्नत अनुसंधान में निरंतर उत्कृष्टता और वेवलेट सिद्धांत और अनुप्रयोगों में उनके सार्थक योगदान को दर्शाती है, जो

इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रासंगिकता रखते हैं।

### RGPIT महोत्सव "एनर्जिया" में विद्यार्थियों की खेल उपलब्धियाँ

समग्र छात्र विकास और अंतर-संस्थागत जुड़ाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU) ने अंतर-विश्वविद्यालय खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित किया। RGNAU के छात्रों ने राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (RGPIT) द्वारा आयोजित आरजीपीआईटी महोत्सव "एनर्जिया" में भाग लिया और कई खेल आयोजनों में सराहनीय प्रदर्शन किया।

छात्रों ने असाधारण खेल भावना और प्रतिस्पर्धी भावना का प्रदर्शन किया, कई पोडियम फिनिश हासिल किए। एथलेटिक्स में, लक्ष्य अग्रवाल ने 100 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान और 200 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान हासिल किया। सृष्टि कटियार, योगसवरी शर्मा और जान्हवी की बालिका टेबल टेनिस टीम उपविजेता रही। बालक कबड्डी टीम ने पहला स्थान हासिल करने के लिए उल्लेखनीय टीम वर्क और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, जबकि बालक खो-खो टीम ने उपविजेता का स्थान हासिल किया।

पुरस्कार समारोह के दौरान उपलब्धियों को मान्यता दी गई, जहां संकाय सदस्यों और आयोजकों की उपस्थिति में RGNAU के छात्रों को ट्रॉफी और पदक से सम्मानित किया गया। उनकी भागीदारी ने न केवल एथलेटिक उत्कृष्टता को उजागर किया बल्कि टीम वर्क, नेतृत्व और अंतर-विश्वविद्यालय सौहार्द को भी बढ़ावा दिया। RGNAU को इन उपलब्धियों पर गर्व है और समग्र व्यक्तित्व विकास के अभिन्न घटकों के रूप में खेल और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

## 11.12 शोध पत्र प्रकाशन

### शोध एवं सम्मेलन लेख:

- चिन्मय विजय पाटिल, अंकित अशोकराव भुराने, प्रीति घसाड, विपिन कांबले, मनीष शर्मा, आनंद सिंह, नरेशकुमार नंदेश्वर, रू-सान टैन तथा यू. राजेन्द्र आचार्य। "भारतीय नस्ल की गायों के दंत-विन्यास (डेंटिशन) चित्रों का डेटाबेस एवं डीप लर्निंग एल्गोरिद्म का उपयोग कर गायों की आयु का आकलन", इंजीनियरिंग एप्लिकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खंड 162, नवंबर 2025 [SCI, Q1, IF = 8.0]।
- सिंह, पंकज, "नेता की विनम्रता का अधीनस्थों के ज्ञान-साझाकरण पर प्रभाव: सीमांत परिस्थितियों का अन्वेषण": DoI: https://doi.org/10.1108/JKM-03-2025-0386, जर्नल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट।
- कुमार, अनूप, 'बड़े और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने में गतिशील मूल्य निर्धारण और फसल विविधीकरण की भूमिका का आकलन', जर्नल ऑफ एग्रीबिजनेस इन डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज (Q2 जर्नल) एमरल्ड पब्लिशिंग लिमिटेड, 29 सितंबर 2025।
- अरिजीत दत्ता, रंगीत मित्रा, उदय कुमार सिंह, विमल भाटिया, और के. वेंकटेश्वरन, "अपलिंक ओटीएसएम में कम जटिलता का पता लगाने के लिए एक प्रॉक्सिमल डिसेंट अप्रोच।" 2025 IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (CICT)। IEEE, 2025।
- सिंह, उदय कुमार; मित्रा, रंगीत; वेंकटेश्वरन, वेंकटेश्वरन; भाटिया, विमल; मिश्रा, अमित कुमार; दत्ता, अरिजीत; और राव, टी. रामा, "क्लटर की उपस्थिति में एमआईएमओ रडार के लिए एक मजबूत नॉनलीनियर-अडैप्टिव एस्टीमेटर।" 2025 IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस्ड नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स (ANTS)। IEEE, 2025।
- कुमार, मनीष, 'आंतरिक दहन इंजन का अनुप्रयोग', इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रीसेंट एडवांसेस इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड डिजाइन इंजीनियरिंग (ICRAMED 2025), शिक्षा 'ओ' अनुसंधान (SOA) विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।
- तोमर, सौरभ, 'दहन और खगोल भौतिकी में दृढ़ता से गैररेखीय प्रारंभिक मूल्य समस्याओं को हल करने के लिए मजबूत कम्प्यूटेशनल तरीके',

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्प्यूटेशनल मेथड्स (2025)। SCI। लिंक: https://doi.org/10.1142/S0219876225500690

- तोमर, सौरभ; एच. रामोस, "दहन सिद्धांत में उत्पन्न होने वाले अत्यधिक अवरेखीय ब्राटू समीकरण के समाधान हेतु भौतिकी-सूचित न्यूरल नेटवर्क ढांचा", अमेरिकन इंस्टिट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज़ (AIMS) मैथमेटिक्स, 10(9), 21853–21872 (2025)।SCI। लिंक: http://wwwaimspress.com/article/doi/10.3934/math.2025972
- रे, के. एस. एस. एस.; राउत, बी. एल.; महापात्रा, डी. एम., "कार्बन से परे: भारत के विमानन उद्योग के लिए बहुआयामी स्थिरता प्रदर्शन मापदंड"सस्टेनेबिलिटी 2025, 17, 9632। https://doi.org/10.3390/su17219632। [Q1]
- रे, के. एस. एस. एस.; महापात्र, डी. एम.; और इमरान, एम. (2025), "पिरामिड के निचले भाग में डिजिटल लाभांश को बढ़ावा देना: आदिवासी छात्रों के बीच वित्तीय साक्षरता, सांस्कृतिक आकांक्षाएं, शैक्षिक पहुंच और ओटीटी प्लेटफॉर्म रणनीतियां"। जर्नल ऑफ कल्चरल एनालिसिस एंड सोशल चेंज, 10(2), 4543–4553। https://doi.org/10.64753/jcasc.v10i2.2304 [Q2]
- रे, के. एस. एस. एस.; महापात्र, डी. एम., 'भारतीय एसएमई में डिजिटल स्थिरता क्षमताओं का निर्माण: रणनीतिक संरेखण, पारिस्थितिकी तंत्र जुड़ाव और प्रासंगिक मॉडरेटर का एक एकीकृत ढांचा'। एमडीआईएम जर्नल ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू एंड प्रैक्टिस, 1-23। https://doi.org/10.1177/mjmrp.251375819 [सेज]
- रे, के. एस. एस. एस.; महापात्रा, डी. एम.; एवं पात्रा, एस. के., "कॉरपोरेट जलवायु प्रतिबद्धताएँ और नेट ज़ीरो परिवर्तन: रणनीतिक निहितार्थ एवं संगठनात्मक गतिशीलताएँ", FOCUS: जर्नल ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस, खंड 12, अंक 2, जुलाई–दिसंबर 2025।, पीपी. 53-68 DOI: 10.17492/jpi.focus.v12i2.1222503

**पुस्तक अध्याय:**

- अरिजीत दत्ता, उदय कुमार सिंह, रंगीत मित्रा, विमल भाटिया एवं के. वेंकटेश्वरन। (2025) "रडार प्रणालियों में जनरेटिव AI"। में: जीतेंद्र कुमार, रश्मि गुप्ता, पी. के. मिश्रा, गौरव धीमन, वेलेंटिना ई. बालास तथा कामिला ज़ारिख्ता रोमानोव्स्का (सम्पा.), नेक्स्ट जेन डिफेन्स हेतु जनरेटिव एआई: जनरेटिव एआई के माध्यम से सैन्य एयरोस्पेस एवं नौसैनिक रणनीतियों का पुनरूपांकन। CRC प्रेस।

**आमंत्रित व्याख्यान एवं संगोष्ठी/सम्मेलनों में भागीदारी**

- प्रो. मनीष शर्मा, प्रोफेसर, ने 28 नवंबर 2025 को अहमदाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट (IITRAM) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एडवांस्ड मटेरियल्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (ICAMSEEi) में "कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग कर स्वास्थ्य अवसंरचना में नवाचार" विषय पर व्याख्यान दिया।
- प्रो. मनीष शर्मा, प्रोफेसर, ने 19 दिसंबर 2025 को गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय (PDEU) में आयोजित अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (STTP) "बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग एवं कंप्यूटर विज़न में एआई/एमएल के अनुप्रयोग (BSPVC-2025)" के अंतर्गत "नवीन मशीन लर्निंग एवं डीप लर्निंग तकनीकों का उपयोग कर स्वचालित नींद विश्लेषण" विषय पर व्याख्यान दिया।
- प्रो. मनीष शर्मा, प्रोफेसर, ने 28 नवंबर 2025 को अहमदाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट (IITRAM) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन: एडवांस्ड मटेरियल्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (ICAMSEEi) के दौरान एक सत्र की अध्यक्षता की।
- डॉ. अरिजीत दत्ता, सहायक प्रोफेसर, ने 2025 में वारंगल स्थित SR विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग में "डाइस रोल्स से डेटा स्ट्रीम्स तक: यादृच्छिक प्रक्रियाओं की समझ" विषय पर एक वेबिनार प्रस्तुत किया।
- डॉ. अरिजीत दत्ता, सहायक प्रोफेसर, ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगरतला में आयोजित थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा साइंस एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग (ICDSNE 2025) में तकनीकी कार्यक्रम सह-अध्यक्ष (Technical Program Co-Chair) के रूप में सहभागिता की।
- डॉ. अरिजीत दत्ता, सहायक प्रोफेसर, ने IEEE अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ऑन एडवांस्ड नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स (ANTS 2025) में तकनीकी कार्यक्रम समिति सदस्य (Technical Program Committee Member) के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान कीं।
- डॉ. मनीष कुमार, सहायक प्रोफेसर, ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज स्थित RPIC स्कूल में "रॉकेट्री एवं विमानन जागरूकता कार्यक्रम" विषय पर एक व्याख्यान दिया।

## 11.13 प्रदूषण नियंत्रण

RGNAU परिसर के पर्यावरण-अनुकूल विकास के लिए प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में GRIHA काउंसिल द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। RGNAU की अकादमिक और आवासीय इमारतों के शीर्ष पर पहले से ही छत पर सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक कदम के रूप में, विश्वविद्यालय परिसर को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र के रूप में रखा गया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय परिसर में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

## 11.14 महिला कल्याण (लैंगिक बजटीय आंकड़ों सहित)

विश्वविद्यालय परिसर (शैक्षणिक एवं आवासीय, दोनों) में छात्राओं एवं महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन किया है। आईसीसी के व्यापक दायित्वों में विश्वविद्यालय परिसर में लैंगिक संवेदनशीलता एवं लैंगिक न्याय के मूल सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन पर संज्ञान लेना तथा आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करना शामिल है। विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों सहित सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध हो।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक (UG) एवं स्नातकोत्तर (PG) कार्यक्रमों में अध्ययनरत छात्राओं को 10 प्रतिशत शिक्षण शुल्क में रियायत प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय ने समाज के वंचित एवं हाशिए पर स्थित वर्गों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए समान अवसर केंद्र (Equal Opportunity Centre) की एक सलाहकार समिति का भी गठन किया है।

छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, छात्रावास को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसके लिए लड़कियों और लड़कों के छात्रावास क्षेत्र में विभाजन बनाया गया है। साथ ही, छात्रावास ब्लॉक में छात्राओं की सुरक्षा के लिए cctv कैमरा, सहायक महिला वार्डेन और महिला सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की गई है।

दिनांक 15 मार्च 2025 को विश्वविध्यालय ने अपने परिसर में 50 वां अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जो महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की वकालत में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस कार्यक्रम में छात्रों,कर्मचारियों और संघाय सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाने के लिए एक जुट होकर भाग लिया।

इस अवसर पर RGNAU के कुलपति प्रो. भृगु नाथ सिंह का प्रेरणादायी संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, "आज हम समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। महिला सशक्तिकरण केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारे सामूहिक विकास की अनिवार्य आवश्यकता है। RGNAU में हम ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहाँ महिलाएँ आगे बढ़ सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें।"

इस कार्यक्रम के अंतर्गत लैंगिक समानता एवं महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं। प्रतिभागियों ने विचार–विमर्श एवं कार्यशालाओं में सहभागिता की, जिनमें महिलाओं के समक्ष उपस्थित चुनौतियों तथा उन्हें दूर करने की रणनीतियों पर केंद्रित चर्चा की गई। यह आयोजन महिलाओं के लिए सहायक एवं समावेशी वातावरण के निर्माण के प्रति

RGNAU की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है तथा अकादमिक क्षेत्र सहित जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करता है।

## 11.15 सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदम

राजीव गाँधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के 2020 के अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से अलग-अलग समितियों का गठन किया है, जैसे शिक्षक शिकायत निवारण समिति, गैर-शिक्षण कर्मचारी शिकायत निवारण समिति और छात्र शिकायत निवारण समिति। इसके अलावा, विश्वविद्यालय के कुलसचिव को सार्वजनिक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है जो सार्वजनिक शिकायतों से संबंधित मामलों को देखते हैं। उन्हें RTI अधिनियम 2005 के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी नामित किया गया है ताकि विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सूचना के अधिकार प्रश्नों का उचित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में विश्वविद्यालय में कोई सार्वजनिक शिकायत लंबित नहीं है। इस पहलू की समय-समय पर निरंतर निगरानी की जाती है।

## 11.16 छात्र शिकायत निवारण

राजीव गाँधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय में पहले से नामांकित छात्रों के साथ-साथ प्रवेश चाहने वाले छात्रों की कुछ शिकायतों के निवारण के अवसर प्रदान करने के लिए, विश्वविद्यालय के अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार छात्र शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। यदि कोई छात्र छात्र शिकायत निवारण समिति के निर्णय से व्यथित है, तो वे विश्वविद्यालय के लोकपाल के समक्ष अपील कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए, विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप प्रो. उमेश चंद्र गुप्ता, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) और पूर्व विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर को विश्वविद्यालय के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया है।

## 11.17 SC, ST, OBC, EWS, PwD का दिसंबर 2025 तक प्रतिनिधित्व

SC, ST, OBC, PwD एवं EWS वर्गों से संबंधित कर्मचारियों या छात्रों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रवेश, भर्ती, कर्मचारी आवासों के आवंटन, छात्रावासों आदि में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और विकलांग व्यक्तियों (PwD) पर एक स्थायी समिति का गठन किया है।

साथ ही, विश्वविद्यालय ने भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), विकलांग व्यक्तियों (PwD) और भूतपूर्व सैनिकों के लिए संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की है।

## 11.18 विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

विकलांग व्यक्तियों को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए, शैक्षणिक भवन में रैंप प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार, दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए टैक्टाइल टाइलों के साथ फर्श बनाया गया है। RGNAU के शैक्षणिक भवन में शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा आसान उपयोग के लिए अलग शौचालय भी बनाए गए हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए शैक्षणिक भवन के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था प्रदान की गई है। साथ ही, विश्वविद्यालय के छात्रावास और आवासीय ब्लॉकों में लिफ्ट का प्रावधान किया गया है।

## 11.19 सतर्कता गतिविधियां

राजीव गाँधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार नागर विमानन मंत्रालय द्वारा श्री निखिल के. कनोडिया, मुख्य सतर्कता अधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपा गया है।दिनांक 16 अगस्त 2025 से 15 नवंबर 2025 की अवधि के दौरान, सतर्कता जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में, विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया जैसे छात्रों और कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी प्रतिज्ञा, कर्मचारियों के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, छात्रों और कर्मचारियों द्वारा पदयात्रा, आस-पास के गांवों के किसानों की यात्रा आदि ताकि सतर्कता के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। दिनांक 05 नवंबर 2025 को राजीव गाँधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के के कर्मचारियों को GeM पोर्टल के नवीनतम विकास से सशक्त बनाने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी और उनकी टीम द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में "GeM के माध्यम से खरीद" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अलावा, कर्मचारियों के बीच क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए गए जिनमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्रय पोर्टल, GeM पोर्टल, खरीद और आचरण नियम आदि पर प्रशिक्षण शामिल हैं।

## 11.20. साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन

विश्वविद्यालय में अच्छी तरह से स्थापित आईटी सर्वर रूम है जो निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए उच्च उपलब्धता मोड पर एंटीवायरस सर्वर, राउटर, स्विच, फ़ायरवॉल, Wi-Fi सर्वर आदि से सुसज्जित है। IT अवसंरचना के नेटवर्क

को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुपालन में डिज़ाइन किया गया है।

विश्वविद्यालय का इंटरनेट सेवा प्रदाता NIC/NKN है जो एक सरकारी संस्थान है। वेबसाइट और ई-मेल सर्वर आईटीआई लिमिटेड द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं जो संचार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये दोनों संस्थान अपने उपयोगकर्ता विभागों को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

## 11.21. समाज कल्याण गतिविधियां

विश्वविद्यालय, ज्ञान सृजन और साझाकरण के केंद्र के रूप में, एक स्थायी कल के लिए विश्व की समस्याओं को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थानीय गांव, यानी तरौना के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की यात्राओं का आयोजन विभिन्न कार्यक्रमों पर विश्वविद्यालय परिसर में किया गया है, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय की विभिन्न कार्यप्रणालियों को देखा और यह उनके लिए विमानन क्षेत्र की आकांक्षा रखने का एक प्रेरक कारक रहा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों के बीच उनके पदों की परवाह किए बिना एकता विकसित करने के लिए, समय-समय पर कुछ सामान्य सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें विविध त्योहार शामिल हैं जैसे विश्वकर्मा पूजा, क्रिसमस, दीपावली, ओणम, होली, मकर संक्रांति समारोह आदि। इन कार्यक्रमों का आयोजन "विविधता में एकता" की धारणा पर जोर देने के लिए किया गया था।

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के नामांकन के समय, संभावित उम्मीदवारों को देश भर के विभिन्न बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त करने में सहायता प्रदान की गई।

## 11.22 संपर्क अधिकारी (लायजन ऑफिसर) का विवरण

RGNAU में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांगजन (PwD), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा पूर्व सैनिकों के लिए नामित संपर्क अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अनुसूचित जाति (SC) | डॉ. आनंद हिन्दोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर (प्रबंधन/ व्यवसाय प्रशासन पाठ्यक्रम), विमानन प्रबंधन विभाग, प्रबंधन विद्यालय |
| 2 | अनुसूचित जनजाति (ST) | डॉ. आनंद हिन्दोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर (प्रबंधन/ व्यवसाय प्रशासन पाठ्यक्रम), विमानन प्रबंधन विभाग, प्रबंधन विद्यालय |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | श्री जितेंद्र प्रसाद, परीक्षा नियंत्रक |
| 4 | दिव्यांगजन (PwD) | डॉ. आनंद हिन्दोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर (प्रबंधन/ व्यवसाय प्रशासन पाठ्यक्रम), विमानन प्रबंधन विभाग, प्रबंधन विद्यालय |
| 5 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | श्री शिव कुमार, उप कुलसचिव |
| 6 | पूर्व सैनिक | श्री शिव कुमार, उप कुलसचिव |

## 11.23.आरक्षण प्रकोष्ठ का विवरण

विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांगजन (PwD), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा पूर्व सैनिकों के लिए संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो निर्धारित आरक्षण मानकों के अनुपालन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करते हैं। ये अधिकारी भर्ती प्रकोष्ठ एवं प्रवेश प्रकोष्ठ के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करते हैं, ताकि भारत सरकार के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भर्ती एवं प्रवेश प्रक्रियाओं में आरक्षण प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

संपर्क अधिकारी भारत सरकार के आरक्षण आदेशों के अनुपालन, आरक्षण रोस्टर के संधारण तथा निर्धारित प्रतिवेदनों को संबंधित प्राधिकरणों को समय पर प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करते हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से RGNAU अपने समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, समान अवसर तथा सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

## 11.24 उत्तर–पूर्व क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियाँ

### नॉर्थईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो 2025, शिलांग में सहभागिता

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (RGNAU) ने 27 से 30 अक्टूबर 2025 के दौरान शिलांग में आयोजित नॉर्थईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो 2025 में सहभागिता की। यह आयोजन भारत के उत्तर–पूर्वी राज्यों में नवाचार, अनुसंधान एवं तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने वाला एक प्रमुख मंच था। इस एक्सपो में विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सरकारी एजेंसियों, उद्योग भागीदारों, स्टार्ट-अप्स तथा युवा नवप्रवर्तकों ने भाग लिया और क्षेत्रीय आकांक्षाओं एवं राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप समाधान प्रस्तुत किए।

यह आयोजन केवल एक पारंपरिक प्रदर्शनी तक सीमित न होकर एक सक्रिय एवं संवादात्मक मंच के रूप में उभरा, जहाँ वैज्ञानिक विचारों का व्यावहारिक अनुप्रयोगों में रूपांतरण देखने को मिला। सतत प्रौद्योगिकियाँ, जलवायु सहनशीलता, डिजिटल परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा स्वदेशी ज्ञान प्रणालियाँ जैसे विषय इस एक्सपो के प्रमुख केंद्र रहे, जो क्षेत्र की अपनी विकास यात्रा को आकार देने की

बढ़ती आत्मविश्वासपूर्ण भूमिका तथा नवाचार के केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाते हैं।

RGNAU के स्टॉल का केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के अनेक गणमान्य प्रतिनिधियों ने अवलोकन किया। विश्वविद्यालय ने उनके समक्ष अपनी संस्थागत विरासत, शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा विमानन अध्ययन के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान बनने की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की। मेघालय के विभिन्न विद्यालयों से आए विद्यार्थियों ने भी RGNAU की टीम से संवाद किया और विमानन क्षेत्र में करियर बनाने में गहरी रुचि व्यक्त की।

एक्सपो के दौरान मेघालय सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव श्री कुंबामुतलांग नोंगब्री के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय ने शिलांग में अपनी संस्थागत उपस्थिति के विस्तार की आकांक्षा साझा की।

# 12. पवन हंस लिमिटेड

## 12.1 संगठन

पवन हंस लिमिटेड का गठन अक्टूबर, 1985 में (पूर्व नाम हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड') नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य तेल एवं गैस क्षेत्र को अपतटीय अन्वेषण में हेलीकॉप्टर सहायता सेवाएँ प्रदान करना, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में संचालन करना, यात्रा एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु चार्टर उड़ानें उपलब्ध कराना, AME एवं पायलटों के लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना, सी-प्लेन का संचालन करना तथा सुरक्षा ऑडिट एवं उत्कृष्टता के लिए विशेषीकृत संस्थान की स्थापना करना और हेलीपोर्ट एवं हेलिपैड जैसे अवसंरचना का विकास करना है। पवन हंस का पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय नोएडा में स्थित है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई और नई दिल्ली में हैं।

पवन हंस के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य 4 अंशकालिक निदेशक शामिल हैं। ये अंशकालिक निदेशक 04 सरकारी नामित निदेशक हैं, अर्थात् संयुक्त सचिव-, JS&FA-MoCA, महाप्रबंधक (M), ONGC तथा ACAS (T&H)-भारतीय वायु सेना।

## 12.2 पूंजी संरचना

कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी 560 करोड़ रुपये और 557.482 करोड़ रुपये क्रमशः भारत के राष्ट्रपति और ONGC लिमिटेड की शेयरधारिता का अनुपात 51:49

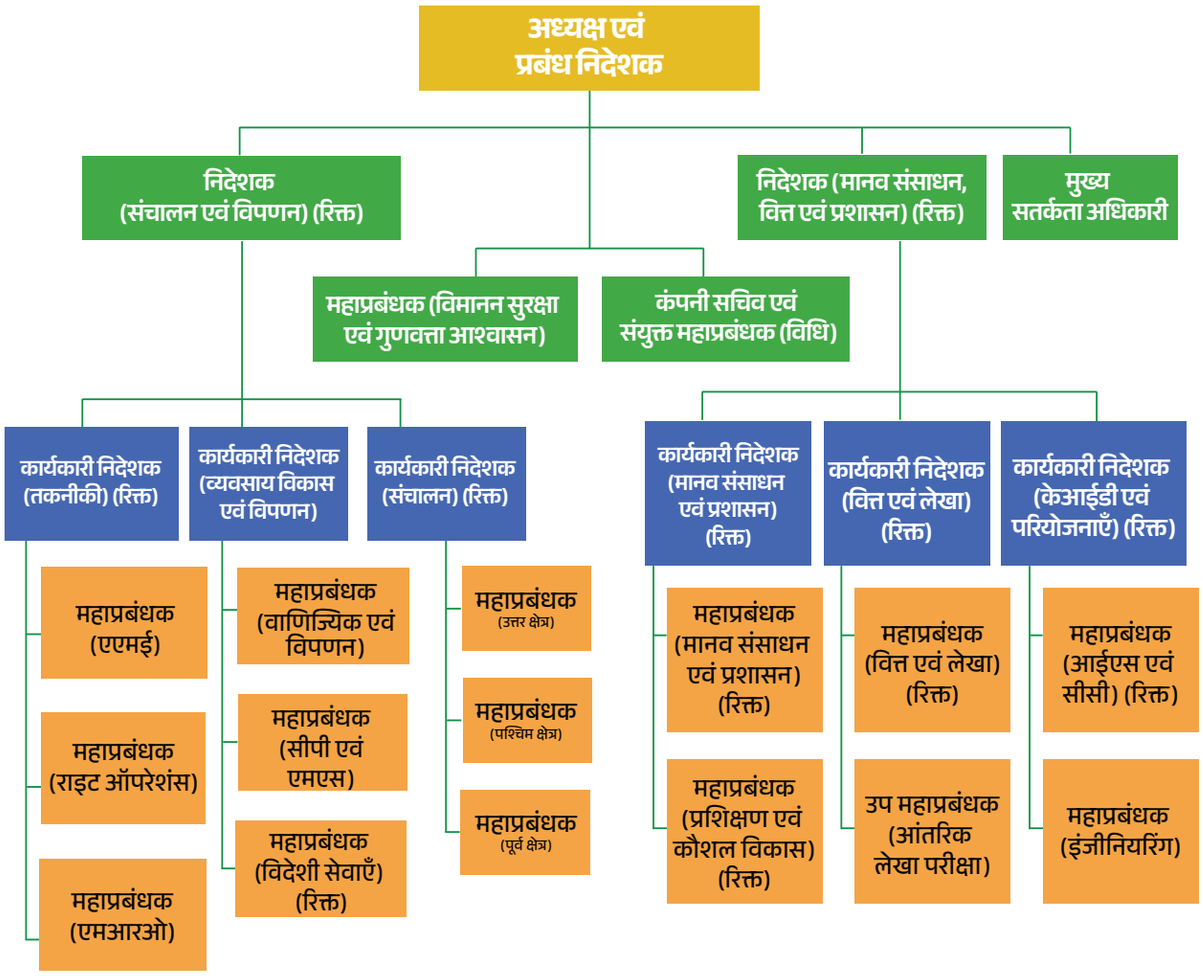

है। 31.03.2025 को PHL की निवल संपत्ति रु. 864.18 करोड़. PHL के इक्विटी शेयरों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की डिपॉजिटरी प्रणाली में स्वीकार किया गया है, जिससे कंपनी के शेयरधारकों को अपने शेयर प्रमाणपत्रों को डीमैटरियलाइज करने में सक्षम बनाया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा PHL में 10,000/- रुपये के 2,84,309 इक्विटी शेयरों को शामिल करते हुए भारत के राष्ट्रपति की पूरी शेयरधारिता को अमूर्त कर दिया गया है।

## 12.3 फ्लीट प्रोफाइल

पवन हंस एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों में से एक है, जिसके पास 46 हेलीकॉप्टरों का एक संतुलित स्वामित्वयुक्त परिचालन बेड़ा है, जिसमें पट्टे पर लिए गए 01 ALH ध्रुव तथा 04 सिकॉर्स्की S-76D हेलीकॉप्टर शामिल हैं, और इसकी उपस्थिति पूरे भारत में है।31.12.2025 तक कंपनी के परिचालन बेड़े में निम्नलिखित शामिल हैं:

| हेलीकॉप्टर का प्रकार | हेलीकॉप्टरों की संख्या |
|---|---|
| डॉफिन SA365N | 17* |
| डॉफिन AS365 N3 | 14 |
| बेल-407 | 3 |
| बेल 206L4 | 2 |
| AS 350 B3 | 2 |
| MI-172 | 3 |
| ध्रुव (पट्टे पर) | 1 |
| सिकॉर्स्की S-76D (पट्टे पर) | 04 |
| **कुल** | **46** |

* चार डॉफिन SA365N हेलीकॉप्टर 33 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जो अप्रचलन के कारण लंबे समय से खड़े थे, इनको बोर्ड द्वारा "अक्षम परिसंपत्ति" के रूप में अनुमोदित किया गया है। इन 4 हेलीकॉप्टरों में से 2 हेलीकॉप्टरों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है (VT-ELR और VT-ELQ) । शेष 2 हेलीकॉप्टरों (VT-ELK और VT-ENX) का पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए, प्रभावी परिचालन बेड़े में केवल 42 हेलीकॉप्टर शामिल हैं।

## 12.4 बेड़े की तैनाती

• **अपतटीय संचालन:** पवन हंस ONGC के अपतटीय संचालन के लिए हेलीकॉप्टर परिवहन सेवाएं प्रदान कर रहा है, जो अपने मानवीय और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति को चौबीसों घंटे "बॉम्बे हाई" अपतटीय प्लेटफार्मों में स्थित ड्रिलिंग रिग तक ले जा रहा है।

पवन हंस लिमिटेड (PHL) ने चालक दल परिवर्तन कार्यों का समर्थन करने के लिए चार ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टरों (ALH) की चार्टर हायरिंग के लिए ONGC से नोटीफिकेसन आफ अवार्ड (NOA) हासिल करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। यह प्रतिष्ठित अनुबंध चार हेलीकॉप्टर के लिए 10 साल की अवधि तक है, जो अपतटीय विमानन सेवाओं में ONGC के साथ PHL की मजबूत क्षमताओं और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को दर्शाता है। इसके अलावा, PHL को 1 साल के लिए 3 हेलीकॉप्टरों के लिए ONGC द्वारा एक और अनुबंध से अवार्ड किया गया है।

हेलीकॉप्टर संचालन में अपनी नेतृत्व क्षमता को और मजबूत करते हुए, PHL ने ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) के लिए पोर्ट ब्लेयर में 2 S-76D और 1 डॉफिन N3 हेलीकॉप्टर तैनात किए। पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) में तैनात ये हेलीकॉप्टर अपतटीय रसद और चिकित्सा निकासी संचालन के लिए समर्पित हैं, जो क्षेत्र में महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी और आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को बढ़ाते हैं। PHL ने OIL के साथ कोचीन में एक सिकोरस्की S-76D हेलीकॉप्टर की तैनाती के लिए एक अनुबंध भी किया है। कंपनी मुंबई में मेसर्स हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड को हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रदान कर रही है।

अपतटीय लॉजिस्टिक्स और मेडीवैक संचालन, क्षेत्र में महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी और आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को बढ़ाना PHL के उद्देश्यो में शामिल है। PHL ने कोचीन में एक सिकोरस्की S-76D हेलीकॉप्टर की तैनाती के लिए OIL के साथ एक अनुबंध भी किया है। कंपनी मुंबई में मेसर्स हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड को हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रदान कर रही है।

• **स्थलीय संचालन:** कंपनी कई राज्य सरकारों अर्थात् मिजोरम, महाराष्ट्र, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन और चार्टर सेवाओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान कर रही है।

• **यात्री सेवाएं :** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पवन हंस ने आवश्यक हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करना जारी रखा, जिससे प्रमुख तीर्थस्थल और क्षेत्रीय गंतव्यों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ गई। मई-जून और सितंबर-अक्टूबर के मौसम के दौरान फाटा से केदारनाथ के पवित्र तीर्थस्थल के लिए नियमित

उड़ानें संचालित हुईं। इसके अलावा, श्री हेमकुंड साहिब के लिए गोविंदघाट से घघरिया तक हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की गईं। UCADA UACS योजना के तहत, PHL ने दो नेटवर्क संचालित किए, जो सहस्त्रधारा (देहरादून) से गौचर और जोशीयारा तक यात्री सेवाएं प्रदान करते हैं। विशेष कुंभ जॉयराइड्स भी जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान आयोजित किए गए, जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और सुलभ हवाई यात्रा के लिए पवन हंस की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

## 12.5 वित्तीय उपलब्धि

राशि लाखों में

| विवरण | 2024-25 (लेखापरीक्षित) राशि | 2023-24 (लेखापरीक्षित) राशि |
|---|---|---|
| क ) परिचालन से राजस्व | 36962.53 | 38812.40 |
| ख ) अन्य आय | 1192.87 | 5513.09 |
| ग ) कुल आय | 38155.40 | 44325.49 |
| घ) परिचालन व्यय<br><br>i) हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय | 11109.78 | 12696.84 |
| ii) कर्मचारी लाभ व्यय | 15108.14 | 15733.84 |
| iii) मूल्यह्रास एवं अमोर्टाइजेशन व्यय | 8742.98 | 11169.88 |
| iv) अन्य व्यय | 5141.91 | 5997.80 |
| कुल | 40622.08 | 46196.75 |
| ड) अपवादात्मक मदों से पूर्व लाभ/(हानि) | (2466.68) | (1871.26) |
| च ) कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) | (2466.68) | (1871.26) |
| छ) | | |
| (i) आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं) | | |
| (ii) कराधान का प्रावधान। | - | 300.00 |
| iii) पहले के वर्ष के लिए कर का प्रावधान | - | 67.17 |
| ज) बाद की अवधि में लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाने वाली अन्य व्यापक आय | 86.18 | 181.37 |
| (i) उपरोक्त पर शुद्ध लाभ/हानि | 28.77 | 56.59 |
| (ii) उपर्युक्त पर कर प्रभाव | | |

राशि लाखों में

| विवरण | 2024-25 (लेखापरीक्षित) राशि | 2023-24 (लेखापरीक्षित) राशि |
|---|---|---|
| कुल व्यापक आय | (1601.41) | (1615.05) |
| कुल संपत्ति | 86417.99 | 88019.39 |

### लाभांश

CPSE में पूंजी प्रबंधन और लाभांश की निगरानी समिति (CMCDC) ने 19.09.2024 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी को वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए किसी भी लाभांश के भुगतान से छूट दी है।

## 12.6 नई पहलें

पवन हंस लिमिटेड (PHL) ने क्रमशः 2019 और 2020 में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवाएं सफलतापूर्वक शुरू की है। इस गति को बनाए रखते हुये, PHL ने 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 के दौरान नए मार्गों को जोड़कर अपने नेटवर्क का लगातार विस्तार किया है। 2023 और 2024 में असम और मणिपुर के लिए अपनी क्षेत्रीय संपर्क पहलों को और मजबूत करना, दूरदराज के और कम सेवा वाले क्षेत्रों में पहुंच में सुधार करना। भविष्य की ओर देखते हुए, PHL ने अपने उत्तराखंड संचालन को पंतनगर और नैनीताल तक विस्तारित करने और हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़ से संजोली, रामपुर, रेकोंग पीओ और मनाली के साथ-साथ दीमापुर से मोकोकचुंग, तुएनसांग, कोहिमा, फेक, ज़ुन्हेबोटो और जोरहाट तक एकल-इंजन संचालन को संचालित करने की योजना बनाई है, जो रणनीतिक क्षेत्रों में सम्पर्क को और बढ़ाता है।

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) संचालन में अग्रणी पवन हंस - नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख पहल - को पुणे में आयोजित 7वें हेली-शिखर सम्मेलन के दौरान उड़ान 5.4 और 5.5 के तहत नया RCS नेटवर्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

इन प्रदान किए गए नए मार्गों से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में अंतिम मील की कनेक्टिविटी में काफी वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क और पहुंच को और मजबूत किया जा सकेगा।

पवन हंस लिमिटेड को विमानन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन और यात्रा पुरस्कार (ITCTA) II के 10वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर

सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया।

## 12.7 प्रदूषण नियंत्रण

प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, पवन हंस लिमिटेड (PHL) हरित आवरण को बढ़ाने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए नोएडा, दिल्ली और मुंबई स्थित अपने कार्यालय परिसर में नियमित रूप से वृक्षारोपण गतिविधियां करती है।

"स्वच्छता ही सेवा" पहल के तहत, PHL ने सामूहिक रूप से कई वृक्षारोपण अभियानों के माध्यम से 200 से अधिक पौधे लगाए, जिसमें नोएडा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से नोएडा में 100 पौधों का रोपण और महाप्रबंधक (पश्चिमी क्षेत्र) के मार्गदर्शन में PHL - पश्चिमी

क्षेत्र द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी के साथ रोपण गतिविधियां शामिल थीं।

15 अक्टूबर, 2025 को PHL के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर, अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी

के साथ PHL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री संजीव राजदान के नेतृत्व में, "एक पेड़ माँ के नाम" पहल के तहत सेक्टर-6, नोएडा में एक वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया था। रोहिणी हेलिपोर्ट में 41वां स्थापना दिवस भी मनाया गया, जहां महाप्रबंधक (उत्तरी क्षेत्र) ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पवन हंस का झंडा फहराया और पौधे लगाए।

PHL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री संजीव राजदान के नेतृत्व में की गई ये गतिविधियां पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए PHL की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं।

## 12.8 महिला कल्याण

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण के लिए एक समिति है। पोश (POSH) विशेषज्ञों के माध्यम से सभी महिला कर्मचारियों को नियमित रूप से यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में कार्यस्थल पर जागरूक किया जाता है। संगठन में विभिन्न पहल/प्रतियोगिता/महिला दिवस समारोह आयोजित किए जा रहे हैं।

## 12.9 लोक शिकायत निवारण मशीनरी में सुधार के लिए उठाए गए कदम

प्राप्त शिकायतों का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जा रहा है। PHL के पास किसी भी सार्वजनिक शिकायत के समाधान के लिए CPGRAMS सहित एक अच्छी तरह से परिभाषित सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रक्रिया है। इसके अलावा, एक सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है, जिसमें प्रधान कार्यालय में एक नोडल

अधिकारी और क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत अधिकारी हैं जो शिकायतों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करते हैं। यात्रियों की और सहायता के लिए, PHL ने यात्री शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए एक समर्पित टोल-फ्री नंबर स्थापित किया है।

## 12.10 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व। ( दिनांक 31.12.2025 तक)

| श्रेणी | कर्मचारियों की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 40 | 21.98 |
| अनुसूचित जनजाति | 16 | 8.79 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 27 | 14.84 |
| दिव्यांग | 1 | 0.55 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 0 | 0 |
| कुल | 182 | 100 |

## 12.11 मानव संसाधन विकास

दिनांक 31 दिसंबर, 2025 को कंपनी की कुल जनशक्ति 515 (182 स्थायी कर्मचारियों और 333 संविदात्मक कर्मचारी शामिल है), जिसमें 76 पायलट, 86 विमान रखरखाव इंजीनियर, 69 अधिकारी, 133 तकनीशियन और 151 अन्य तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं, जोकि 31 मार्च, 2024 को 558 थी।

## 12.12 पूर्वोत्तर में हेलीकॉप्टर सेवाएं

पवन हंस लिमिटेड उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मिजोरम नामक कई राज्य सरकारों को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान कर रहा है। पवन हंस लिमिटेड ने असम में RCS योजना (सप्ताह में 3 दिन) के तहत - डिब्रूगढ़-जोरहाट-तेजपुर-गुवाहाट-तेजपुर: जोरहाट-डिब्रूगढ़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शुरू की हैं। इसके अलावा, RCS योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवाएं भी मार्च, 2024 के पूर्व-इम्फाल से तामेंगलांग और जिरिबाम महीने में मणिपुर में शुरू की गई हैं। इसके अलावा PHL नगालंग पूर्व दीमापुर में RCS उड़ान के तहत मोकोकचुंग, तुएनसांग, फेक, जोरहाट, जुन्हेबोटो और कोहिमा और

मिजोरम पूर्व मौलपुई से सिलचर, लॉंगटलाई, चंपौई और चुराचांदपुर में सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है।

## 12.13 दिव्यांगजनों को सुविधाएं

भारत सरकार द्वारा भर्ती में छूट देने के लिए दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के अलावा, पवन हंस लिमिटेड ने अपने प्रधान कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में दिव्यांगजनों के लिए शौचालय, रैंप, लिफ्ट, व्हील चेयर आदि जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और दिल्ली के सेक्टर 36 में रोहिणी हेलीपोर्ट पर दिव्यांगजनों (PwD) को विभिन्न भवनों के बीच आने-जाने के लिए ई-रिक्शा की सुविधा भी प्रदान की गई है।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप, PwD कर्मचारियों को दिनांक 10/06/2020 से अन्य कर्मचारियों की तुलना में दोगुनी दर पर अतिरिक्त यात्रा भत्ते का भुगतान किया गया है।

## 12.14 सतर्कता गतिविधियां

कंपनी के पास मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में एक स्थापित सतर्कता विभाग है। विभाग सतर्कता के निवारक, दंडात्मक और सहभागी कार्यों के अलावा निगरानी और जांच कार्यों का भी सक्रिय रूप से निर्वहन कर रहा है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के दिशानिर्देशों के अनुरूप, खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सत्यनिष्ठा समझौता अपनाया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने ई-टेंडरिंग, ई-टिकटिंग, ई-भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करके प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है।

निरंतर निगरानी, वार्षिक संपत्ति रिटर्न की जांच और समय पर जांच के माध्यम से, सतर्कता विभाग ने निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों के पालन को प्रोत्साहित किया है, जिससे संगठनात्मक अनुशासन में वृद्धि हुई है, ईमानदार और मेहनती कर्मचारियों का मनोबल बढ़ है।

समीक्षा अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग ने कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच की और कंपनी के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन को आवश्यक प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश की।

इसके अतिरिक्त, सतर्कता विभाग ने संगठन में मौजूदा प्रक्रियाओं और परिपाटियों में सुधार और सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से निवारक सतर्कता पहलों के हिस्से के रूप में विभिन्न विभाग और क्षेत्रों का आवधिक निरीक्षण किया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह (VAW) 2025 से पहले तीन महीने के सतर्कता अभियान के दौरान, पवन हंस लिमिटेड (PHL) ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार, सभी इकाइयों में पारदर्शिता, नैतिक आचरण और निवारक सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल लागू कीं। कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए प्रधान कार्यालय से परिपत्र जारी किए गए थे, सतर्कता से संबंधित विषयों पर विशेष मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए दो अधिकारियों को नामित किया गया था, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा विशेषज्ञ व्याख्यान हाइब्रिड मोड में आयोजित किए गए थे, ताकि जांच, चार्जशीट ड्राफ्टिंग, रिपोर्ट लेखन और CTE-टाईप की परीक्षाओं पर ज्ञान को मजबूत किया जा सके, जिसमें प्रधान कार्यालय, क्षेत्रों और आधारों के अधिकारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों ने नैतिकता, सुशासन और जवाबदेही पर सीखने को सुदृढ़ करने के लिए iGoT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल भी पूरा किया।

CVC के निर्देशों पर, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक "सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी" / "Vigilance: Our Shared Responsibility" विषय के साथ मनाया गया। संगठन-व्यापी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, प्रधान कार्यालय में सीएमडी और क्षेत्रीय प्रमुखों द्वारा अपने-अपने स्थानों पर सत्यनिष्ठा की शपथ के साथ समारोह की शुरुआत हुई। बैनर और पोस्टर के प्रदर्शन और प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन प्रतियोगिताओं और वाद-विवादों के आयोजन के माध्यम से जागरूकता को और बढ़ाया गया, जिसमें उत्साहजनक भागीदारी देखी गई और सामूहिक रूप से PHL के भीतर सतर्कता संस्कृति को मजबूत करने में योगदान दिया।

## 12.15 राजभाषा का प्रयोग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने हिंदी दिवस/पखवाड़ा मनाकर, हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करके और हिंदी पखवाड़ा (14 - 28 सितंबर, 2025) के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मौद्रिक प्रोत्साहन देकर सरकार की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति

की है। - राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) और अन्य प्रावधानों के साथ-साथ राजभाषा नियम, 1976 के तहत भी प्रावधान। इस हिंदी पखवाड़े के दौरान पवन हंस लिमिटेड को हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट कार्य के लिए नागर विमानन मंत्रालय से तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा, कुछ PHL कर्मचारियों ने गेल इंडिया लिमिटेड और PFC लिमिटेड द्वारा क्रमशः आयोजित 'भाषण प्रतियोगिता' और 'प्रशांत शब्द' में भाग लिया और उसमें पुरस्कार जीतकर संगठन की सराहना की।

## 12.16 नागरिक चार्टर/वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

कंपनी ने नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपनी वेबसाइट पर नागरिक चार्टर प्रकाशित किया है। पवन हंस हेलीकॉप्टर संचालन के दौरान जहां भी आवश्यक हो, उन्हें सहायता प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की देखभाल कर रहा है।

# 13. मंत्रालय में लेखा संगठन

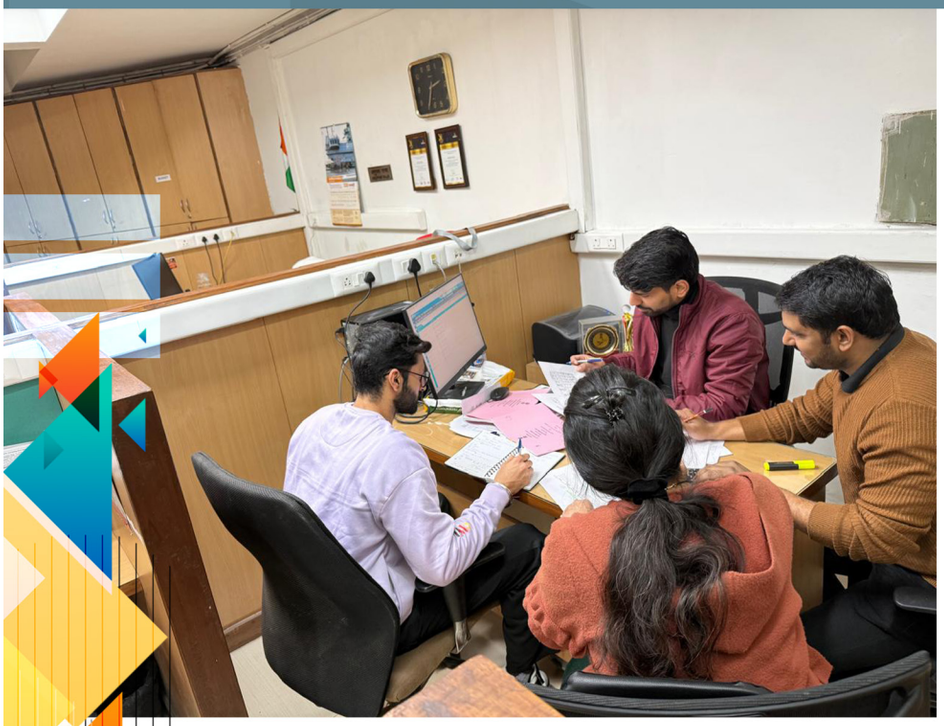

## 13.1 परिचय

सचिव (नागर विमानन) नागर विमानन मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। वे संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (JS&FA) तथा मंत्रालय के मुख्य वित्तीय नियंत्रक के सहयोग से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। मुख्य वित्तीय नियंत्रक, लेखाकंन संगठन के "विभागाध्यक्ष" हैं तथा वित्तीय सलाहकार के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करते हैं।

सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.3 के अनुसार मुख्य लेखा प्राधिकारी की ओर से मुख्य वित्त नियंत्रक, मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:- (क) सभी भुगतानों को वेतन एवं लेखा कार्यालय/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से व्यवस्थित करना, सिवाय उन मामलों के जहां आहरण एवं संवितरण अधिकारी कुछ निश्चित प्रकार के भुगतान करने के लिए अधिकृत हैं।

(ख) मंत्रालय के लेखों का संकलन और समेकन करना तथा निर्धारित प्रपत्र में उन्हें महालेखानियंत्रक को प्रस्तुत करना, अपने मंत्रालय की अनुदान की मांगों के वार्षिक विनियोग लेखों को तैयार करना, उनका विधिवत् लेखापरीक्षण करवाना तथा मुख्य लेखा प्राधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित करके महालेखानियंत्रक को प्रस्तुत करना।

(ग) मंत्रालय के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों और भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित भुगतान और लेखा अभिलेखों के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना।

लेखा संगठन में प्रधान लेखा कार्यालय, पांच भुगतान एवं लेखा कार्यालय (दिल्ली में दो तथा मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में एक-एक) और नई दिल्ली स्थित एक आंतरिक लेखापरीक्षा विंग शामिल हैं।

(i) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नागर विमानन मंत्रालय हेतु बजटीय प्रावधान निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

| | |
|---|---|
| राजस्व खण्ड | 2330.31 |
| पूंजी खण्ड | 70.00 |
| कुल | 2400.31 |

(ii) वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के लिए बजटीय प्रावधान निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

| | |
|---|---|
| राजस्व खण्ड | 2057.87 |
| पूंजी खण्ड | 45.00 |
| कुल | 2102.87 |

## 13.2 प्रधान लेखा कार्यालय

नागर विमानन मंत्रालय का प्रधान लेखा कार्यालय मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है:

- सिविल लेखा मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार और महालेखानियंत्रक द्वारा निर्धारित तरीके से नागर विमानन मंत्रालय के लेखों का समेकन ।
- नागर विमानन मंत्रालय के मासिक लेखा और अनुदान मांगों के वार्षिक विनियोग लेखा तैयार करना, महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय को केंद्रीय लेन-देन का विवरण और वित्त लेखा हेतु सामग्री प्रस्तुत करना।
- विदेश मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसे विभिन्न एजेंट मंत्रालयों को अंतर-विभागीय प्राधिकार जारी करना।
- भुगतान एवं लेखा कार्यालय को तकनीकी सलाह प्रदान करना और लेखांकन मामलों में समग्र समन्वयन एवं नियंत्रण के लिए महालेखानियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना।
- प्राप्ति बजट एवं पेंशन बजट तैयार करना।
- PFMS,NTR और CNS/SNA मॉड्यूल के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों का समन्वयन।

## 13.3 भुगतान एवं लेखा कार्यालय

नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत भुगतान एवं लेखा कार्यालय निधियां जारी करने, व्यय नियंत्रण और अन्य प्राप्तियों एवं भुगतान कार्यों के लिए जिम्मेदार है जो निम्नलिखित हैं :-

- मंत्रालय के गैर-चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (NCDDOs) द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों की पूर्व-जांच।
- चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (CDDOs) को “लेटर ऑफ क्रेडिट” जारी करने के माध्यम से एक

निश्चित स्तर तक संचालन के लिए निधियों का आवंटन। लखनऊ में मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त और बेंगलुरु, कोलकाता एवं मुंबई में रेल संरक्षा आयुक्त कार्यालय सहित चार CDDOs हैं।

- नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदान सहायता/इक्विटी जारी/भुगतान करना।
- चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (CDDO) के खातों के विधिवत मिलान और समावेशन के बाद एकत्रित प्राप्तियों और उनके द्वारा अधिकृत भुगतानों के आधार पर मासिक खाते का संकलन तथा उसे प्रधान लेखा कार्यालय में प्रस्तुत करना।
- सामान्य भविष्य निधि खातों का अनुरक्षण, तथा नई पेंशन योजना अंशदान को न्यासी बैंकों में विप्रेषित करना। आवक और जावक दावों का निपटान करना। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन, कंप्युटेशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि का अनुमोदन/भुगतान।
- सभी संबंधित प्राधिकरणों/प्रभागों को लेखांकन सूचना उपलब्ध कराना।
- DDS&R शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि की समीक्षा।

## 13.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई मुख्य वित्तीय नियंत्रक के अधीन कार्य करती है, जबकि समग्र उत्तरदायित्व मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार और सचिव का होता है। नागर विमानन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा विंग सामान है, जिसमें चार सहायक लेखा अधिकारियों और चार लेखाकारों/वरिष्ठ लेखाकारों के स्वीकृत पद हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन की भूमिका कार्यकारी कार्यालयों में बनाए गए प्रारंभिक खाते की जांच करना है ताकि लेखांकन और वित्तीय मामलों में नियमों और विनियमों, प्रणाली और प्रक्रिया के अनुप्रयोग की सीमा का पता लगाया जा सके। लेखापरीक्षा उद्देश्यों और आंतरिक लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा यादृच्छिक नमूनाकरण के सिद्धांत पर की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र व्यवस्था है और इसका उद्देश्य जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण स्थापित करके संगठन को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता प्रदान करना है। प्रधान लेखा कार्यालय, भुगतान और लेखा कार्यालय और साथ ही नागर विमानन मंत्रालय में आहरण और संवितरण अधिकारियों के कार्यालय आंतरिक लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र में हैं। इन कार्यालयों के अलावा आंतरिक लेखापरीक्षा विंग को स्वायत्त निकायों / अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों की लेखापरीक्षा करनी होती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के शेष पैराओं की स्थिति निम्नानुसार है:

| दिनांक 31.12.2025 तक कुल इकाइयाँ | दिनांक 31.12.2025 तक शेष पैरा |
|---|---|
| 64 | 530 |

## 13.5 शिकायतों का निवारण:

प्रधान लेखा कार्यालय को मुख्य रूप से पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों और CPGRAM पोर्टल से शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, मेल/पोस्ट के माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। अधिकांश शिकायतें पेंशन लाभ जारी करने से संबंधित होती हैं। ऐसी शिकायतों को कम करने के लिए प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

## 13.6 भुगतान और रसीद के डिज़िटाइज़ेशन के लिए पहल:

वित्त मंत्रालय और महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, नागर विमानन मंत्रालय के लेखा संगठन ने क्रियान्वयन एजेंसी स्तर तक लेखांकन कार्य में समग्र सुधार और पारदर्शिता हेतु सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) को पूर्ण रूप से लागू करके भुगतान संवितरण प्लेटफ़ार्म का संचालन पूर्ण रूप से प्रारंभ कर दिया है।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा में CGA कार्यालय से इलेक्ट्रॉनिक बिलों के लिए ई-बिल सुविधा शुरू की गई है। यह ई-बिल नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत सभी वेतन और लेखा कार्यालयों में लागू किया गया है तथा ई-बिल मॉड्यूल से बिलों को प्रोसेस किया गया है।

## 13.7 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि की निगरानी करने के लिए ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन सूचना और निर्णय सहायता प्रणाली स्थापित करना है।

PFMS, निधि स्थानांतरण के लिए केंद्रीकृत और पूर्ण रूप से

प्रचालित IT एप्लीकेशन है, जो "समय पर बजट विमोचन" की सुविधा प्रदान करने और अंतिम स्तर के लाभार्थियों तक निधि के उपयोग की पूरी निगरानी करने में सक्षम है। वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसार स्वायत्त निकायों/ अनुदान प्राप्त संस्थानों से भी अनुरोध किया जाता है कि वे CNS/ SNA मॉड्यूल के माध्यम से पीएफएमएस का संचालन करें।

मंत्रालय में PAO, CDDO, NCDDO की स्थिति निम्नानुसार है:

| PAOs की संख्या | CDDOs की संख्या | NCDDOs की संख्या |
|---|---|---|
| 05 | 04 | 50 |

सभी PAO और DDO ने PFMS को अपना लिया है और इसके EIS मॉड्यूल को लागू कर दिया है। सभी संबंधित रिपोर्ट PFMS के माध्यम से तैयार की जा रही हैं।

## 13.8 गैर कर रसीद पोर्टल (NTRP)

महालेखा नियंत्रक द्वारा विकसित गैर-कर रसीद पोर्टल, मैनुअल प्रणाली की देरी और अक्षमताओं को दूर करने का व्यापक समाधान है। डिजिटल इंडिया पहल के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सभी गैर-कर राजस्व रसीदों को एकत्र करने के लिए भारतकोश के तहत NTR पोर्टल के उपयोग को सार्वभौमिक बना दिया है। इसके अनुपालन में, मंत्रालय को अब NTR पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे भारतकोष के माध्यम से राजस्व रसीदों की ऑनलाइन छूट की सुविधा मिल रही है। सभी शुल्क, लाभांश, गारंटी शुल्क, आदि अब NTRP के माध्यम से निष्पादित हो रहे हैं। दिनांक 31.12.2025 तक NTRP के माध्यम से 2559.83 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

# 14. महिला कल्याण

Methodology to Deal with the
Complaint of Sex
Harassment at Work

Lesser pain, faster recovery
with our robotic surgical program

## 14.1 प्रस्तावना

नागर विमानन मंत्रालय ने महिलाओं के कल्याण के लिए तथा स्टाफ की महिला सदस्यों को सुविधाजनक एवं परेशानी रहित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त कदम उठाए हैं। नागर विमानन मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच करने और ऐसे उत्पीड़न को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। मंत्रालय और इसके संगठनों में महिला कल्याण की स्थिति /यौन उत्पीड़न के मामलों की आवधिक रूप से निगरानी की जाती है और जहां अपेक्षित हो, आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

## 14.2 नागर विमानन महानिदेशालय

DGCA में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें महिलाओं और पुरुषों, दोनों को इस विषय पर जानकारी दी गई।

## 14.3 रेल संरक्षा आयोग

रेलवे संरक्षा आयोग के कार्यालय सामान्यता स्थानीय रेलवे कार्यालय परिसर में स्थित होते हैं। वहां उपलब्ध सुविधाएं जैसे प्रसाधन, क्रेच, टिफिन रूम आदि का लाभ आयोग की महिला कर्मचारियों को भी प्राप्त हैं। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है।

## 14.4 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

भर्ती कार्यकलापों में महिलाओं की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) अपनी सभी भर्ती गतिविधियों में महिला उम्मीदवारों से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लेता है। महिला कर्मचारियों को अधिक सहायक वातावरण प्रदान करने के निरंतर प्रयास में AAI के प्रबंधन ने IVF सहित सरोगेसी के मामले में अपनी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का निर्णय लिया है।

AAI में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अकेली महिला कर्मचारियों के लिए हॉस्टल आवास का प्रावधान शुरू किया गया है।

## 14.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (IGRUA) में तेरह महिला कर्मचारी (1 नियमित + 12 संविदागत) हैं और उनके कल्याण संबंधी कार्य सामान्य प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से किए जाते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की देखरेख एवं समाधान के लिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित की गई है।

## 14.6 पवन हंस लिमिटेड

कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तथा उसके अधीन निर्मित्त नियमों के अंतर्गत कंपनी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण समिति का गठन किया गया है। सभी महिला कर्मचारियों को PoSH विशेषज्ञों के माध्यम से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम के संबंध में नियमित रूप से जागरूक किया जाता है । संगठन में विभिन्न पहल/प्रतियोगिताएँ/ महिला दिवस समारोह आयोजित किए जा रहे हैं।

## 14.7 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) में 28 महिला कर्मचारी हैं, जिनमें केंद्र सरकार और अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी/कर्मचारी और आउटसोर्स आधार पर कार्य करने वाले सहायक कर्मचारी शामिल हैं। कार्यालय परिसर में महिला कल्याण के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं, जैसे चिकित्सा आपात स्थिति या कार्य की आकस्मिकताओं के कारण कार्यालय में जल्दी आगमन/देर से प्रस्थान के मामले में घर से लाने/ घर से छोड़ने के लिए परिवहन/वाहन का प्रावधान; स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर बातचीत का आयोजन; महिला प्रासाधनों में समर्पित महिला हाउसकीपिंग कर्मचारी आदि।

## 14.8 राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर (शैक्षणिक एवं आवासीय, दोनों) में छात्राओं एवं महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन किया है। आईसीसी के व्यापक दायित्वों में विश्वविद्यालय परिसर में लैंगिक संवेदनशीलता एवं लैंगिक न्याय के मूल सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन पर संज्ञान लेना तथा आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करना शामिल है। विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों सहित सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध हो।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक (UG) एवं स्नातकोत्तर (PG) कार्यक्रमों में अध्ययनरत छात्राओं को 10 प्रतिशत शिक्षण शुल्क में रियायत प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय ने समाज के वंचित एवं हाशिए पर स्थित वर्गों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए समान अवसर केंद्र (Equal Opportunity Centre) की एक सलाहकार समिति का भी गठन किया है।

छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, छात्रावास को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसके लिए लड़कियों और लड़कों के छात्रावास क्षेत्र में विभाजन बनाया गया है। साथ ही, छात्रावास ब्लॉक में छात्राओं की सुरक्षा के लिए cctv कैमरा, सहायक महिला वार्डेन और महिला सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की गई है।

दिनांक15 मार्च 2025 को विश्वविध्यालय ने अपने परिसर में 50 वां अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जो महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की वकालत में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस कार्यक्रम में छात्रों,कर्मचारियों और संघाय सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाने के लिए एक जुट होकर भाग लिया।

इस अवसर पर RGNAU के कुलपति प्रो. भृगु नाथ सिंह का प्रेरणादायी संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, “आज हम समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। महिला सशक्तिकरण केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारे सामूहिक विकास की अनिवार्य आवश्यकता है। RGNAU में हम ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहाँ महिलाएँ आगे बढ़ सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें।”

इस कार्यक्रम के अंतर्गत लैंगिक समानता एवं महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं। प्रतिभागियों ने विचार–विमर्श एवं कार्यशालाओं में सहभागिता की, जिनमें महिलाओं के समक्ष उपस्थित चुनौतियों तथा उन्हें दूर करने की रणनीतियों पर केंद्रित चर्चा की गई। यह आयोजन महिलाओं के लिए सहायक एवं समावेशी वातावरण के निर्माण के प्रति RGNAU की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है तथा अकादमिक क्षेत्र सहित जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करता है।

## 14.9 AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड

कंपनी विशेष का ख्याल रखती है कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की आवश्यकताएँ, जिसमें सुरक्षित कार्य वातावरण, छुट्टियां शामिल हैं और अन्य सुविधाएं। के प्रावधानों के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (प्रस्तुति, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम कंपनी के पास एक आंतरिक शिकायत है रोकथाम, निषेध हेतु समिति (ICC) और यौन उत्पीड़न का निवारणकार्यस्थल. कंपनी ने POSH का संचालन किया है ICC के सदस्यों का प्रशिक्षण सत्र 13 नवंबर 2025 को कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां।

## 14.10 AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की उपस्थिति है 91 हवाई अड्डों पर और मैदान की व्यवस्था करता है अतिरिक्त 32 हवाई अड्डों पर हैंडलिंग सेवाएं अनुरोध पर. बहुत बड़ी आवश्यकता है अकुशल और अर्ध-कुशल कर्मचारियों की यानी अप्रेंटिस और यूटिलिटी एजेंट सह रैंप चालक. अत्यधिक श्रम-गहन को छोड़कर अप्रेंटिस, यूटिलिटी एजेंट सह जैसी नौकरियां रैम्प ड्राइवर, महिला प्रतिनिधित्व है समान अवसर प्रदान करके सुनिश्चित किया गया ग्राहक जैसे अन्य शेष प्रोफाइल में सेवा कार्यकारी, कनिष्ठ अधिकारी-यात्री, ड्यूटी अधिकारी, ड्यूटी मैनेजर, उप. टर्मिनल प्रबंधक, टर्मिनल प्रबंधक, आदि में पुरुष एवं महिला प्रतिनिधित्व का विवरण संगठन को यहां नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

| कुल स्टाफ लगे हुए हैं | पुरूष | महिला |
|---|---|---|
| 20233 | 17,144 | 3,089 |
| **एयर इंडिया से कर्मचारियों का स्थानांतरण** | **पुरूष** | **महिला** |
| 478 | 476 | 2 |

कंपनी महिला कर्मचारियों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखती है कार्यस्थल, जिसमें सुरक्षित कार्य वातावरण, शौचालय, छुट्टी और अन्य लाभ शामिल हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक तंत्र है, जिसे AIASL में लागू किया गया है। शिकायतों की जाँच एवं रोकथाम के लिए शिकायत समितियाँ महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न AIASL का गठन किया गया है कॉर्पोरेट स्तर ।

## 14.11 AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

AIESL यह सुनिश्चित करता है कि महिला कर्मचारियों की चिंताओं पर उचित ध्यान दिया जाए और दिया भी जाए भारत की संबंधित सरकार के अनुसार, समयबद्ध तरीके से संबोधित किया गया । कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को संभालने के लिए एक वैधानिक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) मौजूद है। समिति में शामिल हैं एक पीठासीन अधिकारी, डीजीएम/सीनियर में वरिष्ठ प्रबंधन प्रतिनिधि। एजीएम स्तर और एक मान्यता प्राप्त एनजीओ से एक बाहरी सदस्य।

सहायक कार्य वातावरण को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, क्रेच सुविधाएं प्रदान की गई हैं उत्तरी क्षेत्र में एवियोनिक्स कॉम्प्लेक्स जैसे प्रमुख स्थानों पर प्रदान किया गया (दिल्ली), पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता), और दक्षिणी क्षेत्र (हैदराबाद)। महिला कर्मचारियों को परिवहन सहित अतिरिक्त सहायता सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं सुविधाएं और कार्यस्थल से संबंधित अन्य सुविधाएं।

AIESL में महिला दिवस 2025 भी उत्साह और उत्साहपूर्वक मनाया गया, सभी भूमिकाओं में महिलाओं के बहुमूल्य योगदान को मान्यता देना विभाग. कार्यक्रम में लैंगिक समानता, समावेशिता के महत्व पर प्रकाश डाला गया और कार्यस्थल पर सम्मान दिया जाएगा।

उत्सव में विचारशील बातचीत, प्रशंसा के संदेश आदि शामिल थे ।आकर्षक गतिविधियाँ जिन्होंने एकता और प्रोत्साहन की भावना को बढ़ावा दिया।

## 14.12 एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने और निपटने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति बनाई है यौन उत्पीड़न के गैर-सहमति वाले कृत्यों के लिए दंड की सिफारिश करना।

महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए हर साल महिला दिवस मनाया जाता है उनके अधिकार और सशक्तिकरण।

## 14.13 होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

कार्य प्रतिमान के प्रत्येक स्तर पर महिला कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। कंपनी सभी के लिए उचित और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने की नीतियों का सख्ती से पालन करती है संगठन में कार्यरत महिला कर्मचारी।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित नियामक प्रावधानों के अनुपालन में निम्नलिखित उपाय पेश किए गए हैं-

1. यौन उत्पीड़न से महिलाओं की रोकथाम (POSH अधिनियम) के प्रावधानों का अनुपालन ।

2. मामलों की रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन संगठन में महिलाओं की शांति को प्रभावित करना।

3. कर्मचारियों को महिलाओं की इज्जत भंग या उसे अपमानित करने की धमकी देने के नतीजों के बारे में शिक्षित करना।

4. महिला दिवस प्रत्येक वर्ष महिलाओं के अधिकारों के बारे में सभी के बीच जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।

5. महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें ज़्यादातर दिन की शिफ्ट में काम पर रखना।

# 15. दिव्यांगजन के लिए सुविधाएं

## 15.1 दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

पूर्ण रूप से सुलभ वातावरण के सृजन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुरूप, नागर विमानन मंत्रालय ने 'नागर विमानन के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश, 2022' विकसित करने की महत्वपूर्ण पहल की है। इन दिशानिर्देशों को हवाई यात्रा से जुड़े सृजित वातावरण और सेवाओं के संदर्भ में दिवयांगजनों, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले अन्य उपयोगकर्ता समूहों की विशिष्ट सुगम्यता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। इन दिशानिर्देशों का व्यापक उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से सुलभ और समावेशी हवाई यात्रा का मार्ग प्रशस्त करना है। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य किया है, ताकि पूरे भारत के हवाईअड्डों पर विशेष रूप से कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों (PRMs) की आवश्यकताओं के अनुरूप बाधा-मुक्त निर्मित वातावरण और सेवाएं बनाने के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और स्थान मानक तैयार किए जा सकें।

इन व्यापक दिशा-निर्देशों में सुलभ सुविधाओं और सेवाओं का एक व्यापक सेट शामिल है, जो हवाईअड्डा संचालकों, एयरलाइनों और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। ' नागर विमानन के लिए सुगमता मानक और दिशा-निर्देशों' को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है और तत्पश्चात इसे दिनांक 9 जनवरी, 2023 को भारत के राजपत्र में आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। यह अधिसूचना निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन को अनिवार्य बनाती है।

## 15.2 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

भाविप्रा ने एयरपोर्ट पर दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह से आसान आधारभूत संरचना पक्का करके सुगम्य भारत अभियान के विज़न को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कोशिशें की हैं। भाविप्रा एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी और कम चलने-फिरने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एम्बुलिफ्ट सुविधा भी शुरू की गई। सिविल एविएशन के लिए एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस भी तैयार करके गैजेट नोटिफिकेशन से पहले पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दी गई हैं; जिससे सभी भारतीय हवाई अड्डों को लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

भाविप्रा ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बताए गए दस खास एक्सेसिबिलिटी फीचर्स वाली जनरल गाइडलाइंस को सभी एयरपोर्ट पर सक्रिय रूप से लागू कर रहा है ताकि एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाया जा सके। इन फीचर्स में शामिल हैं:

1. सुलभ मार्ग/पहुँच
2. सुलभ पार्किंग
3. भवन का सुलभ प्रवेश द्वार
4. सुलभ रिसेप्शन (हेल्पडेस्क)
5. सुलभ गलियारा/स्पर्शीय फ़्लोरिंग
6. सुलभ लिफ्ट
7. हैंडरेल वाली सीढ़ियाँ (मुख्य पैसेंजर मूवमेंट ज़ोन में)
8. सुलभ शौचालय
9. सुलभ पेयजल सुविधाएं
10. साइनेज

सम्मिलित रूप से की गई यह कोशिश भाविप्रा के इस वादे का हिस्सा है कि सभी लोग, चाहे उनकी खास ज़रूरतें कुछ भी हों, हवाई यात्रा के फ़ायदों का आनंद इज़्ज़तदार और समावेशी तरीके से ले सकें।

## 15.3 पवन हंस लिमिटेड

भर्ती में छूट प्रदान करने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करने के अलावा, पवन हंस लिमिटेड ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में दिव्यांगजनों के लिए प्रसाधन, रैंप, लिफ्ट, व्हील चेयर आदि जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और दिल्ली के सेक्टर 36 में रोहिणी हेलीपोर्ट पर विभिन्न भवनों के बीच आवागमन के लिए ई-रिक्शा की सुविधा भी दिव्यांगजनों (PwD) को प्रदान की गई है।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप, दिव्यांग कर्मचारियों को दिनांक 10/06/2020 से अन्य कर्मचारियों की तुलना में दोगुनी दर पर अतिरिक्त यात्रा भत्ते का भुगतान किया गया है।

## 15.4 रेल संरक्षा आयोग

रेल संरक्षा आयोग दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए भारत सरकार के सभी निर्देशों का पालन करता है।

## 15.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित किया गया है और जहां भी संभव हो, दिव्यांग व्यक्तियों पर उचित ध्यान दिया जा रहा है।

## 15.6 राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

दिव्यांगजनों को सुगम प्रवेश प्रदान करने के लिए शैक्षणिक भवन में रैंप की व्यवस्था की गई है। इसी तरह, दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं को सहयोग प्रदान करने के लिए स्पर्शनीय टाइलों से फर्श बनाया गया है। आरजीएनएयू के शैक्षणिक भवन में शारीरिक रूप से दिव्यांग के सुगम उपयोग के लिए अलग से प्रसाधन भी बनाए गए हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियोंजनों की सहायता के लिए शैक्षणिक भवन के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की गई है। साथ ही विश्वविद्यालय के छात्रावास और आवासीय ब्लॉकों में लिफ्टों का प्रावधान किया गया है।

## 15.7 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

इस अवधि के दौरान, AERA ने अपना कार्यालय उड़ान भवन में स्थानांतरित कर दिया है, जो AERA, AAIB, BCAS, DGCA और AAI के लिए नव-निर्मित संयुक्त कार्यालय भवन है। यह भवन सफदरजंग हवाई अड्डा परिसर में स्थित है, जहाँ लिफ्टें स्थापित हैं, रैंप उपलब्ध हैं तथा दिव्यांग व्यक्तियों की सुगमता के लिए अलग शौचालय भी उपलब्ध हैं। AERA की वेबसाइट भी उनके लिए अनुकूल है।

## 15.8 AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड

AIESL सभी कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और निर्धारित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों को सभी लागू सुविधाएं देना जारी रखता है। हालाँकि, एक एमआरओ संगठन के रूप में, तकनीकी भूमिकाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसमें व्यापक शारीरिक श्रम, काम करने जैसी शारीरिक रूप से कठिन गतिविधियाँ शामिल हैं विमान की सुरक्षा और उड़ान योग्यता सुनिश्चित करने के लिए ऊंचाई पर, भारी उपकरणों को संभालना और उच्च दबाव वाले वातावरण में संचालन करना। इन भूमिकाओं के लिए अप्रतिबंधित गतिशीलता, त्वरित प्रतिक्रिया और उच्च-शक्ति की आवश्यकता होती है।

इसलिए AIESL अपने कार्यबल में उपयुक्त गैर-तकनीकी भूमिकाओं में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को शामिल करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

## 15.9 एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

• एलाइंस एअर की उड़ानों में यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को रियायती किराए की पेशकश की जाती है।

• हवाईअड्डे पर वरिष्ठ नागरिकों और विशेष आवश्यकता वाले यात्रियों को विशेष सहायता प्रदान की जाती है।

## 15.10 होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

दिव्यांगजनों से संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिशानिर्देशों को लागू किया जाता है और उनका सख्ती से अनुपालन किया जाता है।

विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे अन्य कदम-

i) कर्मचारियों को उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना।

ii) कार्यस्थल पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।

# 16. ICAO परिषद में भारत के प्रतिनिधि (ROI)

## 16.1 ICAO में भारत के प्रतिनिधि का कार्यालय

ICAO में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्थायी कार्यालय है, जिसमें भारत के प्रतिनिधि (ROI), तकनीकी सलाहकार और दो अन्य स्थानीय कर्मचारी शामिल हैं।

- **भारत के प्रतिनिधि**
  श्री अंगशुमाली रस्तोगी।
- **आरओआई के तकनीकी सलाहकार**
  श्री संदीप कथूरिया।

ICAO परिषद में ROI की अतिरिक्त उत्तरदायित्व।

### वित्त समिति (FIC) के अध्यक्ष

ICAO परिषद ने भारत के प्रतिनिधि को वित्त समिति का अध्यक्ष चुना है। ICAO वित्त समिति बजट, मूल्यांकन और वित्तीय नियमों सहित वित्तीय मामलों पर परिषद की समीक्षा करती है और उसे सलाह देती है। यह संगठन की वित्तीय स्थिरता और संसाधन आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।2

## 16.2 वर्ष 2025 में ICAO नियमित बजट में योगदान और वर्ष 2026 में प्रतिबद्धता

सदस्य राष्ट्र के रूप में, भारत ने वर्ष 2025 में ICAO नियमित बजट का 0.99% योगदान दिया और वर्ष 2026 में ICAO नियमित बजट का 1.18% योगदान देना है।

## 16.3 परिषद और वर्ष 2025 का ANC सत्र

परिषद के निम्नलिखित सत्र जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक आयोजित/निर्धारित किए गए थे:

234वां सत्र : 20 जनवरी 2025 - 04 अप्रैल 2025

235वां सत्र : 28 अप्रैल 2025 - 04 जुलाई 2025

236वां सत्र : 13 अक्टूबर 2025 - 28 नवंबर 2025

परिषद के लिए तकनीकी मामलों पर कागजात तैयार करने के लिए परिषद चरण के दौरान वायु दिक्चालन आयोग (ANC) की बैठकें समानांतर रूप से आयोजित की गईं। एएनसी की बैठकों में ROI के तकनीकी सलाहकार राज्य पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हैं।

इन सत्रों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सभी सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष के दौरान संरक्षा, सुरक्षा, LTAG, CORSIA समीक्षा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष मौसम सूचना सेवा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अद्यतन: लागत वसूली, मानकों और अनुशंसित परिपाटियों आदि में संशोधन। परिषद और ANC से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को ईमेल, रिपोर्ट, समाचार पत्र आदि के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय, डीजीसीए. और अन्य हितधारकों को सूचित किया गया।

## 16.4 वर्ष 2025 की महत्वपूर्ण घटनाएँ

### ICAO में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (I.D.Y. 2025)

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ICAO में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया। यह आयोजन दिनांक 21 जून 2025 को आयोजित किया गया था और इसमें ICAO के वरिष्ठ अधिकारियों, परिषद के सदस्यों, वायु दिक्चालन आयुक्तों और ICAO के अन्य कार्मिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारत का प्रतिनिधिमंडल ICAO प्रतिनिधिमंडलों और कार्यालय के अधिकारियों के लिए हर सोमवार को नियमित योग कक्षाएं भी आयोजित कर रहा है।

## 42वीं ICAO त्रैवार्षिक सभा, मॉन्ट्रियल कनाडा

अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) की 42वीं त्रैवार्षिक सभा दिनांक 23 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग सभी 193 सदस्य देश, वरिष्ठ नागर विमानन अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रमुखों और वैश्विक वायु परिवहन क्षेत्र के हितधारक एकत्र हुए ताकि अगले त्रैवार्षिक अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय विमानन के लिए मार्ग तैयार किया जा सके।

इस उच्च-स्तरीय मंच के दौरान, प्रतिनिधियों ने विमानन संरक्षा, सुरक्षा, स्थिरता और न्यायसंगत हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों को अपनाया, जिसमें विमानन से संबंधित मौतों को खत्म करने और 2050 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, जो ICAO की दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और राज्यों में कार्यान्वयन क्षमता बढ़ाने के लिए रणनीतिक कोष जैसे नए तंत्रों द्वारा समर्थित किया गया हैं।

विधानसभा ने 36 सदस्यों वाली ICAO परिषद का चुनाव भी पूरा किया, जो नीति निरीक्षण और कार्यान्वयन के लिए

विधानसभा के प्रति जिम्मेदार शासी निकाय के रूप में कार्य करती है; विशेष रूप से, भारत को वर्ष 2025-2028 के कार्यकाल के लिए भाग II (अंतरराष्ट्रीय हवाई नेविगेशन सुविधाओं में सबसे बड़ा योगदान देने वाले राज्यों के लिए) के तहत परिषद में फिर से चुना गया, जिससे एक मजबूत जनादेश प्राप्त हुआ और वैश्विक विमानन में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका में व्यापक विश्वास परिलक्षित हुआ।

विधानसभा में भारत की भागीदारी को माननीय नागर विमानन मंत्री (HMCA), श्री किंजरापु राममोहन नायडू और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव श्री समीर कुमार सिन्हा की सम्मानित उपस्थिति से चिह्नित किया गया। दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने DGCA, BCAS, AAIB और एयरलाइन उद्योग के प्रतिनिधियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सभा में सक्रिय रूप से भाग लिया, समकक्ष प्रतिनिधिमंडलों और उद्योग हितधारकों के साथ द्विपक्षीय चर्चा में शामिल हुए और सुरक्षा, नवाचार, सतत विकास और समावेशी हवाई परिवहन विकास में भारत की प्राथमिकताओं को सुदृढ़ किया, वैश्विक विमानन शासन में देश की बढ़ती प्रतिष्ठा और ICAO के भीतर बहुपक्षीय सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

माननीय नागर विमानन मंत्री जी ने मॉन्ट्रियल में बॉम्बार्डियर और एयरबस विनिर्माण सुविधाओं का भी दौरा किया।

माननीय नागर विमानन मंत्री का बॉम्बार्डियर और एयरबस विनिर्माण सुविधाओं का दौरा भारत के तेजी से विस्तारित विमानन बाजार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व का था, जो आने वाले दशक में दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। इस सम्मेलन में भारत में अलग-अलग तरह के विमानों की बढ़ती मांग को रेखांकित किया गया, जिसमें बिज़नेस जेट और क्षेत्रीय विमानों से लेकर अगली पीढ़ी के वाणिज्यिक बेड़े शामिल हैं, ताकि बढ़ते यात्री यातायात, क्षेत्रीय संपर्क और कार्गो विकास को समर्थन किया जा सके।

वैश्विक निर्माताओं के साथ सीधे जुड़कर, इस यात्रा ने बेड़े के आधुनिकीकरण, स्थिरता और उन्नत विमानन प्रौद्योगिकियों के लिए भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत किया, साथ ही एयरोस्पेस विनिर्माण, रखरखाव और कौशल विकास में औद्योगिक सहयोग, आपूर्ति-श्रृंखला एकीकरण और "मेक इन इंडिया" साझेदारी के अवसरों पर प्रकाश डाला है। इस तरह की उच्च स्तरीय वार्ता से मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के बीच भारत की नीति स्थिरता और बाजार क्षमता में विश्वास मजबूत हुआ, जिससे देश न केवल एक प्रमुख ग्राहक के रूप में बल्कि विमानन विनिर्माण, नवाचार और सेवाओं के लिए एक उभरते वैश्विक केंद्र के रूप में भी स्थापित हुआ।

नागर विमानन मंत्रालय के सचिव ने मॉन्ट्रियल में CAE विनिर्माण सुविधा क्षेत्र का दौरा किया। CAE विनिर्माण सुविधा क्षेत्र का दौरा भारत के तेजी से बढ़ते विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण था, विशेष रूप से विस्तारित एयरलाइन बेड़े का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित पायलटों की मांग में तेज वृद्धि के संदर्भ में। इस वार्ता में प्रशिक्षण क्षमता को मजबूत करने, सुरक्षा परिणामों को बढ़ाने और विमान-आधारित प्रशिक्षण पर अधिक निर्भरता के बिना कुशल उड़ान चालक दल की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में उन्नत उड़ान सिम्युलेटर की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इन वार्ताओं में स्केलेबल सिम्युलेटर समाधान, प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे के स्थानीयकरण और भारत की दीर्घकालिक पायलट प्रशिक्षण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए संभावित सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें देश के तेजी से बढ़ते नागर विमानन क्षेत्र के लिए सतत मानव पूंजी के

निर्माण में सिम्युलेटर को एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में रेखांकित करती हैं।

माननीय नागर विमानन मंत्री जी ने कनाडा-भारत व्यापार परिषद (CIBC) द्वारा आयोजित उद्योग राउंड टेबल सम्मेलन में भी भाग लिया । कार्यक्रम के दौरान, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने CIBC सदस्यों के समक्ष एक प्रस्तुति दी जिसमें उन्होंने भारत में वर्तमान विमानन परिदृश्य की रूपरेखा प्रस्तुत की और इस क्षेत्र में उभरते अवसरों पर प्रकाश डाला, साथ ही भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र में अधिक से अधिक भागीदारी और निवेश को प्रोत्साहित किया।

माननीय नागर विमानन मंत्री जी ने भारतीय प्रवासियों के सदस्यों के साथ भी बातचीत की, लोगों के बीच संबंधों को मज़बूत बनाने और सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए सार्थक चर्चाओं में भाग लिया। चर्चाओं में निवेश, नवाचार और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी भारतीयों की विशेषज्ञता, नेटवर्क और अनुभव का लाभ उठाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। भारतीय प्रवासियों ने भारत की विकास पहलों का समर्थन करने और कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय जुड़ाव बढ़ाने के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करने में गहरी रुचि दिखाई। इस बातचीत में सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने, आर्थिक संबंधों का समर्थन करने और भारत और कनाडा के बीच घनिष्ठ सहयोग में योगदान के प्रति प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

नागर विमानन मंत्रालय
MINISTRY OF
**CIVIL AVIATION**

सत्यमेव जयते